राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का बीसवां दिवस [संख्या 17

शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री बालसिंह सोढ़ा।

राजस्थान नहर के मजदूरों की मजदूरी

344. **श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर)**: क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर पर जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, मजदूरों को मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? अगर नहीं तो गत महीने में कब-कब भुगतान किया गया और किस-किस कैम्प पर कितना-कितना भुगतान किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आर. डी. 532, 538, 545, 550 पर लगे मजदूर आज सात रोज से बेकार बैठे हैं, और यह भी सही है कि तीन-चार दिन काम करने के बाद फिर बन्द कर दूसरा काम बता पीछे का भुगतान नहीं किया गया है? अगर हां, तो लगातार काम नहीं देने के क्या कारण हैं?

मुख्य नहर पर काम नहीं देकर और जगह अकाल के मजदूरों को ले जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या राज्य सरकार मुख्य नहर को दूसरी नहरों से कम महत्व दे रही है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य नहर पर एक ही जगह पक्का कार्य नहीं करा कर जगह-जगह केवल मिट्टी ही खुदाई जा रही है जो गर्मी में वापिस भर जावेगी? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार पक्का निर्माण कार्य क्यों नहीं करा रही है?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मैनफूलसिंह): (1) जी नहीं, यह सही नहीं है। भुगतान किये जाने सम्बन्धी सूचना संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(श्री मनफूलसिंह)

(3) जी नहीं।

(4) नहर को पक्का करने का काम खुदाई का काम पूरा होने के उपरान्त ही किया जाता है। जिस-जिस भाग (रीचेज) में खुदाई का काम पूरा हो जाता है उसको पक्का करने का काम यथाशीघ्र आरम्भ कर दिया जाता है ताकि नहर को सम्पूर्ण बनाने में कम से कम समय लगे। इस रेगिस्तानी भाग में आंधियां करीब-करीब 12 मास ही चलती हैं और इससे खुदे हुए भाग में रेत का भर जाना स्वाभाविक है और इस प्रकार से भरे हुए रेते को तो निकालना पड़ता ही है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर सूची मांगी मन्त्री जी ने दी नहीं। सूची नहीं दी गई तो सप्लीमेन्टरी क्या पूछूंगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सूची नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : सूची भेज दी गई है। नहीं मिली है तो बाद में दे दी जावेगी। चाहें तो अभी ले लें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : पहले कैम्प और दूसरे कैम्प के बीच में कितनी दूरी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो अलग से प्रश्न है। पूछा नहीं है प्रश्न में आपने यह।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैंने साफ पूछा है कि एक भी जगह पक्की कराई नहीं है और कैम्प जगह-जगह लगाये हुए हैं। तो, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले और दूसरे कैम्प के बीच की दूरी क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है। स्पष्ट पूछते तो दूरी भी बताई जा सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि माह जनवरी में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने के कारण मजदूरों ने मजबूरन भूख हड़ताल की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : तो फिर जवाब ही क्या दिया ? समय पर मजदूरी नहीं मिलती है और यह क्लीयर है। फिर भी आप छिपाते हैं कहते हैं 'जी नहीं'।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, लिफ्ट योजना में काम चल रहा है, मेन कैनाल में काम चल रहा है, अलग-अलग कैम्प बनाये जा रहे है, पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, सड़कें वहां तक पहुंच चुकी हैं। पानी का प्रबन्ध भी हो चुका है। मजदूर जा रहे हैं। किसी को इस तरह की कोई शिकायत वहां नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि 7 मार्च को आर. डी. 532,-538 के मजदूरों को काम पर नहीं लिया जा रहा था ?

Page No 3

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो दे दिया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : गलत दिया गया है। 7 तारीख को मैं स्वयं गया था। मैंने वहां जैसलमेर, बाड़मेर से गए हुए मजदूरों को पूछा। तो मालूम हुआ कि पांच दिन से वे बेकार बैठे हैं और माननीय मन्त्री कहते हैं 'जी नहीं'।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर कैम्प की स्ट्रेन्थ डिफाइन्ड है काम के अनुसार। अब अगर उससे अधिक मजदूर वहां पहुंच जाए तो अगर गुंजाइश वहां हो सकती हो तब तो रख लेते हैं नहीं तो फिर उनको दूसरी जगह भेजा जाता है और भिन्न-भिन्न कैम्पों में जाने को कहा जावे तो ऐतराज नहीं करना चाहिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : राजस्थान गंग मेन कैनाल से हटाकर अनूपगढ़ शाखा और लिफ्ट प्रोजेक्ट पर ले जाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरा सवाल सीधा है। मेन कैनाल पर जब आदमी लगे हुए थे तो उनको वहां से हटाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगे हुओं का प्रश्न है ही नहीं और न हटाया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आम विदित है कि राजस्थान में जो भी अकाल से सम्बन्धित कार्य हैं वहां पर मजदूरों को मजदूरी समय पर नहीं चुकाई जाती। इस बारे में सरकार ने जो उत्तर दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह घोर असन्तोषजनक और अपर्याप्त है। सब लीपा-पोती की गई है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निष्पक्ष जांच कराने का इरादा रखती है ? जांच नहीं कराकर दोषी कर्मचारियों को सजा नहीं देकर अप्रत्यक्ष रूप में क्या सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देती ? क्या सरकार इसे अपना पुनीत कर्त्तव्य नहीं समझती कि ऐसी शिकायत किसी विधायक की तरफ से आने पर खास तौर से, निष्पक्ष रूप से जांच कराकर दोषी को दण्ड देकर सन्तोष दिलाए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान नहर पर जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर पेमेन्ट जैसा कि मैंने तालिका सदन की मेज पर रखी है माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि कितनी बार पेमेन्ट किया गया है। हरेक की डेटवाइज सूचना इसमें दी है। कहीं-कहीं पर जो पेमेन्ट लेट हुआ उसमें बीकलीवाल इन्जीनियर के पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वे अकस्मात छुट्टी पर चले गये थे इसलिये एक जगह देर हुई है बाकी सब जगह टाइम पर पेमेन्ट हुआ है। टाइम पर पेमेन्ट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आधी कीमत पर खाने का सामान जैसे गेहूं, जौ, घी, दूध आदि सप्लाई कर रहे हैं। पीने के पानी का भी बराबर इन्तजाम कर रहे हैं। राजस्थान कैनाल पर अकाल राहत कार्य जिस तरह से किया जा रहा है और जैसी वहां की व्यवस्था है, कई लोग गये हैं, देखा है और

Page No 4

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)
उसे सराहा है। हम भी समय-समय पर चैक करते रहते हैं। दूर जगह पर जहां ट्रेजरी का प्रबन्ध नहीं होने से कहीं एक दो रोज की देरी हो जाती है बाकी मुतवातिर कोशिश इस बात की है कि पेमेन्ट समय पर हो।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान कैनाल में जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है उसमें दो तरह की रेट कर दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : उपाध्यक्षजी, यह तो मजदूरों के ही हित में है। जो मजदूर ज्यादा काम करें उसे ज्यादा मजदूरी मिले—इस सिद्धान्त को केवल राजस्थान कैनाल पर इसलिये लागू किया है कि वहां जैसलमेर, बाड़मेर से आने वाले लोग हैं जो दूर से वहां जाते हैं शायद उनको $1\frac{1}{2}$ रुपये की रेट कम पड़े। इसलिये यह उसूल बनाया कि वे ज्यादा काम करते हों तो उनको उसका ज्यादा फल मिले। इसलिये $1\frac{1}{2}$ जो पेमिन की आम रेट है उसके लिये जो काम निर्धारित किया गया है उससे जितना ज्यादा काम जो करेगा उसको हम बेसिक शिड्यूल रेट से अधिक पेमेन्ट करेंगे ताकि $1\frac{1}{2}$ से अधिक उनको अगर मिले तो वे ज्यादा अच्छी तरह से गुजारा कर सकें। तो यह तो उनके फायदे की बात है जो राजस्थान कैनाल पर है। और यह व्यवस्था कहीं नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसमें ट्रान्सफर के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या इसकी आप जांच करावेंगे ? ट्रान्सफर के नाम पर पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है। इस प्रकार जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच नहीं करवा सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : भ्रष्टाचार कोई बतायें तब जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्नकर्ता ने एक आधे मिनिट की सूचना चाही थी और एक सूची चाही थी, क्या यह उचित नहीं है ? क्या आप इस सम्बन्ध में यह उचित नहीं समझते हैं कि मंत्रिमण्डल को ताड़ना दी जाय और इसके साथ-साथ यह कहा गया है कि समय पर मजदूरी नहीं मिलती है। मंत्री महोदय कहते हैं स्पेसिफिक इन्सटान्स कोट किया जाय। अब क्या स्पेसिफिक इन्सटान्स कहां से आयगा ? कोई आसमान से थोड़े ही आयेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : भ्रष्टाचार के स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन दीजिये। ऐसी कोई बात हुई तो जांच कराऊंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय के उत्तर से बिलकुल असन्तोष है। बार-बार यहां पर कहा गया है मजदूरी नहीं चुकाई जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मजदूरी नहीं चुकाई जाती। यह प्रश्न केन्द्र तक पहुंच गया है और केन्द्र यह अनुभव कर रहा है राजस्थान सरकार द्वारा जो मजदूरी दी जाती है वह समय पर नहीं दी जाती है। अकाल राहत के कामों में अव्यवस्था है, उसमें घोर भ्रष्टाचार है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार का यह पुनीत कर्तव्य

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
नहीं है कि वह उसकी जांच करने की व्यवस्था करें। माननीय प्रश्नकर्त्ता ने स्पष्ट कहा है कि गंग नहर में मजदूरी समय पर नहीं चुकाई जा रही है, यह एक घोर भ्रष्टाचार है और दूसरे क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि ऐसे गंभीर आरोप लगने के पश्चात् जांच कराने की व्यवस्था करें और प्रश्न कर्त्ता की मांग को स्वीकार करें ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे भ्रष्टाचार के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक निवेदन करना है ···

श्री उपाध्यक्ष : नहीं । भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सारे मामलों का एक प्रश्न के उत्तर में पूरा जबाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक समय पर पेमेन्ट नहीं होने का प्रश्न है मैं उसको देखूंगा और आयन्दा इस बात की कोशिश करूंगा कि पेमेन्ट समय पर हो ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री शार्दूल राजस्थान रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर

345. **श्री विजयसिंह (मकराना)** :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री शार्दूल राजस्थान रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर को राजकीय अनुदान प्राप्त होता है? यदि हां, तो कब से तथा कितना ?

(2) श्री शार्दूल, राजस्थान, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर के वर्तमान समय में कौन-कौन पदाधिकारी हैं तथा इन्होंने अपने पदों पर कब-कब से कार्य प्रारंभ किया हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री शार्दूल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्तमान कार्यकारिणी ने राज्य सरकार को इस आशय की शिकायत की है कि उसके लेखाओं में अनेक अनियमिततायें हैं तथा उसके प्रकाशनों का हिसाब नहीं मिलता है ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन, बीकानेर ने भी कोई जांच करवाई थी तथा उक्त जांच में शिकायत सही पाई गई ? यदि हां, तो यह जांच कब, किस अधिकारी द्वारा करवाई गई है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने इन्स्टीट्यूट के सामान को उसके पुराने अधिकारियों से दिलाने में निरन्तर कोताई की है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उसको उसके सारे प्रकाशन दिलवा दिये जावेंगे ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री वीरसिंह): (1) जी हां। नवम्बर, 1944 से । अनुदान संस्था को मान्य व्यय पर 90 प्रतिशत दिया जाता है ।

(2) इस संस्था की नई कार्यकारिणी का गठन दिनांक 17-3-69 को हुआ है तथा उसके नाम निम्न हैं:—

निदेशक—ठाकुर रामसिंह
उप-निदेशक—श्री शम्भूदयाल सक्सेना,

(राव श्री धीरसिंह)

प्रधान सचिव—श्री गोपालकृष्ण जोशी

साहित्य सचिव—श्री राघवेन्द्र शर्मा

कोषाध्यक्ष—श्री दामोदर प्रसाद।

इन पदाधिकारियों ने अपना कार्यभार दिनांक 18-3-69 को सम्भाला है।

(3) जी हां।

(4) संस्था की जांच श्री ओमप्रकाश, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर द्वारा की गई। संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों के पास कोई भी रेकार्ड उपलब्ध न होने के कारण जांच पूरी न हो सकी।

(5) संस्था के सामान पर अनुदान नियम, 1963 के अनुसार सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

श्री विजयसिंह : ये संस्था के पास रेकार्ड क्यों नहीं उपलब्ध हुये ?

राव श्री धीरसिंह : दो तरह की ग्रान्ट दी जाती है। एक तो खर्च को वेरीफाई करने के बाद 90 पर्सेन्ट ग्रान्ट दी जाती है। इसके अलावा सामान और हिसाबों के बारे में अनियमितता का प्रश्न है वह सरकार के अधीन नहीं है। वैसे जांच शिकायत आने पर करा ली है वरना शिक्षा विभाग का इन मामलों पर कोई अधिकार नहीं है कि उन मामलों पर जांच कराई जाय।

एक माननीय सदस्य : पांचवे का तो उत्तर दें।

राव श्री धीरसिंह : आपने सुना नहीं है, मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर कोई सामान चोरी जाता है तो सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य नहीं है उसके बारे में छानबीन करे ? सामान चोरी गया है, सरकार इस बात से भली भांति परिचित है। मैं यही जानना चाहता हूं अगर कोई बहुमूल्य वस्तु जाती है तो सरकार को सजग रहना चाहिये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। आखिर सरकार फिर क्या काम करती है ? अगर अनियमितताओं का कानूनी दायरे में कोई मामला आता है तो सरकार का क्या यह कर्त्तव्य नहीं है कि उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करें ?

राव श्री धीरसिंह : जो पब्लिकेशन करते हैं और जो खर्च एस्टेब्लिशमेंट का है उस पर ग्रान्ट 90 पर्सेन्ट दी जाती है और उसको असर्टेन करने के बाद दी जाती है। सामान और जो अन्य प्रॉपर्टी के झगड़े हैं वह गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हैं। जनरल लॉ लागू होगा और कोर्ट में तय किया जा सकता है। गवर्नमेंट दण्ड नहीं दे सकती है।

श्री गोकुलप्रसाद (बीकानेर) : यह प्रश्न थोड़ा सा बीकानेर से सम्बन्धित है इसलिये मैं कहूंगा। पहले भी कमेटी बनाई गई थी और झूंठे बिल लिखे गये थे। अलमारियां खरीदी नहीं गई और लिख दी गई, हजारों रुपयों का अनुदान दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या पुरानी कमेटी सामान भी अपने साथ ले गई ? 50-60 हजार की किताबे ले गई और क्या सरकार पूछ नहीं सकती है, हमेशा जो

(श्री गोकुलप्रसाद)
सामान लिया है, वह कहां है। जांच करने का अधिकार नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने मन्त्री महोदय का उत्तर सुना नहीं है। जिन मदों के सम्बन्ध में ऐड दी जाती है उसके हिसाब किताब देख सकते हैं। दूसरे आपस में जो डिस्प्यूट हैं वे सिविल कोर्ट या क्रिमनल कोर्ट में ही तय हो सकते हैं। अगला प्रश्न।

पंचायत समिति छीपा बड़ौद द्वारा खाद का वितरण

346. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि छीपा बड़ौद पंचायत समिति ने अपनी अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को रसायनिक खाद काश्तकारों को वितरण करने हेतु दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के खाद का हिसाब न तो सही ढंग से पंचायत समिति के ही पास है और न ग्राम पंचायतों के ही पास है जिसकी वजह से सरकारी धन की बड़ी राशि में हानि होने की सम्भावनायें हैं ?

(3) किस-किस पंचायत के ऊपर कितना-कितना खाद का पैसा बाकी है तथा उस रकम की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) पंचायतों को जो खाद वितरण करने हेतु दिया गया उसका हिसाब पंचायत समिति में उपलब्ध है व उसके अनुसार सम्बन्धित पंचायतों से मिलान किया जा रहा है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि जो पंचायतों को खाद दिया गया है वह किसी की मांग नहीं थी और वैसे ही ट्रक भर कर पटक आये हैं। माननीय उप मंत्री जी का यह सिर्फ कैल्कुलेशन है कोई तथ्य नहीं है इसके पीछे। क्या यह सही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : गलत है। सारा हिसाब पंचायत समितियों में उपलब्ध है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सरपंचों ने कहा है कि हमने आज तक खाद मांगा नहीं। ये वैसे ही जबरन पटक कर आ गए और अब वसूली कर रहे हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : माननीय सदस्य स्पेसिफिक मामले बतायेंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे ही स्पेसिफिक इन्सटान्स समझ लीजिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति में किसानों के विरुद्ध पी० डी० आर० के मामले खाद और बीज के प्रश्न को लेकर बनाये हैं। उसमें न तो कही किसानों के बोन्ड हैं और न दस्तखत हैं। क्या यह सही है ?

Page No 8

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही है । खाद और बीज मांगे नहीं हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं । कहीं खाद प्राप्त होने के बोन्ड और दस्तखत नहीं । जबरन रिकवरी कर रहे हैं । खाद लिया नहीं, बीज लिया नहीं और रिकवरी कर रहे हैं । केवल एक पंचायत समिति का ही नहीं है कोटा की सभी पंचायत समितियों का है ।

श्री हीराभाई : यह आम राजस्थान की शिकायत है । उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाते हैं लेकिन वह सब बेकार जा रही है । खाद, बीज वितरण करने वाले केवल आदेश की पूर्ति करते हैं और आदेश की पूर्ति के लिए नाम मान्ड देते हैं, किसानों से कोई वास्ता नहीं है और किसानों से यह वसूली हो रही है । इसको रोकी जावे ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय उपमंत्री महोदया ने फरमाया कोई खास उदाहरण हो तो बतावें । क्या आप इसको खास उदाहरण नहीं मानते हैं । अमुक पंचायत में गड़बड़ी हुई है, एक माननीय सदस्य ने बताया है और फिर इसका पता नहीं लगायें तो भ्रष्टाचार को बल नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने निवेदन कर दिया ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यदि किसी पंचायत समिति में ऐसा हुआ है कि बिना रसीद लिए खाद डाल दिया हो तो पंचायत का नाम बतायें उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को जो खाद दिया गया है वह 3-3, 4-4, 5-5 साल तक वैसा का वैसा ही धरा रहा है । न कोई छाया दी और न स्टोरेज की व्यवस्था दी । खाद था नहीं और जब यह सरपंच पर पटका कि तुम से पैसा वसूल किया जायगा तो यह सरासर बेईमानी है । काश्तकारों ने किसी तरह के खाद का प्रयोग किया नहीं फिर भी उन काश्तकारों से पैसे वसूल कर रहे हैं । तो ऐसे मामलों में से क्या मंत्री महोदय इसका आश्वासन देंगे कि जांच करायेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह सही है कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है वे छीपाबड़ौद पंचायत समिति के सदस्य भी हैं और इस बात को वे वहां भी उठा सकते थे और वहां से सन्तोष नहीं होने के बाद ही यहां उठा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । उपमंत्राणी महोदया ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : खाद का जो वितरण पंचायत समितियों द्वारा किया गया यह पंचायतों को दिया गया था । पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच में एक बॉण्ड एग्जीक्यूट हुआ है । आगे पंचायतों ने काश्तकारों को दिया है उसमें बॉण्ड को एग्जीक्यूट किया है या नहीं इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन अकाउन्ट्स का री-कन्सीलिएशन हो रहा है और अकाउन्ट्स के री-कन्सीलिएशन के लिए हमने अकाउन्ट्स क्लर्क एक एक कलेक्टर को अलग दिया है और पंचायत समितियों को भी एक-एक एल. डी. सी. दिया है । डिप्टी डी. डी. ओ. इस री-

(श्री परसराम मदेरणा)
कन्सीलिएशन अकाउन्ट की रिटर्न्स हैड-क्वारटर्स में डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को भेजेगा। इसके भी आदेश दिये गये हैं। हो सकता है किसी प्रकार की किसी के साथ में हरैसमेन्ट हो या अन-नेसेसरीली उसके खिलाफ डिमाण्ड या ड्यूज निकाल दी गई हो। ऐसी शिकायत आने पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी और अगर किसी ने फर्टीलाइजर नहीं लिया है तो उससे ड्यूज वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 15 साल का खाद आज वसूल कर रहे हैं। अब आपके पास शिकायत कब आयेगी और क्या मंत्री महोदय अब शिकायत करने पर जांच करवायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समितियों की स्थापना 59 में होने के बाद का यह अकाउन्ट है जिसकी बात माननीय सदस्य कर रहे हैं और आज प्रश्न पूछा गया है। इसलिए 15 साल कहां से हो गए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 59 में पंचायत समितियों की स्थापना हुई, यह सही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग ने जो खाद और बीज पंचायत समितियों को दिया और ग्राम पंचायतों में जबरदस्ती पटक आये उस समय के सारे मामले पी. डी. आर. के तहत चल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है उसके लिए क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है मैं समझता हूं बिलकुल स्पष्ट है उन्होंने कहा है कि किसी काश्तकार के दस्तखत नहीं हैं या कोई गड़बड़ी है तो उससे वसूली नहीं की जायेगी। मैं समझता हूं कि यह उत्तर पर्याप्त है। अगर कोई वसूली होती है तो मंत्री महोदय के सामने आप उसका केस ला सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों को आदेश भेजेगी····

श्री उपाध्यक्ष : अभी कह रहे हैं कि सरकूलर इश्यू हो जायेगा·······

श्री परसराम मदेरणा : आप तो यह आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम पंचायतों ने फर्टीलाइजर की मांग नहीं की और जबरदस्ती डाल दिया गया। आज हालत यह है कि पंचायतों की मांग है यूरिया और दूसरी चीज को उसको हम दे नहीं पाते। फिर जबरदस्ती डालने का क्या मतलब था ?

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर) आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज का आधार क्यों लेते हैं ? यह 59 की बात है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि जो खाद ग्राम पंचायतों को आपके कहे अनुसार दिया गया है वह खाद पंचायतों के पास सही ढंग से स्टोर नहीं हुआ और न ही वह किसी छाया या सहूलियत की जगह पर रखा गया। इसलिए वह खाद बारिश की वजह से गल गया। अब वह ग्राम पंचायतों के पास खाद नहीं था और पंचायत समितियों ने पंचायतों के माथे थोप दिया और पंचायतें चूंकि वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकी और वह पंच रस के ऊपर

Page No 10

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
जिम्मेदारी पड़ी। तो सरपंच ने अपनी जान बचाने के लिए वह खाद ए.स. वाई. जैड. व्यक्ति के नाम लिख दी और उससे काश्तकारों को परेशानी हो रही है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो आप काश्तकारों की रक्षा करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बार बार एम्फेसिस दे रहे हैं कि खाद बिना मांग के डाल दी और स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी या शैड नहीं था इसलिए वह खराब हो गई। पंचायत समितियां इस राज्य में इलेक्टेड बाडी हैं और उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फंक्शन था कि जहां कहीं खाद स्टोर कर रहे हैं या पंचायत इलेक्टेड बॉडी हैं वहां उनके अपने स्टोर करने के घर होते हैं जहां वह स्टोर करते हैं वह सेफ जगह पर स्टोर करनी चाहिए ताकि पानी से नहीं भीगे। अब स्पेसिफिक उदाहरण आने के बाद कहां रख दी, पंचायत समिति ने रख दी और पंचायत समिति सुपीरियर बाडी है अब हर पंचायत ने कहां खाद रख दी यह बड़ा हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है और मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के साथ खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर है।

श्री हीराभाई : सन् 59 में जब पंचायत समितियां बनी उसके पहले से ही हमारे यहां ऐसा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

स्थिति बिलकुल स्पष्ट है सदन के सामने। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। आपने यह कहा कि पंचायत समितियों को जो खाद मिला वह उन्होंने सरपंचों के यहां रख दिया। सरपंच इतना समझते नहीं थे और जनता भी इसका महत्व नहीं समझती थी। जब वसूली का प्रश्न आया तो किन्हीं लोगों के नाम लिख दी। यही प्रश्न है? इसका उत्तर मंत्री महोदय ने स्पष्ट दे दिया कि अगर किसी के दस्तखत नहीं हैं या कोई सबूत नहीं है कि वह व्यक्ति उस खाद को ले गया तो उससे वसूली नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह चर्चा यहीं समाप्त कर दी जाये क्योंकि यह बड़ा मामला है। इसके अन्दर कोई दूसरी बात सामने आये और कठिनाई आये तो मंत्री महोदय को पत्र लिख सकते हैं, अन्य किसी तरीके से इस कष्ट का निवारण हो सकता है। यह पर्याप्त है और अब अगला प्रश्न ले लिया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन किसानों के खिलाफ पी. डी आर. की कार्यवाही होगी.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह कानूनी प्रश्न है कि पी. डी. आर. की कार्यवाही से वसूली हो या लैण्ड रेवेन्यू की वसूली से हो या दावा होकर के हो। यह सब कानूनी प्रश्न हैं। आज इस प्रश्न के दायरे में नहीं आते।

श्री परसराम मदेरणा : फर्टीलाइजर जो ग्राम पंचायतों को दिया गया और उन्होंने काश्तकारों को दिया है यह शार्ट टर्म लोन के अगेन्स्ट में खरीदा गया था और इसके लिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को करीब 7-8 करोड़ का लोन दिया था और इसके ऊपर आज भी ब्याज दे रहे हैं और अब सब को राइट ऑफ कर

(श्री परसराम मदेरणा)
दिया जाये और जो दोषी हैं उनको पनिश नहीं किया जाये यह कैसे सम्भव है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन्होंने खाद लिया है और बीज लिया है उनसे वसूली होनी चाहिए लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनके खिलाफ क्यों पी. डी. आर. की कार्यवाही हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : उस संबंध में मैं कह चुका हूं कि जिन लोगों ने खाद नहीं ली है और डिमाण्ड निकाली गयी है वह उचित नहीं है। उसको प्रूव करने के बाद कि उन्होंने खाद नहीं ली है और गलत तरीके से उनके नाम लिखे गये हैं तो उस मामले को देखा जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वही चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की महत्वपूर्ण व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। म्युनिसिपल बोर्ड या पंचायत समितियों से संबंधित प्रश्न सदन में उठाने के पूर्व····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय स्पीकर की व्यवस्था दी हुई है 65 में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनारायण चौधरी : उसी काल का है। आपने ही यहां व्यवस्था दी हुई है····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : आप एक मिनट सुन तो लें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों के सम्बन्ध में और म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में जो भी सवाल होते हैं उन पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य जिला परिषद् और पंचायत समितियों में····

श्री उपाध्यक्ष : बहस काफी हो गई है और समाप्ति पर है। आर्डर प्लीज, समय नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जैसा कि मंत्री महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शान्त रहें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरे प्रश्न तीसरे का जवाब दिया है कि कार्यवाही कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कार्यवाही क्या की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही कर रहे हैं बस यही कार्यवाही की गई है।

श्री परसराम मदेरणा : कार्यवाही यह की गई है कि पंचायत समितियों में जो एकाउन्ट्स क्लर्क्स थे उनको कलेक्टर के पास लगा दिया है और एक एल. डी. सी. हरेक पंचायत समिति में लगा दिया है और जो एकाउन्ट्स क्लर्क कलेक्टर के पास में हैं उसको पाबन्द किया गया है कि वह पंचायत समितियों में और पंचायतों में जाकर एकाउन्ट का रिकन्सीलियेशन करें और वह इस काम के लिए महीने में 15 दिन बाहर टूर पर होगा। उसी प्रकार से विकास अधिकारी पर पाबन्दी लगाई है कि

Page No 12

(श्री परसराम मदेरणा)
एकाउन्ट्स के रिकन्सीलियेशन का काम ठीक ढंग से चले। इसी तरह से पंचायत समिति के एल. डी. सी. को इस काम पर लगा दिया गया है, और उसका रिकन्सीलियेशन ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं इस बात को विकास अधिकारी देखता है और विकास अधिकारी डी. डी. ओ. से मन्थली रिपोर्ट लेता है और रिकन्सीलियेशन्स आफ एकाउन्ट्स की लिस्ट राज्य सरकार को भेजता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अब प्रश्न नहीं पूछे जावेंगे, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

प्राइमरी स्कूल, ग्राम पूलू के अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

347. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री किशनराम पुत्र घीसाराम ग्राम पूलू में प्राइमरी स्कूल में कितने वर्ष से मास्टर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस मास्टर के खिलाफ कई तरह की शिकायतें गांव के लोगों ने पंचायत समिति मेड़ता, जिला परिषद् नागौर, जिलाधीश नागौर, शिक्षा विभाग, नागौर में की है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? शिकायतों का विवरण मय तारीखवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बावजूद कई शिकायतों के अब तक मास्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचायत विभाग से है इसलिए इसको पंचायत विभाग में भेजा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री केदारनाथ।

बीकानेर वूलन मिल

348. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) बीकानेर वूलन मिल में इस समय कुल कितने मजदूर काम करते हैं तथा उनकी नौकरी दिसम्बर, 1969 तक कुल कितने वर्ष की हुई है ?

(2) मिल में कुल कितनी धनराशि लगी है तथा प्लान्ट कहां का है ?

(3) मजदूरों को माहवार कितना वेतन मिलता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राजकीय वूलन मिल वर्कर्स यूनियन की तरफ से कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता वार्ता के लिए मिल के नियोजक एवं यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था ?

(6) क्या मिल के कोई स्टेंडिंग आर्डर्स व वर्कर्स कमेटी प्रभावशील हैं ?

(श्री केदारनाथ)

(7) क्या माथुर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मंहगाई भत्ता सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन किन उद्योगों में और कहां कहां किस तिथि से ? राजकीय वूलन मील में यह क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) मिल में इस समय कुल 248 मजदूर कार्य कर रहे हैं । उनकी नौकरी की अवधि दिसम्बर, 1969 तक निम्न प्रकार है:—

एक साल से कम अवधि वाले	132
दो साल से कम परन्तु एक साल से अधिक वाले	116
योग	248

(1) मिल में धनराशि निम्नानुसार लगाई गई है:—

1. स्थगित भुगतान मय व्याज	45,90,240.00
2. मशीन खरीदने एवं स्थापन	12,55,370.00
3. भवन(31-3-69 तक)	20,47,956.00
योग	78,93,566.00
4. चालू पूंजी (31-3-69 तक)	38,81,617.00
5. चालू पूंजी (31-3-70 तक)	30,00,000.00

एवं प्लान्ट जापान का है ।

(3) मजदूरों को दैनिक मजदूरी दी जाती है उसकी शृंखला 2.50 रु. से 4.50 प्रति दिन है ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां ।

(6) स्टैंडिंग आर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर व संयुक्त श्रम आयुक्त को भेजे जा चुके हैं । जहां से प्रमाणित होने पर लागू किये जावेंगे । वर्कर्स कमेटी शीघ्र बनाई जा रही है ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक और है ।

(7) जी हां, माथुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मंहगाई भत्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्योगों को दिया जा रहा है, जो वेज बोर्ड के अन्तर्गत नहीं आते । यह गंगानगर शुगर मिल्स की डिस्टिलरीज के श्रमिकों को दिया जाता है । राजकीय वूलन मिल द्वारा मंहगाई भत्ता माथुर कमेटी के अनुसार देने का प्रश्न विचाराधीन हैं ।

श्री केदारनाथ : स्टैंडिंग आर्डर के अभाव में कौन से सर्विस रूल्स वहां पर लागू समझे जायें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : म्युचुअल एग्रीमेंट ।

श्री केदारनाथ : सिद्धान्ततः क्या राज्य सरकार यह मानती है कि माथुर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक मंहगाई भत्ता ऊन मिल के मजदूरों को मिलना चाहिए ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक माथुर कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है वह इसमें

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
आता नहीं है क्योंकि टेक्सटाइल और वूलन के जितने भी वेज बोर्ड बने हैं और बाइलेट्रल एग्रीमैंट हुए हैं उन बाइलेट्रल एग्रीमैंट के आधार पर उनकी बातें तय हो गई हैं। इस मामले के बीच में उनकी मांग श्रम आयुक्त के पास रिकन्सीलियेशन्स के लिए हैं उस समय बाइलेट्रल एग्रीमैंट नहीं होता है तो फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के जरिये तय कराई जा सकती हैं।

प्रश्न संख्या 349

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

भीलवाड़ा जिले के पंचायत समितियों के अध्यापक

350. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं ? और किस किस पंचायत समिति में उसी तहसील के रहने वाले अध्यापक हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अध्यापक रात्रि को अपने हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं ? यदि नहीं रहते तो किस किस पंचायत समिति के किस किस स्कूल के अध्यापक रात्रि को हैडक्वार्टर पर नहीं रहते ?

(3) क्या सरकार गांवों में चेतना लाने की दृष्टि से अध्यापकों का अपने हैडक्वार्टर पर रहना जरूरी नहीं समझती ? यदि जरूरी समझती है तो इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) कुल 11 पंचायत समितियां हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार सभी पंचायत समितियों में उसी तहसील के अन्य स्थानों के अध्यापक भी कार्यरत हैं।

(2) अधिकांश अध्यापक अपने मुख्यालय पर रहते हैं। जिन पंचायत समितियों में अध्यापक मुख्यालय पर नहीं रहते हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) साधारणत: अध्यापकों को अपने मुख्यालय पर ही रहना चाहिए। जहां आवास की व्यवस्था नहीं होती वहां सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा आवास की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो अध्यापक जान बूझकर अपने मुख्यालय पर नहीं रहते हैं उन्हें वहां रहने के लिए पाबन्द किया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि अधिकांश अध्यापक अपने मुख्यालय पर रहते हैं तो आपने दूसरी तरफ पंचायत समिति सुवाना में 73 स्कूल हैं वहां के अध्यापक वहां नहीं रहते हैं और वहां पर 500-700 स्कूल हैं पंचायतों में और आपने कहा कि अधिकांश

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
नहीं रहते हैं तो इस तरह से सुवाना पंचायत समिति में....

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): सुवाना पंचायत समिति को आइसोलेट न करें बाकी की जो पंचायत समितियां हैं उनके पर्सेन्टेज के हिसाब से कहा है कि अधिकांश रहते हैं। आप इस तरह से कह कर राज्य के उत्तर को गलत बताना चाहते हैं। दूसरी पंचायत समितियों में जो पर्सेन्टेज एब्सेन्टीज फ्राम हैडक्वार्टर रहती है वहाँ बहुत कम है, अध्यापकों की संख्या को देखते हुए।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): हैडक्वार्टर पर नहीं रहने का कारण यह भी है कि अधिकांश अध्यापक पास के गांवों के रहने वाले होते हैं तो स्कूल से शाम को अपने गांवों में चले जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा: पंचायत राज की आप भी एक कड़ी हैं तो इस बात का आपको ज्यादा अनुभव होगा।

श्री रोशनलाल: अनुभव काम नहीं आ रहा है इसीलिए माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: इन 73 स्कूलों में अध्यापक वहां नहीं रहते हैं और 12-12 बजे स्कूलों में पहुंचते हैं और ढाई-तीन बजे वहां से रवाना हो जाते हैं। लड़कों का इम्तिहान वे ही लेते हैं इसलिए सेन्ट पर्सेन्ट रिजल्ट रहता है और बच्चे वहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। फिर आप फरमा रहे हैं कि पंचायत समितियां मकान बनाने की व्यवस्था कर रही हैं लेकिन पंचायत समितियां अन्तिम सांस ले रही हैं तो क्या मकान बनायेंगी ?

श्री परसराम मदेरणा: सेन्ट पर्सेन्ट रिजल्ट रहता है और लड़के पास होते हैं तो फिर पढ़ाई कैसे नहीं हो रही है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: उसी तरह से पास कर देते हैं। सही कार्यवाही कर रहे हैं कि नहीं जांच करवायें महरबानी करके।

श्री परसराम मदेरणा: सुवाना पंचायत समिति और एक दो पंचायत समितियां हैं जिनमें संख्या ज्यादा अध्यापकों और सुवाना पंचायत समिति में जो हैडक्वार्टर पर अध्यापक नहीं रह रहे हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन कारण नहीं बताया है कि क्यों नहीं रह रहे हैं। राज्य सरकार इस बात को मानती है कि कुछ अध्यापकों का 73 की तादाद में हैडक्वार्टर पर नहीं रहना उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन वे क्यों नहीं रह रहे हैं, और क्या कारण हैं और उनको हैडक्वार्टर पर रहने के लिए पाबन्द किया जाय तो आवास वगैरह का इन्तजाम करने की माननीय सदस्य से अपील करूंगा। आज तो जगह जगह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और कई जगह तो हाई स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों और परिवार को इसलिए नहीं ले जाते हैं कि वहां पर शिक्षा का साधन नहीं और आवास की कमी है। अब तो गांव गांव में हाई स्कूल हो गये हैं और गांवों में अध्यापक अपने परिवार को ले जाना पसन्द नहीं करते हैं और कहीं कहीं तो एक एक कमरे में दो दो अध्यापक हाई स्कूल के ठहरे हुए रहते हैं। यह परिस्थिति है। इसलिए इस बात की कोशीश की जायगी और खास तौर से सिवाना पंचायत समिति में कितने अध्यापक हैं कि जो नहीं रहते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)
उसको देखेंगे। उनके 4-5 मील के फासले पर मकान वगैरह हैं तो अपने परिवार को वे वहीं रखते हैं क्योंकि आप यह जानते हैं कि उनको जितनी तनख्वाह मिलती है उस में अगर दो जगह खाना बनाते हैं तो काफी मंहगा पड़ता है। इसलिए वे अगर 5-4 मील की दूरी पर रहते हैं तो साइकिल पर आते हैं और चले जाते हैं। इसके लिए माननीय सदस्य को ऐतराज नहीं करना चाहिये।

मैं एक बात और कह दूं कि यहां इस सदन में पंचायत समितियों के लिए, जिला परिषदों के लिए और पंचायतों के क्षेत्रों के लिए बार बार डिसीजन लेंगे अथवा लेते हैं तो दूसरी ओर इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य मांगों के संबन्ध में बोलते हुए या दूसरी डिबेट के जरिये यह कहते हैं कि राज्य सरकार उनमें हस्तक्षेप करती है, क्योंकि जिस तरह से यह हाउस है उसी तरह से थ्री टायर सिस्टम में वे दूसरे हाउसेज हैं तो एक को दूसरे पर नहीं रहना चाहिये और हरेक को जो उनका डिसीजन है उसको स्टेन्ग्युलेट नहीं करना चाहिए और उनके काम में इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस हाउस के समान वह हैं लेकिन उनकी दुर्गति राज्य सरकार कर रही है।

श्री रोशनलाल शर्मा : बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनके काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आगे प्रश्न नहीं होंगे, माननीय सदस्य !

अगला प्रश्न। श्री मोतीलाल !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक नीति से सम्बन्धित प्रश्न है। अगर सरकार विद्या के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी खिलवाड़ करती है तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ करके दोषी कोई नहीं हो सकता सिवाय राज्य सरकार के। क्या सरकार यह उचित समझती है कि भविष्य में जहां भी स्कूल खोलें वहां वहां अध्यापकों के रहने की व्यवस्था और सुविधा को मद्दे नजर रखें। जैसा कि माननीय प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है, यह अनियमितता की पराकाष्ठा हो रही है, बारह बजे, ग्यारह बजे तक तो अध्यापक नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को प्राथमिकता देकर अध्यापकों के रहने, आवास व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर प्रॉयोरिटी देनी चाहिए, नहीं तो यह शिक्षा नहीं, यह तो अनियमितता और अनियंत्रण की पराकाष्ठा है, मेरे ख्याल से···

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :···इससे बढ़ कर अव्यवस्था हो नहीं सकती है, यह सुसाइडल पॉलिसी है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय तो हर बात में पराकाष्ठा तक ले जाकर हाइएस्ट लेवल पर पराकाष्ठा की बात करते हैं। यह साधारण सी चीज है। पूरे देश में शिक्षा के

Page No 17

(श्री परसराम मदेरणा)
सम्बन्ध में दो मत चल रहे हैं, दो स्कूल आफ थाट हैं—एक कहते हैं कि स्कूल पर्टीक्यूलर डिजाइन के होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, यह होना चाहिए । दूसरी तरफ शिक्षा के माध्यम से समाज को, देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा सबको उपलब्ध कराना चाहते हैं। उनकी मान्यता यह रहती है कि स्कूल भले ही छप्पर के नीचे चलते हों, लेकिन हमारा यह काम है कि अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो। जिस प्रकार शांति निकेतन में स्कूल वृक्ष के नीचे चलाये जाते हैं उस तरह की ही व्यवस्था भले ही हो लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि स्कूल की व्यवस्था नहीं हो और हिन्दुस्तान के नागरिक अनपढ़ नहीं रहने चाहिए, बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए। यह दूसरा स्कूल आफ थाट है। जैसा कि माननीय विरोधी पक्ष के नेता मानते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करके पहले आवास का प्रबन्ध करें और फिर स्कूल खोलें तो यह तो नीति का प्रश्न है और मैं आपकी नीति से सहमत नहीं हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं·······

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्री जी ने···········

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । प्रश्न समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई सूचना नहीं। जो सूचना चाही गई थी वह मन्त्री महोदय ने दी।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां स्कूल बिल्डिंग पड़ी हैं वहां सरकार स्कूल क्यों नहीं खोलती है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। ऑर्डर प्लीज ! और लम्बा नहीं करें इस प्रश्न को ।

श्री लादूराम सुलानिया : यह बतायें कि कितने आपने वृक्षों के नीचे स्कूल चलाये हैं ? आज जो बिल्डिंग पड़ी हुई हैं, स्कूल हैं उनमें आप अध्यापक तक नहीं भेजते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आसन पैरों पर है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : सरकार स्कूल बनाने के लिए कितना अनुदान देती है·······

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। श्री मोतीलाल ! अगला प्रश्न !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस क्षेत्र से हमारे दल के एम० पी० भी हैं, क्या मैं आशा करूं कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे ?

सिरोही कॉलेज का विज्ञान कक्ष

351. **महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : (श्री मोतीलाल (रेवदर) की अनुपस्थित में):— क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 18

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(1) क्या सरकार सिरोही कॉलेज के अर्धनिर्मित विज्ञान कक्ष भवन एवं एसेम्बली हाल के निर्माण की आवश्यकताओं को अनुभव करती है ?

(2) क्या यह सही है कि विज्ञान कक्ष भवन के आठ वर्ष से पूरा नहीं किया जाने के फलस्वरूप सिरोही छात्र संघ ने जिला-स्तर पर आन्दोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार सिरोही कॉलेज के अर्धनिर्मित विज्ञान कक्ष भवन को पूरा करने हेतु वांछित स्वीकृति इसी वर्ष देने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) विज्ञान कक्ष में रसायन व भौतिक विज्ञान के लिए लेक्चर थियेटर व जन्तु विज्ञान के लिए लेक्चर थियेटर व प्रयोगशाला की कमी है।

(2 व 3) धनाभाव के कारण सरकार साधन उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अर्धनिर्मित विज्ञान कक्ष क्या आठ वर्ष से इस स्थिति में है ? अगर है, तो क्या आठ वर्ष के पश्चात् भी इस अधूरी इमारत को पूरा कराने के लिए सरकार कोई विचार नहीं रखती है ? फन्ड्स की कमी है यह तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं सरकार इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था अभी नहीं कर सकती तो अगली साल करने के सम्बन्ध में आश्वासन दिलाने की स्थिति में है ? मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

राव श्री धीरसिंह : धनाभाव पूरा होने पर इसके लिए विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कभी पूरा होने वाला नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह धनाभाव पूरा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस साल सम्भव नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, तो क्या अगले साल तक शिक्षा विभाग कुछ नहीं करेगा इस सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रामानन्द अग्रवाल : जल्दी से जल्दी कह सकते हैं, भाई।

पाली जिले में राहत कार्य

352. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में इस वर्ष कितने अकाल राहत कार्य किन किन तारीखों में स्वीकृत किये गये और वे कार्य कहां कहां किन किन तारीखों में चालू किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनकी स्वीकृति होने के बाद भी अभी तक पाली जिले में चालू नहीं किए गए हैं

Page No 19

(श्री शंकरलाल)
उनके चालू नहीं करने के क्या कारण हैं व अब कब तक चालू कर दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और भू-संरक्षण विभाग के स्टाफ की कमी के कारण कई कार्य बहुत देरी से चालू किये गये और कई अभी तक चालू नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं और अब यह कमी कब तक दूर कर दी जावेगी ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसको स्थगित किये जाने का निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया । श्रीमती मदनकौर !

तालाबों और बाँधों का पानी

353. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में तालाबों और बांधों के खुले पानी से पानी उड़ कर कम होता है क्या उसका अनुमान लगाया गया है ? अथवा ऐसा करने का कोई विचार है ?

(2) क्या इस प्रकार से पानी की उड़ान (इवेपोरेशन) को रोकने या कम करने के कोई प्रयोग अन्य देशों में सफल हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं ?

(3) क्या इन प्रयोगों के अनुभव का लाभ उठाने का राज्य सरकार का विचार है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) :
(1) जी हां, अनुमान लगाया जा रहा है ।

(2) कई देशों में प्रयोग अवश्य हुए हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि से सफलता उस देश में एकत्रित पानी के महत्व व उसके उपयोग सम्बन्धी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है ।

(3) जी हां ।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रयोग हमारे राजस्थान में कहां कहां किये गये हैं और इससे कितना प्रतिशत पानी उड़ने से बच जाता है ? दूसरी बात, क्या इन प्रयोगों की इकोनामी का अध्ययन कर लिया गया है ?

श्री जसराज : सन् 1964 में सी. डब्ल्यू. पी. सी. के द्वारा जो राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर में, जोधपुर से सात आठ मील दूर परबतसागर बांध के ऊपर प्रयोग किया गया उस प्रयोग में यह प्रयोग किया गया, कि इसमें साइडल एल्कोहल जो है वह एक रसायन, साबुन के साथ मिलाकर तालाब के सरफेस के ऊपर डालने का प्रयोग किया गया जिससे पानी का वाष्पीकरण होकर उड़ न सके और पानी की बचत हो सके । यह प्रयोग जोधपुर में सबसे पहले किया गया, जिसका रिटर्न यह हुआ कि चालीस पचास पर्सेन्ट की बचत हुई····

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी है नहीं ।

श्री जसराज : पहले सुन लें, उसके बाद में प्रश्न करें । आप इस सदन की परिपाटी को कायम रखें ।

(श्री जसराज)

दूसरा प्रयोग 1965 में आमेर के पास में सागर बांध पर किया गया और उसमें 75 पर्सेन्ट पानी की बचत हुई इस प्रयोग के द्वारा। तीसरा सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ रिसर्च इन्स्टिट्यूट नागपुर के सहयोग से हमने बांध जवाई पर किया उसमें भी 26 पर्सेन्ट पानी की बचत हुई। इस प्रकार से तीन चार जगह और कुछ प्रयास हुआ, उससे रिजल्ट निकला कि पानी की बचत हुई। और जहां तक इकानामी का सवाल है उसमें खर्च ज्यादा हुआ, कुल व्यय जो प्रयोग में किया, उसके आंकड़े एकत्रित किये हैं उसके आधार पर कुल 18,730 रुपये का व्यय हुआ, और पानी की बचत हुई वह 23 एम. सी. एफ. टी. हुई, प्रति एम. सी. एफ. टी. 814 रुपया बैठता है। हमें कुछ केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त होता है उसको इसमें से निकाल दिया जाय उसके बाद कुल व्यय है वह 5,575 बैठता है और एक एम. सी. एफ. टी. के ऊपर 250 रुपये बैठता है। इस प्रकार इकानामी की दृष्टि से देखें तो इससे जो सिंचाई होगी एक एम. सी. एफ. टी. से वह करीब दस एकड़ तक भूमि इससे सिंचित हो सकती है और उससे रेवेन्यू प्राप्त होगा वह करीब 100 हो जाता है, इससे सब्सीडाइज करके चालू करे इस स्कीम को....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में। समझ गये।

श्री जसराज : इस दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास करने पर जो खर्च हुआ है, वह मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक दूसरा प्रयास और कर रहे हैं....

श्री रोशनलाल : आप उत्तर दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

श्री जसराज : जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा उत्तर दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये।

श्री रोशनलाल : हमें जमीन पर पैदावार की जरूरत है, सरकारी आंकड़ों की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न को इतना लम्बा नहीं करें। अगला प्रश्न !

जालौर जिले के नलकूप

354. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले के किस किस गांव में इस वर्ष कितने नलकूप काम कर रहे हैं व कितने काम नहीं कर रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जालौर जिले के नलकूपों के पानी की दर तय की है अगर हां, तो वह क्या है ?

उप मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जालौर जिले में इस विभाग के अन्तर्गत 21 नलकूप हैं वे सभी नलकूप चालू स्थिति में हैं। नलकूपों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नलकूपों के पानी की दर राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री आईदानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक के अन्दर पूछा है

Page No 21

(श्री आईदानसिंह)
कितने नलकूप काम कर रहे हैं ? कृपया बताने की कृपा करें कि पूरे के पूरे काम कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां, पूरे के पूरे 21 काम कर रहे हैं ।

श्री आईदानसिंह : अगर काम कर रहे हैं तो पानी की दर विचाराधीन कैसे है ?

श्री खेतसिंह : 21 नलकूप काम कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं, उससे सिंचाई हो रही है लेकिन पानी की दर का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री आईदानसिंह: सिंचाई हो रही है—यह नहीं कहा ।

श्री खेतसिंह : एडहॉक बेसिस पर पहले रेट तय की है वह सात रुपये एडहॉक रेट तय की है, यह सात रुपये प्रति एकड़ एक इंच पानी देने पर है, एक इंच पानी एक एकड़ में दें तो सात रुपये चार्ज करते हैं । उसको रिवाइज करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है । उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री आईदानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इंच पानी देने पर एक एकड़ का सात रुपये लेने का आप कह रहे हैं । आपको ज्ञान नहीं है, पानी दिया जा रहा है गैलन पर, वह पच्चीस हजार गैलन पर रेट तय हुई है । आप पता कर लें ।

श्री खेतसिंह : आपके पास सूचना है वह एवरेज की है ।

श्री आईदानसिंह : आपकी जो सूचना है उसके हिसाब से सारे प्रश्न का जवाब गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

गलत नहीं, क्यूबिक इंच और क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किया है ।

श्री खेतसिंह : गैलन पर यह कन्फ्यूज्ड है ।

एक माननीय सदस्य : दोनों कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं ।

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि आपके विद्युत कमिश्नर ने यह 66 में रिपोर्ट दी थी कि बाबोरा ट्यूब वेल को सिंचाई के काम में नहीं ले सकते ।

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न आपने नल कूप के बारे में पूछा है ।

श्री दौलतराम सारण: क्या यह सही है.... ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री आईदानसिंह : एक नहीं, दो और हैं, एक बागोरा एक साखड़ा, एक सउडाच-यह तीनों काम में लिये जा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां, काम में लिये जा रहे हैं । आप कोई डेफीनेट बात कहें तो इन्क्वायरी करा ली जायेगी ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता को पूरे प्रश्न करने दीजिये ।

श्री आईदानसिंह : आपकी सरकार का यह पत्र है वह पढ़ कर सुनाता हूं:

"I am enclosing herewith the analysis report of Mr. Mathur..."

Page No 22

श्री रामकिशन : यह तो अंग्रेजी में है खेतसिंह जी नहीं समझेंगे। हिन्दी में ही बोलिये।

श्री आईदानसिंह : "This analysis report has been supplied to this office by the Exploratory Tubewell organisation."

यह 1966 में आई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर स्कीम्स बनाई थीं, उसके लिये ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाईजेशन ने कहा कि तीन ट्यूबवेल की स्कीम नहीं बनती और वह ड्राप करनी चाहिये हमको, लेकिन वहां पर भी पम्पिंग सेट लगे हुए हैं और हौद बना रहे हैं। जब स्कीम ही ट्यूबवेल आर्गेनाइजेशन ड्राप कर रही है तो पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष, महोदय, क्या मंत्री महोदय का उत्तर कन्फ्यूज्ड नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं समझता।

श्री खेतसिंह : 18 ट्यूबवेल हमको यू. टी. ओ. से मिले थे और 18 में ही हमने मकान वगैरह बनाये हैं और वे 18 ही काम कर रहे हैं।

श्री आईदानसिंह : वहां का पानी सलाइन और अल्कलाइन है और वह जमीन को खराब कर रहा है और उसके बारे में जो रिपोर्ट है वह भी सुन ली आपने।

श्री उपाध्यक्ष : वह उन्होंने किस दृष्टि से रिपोर्ट दी है ? कई फसलें ऐसी होती हैं जो मीठे पानी से ही उगती हैं और कई ऐसे होती हैं जो खारे पानी में भी उगती हैं।

श्री आईदानसिंह : इस रिपोर्ट में है····

श्री उपाध्यक्ष : वह टेक्नीकल रिपोर्ट है, आपका उद्देश्य क्या है प्रश्न पूछने का ?

श्री आईदानसिंह : जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह सोच समझ कर नहीं किया जा रहा है। आपकी आफिस के द्वारा भी एक भेजा हुआ लेटर मेरे पास है वह मैं आपको सुना दूं : "In This connection, it is to inform you that this will be further consulted."

तो बिना जांच किये ही कि इससे फायदा भी होगा या नहीं, आप खर्च कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री आईदानसिंह : एक प्रश्न और है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह : मेरी बात सुन लीजिये। जहां तक एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल का सवाल है, वहां तो जहां उनकी मर्जी आती है वहां खड्डा खोदते हैं और अगर मीठा पानी निकलता है तो सरकार को हैण्ड ओवर करते हैं और राज्य सरकार उसको ले लेती है, और जहां खारा पानी होता है, जो कि इतना खराब नहीं हो कि आदमी या मवेशी को नुकसान करे, तो उसको भी ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने अपने अधीन लिया है।

श्री आईदानसिंह : तो फिर आपने ए. ई. एन. को आदेश दिया है कि वह

(श्री आईदानसिंह)
स्कीम बनादे ? पंचायत समिति ने बन्द कर दिया है।

श्री खेतसिंह : मैं वापिस जांच करा लूंगा कि हकीकत क्या है।

श्री आईदानसिंह : मेरा मतलब भी यह है कि खर्चा करने के पहले जांच कर लें उसके बाद खर्चा करें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न सं० 355

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा।

घास में आग लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

356. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तारीख 14-1-1969 को ग्राम खजूरी खुर्द तहसील झालरापाटन के श्री वापूलाल पुत्र देबीलाल भील के घास के कुन्दों को किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जला दिया गया जब इसकी रिपोर्ट थाना असनावर में 15-1-1969 को फरियादी करने गया तो थानेदार ने 16-1-1969 को आने को कहा था ?

(2) क्या यह भी सही है कि फरियादी ने घास में आग लगाने वालों के नाम बताये और मौके के गवाह भी पेश किये परन्तु थानेदार ने मुल्जिमों का चालान नहीं किया बल्कि फरियादी को डाट डपट कर भगा दिया ?

(3) उपरोक्त केस के लिये एस. पी., झालावाड के पास शिकायत की गई तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, फरियादी को थानेदार ने नहीं, किन्तु मुख्य आरक्षक ने दूसरे दिन आने के लिये कहा था। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां, ऐसी शिकायत थी।

(3) जी हां, अधीक्षक आरक्षि के पास शिकायत पेश होने पर इस मामले का मुकदमा नं० 11, दिनांक 17-3-69 को हस्ब दफा 435 ता० हि० थाना असनावर पर पंजीबद्ध किया गया और बाद अनुसन्धान सर्व श्री प्रताप व घासी मुलजिमान का चालान दिनांक 24-10-69 को न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन है। उप निरीक्षक तथा मुख्य आरक्षक द्वारा समय पर कार्यवाही न करने की शिकायत पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : जिस थानेदार ने शिकायत दर्ज नहीं की, और ऊपर शिकायत करने पर ही केस दर्ज किया, उस थानेदार के खिलाफ गुजरे 12 महीने से अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : की जा रही है। एस. पी. को शिकायत के बाद केस रजिस्टर किया गया और थानेदार और हैड कान्स्टेबल के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जिस थानेदार और हैड कान्सटेबल ने

(श्री दौलतराम सारण)
मुकदमा दर्ज नहीं किया था उन्हीं के द्वारा इस केस की तफतीश कराई गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी तो मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न। अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : जिस के खिलाफ शिकायत हुई, केस की जांच उन्हीं के द्वारा कराई गई या दूसरों ने की, यह तो सीधा सम्बन्ध रखता है इस प्रश्न से। जिस मामले की उन लोगों ने शिकायत दर्ज नहीं की और बाद में जब एस. पी. को शिकायत की गई तब केस दर्ज किया, तो हमारा तो प्रश्न यह है कि क्या उन्हीं लोगों से इस केस की तफतीश कराई गई ? उसी थानेदार और मुन्शी ने इस केस की जाँच की या दूसरे किसी ने।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। अलग से प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : अलग से कैसे हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

झुंझुनू जिले में राहत कार्य

357. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनू जिले में इस वर्ष खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण कितने को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया ?

(2) इन गांवों में से कितने गांवों में गत तीन वर्षों से अकाल है ?

(3) झुंझुनू जिले में अकाल सहायता कार्यों के चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? जिन गांवों में लगातार तीन साल से अकाल है उनमें बेरोजगार लोगों को क्या राहत पहुंचाने की सरकारी योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) झुंझुनू जिले में इस वर्ष खरीफ की फसल क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप 163 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं।

(2) इनमें से 35 गांव गत तीन वर्ष से अभावग्रस्त हैं।

(3) झुंझुनू जिले में सहायता कार्य प्रारम्भ करने हेतु अभी कोई प्रस्ताव जिलाधीश द्वारा नहीं भेजे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनू जिले में 35 गांव जब तीन साल से अकाल ग्रस्त हैं और बाकी के दो साल से अकाल ग्रस्त हैं तो वहां अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि जिलाधीश के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आ जायेंगे तो जो राहत कार्य आवश्यक होंगे खोले जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : जिलाधीश अगर साल भर तक प्रस्ताव नहीं भेजेगा तो आप क्या कोई व्यवस्था नहीं करेंगे ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इसके सम्बन्ध में जब अकाल सहायता डिमांड पर बहस चल रही थी तो उस वक्त मंडोर से आने वाले माननीय सदस्य की बात पर स्पष्ट जवाब दे चुके हैं। कल ही आपको जिला रिलीफ कमेटी की मीटिंग है आठ बजे और कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि उनके प्रस्ताव तीस तारीख तक राज्य सरकार के पास आ जाने चाहिये और एक तारीख से काम चालू कर दिये जायेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : और क्या चाहते हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन साल पहले जहां अकाल पड़ा था उसकी रिपोर्ट अभी भी नहीं आई ?

श्री उपाध्यक्ष . आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले अकाल पड़ा था और उसकी रिपोर्ट नहीं, उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : आप समझे नहीं प्रश्न को। वे तो पूछते हैं कि झुंझुनू जिले में कौन से गांव हैं जो तीन साल से अभाव ग्रस्त हैं, तो उसका जवाब दे दिया कि 35 गांव ऐसे हैं जो गुजरे तीन साल से अभावग्रस्त हैं, और 163 में से बाकी गांव जो हैं वे पिछले साल भी अभावग्रस्त थे और इस साल भी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलेक्टर ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी, क्या यह मुनासिब नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो सदन में आश्वासन दिया है उससे संतोष हो जाना चाहिये, अब एक दिन का ही तो मामला है।

श्री दौलतराम सारण : काम खोलने का आश्वासन आपने दिया है उसके लिये तो माननीय सदस्य आपको धन्यवाद देंगे लेकिन जिस कलेक्टर ने इतनी गैरजिम्मेदारी बरती है, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : झुंझुनू जिले में पिछले साल 699 गांव अभावग्रस्त थे और इस साल 699 में से 163 ही अभाव ग्रस्त हैं, इसका मतलब तीन-चौथाई हिस्से में कोई न कोई फसल है और एक गांव का आदमी दूसरे गांव में जाकर रोजी कमा सकता है। अकाल सहायता वास्तव में वहां आवश्यक हो जाती है जहां सैकड़ों मीलों में अकाल पड़ा हो, लेकिन जहां पेचेज में अकाल पड़ता है वहां लोगों को दूसरे पास के गांवों में एम्पलायमेंट मिल जाता है। फिर भी जिला रिलीफ कमेटी की सिफारिशों पर कार्य खोल रहे थे, बाकी वह कोई वर्स्ट अफेक्टेड एरिया नहीं था। और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा फेमिन कोड का हवाला देते हैं, तो उससे डेविएट करना भी मुनासिब नहीं समझा गया। और जो डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग पोस्टपोन हुई वह किसी अधिकारी की गलती से नहीं हुई। दो दफा माननीय सदस्यों के आग्रह पर डिस्ट्रिक्ट रीलिफ कमेटी की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : कुछ स्थगित प्रश्न हैं उनका क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह : जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया और गवर्नमेन्ट ने जिनका पोस्टपोनमेन्ट मांगा है उनकी तो घोषणा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे प्रश्न जो पूछे नहीं गये हों और जिनका गवर्नमेन्ट ने पोस्टपोन-मेंट मांगा है उनका उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : जो प्रश्न पूछे नहीं गये हैं और गवर्नमेंट ने पोस्टपोनमेन्ट मांगा है उनके उत्तर का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया है कि जो प्रश्न पूछे नहीं गये हैं और गवर्नमेंट ने यह रिक्वेस्ट की है कि आज उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे तो उनका उत्तर आगे किसी तारीख को देंगे।

श्री हीराभाई : प्रश्न संख्या 330 को ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय का अभाव है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : प्रश्न संख्या 358 बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक है फिर भी लेने में मजबूरी है। इसमें काफी समय लगेगा। और समय का अभाव है।

स्थगित प्रश्न
(17-3-70)

न्याय पंचायतों के सदस्यों का रिटायरमेन्ट

159. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर के मौजूदा न्याय पंचायत के सदस्यों का रिटायरमेन्ट (सेवा निवृत्ति) समय पर नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ये कब होने चाहिये थे और कब कब हुए हैं ? न्याय पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस समय कुछ ऐसे सदस्य भी लगातार कार्य कर रहे हैं जो नियमानुसार सेवा निवृत्ति हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन, कब-कब से ? न्याय पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सदस्यों द्वारा सेवा निवृत्त हो जाने के बाद भी अनधिकृत रूप से अपने पद पर बने रहने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार को मिली थीं ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या उक्त सदस्यों में कुछ सदस्य न्याय पंचायतों के अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने नियमानुसार सेवा निवृत्ति होने के बाद भी अपना चार्ज किसी दूसरे सदस्यों को नहीं दिया ? यदि हां, तो ये कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इस प्रकार अनधिकृत रूप से न्याय पंचायत के अध्यक्षों द्वारा कार्य चलाते

(श्री हरजीराम बुरड़क)
रहने के सम्बन्ध में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक करने का सरकार विचार रखती है ?

उप मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां, निवृत्तिकरण की जो कार्यवाही 25 फरवरी, 1969 को हो जानी थी परन्तु 4-3-70 को हुई। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो नियमानुसार निवृत्त किये जाने के पश्चात् भी कार्य कर रहा हो।

(3) अनधिकृत रूप से अपने पद पर बने रहने के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत होना प्रतीत नहीं होता।

(4) इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

(5) उपरोक्त उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

श्री हरजीराम बुरड़क : सेवा काल पूरा होने पर क्या अपने आप ही अधिकारी के द्वारा आज्ञा निकाल कर सेवा निवृत्त किये जाते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पैरेलेसिस क्यों है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : कानूनी स्थिति का तो पता नहीं है, मैं समझता हूं जहां तक अधिकारी के द्वारा ही किये जाते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न के भाग (1) में स्पष्ट है और यह माना है कि 13 महीने तक सेवा निवृत्ति के आदेश अधिकारी ने नहीं निकाले—इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : उस वक्त चुनाव आ गये थे। सेवा निवृत्ति के आदेश दिये जा रहे थे लेकिन पोस्टपोन करने पड़े।

श्री हरजीराम बुरड़क : 13 महीने तक कौन से चुनाव आ गये थे ? कोई अधिकारी कागजों को दबाये बैठा रहा। उत्तर (4) में बताया गया कि अध्यक्ष नहीं था। जो अध्यक्ष हट गया था और फिर भी 13 महीने तक लगातार काम करते रहे ?

श्री परसराम मदेरणा : 7 महीने का फर्क है। 25-3-69 को हो जाना चाहिये था लेकिन दिसम्बर में हुए।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नत्थीसिंह : आपके पास कानून नहीं है। ऑर्डर क्या महत्व रखता है ? न्याय पंचायतें और पंचायत समितियों में कानून का पालन न हो और ऑर्डर का पालन हो ?

श्री हरजीराम बुरड़क : सेवा निवृत्ति 25-2-69 को हो जानी चाहिये थी जो 4-3-70 को जाकर हुई। आप कह रहे हैं कि 7 महीने ही हुई। बराबर 13 महीने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर आने दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : चुनाव के समय फैसला नहीं दिया जाता है। तो देर हो जाती है एक दो महीने को।

श्री रामकिशन: रिटायरमैन्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे सीरियस कान्सिक्वेन्सेज हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि फैसले दिये हों और उससे कितनी लीगेलिटी पैदा हो सकती है। जिसने यह लापरवाही की है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : ऐसे मामले में तो उत्तर दिलाया जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क : 13 महीने तक अधिकारी कागज लेकर बैठ जाय, न्याय पंचायतें काम करती रहीं और फैसले हो जायं और अदालतों में मामले जायं। अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति मंत्री महोदय के सामने आ गयी है। उनका कर्त्तव्य है कि एक्शन लें, ऐसी स्थिति में।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय आश्वासन तो दें कि कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहने से कोई लाभ नहीं। स्थिति सामने आ गई है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार विचार कर के•••

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय कोई उत्तर न दें "

(साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : स्टेंडिग कमेटी है, जहां तक पंचायतों का सवाल है और रिक्त स्थान की पूर्ति समय पर हो सके इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 207

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा !

श्री रामकुमार नंदवाना : मेरा प्रश्न 193 रह गया है।

स्थगित प्रश्न
(21-3-70)

पंचायत समिति अचनेरा के ट्रेक्टर पर व्यय की गई राशि

215. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, पंचायत समिति, अचनेरा के ट्रेक्टर पर 12,000 रुपया सन् 1969 में रिपेयरिंग पर खर्च किया है ? यदि हां, तो अब उसकी कन्डीशन कैसी है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस ट्रेक्टर के लिये सामान खरीदने स्वयं विकास अधिकारी गये ? यदि हां, तो कहां-कहां पर

Page No 29

(श्री हरलाल मीणा)
गये एवं इस कार्य के निमित्त कितना यात्रा व्यय उठाया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त राशि खर्च करने पर भी ट्रैक्टर बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और यह राशि किस हैड से खर्च की गई ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) ट्रैक्टर की मरम्मत पर 8,721 रु० व्यय हुआ। ट्रैक्टर की हालत अब ठीक है।

(2) जी हां। इन्दौर व बड़ौदा की यात्रा की गई जिसका यात्रा व्यय प्राप्त नहीं किया गया है।

(3) ट्रैक्टर टायर व ट्यूब उपलब्ध नहीं होने के कारण काम में नहीं आ रहा है। मरम्मत पर राशि पंचायत समिति की निजी आय से खर्च की गई है।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि राज्य सरकार से इस रकम को खर्च करने के लिये मंजूरी दी गई थी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जो धन राशि पंचायत समिति ने खर्च की है यह आवश्यक नहीं था कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति ले।

श्री रामकुमार नंदवाना : प्रश्न संख्या 193 लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

स्थगित प्रश्न

(31-3-70)

भारत पाक संघर्ष के समय पन्द्रह दिन की बम्बारी के नाम से प्रकाशित पुस्तक

231. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि जोधपुर में श्री अमृत नाहटा द्वारा भारत-पाक संघर्ष के समय "पन्द्रह दिन की बम्बारी पर लेख" नामक एक किताब प्रकाशित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विधान सभा में यह मंजूर किया था कि "पन्द्रह दिन की बम्बारी पर लेख" नामक किताब की 1,000 प्रतियां साधना प्रेस, जोधपुर में छपी थीं ? यदि हां, तो छपाई का पेमेन्ट कितने रुपये प्रेस को किसने दिये व किताबें किस व्यक्ति ने प्रेस से ली थीं ?

(3) क्या यह भी सच है कि "पन्द्रह दिन की बम्बारी पर लेख" नामक किताब को सरकार ने जब्त किया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा कितनी प्रतियां और किस के पास से ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। "जोधपुर पर बमबारी के पन्द्रह दिन—एक विवेचन" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी।

(2) इस पुस्तक की 1,000 प्रतियां साधना प्रेस, जोधपुर से छपना पाया गया था। इसके छपने के खर्चे आदि बातों के बाबत राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) जी नहीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : खर्चा किया है, प्रेस के बिल रसीद वगैरह की जांच नहीं की ? कोई जानकारी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : राज्य सरकार को जानकारी होना जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : भाग (3) में कहा कि "जी नहीं" । तो जब्त नहीं किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : स्पष्ट कहा है "जी नहीं" ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पहले प्रश्न में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि जब्त की गई थी ।

श्री हीरालाल देवपुरा : शिक्षा मन्त्री के जब्त करने का सवाल ही नहीं है । मैं स्पष्ट कर चुका हूं । जब्त करने का संबंध शिक्षा विभाग से नहीं है । गृह विभाग से है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट :

श्री रामकुमार नन्दवाना ।

स्थगित प्रश्न

(20-3-70)

विजय स्तम्भ देखने वालों पर टैक्स

193. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित विजय स्तम्भ को देखने पर यात्रियों पर कोई टैक्स लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह टैक्स कब से लागू किया गया है तथा अब तक कुल कितना टैक्स जमा हुआ है ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि विजय स्तम्भ पर जो टैक्स लगाया गया है इससे यात्रियों को असुविधा है ? यदि हां तो क्या इसे समाप्त करने का कोई विचार है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्यटक विभाग को भेजा गया है । आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने टैक्स लगाया है इसलिए इसका उत्तर जी. ए. डी. देगी ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर स्थगित किया गया ।

श्री मोहन मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब समय नहीं है ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले से अध्यापकों के स्थानान्तरण

349. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम-का-थाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 31

(श्री मोहनलाल मोदी)

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले से सीकर जिले में करीब 30 अध्यापक स्थानान्तरण द्वारा लिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले के ऐसे अध्यापकों को जो 3-4 वर्ष से रह रहे हैं और जो सीकर जिले के रहने वाले हैं उनको सीकर जिले में न लिया जाकर 1-1 वर्ष से रहने वालों को ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नागौर जिले से इन अध्यापकों को लेने से सीकर जिले के 30 नवयुवकों को सर्विस नहीं मिल सकी ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखदी जावेगी।

(2) जिन अध्यापकों ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये उनके प्रार्थना-पत्र सीकर निरीक्षक को भेज दिये गये थे और उन्हें वहां ले लिया गया। जिन्होंने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया उनको स्थानान्तर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह आवश्यक नहीं है कि एक जिले के अध्यापक उसी जिले में नियुक्त किये जायें। यथा सम्भव जिले के रिक्त स्थानों पर उसी जिले के लोगों को नियुक्त किये जाने का प्रबन्ध किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

टी. बी. सेनोटोरियम में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क एलाउन्स

355. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार टी. बी. सेनोटोरियम को अन-हैल्दी लोकेलिटी मानती है ?

(2) क्या टी. बी. सेनेटोरियम्स में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन-हैल्दी लोकेलिटी होने के कारण रिस्क एलाउन्स (स्पेशल-पे) दी जाती है ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को कितनी कितनी?

(3) क्या मिनिस्टीरिल स्टफ और कुछ अन्य जैसे कि टेलर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि को भी रिस्क अलाउन्स (स्पेशल-पे) दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या मिनिस्टीरियल स्टाफ को टी. बी. सेनोटोरियम्स के बाहर रखा जाता है ? यदि नहीं, तो क्या उस अन-हैल्दी लोकेलिटी का उन पर असर पड़ता है ?

(5) क्या समय समय पर इस प्रकार का भत्ता देने के लिये सरकार के पास मांग-पत्र आदि नहीं पहुंचे हैं ? यदि पहुंचे हैं तो सरकार इस बारे में अपना क्या विचार रखती है और इस बारे में कब तक घोषणा कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) टी. बी. सेनोटोरियम एवं टी. बी. क्लिनिक में रिस्क अलाउन्स दिये जाने वाले

(चिकित्सा मंत्री)

कर्मचारियों की सूची संलग्न है। यह अलाउन्स अन-हैल्दी लोकेलिटी के Ground पर नहीं दिया जाता है।

(3) जी नहीं, यह स्टाफ क्षय रोगियों के निकट सम्पर्क में नहीं आता है और न हीं रोगियों के उपचार में सहायता करता है।

(4) जी नहीं। उक्त स्टाफ क्षय रोगियों के सम्पर्क में नहीं आता है इसलिए उन पर इस बीमारी का असर होने का कोई अवसर नहीं होता।

(5) जी हां, वित्त विभाग द्वारा केवल निजी सम्पर्क में आने वाले स्टाफ को ही रिस्क अलाउन्स देना उचित समझा तथा रानावत पे कमीशन ने भी केवल इन्हीं स्टाफ के लिए सिफारिश की है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(20-3-70)

ग्राम पाड़लिया में नीलाम की गई भूमि

207. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** क्या उपनिवेशन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-11-67 को जिला कोटा की तहसील दीगोद के ग्राम पाड़लिया के तालाब की भूमि ख. नं. 207 रकबा 63 बीघा 11 वि. भूमि नायब तहसीलदार, दीगोद द्वारा नीलाम की गई है? अगर हां, तो किसे व कितने रुपये में?

(2) क्या यह भी सही है कि एस. डी. ओ., कोटा ने इस नीलाम को अस्वीकार कर दिया था? अगर हां, तो क्यों व कब? कृपया निर्णय की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त नीलाम बहाल कर दिया है? अगर हां, तो कब व क्यों? कृपया आदेश की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री चिमनलाल पुत्र कन्हैयालाल को 15,290 रु० में नीलाम की गई थी।

(2) जी हां। तालाब की भूमि होने एवं ग्राम वासियों की आपत्ति पर यह नीलाम दिनांक 9-2-68 को परगना अधिकारी, कोटा द्वारा अस्वीकृत किया गया था। निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी हां। दिनांक 15-9-1968 को नीलाम बहाल किया गया, प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जालोर जिले की सोसायटियों के विरुद्ध मामले

406. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) जालोर जिले की किन-किन सोसायटीज के विरुद्ध मुकदमें पुलिस थाना

(श्री गंगासहाय)
में पेंडिंग हैं और उनका चालान न करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील के वीराणा सोसायटी के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले की काश्त और लोहा सहकारी समिति लिमिटेड के सेक्रेटरी श्री किशनाराम व खजांची श्री मोहनदास के विरुद्ध एक केस हस्ब दफा 406, 408 भा०द०सं० के अन्तर्गत थाना उम्मेदपुर में दर्ज हुआ है। इस अभियोग की तफतीश जारी है। बाद तफतीश जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

थाना बरडवा के हैड कान्सटेबिल के विरुद्ध शिकायतें

407. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रीराम हैड कांस्टेबिल थाना बरडबा जिला नागौर के खिलाफ विभाग के पास कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास कौन कौन सी शिकायतों की जांच कब कब से चल रही है ?

(3) इतनी गंभीर शिकायतें होने के बाद भी अब तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) अब उक्त शिकायतों पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) श्रीराम एच० सी० के विरुद्ध एक परिवाद दुर्व्यवहार करने व झूंठे मुकदमें बनाने बावत दिनांक 13-8-69 को अधीक्षक आरक्षि, नागौर के कार्यालय में प्राप्त हुआ। इसकी जांच वृत्त अधिकारी डीडवाना ने की है।

(2) इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर में श्री बनाराम भोपा साकिन उसाना की दिनांक 3-5-68 को 900 रु० रिश्वत लेने की शिकायत जेर जांच है।

(3) प्रश्न संख्या (1) में उल्लिखित मामला जांच से गलत पाया गया। अतः सम्बन्धित हैड कान्सटेबिल के खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में बताये गये मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

(4) अन्तिम निर्णय शीघ्र ही दिये जाने की आशा है।

मजदूरों की बकाया राशि

408. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1968-69 एवं सन् 1969-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की कितनी राशि राज्य सरकार में बकाया है ?

(2) क्या सरकार उक्त बकाया राशि के भुगतान के लिये विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक भुगतान करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

चारे की खरीद

409. **श्री भैरोंसिह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 68-69 व 69-70 में अब तक अकाल राहत के लिये किस किस माह में कहां कहां से किस भाव में, कितने कितने मूल्य का किस किस प्रकार का चारा खरीदा गया और किस किस जिले में कितना कितना दिया गया ?

(2) किस किस जिले में कहां कहां चारा भण्डार (फोडर डिपोज) खोले गये और उनमें प्रत्येक में किस किस माह में कितना कितना चारा भेजा गया ?

(3) चारा भण्डार खोलने का आधार क्या था ? किस किस भण्डार के सम्बन्ध में जिला अकाल राहत समिति का सुझाव था और किस किस के सम्बन्ध में नहीं है ?

(4) चारा किस किस आधार पर कितने कितने मूल्य पर पशुपालकों को दिया गया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता

410. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से घोषित किए गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कितनी कितनी सहायता दी गई है ? जिलेवार सूची देने की कृपा करें ।

(3) सहायता देने का आधार क्या रखा गया था ।

उत्तर

(1) राज्य के किसी जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है । बाढ़ कोटा, भरतपुर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, अलवर, चित्तौड़ जिलों में आई थी ।

(2) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये जितनी जितनी सहायता दी गई है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) सहायता देने का आधार स्थानीय आवश्यकता और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता रखा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 35

प्रसार अधिकारियों का फिक्सेशन

411. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कितने प्रसार अधिकारियों का सन् 69 के फिक्सेशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? व्यक्ति का नाम एवं रकमें बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ऐसे प्रसार अधिकारियों के बारे में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है जिनका सन् 1969 का फिक्सेशन हो गया है किन्तु भुगतान अभी तक बकाया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पंचायत समितियों में क्रमोन्नत पाठशाला

412. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि चालू वर्ष में पंचायत समितियों द्वारा अपने खर्चे पर प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करवाया गया है ? यदि हां, तो नागौर जिले को कौन कौनसी पंचायत समितियों ने कौन कौनसी शालाओं को और कब कब से क्रमोन्नत किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में पंचायत व विकास विभाग की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है ? यदि हां, तो उपरोक्त समितियों ने ली या नहीं ? यदि ली तो कब, और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस प्रकार से शालाओं को क्रमोन्नत कर देने के पश्चात् पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति खराब हो जावेगी और वह खर्चा वहन नहीं कर सके तो इन शालाओं के चलाने की क्या गारन्टी है ?

(5) क्या पंचायत व विकास विभाग ने इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से विचार-विमर्श किया है ? यदि हां, तो कब और क्या क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। नागौर जिले की पंचायत समिति लाडनूं में प्राथमिक पाठशाला कसुम्बो व रोडू को अगस्त, 1969 से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) शिक्षा विभाग की योजना है कि कुछ चुनी हुई पंचायत समितियों में पंचायत समिति के खर्चे पर प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जावे।

(3) जी हां। पंचायत समिति लाडनूं द्वारा स्वीकृति नहीं ली गई। मामला विचाराधीन है।

(4) जब तक ऐसी क्रमोन्नत शालाओं के खर्चे की पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग न ले तब तक पंचायत समितियों को खर्चा वहन करना होगा और पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।

(5) जी नहीं।

सरपंच रानोली को कुएं के लिये ऋण

413. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रानोली के सरपंच ने दिनांक 28-3-62 को पंचायत समिति पिपराली से 1500 रु. कूप खुदवाने हेतु तकाबी ऋण के रूप में लिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच ने अपने खेत में अब तक भी कूप नहीं खुदवाया है तथा ऋण से प्राप्त रकम का अन्य कामों में प्रयोग किया ?

(3) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 28-3-61 को 1500 रु. तकावी ऋण के रूप में दिये गये थे।

(2) कूप अभी तक नहीं खुदवाया है रकम के दुरुपयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) जांच करवाई जा रही है तथा पंचायत समिति द्वारा पी०डी०आर० के तहत वसूली हेतु मामला तहसील को भेजा हुआ है।

सरपंच, रानोली के पास जमा कराई गई बीज-खाद की रकम

414. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पिपराली (सीकर) ने सन् 1968 में ग्राम रानोली के (1) श्री गनपतराम अहीर (2) श्री कल्याणसिंह (3) श्री मूलसिंह (4) श्री रामस्वरूप पटवारी शिशू आदि के बीज-खाद की रकम जमा कराने के नोटिसेज दिये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने अपने उत्तर में लिखा है कि उन्होंने अपने हिस्से की रकम रानोली के सरपंच के पास जमा करादी है ? यदि हां, तो क्या श्री हीरालाल, सरपंच, रानोली ने यह रकम पिपराली पंचायत समिति को जमा कराई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री रामस्वरूप शिशू ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है अन्य व्यक्तियों ने नोटिस के जवाब में जाहिर किया है कि गेहूं मय वाडी सरपंच को जमा कराये है। सरपंच से अभी तक हिसाब मांगा जा रहा है जो उसने अभी नहीं दिया है।

बीकानेर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

415. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में सस्ते अनाज की कुल दुकानें किस किस तहसील व किस किस ग्राम में किस किस दुकानदार के नाम से चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(2) क्या यह सही है कि कई गांवों में दो दो दुकानदार भी मन्जूर किये गये हैं ? यदि हां, तो इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) केवल चार गांवों में दो दो दुकानदार नियुक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

घग्घर फ्लड कन्ट्रोल एरिया के अन्तर्गत अवाप्त भूमि

416. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) घग्घर फ्लड कन्ट्रोल एरिया में कितने काश्तकारों की जमीन को राज्य सरकार ने एक्वायर किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उसमें से कितने काश्तकारों को तबादले में जमीन सरकार ने दे दी और कब ? क्या यह सही है कि कुछ गरीब काश्तकारों को भूमि तबादले में नहीं दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनों को तथा क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

जिला कृषि अधिकारी, नागौर के विरुद्ध शिकायत

417. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, नागौर ने जिला कृषि अधिकारी द्वारा खरीद कर वितरण किये गये बीज के संबंध में कोई शिकायत सरकार को की थी ?

(2) क्या उक्त शिकायत पर सरकार ने कोई जांच भी करवाई थी ? यदि हां, तो कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद्, नागौर ने विकास विभाग को उनके प्रस्ताव सं० 4 की प्रतिलिपि भेजी थी।

(2) इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं कराई गई। भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया जो विकास विभाग में भेज दिया गया।

दुर्गापुरा कृषि फार्म का शास्त्री गेहूं बीज

418. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1968 में दुर्गापुरा कृषि फार्म में कितना शास्त्री गेहूं का बीज उत्पन्न हुआ ?

(2) यह बीज किसानों को दिया गया है या अन्य किसी को ? यह बीज किस भाव पर व कितना कितना दिया गया,

Page No 38

(श्री गंगासहाय)
जिनको दिया गया है उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस शास्त्री बीज के लिये कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त हुए ?

उत्तर

(1) सन् 1968 में 213.570 किलो।

(2) यह बीज अनुसंधान के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। सूची संलग्न है।

(3) इस बीज के लिए कितने ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए परन्तु इसको काश्तकार को नहीं दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

मशीनरी पार्ट्स की खरीद

419. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मिकेनिकल सैक्शन में मशीनरी पार्ट्स आदि की खरीद गत एक वर्ष में हुई है ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने रुपयों के क्या क्या सामान की खरीद हुई और बजट में कितने रुपयों का प्रावधान था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) खरीदे हुए सामान की सूची संलग्न है। इस वर्ष में ऐसी खरीद के लिये 26.10 लाख रुपये का प्रावधान है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

अटरू-कवाई सड़क

420. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की बारां तहसील के बारां नगर से होती हुई एक पक्की सड़क अटरू, अन्ताना, काला तालाब, हाथी दीलोद से कवाई होती हुई छीपाबड़ौद जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर अटरू से आगे कवाई तक की सड़क पर जो पुलियायें हैं वे बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हैं, तथा सड़क भी बहुत खराब है व हाथी दीलोद से कवाई तक कई पुलियायें अभी तक बनना शेष हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ? तथा अब तक इस सड़क की हालत खराब रहने के क्या क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार इस बात का विश्वास दिलाने को तैयार है कि अब शीघ्र ही इस सड़क की मरम्मत करवाई जाकर लोगों को राहत दी जायगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राज्य की सड़कों पर व्यय

421. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(1) राजस्थान में सन् 1962 से 1969 तक कुल कितनी माइल नई सड़कें बनाई गई ?

(2) जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें से कितने मील डामर, मैटल, ग्रेविल व मौसमी सड़कें हैं ? जिलेवार हर साल में कितनी कितनी बनाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त सड़कों पर कुल कितना व्यय हुआ ? सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें तथा पर केपिटा जिलेवार क्या व्यय हुआ ?

(4) उपरोक्त सड़कों की वार्षिक मरम्मत हेतु सालाना जिलेवार कितनी रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

लाडनूं, सुजानगढ एवं जसवन्तगढ के बीच बन रहे कालेज भवनों का निर्माण कार्य

422. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाडनूं, सुजानगढ, जसवन्तगढ़ के बीच बन रहे कालेज भवनों के निर्माण की क्या योजना है ?

(2) उक्त भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे और अब तक कितने रुपये खर्च हुए और आगे कितने रुपये खर्च होंगे ?

उत्तर

कला व वाणिज्य संकाय एवम् विज्ञान संकाय के भवनों के निर्माण की योजना है।

कला व वाणिज्य संकाय भवन के 5 क्लासरूम, एक स्टोर बरंडा और एक शौचालय तैयार हो चुका है और इस पर अब तक एक लाख रुपया की धन राशि खर्च हुई है। विज्ञान संकाय भवन के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक व आगे के हिस्से के क्लासरूम का निर्माण अगस्त, 70 तक पूरा होने की आशा है। विज्ञान संकाय पर अब तक एक लाख पचास रुपये की धन राशि व्यय हुई है। कला व वाणिज्य संकाय भवन एवम् विज्ञान संकाय भवन की अनुमानित लागत क्रमशः 5,57,000, 6,80,000 है। उपलब्ध धन राशि के अनुसार दोनों भवन को पूरा कराया जायगा। कब तक पूरे हो जायेंगे निश्चित नहीं कहा जा सकता।

राजकीय मुद्रणालय

423. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सरकारी प्रेस कहां कहां पर हैं ?

(2) क्या मतदाता सूचियां सरकारी प्रेसों में न छप कर अन्य गैर सरकारी प्रेसों में छपाई जाती हैं ?

(3) यदि हां, तो सरकारी प्रेसों में क्यों नहीं छपाई जाती हैं ?

(श्री हंसराज आर्य)

(4) राज-पत्र किन किन गैर सरकारी व्यक्तियों को निःशुल्क भेजा जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में सरकारी प्रेस, जयपुर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं अलवर में स्थित हैं।

(2) जी हाँ। मतदाता सूची गैर सरकारी प्रेसों में छपवाई जाती हैं।

(3) चूंकि मतदाता सूचियों की संख्या लाखों में होती है जिसको कि सम्बन्धित विभाग बहुत ही अल्प समय में मुद्रित कराना चाहता है। सभी राज्य मुद्रणालय, चुनाव विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य तथा राज्य सरकार के अत्यावश्यक कार्यों में अति व्यस्त रहने के कारण उपरोक्त सूचियां अल्प समय में नहीं कर सकते। अतः चुनाव विभाग की सहमति से समस्त जिलाधीश, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये निजी प्रेसों से उपरोक्त सूचियां मुद्रित कराते हैं।

(4) राज-पत्र की प्रतियां जिन जिन गैर सरकारी व्यक्तियों को निःशुल्क भेजी जाती हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

चम्बल दाईं नहर

424. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर की डिजाइन के अनुसार क्या क्षमता है ?

(2) वर्तमान इसकी क्या क्षमता है ?

(3) मध्य प्रदेश को कितना पानी दिया जा रहा है ?

(4) इस नहर पर कितना क्षेत्र सिंचित है ?

उत्तर

(1) हैड पर दाईं मुख्य नहर की डिजाइन क्षमता 6656 क्यूसैक्स है।

(2) मोड़ व सिल्ट की समस्याओं के कारण आजकल इसमें लगभग 3201 क्यूसैक्स पानी ही समाया जा सकता है।

(3) रबी 69-70 में मध्य प्रदेश को दिये गये पानी की सूची संलग्न है।

(4) दाईं मुख्य नहर का रोजाना सी० सी० ए० 3.15 लाख एकड़ है व सिंचित क्षेत्र 2.39 लाख एकड़ अनुमानित है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

राजस्थान नहर परियोजना

425. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल परियोजना में इस समय पांच मैकिनिकल डिविजन मौजूद हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन पांचों डिविजनों में से अधिकांश बेकार हैं और उनके पास में कोई काम नहीं है ?

(श्री हंसराज आर्य)

(3) यदि काम है तो सूची सदन कि मेज पर रखने की कृपा करें कि उन्होंने क्या काम किया है ? उन पांचों डिविज़नों के पास में कुल कितनी मशीनें हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां की सारी मशीनें वेकार पड़ी हैं और कर्मचारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद भी राजस्थान कैनाल में एक और नया मेंकेनिकल डिविजन खोला जा रहा हैं?

(6) मैकेनिकल डिविजन नम्बर 1 हनुमानगढ़ के पास में क्या काम है ? गत दो सालों में इस डिविजन ने क्या काम किया है?

(7) प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(8) मैकेनिकल डिविजन वर्क शोप सूरतगढ़ तथा सैन्ट्रल स्टोर डिविजन सूरतगढ़ और ड्रग लाइन डिविजन विजेनगर में क्या क्या कार्य किया गया है ? प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

गिरोलिया बांध में अवाप्त भूमि

426. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गिरोलिया बांध के अन्तर्गत किस किस काश्तकार की कितनी कितनी जमीन खातेदारी की सिंचाई विभाग ने अपने कब्जे में ले ली है ? काश्तकार का नाम, उससे जितनी भूमि ली गई उसका व्यौरेवार वर्णन और कब ली गई व तारीख की पूरी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उन खातेदारों को उसकी एवज में जमीन देने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कौनसी ? यदि नहीं, तो कब तक खातेदारों को जमीनों के बदले में दे दी जावेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि कई काश्तकारों के खेतों की मिट्टी लेकर सदा के लिये बरबाद कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन काश्तकारों को कितनी कितनी भूमि किस किस खसरे में बरबाद कर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या सरकार इन खातेदारों को भी बदले में नई भूमि देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग ने एक गरीब भांबी का कुआ भी अपने कब्जे में ले लिया है और उसके साथ साथ उसकी जमीन भी ? यदि हां, तो किस किस भांबी काश्तकार की जमीन ली गई ? क्या सरकार उस भांबी काश्तकार को भूमि के बदले भूमि देगी और कुए के बदले में कोई मुआवजा देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची "अ" "ब" "स" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं, इन्हें नकद मुआवजा दिया जायेगा।

(3) जी नहीं, जिन काश्तकारों के खेतों से मिट्टी ली गई है उन्हें मुआवजा दिया जावेगा। सूची "ब" संलग्न है।

(4) जी नहीं, मुआवजा दिया जावेगा।

(5) जी हां, श्री हीरया पुत्र श्री हुक्मा कौम भांबी का कुआ जो गैरवासी था अलॉट हुआ जमीन में नया खोदा है वह बांध निर्माण पर बांध की पाल के नीचे आता है व उसकी जमीन भी पाल के नीचे आने से अवाप्त की गई है। कुए व भूमि के बदले मुआवजा दिया जावेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

यात्रीकर की बकाया

427. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार का कितनी गाडियों में कितना यात्रीकर कब से बकाया है ?

(2) क्या यह भी सच है कि कई गाडियां ऐसी हैं जिनके नाम सरकारी टैक्स बकाया है पर उनका कोई पता नहीं ? यदि हाँ, तो कितनी ?

उत्तर

(1) इस प्रश्न का सम्बन्ध वाणिज्य कर विभाग से है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

गंगानगर जिले में निगम की बसें

428. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किस किस जिले की रूटों पर रोडवेज की बसें चल रही हैं ?

(2) ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पर निगम की बसें नहीं चल रही हैं और नहीं चलने का क्या कारण है ?

(3) गंगानगर जिले में चलने वाली बसों से शुरू से लेकर आज तक क्या लाभ होता है ?

(4) गंगानगर जिले में कुल कितनी निगम की बसें चल रही हैं ?

(5) क्या उदयपुर डिविजन में भी कहीं कोई निगम की बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या राजस्थान में निगम बसें घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो कितने घाटे में ?

(7) और नहीं तो कितना मुनाफा होता है ? अप्रेल, 69 से 31 मार्च, 70 तक की हानि लाभ की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(8) बसों की चैकिंग कौन करता है ?

उत्तर

राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर सवाईमाधोपुर अजमेर जोधपुर, पाली, सिरोही उदयपुर, चित्तौड़, गंगानगर, कोटा,

Page No 43

(यातायात मंत्री)
झालावाड़, बून्दी, टौंक, एवं डूंगरपुर जिलों के मार्गों पर निगम की बसें चल रही हैं।

निगम की बसें झुंझुनूं, बाडमेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, चूरू, बीकानेर, जालोर एवं नागौर जिलों में नहीं चल रही हैं, क्योंकि इन जिलों के मार्गों का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

गंगानगर जिले में जुलाई, 68 से निगम की बसें चलने लगी हैं तब से लाभ के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	लाभ
1968-69 (जुलाई 68 से 31-1-69 तक)	6.55 लाख रु.
1969-70 फरवरी 70 तक	3.52 लाख रु. (अनुमानित)

गंगानगर जिले में निगम की कुल 52 बसें चल रही हैं।

उदयपुर डिविजन में डूंगरपुर से रतनपुर और बून्दी से उदयपुर मार्गों पर निगम की क्रमशः 5 व 4 बसें चल रही हैं।

राजस्थान में निगम की बसें घाटे में नहीं चल रही हैं।

प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अप्रेल, 69 से 31 मार्च, 70 तक हानि लाभ के आंकड़े संकलित नहीं हैं। इस वर्ष में अनुमानतया कम से कम 3 लाख रुपये का लाभ होने की सम्भावना है।

निगम की बसों का निरीक्षण सहायक यातायात निरीक्षकों व यातायात निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

विवेकानन्द छात्रावास कान्ड में मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट

429. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट ने दिनांक 3 जनवरी, 70 को हुए विवेकानन्द छात्रकान्ड में स्वर्गीय दलीपसिंह के लगी चोटें व घावों की परीक्षा की थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट से क्या सारांश निकलता है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 15 फरवरी, 70 को स्वर्गीय दलीपसिंह के शव का किन किन डाक्टरों ने पोस्टर मार्टम किया व उनकी जांच रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकला ? इस जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

यू. डी. सी.-कम-स्टेनो टाइपिस्ट की पदोन्नतियां

430. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यू. डी. सी.-कम-स्टेनो टाइपिस्ट के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतायें क्या हैं ?

(2) अप्रेल, 1969 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर में

Page No 44

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जिन कनिष्ठ लिपिकों को यू.डी.सी.-कम स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर पदोन्नति की गई थी, क्या वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतायें रखते हैं ? अगर नहीं, तो उन्हें अब तक पदावनत क्यों नहीं किया गया है ?

(3) अप्रेल, 69 में जिन व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई थी क्या उन पदों के लिये विभागों के अन्य कर्मचारियों से भी प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या अप्रेल, 69 में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के खिलाफ अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं ? अगर हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 18 (31) एम. पी. एच./66/ग्रुप-2, दिनांक 19-2-70 एवं वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर के नोटिफिकेशन संख्या एफ. 2 (बी) (18) एफ. डी. (ई. आर.) 66-1, दिनांक 14-4-66 के द्वारा अंग्रेजी/हिन्दी संकेत लिपि क्रमशः 70/60 शब्द प्रति मिनिट एवं अंग्रेजी/हिन्दी टंकण का क्रमशः 25/20 शब्द प्रति मिनिट की गति का ज्ञान होना आवश्यक है ।

(2) अप्रेल 69 में जिन कनिष्ठ लिपिकों को यू.डी.सी. कम-स्टेनोटाइपिस्ट पर पदोन्नत किया गया था वह पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी तौर (एड होक बेसिस) पर की गई थी । राज्य सरकार द्वारा दर्शायी गई योग्यताओं के अभाव में उन सभी व्यक्तियों को निदेशालय के आदेश क्रमांक 2382-97, दिनांक 26-2-70 के द्वारा उनके पूर्व मूल पदों पर पदावनत कर दिया गया है ।

(3) अप्रेल, 69 में भरे गये रिक्त पदों के लिये विभागीय अन्य कर्मचारियों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे बल्कि स्वेच्छा से जिन कर्मचारियों ने अपने प्रार्थना पत्र निदेशालय में प्रस्तुत कर रखे थे उन्हीं कर्मचारियों को सीधे ही वरिष्ठता के आधार पर पूर्णतया अस्थायी तौर (एड होक बेसिस) पर पदोन्नति दी गई थी ।

(4) अप्रेल, 69 में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कर्मचारियों के विरोध-पत्र निदेशालय में प्राप्त हुए थे तथा उनके उपर अन्तिम निर्णय लेने के अनुसार अप्रेल, 69 में पदोन्नत किये गये सभी व्यक्तियों को निदेशालय के आदेश क्रमांक 2382-97, दिनांक 26-2-70 के द्वारा उन्हें उनके पूर्व मूल पद पर पदावनत कर दिया गया है । इन पदों को पुनः भरने के पूर्व अब एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन निदेशालय में रखा जावेगा ।

किराये पर ली गई गाड़ियां

431. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि मई सन् 1969 से 15 अगस्त, 1969 तक जालोर जिले में भयंकर बीमारी होने से सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों को किराये पर लिया था?

Page No 45

(श्री गंगासहाय)

यदि हां, तो किस किस व्यक्ति की गाड़ी ली गई व उसे कितने कितने पैसे का भुगतान किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि जो गाड़ियां काम में ली गई उनका रिक्वीजीशन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि गाड़ियां किराये पर लेने के लिये कोटेशन भी नहीं मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने हेतु कुछ गाड़ियां किराये पर ली गई थीं व उनसे ज्यादा काम नहीं लिया गया ? प्रत्येक गाड़ी कितनी कितनी दौड़ी, उस पर कितना कितनी पेट्रोल खर्च हुआ, कब कब वह गाड़ी खराब होने से बन्द पड़ी रही ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) जी हां, आपतकालीन परिस्थिति में संभव नहीं हो सका ।

(4) जी नहीं, शेष सूचना प्रश्न के भाग 'एक' की सूची में अंकित हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

पंचायत समिति केकड़ी के शिक्षा प्रसार अधिकारी

432 **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति केकड़ी में कितने शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं और वे कितने वर्षों से वहां पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) उक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी का कितनी दफा स्थानान्तरण किया गया और कितनी दफा स्थगित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा प्रसार अधिकारी श्री दौलतराम धनकानी का स्थानान्तरण शिक्षकों की शिकायत को दृष्टि में रखते हुए विद्यालय निरीक्षक, अजमेर ने दिनांक 3-12-69 को केकड़ी से सिलोरा किया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त 5-2-69, को तार द्वारा स्थानान्तरण विद्यालय निरीक्षक, अजमेर द्वारा एक माह के लिए स्थगित किया गया ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण को दिनांक 3-1-69 को संयुक्त निदेशक, जयपुर द्वारा निरस्त किया गया ? अगर हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

(6) उक्त सम्बन्ध में सरकार को दिये गये ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति केकड़ी में 2 शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं जो उनके नाम के आगे अंकित तिथि से कार्य कर रहे हैं:—

Page No 46

(शिक्षा मंत्री)

1. श्री दौलतराम धनकानी
18-12-62

2. श्री रामकृष्ण जागीठिया
30-12-67

(2) श्री दौलतराम धनकानी का स्थानान्तरण दो बार किया गया और दो बार ही स्थगित किया गया।

(3) यह सत्य नहीं है। स्थानान्तरण प्रशासकीय दृष्टिकोण से किया गया था क्योंकि इन्हें वहां रहते 6 वर्ष हो गये थे?

(4) यह सत्य है। दिनांक 5-12-68 को तार द्वारा पंचायत समिति, केकडी के प्रधान एवं विकास अधिकारी की प्रार्थना पर किये गये।

(5) यह सत्य नहीं है।

(6) शिक्षा सचिवालय में इस प्रकार का ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

शिक्षा निरीक्षक, सीकर द्वार अध्यापकों, के स्थानान्तरण

433. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्यालय निरीक्षक, सीकर द्वारा सन् 1968-69 व 1969-70 में किस-किस अध्यापक का कहां-कहां तबादला किया गया? तारीख वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सेशन के बीच अध्यापकों का तबादला न करने की नीति सरकार द्वारा अपनाई गई है?

(3) क्या उपरोक्त अध्यापकों का तबादला सेशन के बीच में किया गया था? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के स्थानान्तर सूची सत्र 68-69 व 69-70 की संलग्न है।

(2) शिक्षा विभागीय स्थायी आदेश संख्या 12/1968 के अनुसार सितम्बर के बाद स्थानान्तरण आम तौर पर नहीं किये जाते हैं किन्तु आपात कालीन परिस्थितियों में स्थानान्तरण किये जाते हैं।

संलग्न सूची सत्र 68-69 के क्रम संख्या 93 से 125 व सत्र 69-70 के क्रम संख्या 228 से 235 तक के स्थानान्तर विद्यालय व्यवस्था भंग होने के कारण व अध्यापकों की प्रार्थनानुसार उनको सुविधा पहुंचाने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार किये जाते हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

एस. टी. सी. स्कूल, झालरापाटन का फर्नीचर

434. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन, जिला झालावाड़ में एस. टी. सी. स्कूल को तोड़ देने के बाद इसमें कुछ फर्नीचर था उसे दूसरे स्कूल कन्या पाठशाला हाई स्कूल व प्राईमरी स्कूलों को देने का आर्डर 14-8-69

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
को डिप्टी डाइरेक्टर के कार्यालय से जारी किया गया जिसमें यह आदेश दिया था कि जिन स्कूलों को अत्यन्त आवश्यकता हो उनकी पूर्ति की जावे ? सामान कितना था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय कन्या सैकन्डरी स्कूल द्वारा भी फर्नीचर की मांग की गई थी ? यदि हां, तो कितना फर्नीचर इस शाला को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । दीगर स्कूलों को कितना कितना फर्नीचर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि कन्या सेकण्डरी स्कूल झालरापाटन की आवश्यकता के मुताबिक फर्नीचर नहीं दिया जा कर दूसरे स्कूलों को अनावश्यक रूप से फर्नीचर वितरण कर दिया गया जबकि छात्राओं को बैठने लिखने आदि की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि झालरापाटन जिला झालावाड़ में एस. टी. सी. स्कूल को तोड़ देने के बाद इसमें कुछ फर्नीचर था ओर उसे दूसरे स्कूलों को वितरण करने के आदेश आवश्यकता के आधार पर देने की उपाध्यक्ष शिक्षा विभाग, उदयपुर की आज्ञा दिनांक 14-8-69 थी। फर्नीचर सामान की सूची संलग्न है ।

(2) यह सही है कि स्थानीय कन्या सैकण्ड्री स्कूल,झालरापाटन व अन्य स्कूलों ने सामान की मांग की । कन्या शाला को व अन्य शालाओं को जो सामान वितरण किया गया उसकी सूची संलग्न है ।

(3) क्योंकि सामान इतना अधिक नहीं था कि सभी शालाओं की आवश्यकता उससे पूर्ण होती । अतः सभी स्तर की शालाओं व पुस्तकालयों को छात्रों की संख्या, बोर्ड परीक्षा सेन्टर, ऐच्छिक विषय आदि की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सामान आवंटन का आदेश दिया गया । कन्या शाला नई पदोन्नत शाला होने से उसका विशेष ध्यान रखा गया । फनर्चीर कहीं भी अनावश्यक रूप से वितरण नहीं किया गया ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई ।)

डूंगरपुर जिले में बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक

435. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में चालू सत्र में कितने प्रशिक्षित अध्यापकों को नौकरी दी गई उनमें कितने डूंगरपुर जिले के थे, कितने बाहर के तथा कितने आदिवासी ?

(2) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर जिले में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक भारी संख्या में उपलब्ध हैं ?

उत्तर

(1) 44 प्रशिक्षित अध्यापकों को चालू सत्र में नौकरी दी गई । इनमें 34 डूंगरपुर जिले के 9 उदयपुर के एवं 1 चित्तौड़ का । इनमें से 4 ने ज्वाइन नहीं किया है । इनमें आदिवासियों की संख्या 11 है ।

Page No 48

(शिक्षा मंत्री)

(2), जी हां।

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के सेवा नियम

436. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवाओं के लिये क्या क्या नियम लागू होते हैं? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त नियमों की अनुपालना के सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है?

उत्तर

(1) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवायें अनुदान नियम 1963 के अनुसार गवर्न होते हैं जो कि राजस्थान राज-पत्र भाग-4, गुरुवार, शक सम्वत् 1884, जनवरी 24, 1963 में प्रकाशित किये हुए है।

(2) अनुदान प्रार्थना-पत्रों के साथ संस्थाओं से इस आशय का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है कि उस द्वारा अनुदान नियमों की अनुपालना की गई है।

स्थगित प्रश्न

(9-3-70)

सूरतगढ़ में एक-साला बोली पर दी गई भूमि

22. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर की तहसील सूरतगढ़ में सन् 1969 में कितने, किन किन व्यक्तियों को कितनी भूमि एक-साला बोली पर दी गई? भूमि लेने वाले व्यक्तियों के नाम, जाति, पिता का नाम, निवास स्थान, तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा कागजों में फर्जी बोलियां दिखा कर नाबालिग व अधिक भूमि वाले लोगों को ही भूमि दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि की एक-साला नीलामी के लिए पिछड़ी जाति के लोगों ने भी अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके भूमि प्राप्त करने के लिये बोली लगाई थी? यदि हां, तो कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये और उनमें से कितने लोगों ने भूमि प्राप्त की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(10-3-70)

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

49. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अब तक किन-किन सड़कों का कार्य सरकार ने हाथ में लिया है?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सड़कों पर कितना मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण पर क्या खर्चा हुआ ?

(4) उक्त सड़कों में से किन-किन सड़कों पर मजदूरों की मजदूरी में कब-कब कितनी-कितनी कटौती की गई और वह किस आधार पर की गई ? विस्तृत सूचना देने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(10-3-70)

अकालग्रस्त क्षेत्र की गायों की व्यवस्था

52. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सवाई माधोपुर एवं खन्डार में किस किस अकालग्रस्त क्षेत्र से कितनी-कितनी गायें कब-कब आई ?

(2) इन गायों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है तथा उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या इस बाबत कोई कमेटी व्यवस्था करती थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गायों की व्यवस्था भली प्रकार नहीं हो रही है और उसमें भारी घोटाले बाजी है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील, सवाई माधोपुर एवं खण्डार में जैसे-जैसे अकालग्रस्त क्षेत्र से निर्धारित मार्ग से जितनी गायें आई, उनका विवरण इस प्रकार है।

माह	तहसील सवाई माधोपुर में आने वाली गायों की संख्या	तहसील खन्डार में आने वाली गायों की संख्या
अक्टूबर, 69	2313	....
नवम्बर, 69	4920	6047
दिसम्बर, 69	3790	2220
जनवरी, 70	3791	3214
फरवरी, 70	140	371
योग	14254	12682

निम्न अकालग्रस्त जिलों से उनके सामने अंकित संख्या में गायें पाली डिपो पर होकर मध्य प्रदेश गई थीं:—

1.	जिला जोधपुर	3575
2.	जिला बाड़मेर	3127
3.	जिला जैसलमेर	5576
4.	जिला नागौर	354
5.	जिला पाली	50

(2) तहसील सवाई माधापुर के डिपो कुएतला बादल तथा तहसील खन्डार के डिपो पाली पर प्रतिदिन प्रति मवेशी को 4 किलो ग्राम चारा निःशुल्क दिया गया है। इस पर लगभग 25 हजार रुपये व्य

(अकाल सहायता मंत्री)

हुआ है। चारा खरीदने के लिये समिति का गठन किया गया था, अन्य किसी व्यवस्था के लिए किसी समिति की आवश्यकता नहीं थी।

(3) जी नहीं। गायों की व्यवस्था भली प्रकार की गई है, और उसमें किसी प्रकार की कोई घोटाले बाजी नहीं है। अत: जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(12-3-70)

लालसोट तहसील में बिनोरी नहर पर पुल की स्वीकृति

102. **श्री शम्भूराम** (लालसोट): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सत्य है कि लालसोट तहसील में बिनोरी (दक्षिण सागर बांध) की नहर पर पुल बंधवाने की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा?

उत्तर

1. जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(12-3-70)

राज्य में पशुओं की मृत्यु

116. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1968-69 तथा सन् 1969-70 में अकाल के कारण कितने पशु मरे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में 1968-69 व 1969-70 में अभाव स्थिति के कारण कितने पशु मरे इसकी गणना संभव नहीं हो सकने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(17-3-70)

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

197. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्य जो सरकार ने तारीख 1-4-1968 से तारीख 28-2-1969 तक नागौर जिले में मंजूर किये उन कार्यों में कितना-कितना रुपया कितने-कितने मजदूरों को किस-किस तारीख को किस-किस समय की मजदूरी के लिये केम्प वाइज चुकाया गया? यदि चुकारा नहीं किया तो कितने-कितने मजदूरों का किस-किस केम्प का कितना-कितना रुपया चुकारा करना बकाया है जिले की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में किस-किस केम्प के कितने-कितने मजदूरों की कितनी-कितनी मजदूरी किस-किस समय की कम काम करने के कारण काट ली गई एवं इस प्रकार से इस जिले में व कितनी-कितनी राशियां किस माह में किस-किस अधिकारी ने पुन: जमा कराई या बचत की? पूरे विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(17-3-70)

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

199. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर):

श्री विजय सिंह (मकराना): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में किस-किस तहसील में कितने-कितने राहत कार्य कब-कब खोले गये और उनमें से प्रत्येक राहत कार्य पर कितने-कितने मजदूर कब-कब लगे और प्रत्येक तहसील में कितने-कितने रुपये अकाल राहत कार्य शुरू होने से 31 जुलाई, 69 तक मन्जूर व खर्च हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) तहसील राजगढ़, जिला चूरू में कहां-कहां पर कब-कब व कितने अकाल राहत कार्य खोले गये हैं? उक्त राहत कार्यों पर कितने-कितने आदमी कब-कब लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राजगढ़ क्षेत्र के कुछ नेताओं के यहां फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये जो कि रुपये लेकर बेचे जाते हैं।

(4) तहसील राजगढ़ में इन राहत कार्यों पर जिस तारीख से खुले उससे लेकर 31 जुलाई, 69 तक कितने रुपये खर्च हुये?

(5) क्या यह सही है कि तहसील तारानगर के राहत कार्यों की बाबत यह आम शिकायत थी कि वहां के नेता लोग, विधायक व सरकारी मुलाजमान जो कि अकाल राहत कार्यों पर मुकर्रर थे हजारों मजदूरों के नाम से फर्जी मस्टर रोल बना कर लाखों रुपये उठा रहे थे और यह शिकायत जिलाधीश व बड़े आला अफसरान, मंत्रियों व चीफ इंजीनियर, पी. डब्लू. डी. तक की गई?

(6) क्या यह सही है कि इस शिकायत के आधार पर चीफ इन्जीनियर, पी. डब्लू. डी. अफसरों ने वहां के राहत कार्यों की अचानक जांच की और जांच के वक्त यह पाया कि मस्टर रोल पर 40 हजार आदमी दिखलाये गये हैं लेकिन मौके पर वास्तव में 10 हजार आदमी मिले और 30 हजार मजदूर फर्जी दिखलाये गये थे उन 10 हजार में बहुत से 10 वर्ष के बच्चे भी थे जिनको पूरा आदमी दिखलाया गया था?

(7) क्या यह सही है कि उन आला अफसरों ने इस फर्जी कार्यवाही को देख कर इस अकाल राहत कार्य को तुरन्त बन्द करने का हुक्म दिया?

(8) क्या यह सही है कि ऐसा हुक्म देने पर वहां के विधायक व नेता लोग इन आला अफसरों से मिले और कहा कि यह तो हमारी रोजी और रोटी का सवाल है और यह काम तो हम ऊपर वालों के इल्म में लाकर कर रहे हैं। जिस पर अफसरों ने राहत कार्य बन्द करने के हुक्म को वापिस लिया लेकिन जांच के रोज जितने फर्जी मस्टर रोल बने हुए थे उनको रद्द कर दिया और आइन्दा ऐसी फर्जी कार्यवाही न करने की हिदायत कर दी गई?

(9) जिन सरकारी मुलाजमान, विधायक व नेता लोगों ने अकाल के नाम पर

(श्री रूपसिंह व श्री विजयसिंह)
फर्जी मस्टर रोल बनाकर लाखों रुपये की रकम उठाई है, उनको सजा देने के लिए क्या सरकार एक कमेटी तीन विधायक व चार ईमानदार सरकारी मुलाजमान को मुकर्रर करके इस सम्बन्ध में जांच करवायेगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(17-3-70)

अजमेर जिले में राहत कार्यों पर अनाज एवं कपड़े का वितरण

200. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अकाल सहायता रिपोर्ट सन् 1966-67 दिनांक 30-4-67 के पृष्ठ संख्या 12 के पैरा नं. 2 में वर्णित 50 गांठें जो पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त और तालिका 'ढ' में वर्णित दो गांठें अजमेर जिले को मिली, उनमें से कपड़े किन-किन को दिये गये ? प्रत्येक पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 12 में वर्णित उपसहाय सहायता के लिए भारत सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूं सम्वत् 2022 में 188.50 टन व सम्वत् 2023 में 30 टन (तालिका 'ड') के वितरण की प्रत्येक पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 12 पैरा 2 के अनुसार राजस्थान को मिले प्रधान मंत्री सहायता कोष से प्राप्त 4,500 रु. व आइ. पी. एफ. टी. से प्राप्त 20,000 रु. की रकम में से भी यदि अजमेर जिले को कोई हिस्सा मिला हो तो उसका विवरण भी पंचायत समिति वार सदन की मेज पर रखें। जिला परिषद् अजमेर की बैठक दिनांक 18-11-68 की रिपोर्ट के पैरा नं. 4 में वर्णित 105 बोरी गिफ्ट गेहूं वितरण के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह गेहूं स्टेशन नसीराबाद पर बिना मालिक पड़े थे और उन्हें को-ऑपरेटिव स्टोर में रखवा दिया गया। बाद में वितरण कर दिया गया, ये किन-किन पंचायत समितियों को वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(अ) यह गेहूं मुफ्त बांटा गया या रकम से ?

(ब) क्या यह गेहूं उपरोक्त प्रश्न नं. 2 में से था ?

(स) क्या स्टेशन मास्टर, नसीराबाद व जिला प्रशासन ने उस 105 बोरी के असल मालिक का पता लगाने का प्रयत्न किया ? यदि हां, तो उसका नतीजा क्या निकला ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अकाल सहायता रिपोर्ट, सन् 1966-67 दिनांक 30-4-67 के पृष्ठ संख्या के 12 पैरा नम्बर 2 में वर्णित 50 गांठ पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हुई, और तालिका 'ढ' में वर्णित दो गांठे अजमेर जिले को मिली, उनमें प्राप्त कपड़े निःशुल्क सहायता पाने योग्य व्यक्तियों को

(अकाल सहायता मंत्री)

जिलास्तर पर ही वितरित कर दिये गये। पंचायत समिति वार इनका आवण्टन नहीं किया गया।

(2) असहाय सहायता के लिये भारत सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूं का वितरण निशुःल्क सहायता पाने वाले व्यक्तियों को राजस्व अधिकारियों द्वारा सीधा रसद विभाग के गोदामों को प्राप्त आवण्टन किया गया है, इसका पंचायत समिति वार विवरण उपलब्ध नहीं।

(3) प्रधान मंत्री सहायता कोष से एवं आई. पी. एफ. टी. से प्राप्त राशि अजमेर जिले को आवण्टित नहीं की गई, जिला परिषद् अजमेर की बैठक में वर्णित 105 बोरी गिफ्ट गेहूं भी निःशुल्क सहायता पाने योग्य व्यक्तियों के लिये काम में लिया गया। इसका अलग से हिसाब नहीं रखा गया।

(अ) यह गेहूं मुफ्त बांटा गया था।

(ब) यह गेहूं प्रश्न सं० 2 के अतिरिक्त था।

(स) जी हां, जिलाधीश के अतिरिक्त कोई मालिक सामने नहीं आया।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय उपाध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें आगामी दिनांक 30 मार्च, 1970 के बाद अजमेर नगर परिषद् के समस्त कर्मचारियों द्वारा कम से कम संशोधित वेतन एवं अलाउन्स को मिला कर वेतन न दिये जाने पर हड़ताल पर जाने से उत्पन्न खतरे का उल्लेख किया गया है। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है जानकारी मिलने पर उस पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने होटलों पर कर भार बढ़ जाने के कारण मजदूरों व गरीबों को परेशानी होने के अलावा छोटे होटल मालिकों को हिसाब किताब रखने में कठिनाई होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय को विनियोग विधेयक एवं वित्तीय विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। विनियोग विधेयक पर आज से ही चर्चा प्रारम्भ हो रही है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बहस का उत्तर देते समय इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित दो पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी हैं:—

श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा, ने जिला नागौर में चेचक की बीमारी फैलने से बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह कहा गया है कि नागौर जिले की पंचायत समिति मकराना, लाडनूं, मूंडवा, जायल तथा नागौर नगर में चेचक रोग की सूचना प्राप्त होते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित

(श्री उपाध्यक्ष)
सफाई इन्स्पेक्टरों को तथा टीका लगाने वालों के दस्तों को उन गांवों में भेजा गया और रोग के निवारण व उस पर काबू पाने के लिए तुरन्त उपाय किये गये। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए प्रभावित गांवों के पांच मील के क्षेत्र तक सघन टीका लगाने के प्रबन्ध किये गये। नागौर जिले में कुल 72,233 व्यक्तियों के टीके लगाये जा चुके हैं तथा स्थिति पर काबू पा लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने बीकानेर म्युनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह सूचित किया गया है कि नगर परिषद् के अधिकारियों द्वारा राणावत आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन नहीं दिये जाने का आश्वासन नहीं दिया गया था तथा राणावत आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी भी नगर-पालिका को वेतन दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है राज्य सरकार द्वारा यह भी बतलाया गया है कि हड़ताल के बावजूद नगर में सफाई का कार्य चालू है तथा स्थिति काबू में बतलाई जाती है।

ऊपर दिये गए कारणों की दृष्टि से मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, इस पर माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तथ्यों के बारे में·······

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से जो सूचना मेरे पास आई है वे तथ्य मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा करने के लिए इन्कार कर दिया है अब इस पर चर्चा नहीं होगी। अन्य किसी तरीके से आप इसको उठा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो उत्तर दिया गया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है यह तथ्यों के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात भी आप सदन में कह चुके।

प्रतिवेदनों की उपस्थापना–श्री भैरोंसिंह

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उपक्रम समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जिसका सम्बन्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से है।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री रामकिशोर व्यास।

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक 1970 पुरःस्थापन,

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साहूकार

(श्री रामकिशोर व्यास)
(संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों के लिए प्रस्ताव, मुख्य मन्त्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के निर्वाचन के लिये निम्नांकित प्रस्ताव करता हूं :

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1970-71 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जावे।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1970-71 के लिए 15 सदस्यों का निर्वचन किया जावे।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1970-71 के लिए 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1970-71 के लिए 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(2) प्रश्न यह है कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1970-71 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(3) प्रश्न यह है कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के

(श्री उपाध्यक्ष)
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1970-71 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य।

राजस्थान विनियोग (सं० 3) विधेयक, 1970 विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं····

श्री नत्थीसिंह: चुपके से पेश कर दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया: उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया: मेरी जगह श्री बाफना साहब बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द बाफना।

श्री रामकिशन: सर्वोदयी भाषण नहीं सुनेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: रचनात्मक भाषण होता है इनका।

श्री उपाध्यक्ष: तैयार नहीं हैं तो और किसी माननीय सदस्य का नाम ले दिया जाये।

श्री फूलचन्द बाफना (फालना): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय हमारे सामने है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जो बजट होता है वह जनता के लिये होता है, उससे जनता खुशहाल बने, इस लक्ष्य को लेकर उसको बनाया जाता है····

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय यह पद्धति रही है कि इस वक्त विचार के लिये इस बिल पर जो डिमाण्ड रह गई है और जिन पर डिबेट नहीं हुई है उन पर ज्यादा चर्चा की जाये बजाय इसके····

श्री उपाध्यक्ष: इसमें बिल के मूल सिद्धांत और खास तौर से जो डिमाण्ड्स सदन के सामने नहीं आई हैं और मुखबंदी का प्रयोग कर के जिनको पारित कर दिया गया है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: करीब-करीब सभी डिमाण्ड रख दी गई हैं इसलिये इस पर पाबन्दी नहीं लगाई जावे। करीब-करीब सभी डिपार्टमेंट्स कवर हो गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर: जैसी मर्जी आपकी। परन्तु रिपीटिशन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोटिशन करें तो आप आपत्ति कर सकते हैं। अभी क्या कहा जा सकता है।

श्री फूलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिये कि जो कुछ भी आय-व्ययक योजना बनती है वह जनता की खुशहाली के लिये बनाई जाती है। परन्तु जब हमारा विधान सभा का सत्र चलता है, तब मैं देखता हूं, दोनों तरफ से हजारों प्रश्न, प्रश्न विभाग में जाते हैं, उनमें से कुछ ही प्रश्नों की बारी आती है। अनेक प्रश्नों को कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जाता है। इन सब को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ही भयंकर असन्तोष व्याप्त है। हर कटौती प्रस्ताव और प्रश्न कष्ट निवारण को लिये हुए होता है। दोनों तरफ के सदस्य कट मोशन और प्रश्न देते हैं, उससे ऐसा आभास होता है, ऐसा मालूम होता है कि हमारा बजट जनता की कठिनाइयों को हल नहीं कर पाता है।

इस वजह से प्रश्न खड़े होते हैं इतने कटौती के प्रस्ताव पेश होते हैं। इसका कारण यह है कि जनता में असन्तोष है जिसकी अभिव्यक्ति है यह। वह कष्ट दूर होना चाहिये। खुशहाली आनी चाहिये किन्तु नहीं आती है। यह इसलिये कि हम समाज के मूल्यों को नहीं बदल सके हैं। बड़ा आदमी हम उसी को मानते हैं जिसके पास पैसा है। आज सामाजिक मूल्य इस आधार पर माना जाता है कि यह कितना बड़ा ऑफिसर है, मिनिस्टर है, इसके बेंक बेलेन्स कितनी है। आज बेंक में बेलेन्स कितना है यही आधार सामाजिक मूल्यों का रह गया है। इसलिये लोग येन केन प्रकारेण इसी के लिये रात दिन मेहनत करते हैं किसी भी तरह से न्याय से या अन्याय से पैसा पैदा करने की बात करते हैं। आज बजट बनता है, बजट के लिये खर्च करते हैं लेकिन आखिर स्थिति वहीं की वहीं रहती है। सरकार की जो स्थिति बन गई है कि वह स्टेटस-को मेन्टेन करती है। आज इस जमाने में रिश्वतखोर और तस्कर का उपचार होना मुश्किल है। आज आदमी की कद्र अच्छी बात से नहीं, अच्छे स्वभाव से नहीं। आज तो बुरी बातों से कद्र होती है। इसलिये उसी की ओर जन मानस बढ़ता जा रहा है। आज यदि समाज में यह प्रथा है कि बदमाश की इज्जत हो तो लोगों का ध्यान बदमाशी की ओर जायगा। समाज में किसी समय 'वीर भोग्या वसुन्धरा' का महत्व था किन्तु आज समाज की स्थिति इसके विपरीत 'धूर्त भोग्या वसुन्धरा' की होती जा रही है। इस तरह की स्थिति में देश की तरक्की होना मुश्किल है।

मैं तीन साल से लगातार इसी प्रकार की बातें कहता हूं। हर वर्ष पोलें खुलती हैं और जितनी खुलती हैं उससे ज्यादा बढ़ती हैं। आज समाज में पैसे को हम महत्व देते हैं। मूल वस्तु गुण मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। इतना सारा खर्च करके पार्लियामेन्ट बनाते हैं, विधान सभा बनाते हैं इससे फायदा क्या जब तक कि इन्सान को भलाई की कद्र नहीं होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमें सामाजिक मूल्यों को गुण मूल्य की दिशा में मोड़ना चाहिये।

आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, तब फिर आज क्या कारण है कि लोग भूखे

(श्री फूलचन्द बाफना)

और नंगे दिखाई देते हैं क्योंकि आज का सामाजिक मूल्य हमारा दूसरा ही बन गया है। जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके लिये हमेशा यह आशंका रहती है कि वे खुशहाल बनेंगे। लेकिन आम जनता खुशहाल बने इस ओर वे क्या कदम उठाते हैं यह देखने का है। आज यदि देश का भला करना है तो हिन्दुस्तान की जो हालत है उसके लिये जरूरी है कि हमारा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन सब को मिलाकर एक संघ होना चाहिये। यह आज समय का तकाजा है।

(12. 23 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

यह एक तरह से ए. बी. सी. का त्रिकोण बन जायगा। यह मिलकर एक महासंघ बनता है। ए. अर्थात अफगानिस्तान, बी. अर्थात बर्मा और सी. अर्थात सीलोन तो यह हमारे लिये और एशिया के देशों के लिये बहुत हितकर है। आज जो इन मुल्कों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वे एक तरह से महदूद हो जायेंगे। आज रूस और अमेरिका मिल कर यह चाहते हैं कि उनके समान तीसरी शक्ति का उदय न हो। यह तो स्वाभाविक है वह हिन्दुस्तान को तीसरी शक्ति के रूप में देखना नहीं चाहते। इसलिये वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के आसपास किसी तरह से झगड़े लगाये रखे जायें। इस प्रकार से ए., बी., सी. के इन तीनों किनारों के बीच वास्तव में एक जियोपोलिटिक्स का संबंध है। हिन्दुस्तान महान देश है, अफगानिस्तान भी बहादुरी में किसी से कम नहीं है। अफगानिस्तान में ऋग्वेद की प्रथम ऋचायें वहीं पर उद्घोषित हुई थी उसके अलावा व्याकरण की रचना पाणिनी द्वारा वहीं हुई मानते हैं। आज इतने बड़े मुल्क की हालत यह है। इसका कारण क्या है जो राजनीति यहां पर चल रही है वही हमको आगे ले जाने में बाधक है। आज देश में सेवा करने वालों की संख्या असंख्य है। करोड़ों की संख्या है जिस देश में इतने सेवा करने वाले लोग हों उस देश का हाल यह है, देख कर दुःख होता है। आज सेवा करने वाले लोगों द्वारा ही अधिकतम शोषण होता है। इसका कारण यह है कि दल की जो प्रणाली है वह दलदल बन जाती है। कई दल बन कर दलदल हो गया है। इसलिये हम लोग राजनीति के दलदल में फंस गये हैं। आज हालत यह है कि विरोधी दल अच्छी बात भी कहेगा तो उसको अच्छा नहीं माना जायगा और अगर सरकारी पक्ष कोई अच्छी बात कहता है तो विरोधी दल उसको काट करेगा ही। एक आदमी यदि इधर से उठ कर चला जाता है और उधर मिल जाता है तो वह इधर वालों के लिये बुरा हो गया और उधर वालों के लिये अच्छा हो गया। इसी तरह से उधर का कोई व्यक्ति इधर आकर मिलता है तो इधर वाले उसको अच्छा कहेंगे। इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है उससे कुछ भला नहीं हो सकता। इस तरह की पार्टी बाजी की जो बातें करते हैं वे बेकार है।

श्री गोकुलप्रसाद : तो फिर आप स्वतंत्र पार्टी में से हैं ?

श्री फूलचन्द बाफना : मैं तो सज्जन और दुर्जन ये दो पार्टी ही मानता हूं।

(श्री फूलचन्द बाफना)

इसलिये लोकतन्त्र के अन्दर जहां हमें बोलने की स्वतंत्रता है वहां हमें यह मान कर चलना चाहिये कि जो इधर से बात कही जाय वह भी सच्ची हो सकती है और उधर से कहने वाले भी सच कह सकते हैं। अगर हम अपनी ही बात को सही और दूसरे जो भी कहें गलत है यह मान कर चलेंगे तो देश रसातल में चला जायगा।

आज हम क्या देखते हैं देश में? मैसूर-महाराष्ट्र का विवाद चल रहा है। चण्डीगढ का विवाद अभी भी चल रहा है। तामिलनाडू अलग ही झगड़ा कर रहे हैं। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत इस प्रकार विभाजन चाहते हैं। यह सारी राजनैतिक अखाड़ेबाजी है। एक दूसरे की स्वार्थ सिद्धि को बताती है। आज तो इस प्रकार जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है यह उन्हीं के लिये खतरनाक होगी। जिस तरह से रेशम का कीड़ा अपनी तांत में ही उलझता जाता है और उसके बाद में दम भर कर वह टूट जाता है उसी प्रकार यह राजनीति का खेल है उसमें हमारा दम घुट जायगा।

आज हम देखते हैं एक चमार है जो जूता बनाता है जिसकी कीमत 40 रुपया है, जो उस जूते को पहनता है उसकी तो समाज में कद्र होती है लेकिन जो चालीस रुपये का जूता बनाने वाला है उसकी कद्र नहीं होती। वह जो इतनी अच्छी चीज बनाता है, इतनी महनत करता है उसकी कोई समाज में कद्र नहीं होती है। ऐसे समाज की तरक्की नहीं हो सकती जिसमें सृजन शक्ति की कद्र नहीं होती।

कानून बनाने वाले क्या करते हैं? अधिकाधिक कानून बनाये जाते हैं और उनको फायदा मिलता है वैसे कानून बनाये जाते हैं। पुराने समय में ही आप देख लीजिये। ब्राह्मणों के पास शक्ति थी तो उन्होंने अपने अनुकूल कानून बनाये और उन्होंने ब्राह्मण को ब्रह्म देवता घोषित किया। और उनकी पूजा का विधान किया गया। इसी प्रकार से जब राजाओं के हाथ में कानून बनाने की शक्ति आयी तब राजा को ईश्वर का रूप दिया गया। उसके बाद जो हमारा संविधान बना यह पैसे के प्रभाव में बना है। अगर इसको बदलने की जरूरत नहीं हुई तो नुकसान होगा। अब जो जमाना आने वाला है उसका आभास हमको होना चाहिये। राजनैतिक पार्टियों के जो झंडे हैं उनमें किसी का चिन्ह हंसिया है, हथोड़ा है, किसी का गेहूं की बाली है, किसी का चरखा है। यह हमें बताता है कि श्रम करने वाले का महत्व बढ़नेवाला है।

पिछली हिस्ट्री क्या कहती है यह हमको सोचना होगा। अगर हम गरीब की पालना करने की बात करते हैं तो आपको श्रम करने वाले को महत्व देना होगा। पर आप ऊपर से कहते हैं। करते नहीं। गांव के तेली को आप कह देंगे अच्छा भाई तुम बहुत अच्छे तो हो, पर तुम्हारी घाणी का तेल हम नहीं खावेंगे, हम तो मिल का तेल खावेंगे। ऊपर से तो मीठे हैं, पर अन्दर से उसे पाताल पहुंचाने के काम करते हैं। हमारे कारनामे गरीब के खिलाफ हैं। गरीब अशिक्षित है, और जब तक अशिक्षित रहेगा आप उसे उल्लू बनाते रहेंगे। इससे इन्सान नीचे गिरेगा और इन्सान अगर नीचे गिरता रहा और आप

(श्री फूलचन्द बाफना)

अपना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का अपना सिद्धान्त चलाते रहे तो यह सिद्धान्त भी आपका अधिक चलने वाला नहीं रहेगा। यह तो आपकी पूंजीवादी वृत्ति का द्योतक है। जैसे एक जीमणवार में परोसगारी करने वाला हलवा या रसगुल्ला लेकर आता है। जीमने वालों की पंक्ति लगी हुई है, पर वह क्या देखता है कि मेरे घर वाले किधर हैं, मैं उनको ही परोसूं। और यह विचार करके वह पंक्ति में बैठे हुए कइयों को छोड़ कर वहां पहुंचता है जहां उसके सगे सम्बन्धी रिश्तेदार बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, और उनको परोसता है। तो आज इस राज में वैसा ही हो रहा है। बीच के लोग हल्ला मचाते ही रह जाते हैं। इस तरह की वृत्ति से गरीब का कैसे भला हो सकता है। यह तो सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट का एक जंगली कानून है। साधारण इन्सान पिस रहा है।

गरीबों की गरीबी देख कर नेताओं को बड़ा कष्ट होता है। दूर करना चाहते हैं पर आराम के साथ। जो आराम की जिन्दगी बितावें, जिनकी बेंक बेलेंस हजारों लाखों की है, बड़े बड़े बंगले हैं, कारें हैं सुख साधन हैं, जिनके लड़के लड़कियों की शादी राजा महाराजाओं की तरह होने लगी हैं, और वे कहते हैं कि हम समाजवाद लावेंगे। यह सब धोखा है। इनके ऐश जरूर बढ़े हैं पर साधारण आदमी नहीं बढ़ा।

भिन्न के सवाल होते हैं। बुद्धि अपोन बुद्धि हो रही है। बुद्धि से बुद्धि कटती है सब बुद्धि कट गई तो पीछे क्या रहा। जीरो रहा। तो यह हालत इनके समाजवाद का है। यह सारा काम हम जानबूझकर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का भला हो रहा है। 22 सालों में क्या हुआ है? इससे नाप लीजिये।

मनुष्य का निर्माण करिये। मकान आप बनाना चाहते हैं पर उसमें काम आने वाले पत्थर पर आप ध्यान नहीं देना चाहते मकान का एक एक खण्डा आप ठीक तरह से रखिये तो मकान मजबूत बनेगा। पर आप चाहते हैं मकान दिखने में खूबसूरत दिखे। पर एक एक खण्डा अगर कन्धे से कन्धा मिला कर नहीं रखा गया है तो बिल्डिंग कितनी ही खूबसूरत ऊपर से दिखाई गई हो उसको बहुत जल्दी धराशायी होना पड़ेगा। तो आज जो राजनीति चलाई जा रही है वह केवल स्वार्थ साधन के लिये अपनी सत्ता लिप्सा को सन्तुष्ट करने के लिये चलाई गई स्वार्थ नीति है या जिसके पास सत्ता नहीं है यह दूसरे को हटाने का प्रयास करता है यह आज की नीति है। सारे देश में आज यही स्वार्थों की आपा-धापी चल रही है।

श्री विजयसिंह : तो फिर किया क्या जावे ?

श्री फूलचन्द बाफना : यह तो लाचारी की बात है। आप भी लाचार हैं, मैं भी लाचार हूं।

श्री विजयसिंह : फिर तो इनको डूब कर मर जाना चाहिये।

श्री फूलचन्द बाफना : डूब कर मरने के लिये भी पूरा पानी चाहिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इनके लिये तो चुल्लू भर पानी ही बहुत है।

श्री फूलचन्द बाफना : कल वन मंत्री ने कहा कि बरसात की औसत कम हो रही है। मैं तो कहता हूं जब तक जंगल फिर पहले जैसे हरे भरे नहीं बनाये गये, सघन नहीं बनाये गये तब तक हर साल अकाल पड़ेंगे क्योंकि बादलों का आकर्षित करने वाले ये जंगल तो रहे नहीं। पर आप भी जंगल लगाना नहीं चाहते। आपको अकाल का मजा आगया है। करोड़ों की योजनायें आपकी अकाल की आड में चलती रहनी चाहिये ताकि उस पैसे को हड़पने का स्वर्ण अवसर आपको बराबर मिलता रहे। ये सारी योजनाएं आपकी या तो कागजों पर रखने की हैं या आपाधापी करने के लिये हैं। लोगों को धन्धे पर लगाने की या गरीबी देश की दूर करने की नहीं है। राजनैतिक लक्ष्यों को सामने रख कर ये सारी योजनाएं आप बनाते हैं। आज एक एक मिनिस्टर की बुराई की बात की जाती है। उसको सुधारने की बात कही जाती है। जांच की बात कही जाती है। मैं कहता हूं यह तो रक्त विकार की बीमारी होगई है। एक एक फोड़े का इलाज आप कब तक करते रहेंगे। एक फोड़े को ठीक किया तो दूसरा तैयार होगा। इसलिये मैं एक एक के लिये नहीं कहना चाहूंगा। जनरल कहूंगा कि यह तो सारा ही शरीर रक्त विकार से जर्जरित होगया है। हिन्दुस्तान के शरीर में रक्त विकार होगया है। इस सारे ही शरीर के रक्त विकार को दूर करने का इलाज करना होगा तब जाकर ठीक होगा। अगर एक एक फोड़े के ही इलाज में हम लगे रहे तो यह सब प्रयास व्यर्थ होगा और फोड़ा-फुंसी की बीमारी तो ठीक होने की नहीं।

यह जो पार्टी शब्द है वह पार्ट शब्द से बना है। पार्ट यानी हिस्सा और होल यानी सम्पूर्ण देश। हम मुल्क के होल से पार्टी को बड़ा बनाते हैं। हमारी पार्टी क्या चाहती है। जनता के प्रतिनिधि को पार्टी का गुलाम बनाती है। इससे देश का भला नहीं होगा। प्रतिनिधि जनता का कहलाता है और गुलाम पार्टी का। तो इससे देश का भला नहीं होगा।

श्री सभापति : आप तो बचते हैं न इससे ?

श्री मथुरादास माथुर : आप तो अपनी पार्टी के गुलाम मत बनो। कहना मत मानो।

श्री सभापति : जिस कथन में स्वयं आपका विश्वास न हो वह आप मत कहिये।

श्री फूलचन्द बाफना : जिस चीज में मेरा विश्वास है वही कह रहा हूं।

श्री विजयसिंह मकराना): स्वतन्त्र पार्टी का मतलब है सब स्वतन्त्र हैं, यहाँ गुलाम कोई नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी सिद्धान्त के गुलाम नहीं हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं तो सिद्धान्त यह मानता हूं कि आदमी बने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी सिद्धान्त को नहीं मानना यह भी सिद्धान्त है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ऐसे लोग ही तो यहां बैठे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। दिक्कत नहीं।

श्री फूलचन्द बाफना : पर निन्दा और आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों के बारे में कवि तुलसीदास जी ने भी ठीक कहा है—

जो तुलसी कीरति चहे, पर कीरति को खोय।
उनके मुंह मसि लागे हैं, मरि है मिटी न धोय॥

जो आदमी अपनी कीर्ति के लिये दूसरों की कीर्ति को नष्ट करके चलने वाला है उसके मुंह पर ऐसी कालिख लगी है जो मरने पर और धोने पर भी नहीं मिट सकती। वास्तव में अपनी बढ़ाई करने की और दूसरों की निन्दा करने की सारी ट्रेनिंग चुनावों के वक्त आती है। चुनावों के वक्त हिन्दुस्तान में इसकी आग लगती है। वह बुझती नहीं कि दूसरी लग जाती है। तो हिन्दुस्तान तो इस आग ही आग में जल रहा है। किन्तु एक दिन आवेगा जब शान्ति होगी, यह आग बुझेगी और हिन्दुस्तान के लोग सुखी होंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

घन्टी बज गई है और यह घन्टी हिन्दुस्तान में भी बज रही है। हिन्दुस्तान के प्रान्त प्रान्त में खतरे की घन्टी बज रही है। अगर अब भी हम नहीं चेते और अपनी नीतियों को नहीं बदला— डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी पर चलते रहे तो देश गर्त में चला जायगा। आज की नेतागिरी का यही मतलब है। मैं वापिस उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं....

श्री मथुरादास माथुर : सरकार की नीति तो सुरापान....

श्री फूलचन्द बाफना : सुरापान और कई पान है। मनोहरसिंह जी बहुत कहते हैं अगर शराब बन्द नहीं होती है तो सारे देश का चरित्र भ्रष्ट हो जायगा। शराब पीकर आदमी पागल हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जिन औरतों के पति शराब पीते हैं वे उनको पीटते हैं, यह उनका कहना है और कहा करती हैं कि शराब से सत्यानाश होता है।

श्री मथुरादास माथुर : उन औरतों को भी शराब पिलाना सिखा दें जिनके पति पीते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : यह तो माथुर साहब आप स्कूल खोल दो (विराम)। यह लत ऐसी है जो छूटती नहीं है। आधा अंग जो इस समय काम कर रहा है वह पूरा अंग बेकार हो जायगा। इस तरह हिन्दुस्तान सत्यानाश की तरफ चला जायगा। हम लोग जो इस प्रकार चल रहे हैं उसमें सावधान रहना होगा, गांव के उत्थान की योजना बनानी होगी। गांव के उत्थान की योजना मैं बताता हूं। एक गांव आप लें—एक हजार की आबादी वाला जिसमें प्रायः ढाई सौ घर होते हैं। गांव का एक एक आदमी बीड़ी, सिगरेट, चाय पीता है इस तरह ढाई सौ व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, चाय पीते हैं और इस पर करीब चार आना दैनिक खर्चा आता है तो ढाई सौ घरों के लिये मासिक दो हजार रुपये हो गये। दो हजार रुपये एक महीने के तो साल भर के कितने हुये आप हिसाब लगा लीजिये 24 हजार और 24 हजार चाय के यानि 48 हजार रुपया सालाना एक ढाई सौ घर की आबादी वाला गांव बरबाद करता है। यह तो चाय, बीड़ी, सिगरेट का हुआ और इसी तरह शराब का लीजिये तो कुल मिला कर करीब 50 हजार से ऊपर एक छोटा सा गांव बरबाद

(श्री फूलचन्द बाफना)
कर देता है जो किसी मतलब का नहीं, जिससे कोई खून नहीं बनता, कोई मांस नहीं बनता बल्कि शरीर और खराब हो जाता है।

इसके अतिरिक्त गांवों में रीति-रिवाज होते हैं जैसे गंगोज, मोसर-बोसर आदि इनमें काफी गांव का पैसा बरबाद चला जाता है उनको समझावें कौन ? आप अगर पांच साल की योजना बनाते हैं अगर इस तरह की योजना बनायें तो एक पंच वर्षीय योजना में करीब 2½ लाख की योजना होती है, ढाई लाख की बजट में बचत होती है और देश का चरित्र भी निर्माण होता है। इस तरह की योजना अगर आप बनायें तो क्या नहीं हो सकता है सब कुछ सुधार हो सकता है। ढाई सौ घर वालों की बस्ती को आप ढाई लाख रुपया दे नहीं सकते तो फिर क्यों नहीं ऐसी योजना का निर्माण करते हो। मेरा कहना है जनता में तो बहुत बड़ी शक्ति है सरकार में कोई शक्ति नहीं है। जनता के सामने सरकार तो मच्छर है, वह कभी भी फूंक से उड़ाया जा सकता है।

यहां तो लेकिन बड़े-बड़े लोग इसके शिकार हैं। आपको मालूम होना चाहिये जंगल में जो जोरदार होता है उसका कमजोर पर दबदबा रहता है यही इनकी राजनीति है। अगर एक आदमी जोरदार नहीं है तो दो को बनावो, दो जोरदार नहीं हैं तो तीन को बनावों और अगर तीन में भी नहीं है दल के दल बनावो इस प्रकार हिन्दुस्तान में सत्यानाश वास्तव में अब आने वाला है। गांव और शहर में आज कितना फर्क है, आजादी सबको मिली है, भगवान ने सबका निर्माण किया है लेकिन हमारी सरकार ने गांव और शहर में काफी अन्तर कर रखा है। देश का पैसा इस चाय, तम्बाखू, बीड़ी, सिगरेट से हटा कर, देश के निर्माण में लगायें लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं बनाते हैं। यहां तो केवल अपने स्वार्थ निर्माण की योजना जरूर बनाते हैं। हमारा खूब बेंक बेलेन्स बढ़े। यह एक-दो आदमी का सवाल नहीं है हिन्दुस्तान में यह प्रवृत्ति बन रही है। पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होना चाहते हैं परन्तु आज सारी योजना चलती है वह किसके बल पर चलती है—जनता के बल पर और नाम होता है सरकार का। यह तो उसी प्रकार की एक बात है जो भगवान को भोग चढ़ाता है और पुजारी खुद खा जाता है। उसी तरह का गान्धी जी का नाम लेते हैं। गान्धी जी तो मानो साग है और राजनीति इनकी रोटी है। महात्मा गान्धी का नाम और खा लेते हैं खुद, गान्धी जी को साग बना लिया और राजनीति की रोटी के साथ खा लिया........

श्री मथुरादास माथुर : साग नहीं मुरब्बा।

श्री फूलचन्द बाफना : अब मैं एक बात पर और जोर देना चाहता हूं....

श्री रामकिशन : इधर आप बोल रहे हैं और उधर माथुर साहब ताश खेल रहे हैं (श्री बी. एन. जोशी से बात करते हुये देख कर)

श्री मथुरादास माथुर : मुरब्बा और चटनी बना रहा हूं....

श्री विजयसिंह : जोशी जी (श्री बी. एन. जोशी) का मत बना देना।

Page No 64

श्री फूलचन्द बाफना : चूं चूं का मुरब्बा या न जाने क्या है........? मैं तो सिर्फ इस बात के लिये कह रहा हूँ इन्सान निर्माण की योजना इस बजट में से गायब हो गई है। इन्सान के उत्थान के लिये इस बजट में एक शब्द नहीं है। आदमी कैसे बने, भला बने, बुरा बने इसका कोई जिक्र माथुर साहब के बजट में नहीं दिखता।

श्री मथुरादास माथुर : आदमी को रोकने की ही बजट में योजना है....

श्री फूलचन्द बाफना : क्या, भले बुरे की....

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, आदमी के पैदा करने की कि पैदा ही न हो।

श्री फूलचन्द बाफना : वह ठीक है उसके लिये भी दो शब्द जब आप छेड़ ही देते हो तो मुझे बोलना पड़ेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई योजना नहीं है, होती तो आपके (श्री रामकिशन जी) 9-9, 10-10 नहीं होते।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो पहले के हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : परिवार नियोजन में क्या है जिनके लड़के होते हैं वे तो सहारा ले लेते हैं और जिनके लड़कियां हैं, और 6-6 लड़कियां हो गई फिर भी वे सहारा नहीं लेते और लड़के की प्रतीक्षा में रहते हैं। लड़के की प्रतीक्षा में जन्म बन्द करते ही नहीं हैं। एक युग ऐसा आ जायगा जिसमें लड़कियां ही लड़कियां हो जायेंगी और लड़के बहुत कम हो जायेंगे। आगे जाकर हालत यह हो जायगी कि तीन गुणा औरतें और तीसरा हिस्सा आदमी। यह आपका परिवार नियोजन है। 20 साल बाद आप इसका असर देख लेना........

श्री विजयसिंह : जोगी जी के (श्री वी. एन. जोशी)।

श्री मथुरादास माथुर : इनके तो लड़के ही लड़के हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : दूसरा मेरा निवेदन है परिवार नियोजन पर कि बुद्धिमान लोग ही इसका सहारा लेते हैं जो मूर्ख होते हैं वे सहारा नहीं लेते हैं इसलिये आगे जाकर बुद्धिमानों की संख्या कम हो जायगी........

श्री रामकिशन : इसका मतलब तो स्कूल ही बन्द हो जायेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : परिवार नियोजन का तो उल्टा चक्र है। औरतों व मूर्खों की संख्या बढ़ाने का सारा मामला है। परिवार नियोजन पर आपने छेड़ दिया इसलिये बता दिया है। अब पंचायत समिति के बारे में बताना चाहता हूं। बलवन्त राय कमेटी पंचायतों के लिये बनी थी उसके अनुसार पंचायतों का निर्माण न करके उन्हें कमजोर कर दिया है........

श्री रघुनाथ विश्नोई : मूर्ख शब्द का उपयोग किया है। मूर्खों से आपका क्या मतलब है?

श्री फूलचन्द बाफना : कौनसा शब्द?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मूर्खों का।

श्री फूलचन्द बाफना : मूर्ख मानी इडियट....

श्री नत्थीसिंह : वे तो फुलिस समझते हैं।

श्री फूलचन्द्र बाफना : खैर कुछ भी समझें। मेरा तो भावार्थ इडियट का है।

श्री बी. एन. जोशी : 'Idiot' means one deficient in intellect, a foolish or unwise person.

श्री फूलचन्द बाफना : मैं तो इसी भावार्थ में ले रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सामने की तरफ इशारा था क्या ?

श्री फूलचन्द्र बाफना : यह इशारा किसी तरफ नहीं है। जो मानते हैं अपने मन में उधर का ही इशारा है। अब मैं दो चार शब्द पंचायत समितियों पर बोलकर समाप्त कर दूंगा। पंचायतों द्वारा विकेन्द्रीकरण हो देश में और सत्ता केन्द्रित रूप में न चल कर गांव के लोग भी उसमें हिस्सा लें, गांव वालों को ऊपर उठाया हो, अपने हाथों से कोई ऐसी योजना बनाई हो, ऐसी बात मैं समझता हूं नहीं हुई है।

हमने पंचायत समितियों को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया। कानून में संशोधन करते-करते उनको इतना बेकाम कर दिया है, इतना निकम्मा कर दिया है कि अब यह मांग उठाने लगी है कि पंचायतों को और पचायत समितियों को हटाना चाहिए। जिन लोगों ने भलाई के लिये पंचायत समितियों को बनाया उन्होंने सत्ता छीन कर पंचायत समितियों को निकम्मा बना दिया है। आप पंचायत समितियों का बजट देखिये कि 1½-2 लाख का बजट होता है और सारा पैसा तनख्वाह में चला जाता है और वितरित करते हैं 15-20 हजार रुपया। मेरा यह मानना है और मेरा निवेदन है कि जिला परिषदों को आप मजबूत बनाइये और पंचायत समितियों को मजबूत बनाइये और गांव को अपने आप में आजाद बनाओ और इस माने में पंचायतों को आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाइये और जो पंचायत समितियां हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाइये और जिले के दायरे में जिला परिषदों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाइये और जो बलवंतराय कमेटी ने सिफारिश की थी कि कलेक्टर्स को आप सचिव बनाओ तो उनको सचिव बनाना चाहिए। आज की तरह ऑफिसर नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जिले की उत्पादन कमेटी जिला परिषद् की अलग थी और फिर एक कलेक्टर की उत्पादन कमेटी बना दी तो जिला परिषदों और पंचायत समितियों में जो-जो एक्टीवीटीज हैं और जो जो उनके अधिकार हैं वह सारे के सारे अधिकार ऑफिसर्स को दे दिये जाते हैं। जो ट्रान्सफर्स के अधिकार हैं वह यहीं से हो जाते हैं। गावों में बनाने वाली चीजें गावों में ही बनाई जायें। इसके अलावा गावों को आर्थिक रूप से भी अलग इकाई बनाना होगा। यदि गावों की आर्थिक और राजनैतिक रूप से एक इकाई बनती है और वहां से चुनाव होकर लोग पंचायत समिति और जिला परिषद् में जायें और पंचायत के दायरे में पंचायत अपना काम करे। जो काम ग्राम पंचायत में नहीं हो सकें वह पंचायत समिति के दायरे में हो, जो काम पंचायत समिति के दायरे में सम्भव नहीं हैं वह जिला

(श्री फूलचन्द बाफना)
परिषद् के दायरे में हो, जो काम जिला परिषद् के दायरे में नहीं हो सकते वे प्रान्तीय परिषद् में जायें। प्रान्तीय परिषद् बनाई जायें और प्रान्तीय परिषद् से चुनकर सीधे राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाय। आज का चुनाव का तरीका बड़ा दोषपूर्ण है और हम हिन्दुस्तान को बड़े नीचे रसातल की ओर ले जा रहे हैं। आप शिडयूल्ड कास्ट के लोगों की भलाई की बातें करते हैं वह भी अब लड़ने लग गये हैं चुनावों को लेकर.......

श्री नत्थीसिह: सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी की ऐसी नीति हैं कि डाइरेक्ट फ्रेन्चाइज समाप्त होकर रिप्रेजेन्टेशन के तौर पर आयें और भगा कर ले जाते हैं फिर क्या स्वतंत्र पार्टी की नीति यह है ?

श्री विजयसिह: यह तो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री रामकिशन: स्वतंत्र पार्टी तो परम स्वतंत्र पार्टी मालूम पड़ रही है।

श्री विजयसिह: यह पहले ही अर्ज कर दिया है कि स्वतंत्र पार्टी में सबको बोलने की स्वतंत्रता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिह: सभापति महोदय, स्वतंत्र पार्टी का मूल लक्ष्य यह है कि अच्छे आदमी हों वह कुर्सी पर बैठें और यह बण्ड राजस्थानी भाषा में कहावत है।

"बण्ड ही बण्ड मिले सरकार में
बण्ड मिले भगडण्ड रचायो"।

श्री फूलचन्द बाफना: सभापति मोहदय, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा था.......

श्री मथुरादास माथुर: सभापति महोदय, मैं बण्ड के ऊपर इसका जवाब देना चाहता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिह: यह तो फागण की होली है तो होने दो।

श्री मथुरादास माथुर:

'तीनों नेता फितूरिया,
भागड़दा और बण्ड,
काम बिगाड़ो आपणो,
घर घर करे अफण्ड।'

श्री विजयसिह: इसमें मुझे दीखता है आपका पाखण्ड।

श्री फूलचन्द बाफना: सभापति महोदय मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज नागरिक जिस प्रकार से देश के लिए सोचते हैं, वह मैं अपने विचारों के अनुसार आपके सामने रख रहा हूं। मेरा कहना है कि पंचायत समितियों को ताकतवर बनाइये, जिला परिषदों को ताकतवर बनाइये। फिर जो हमारी प्राथमिक आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिये बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आदमी को रोटी चाहिए, हर आदमी को कपड़ा चाहिए, हर आदमी को मकान चाहिए।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस समाप्त ही है। एक मिनट में समाप्त करता हूं।

हर आदमी की प्राथमिक आवश्यकता है कि उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिये मकान चाहिये, दवा चाहिये, शिक्षा चाहिये न्याय चाहिये, सुरक्षा चाहिये, और मैं यह

(श्री फूलचन्द बाफना)

पूछना चाहता हूं कि क्या किसी पार्टी का आदमी राज्य करेगा और रोटी देगा तो क्या अपनी पार्टी के झण्डे की रंग की रोटी खिलायेगा। क्या जनसंघ भगुवे रंग की रोटी खिलायेगा ? क्या कम्युनिस्ट पार्टी लाल रंग की रोटी खिलायेगी ? मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि हमारी प्राथमिक जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो। जो आदमी जन्मा है उसे जिन्दा रहने का अधिकार है। उसको आप जिन्दा रहने का अवसर नहीं देते और गरीबी ही गरीबी बढ़ा रहे हैं। आज हम 22 साल के लम्बे समय में यह चीजें जो प्राथमिक आवश्यकता की हैं जनता को नहीं दे सके, यह खतरनाक बात है। जब हमारा बजट एक एक इन्सान की प्राथमिक आवश्यकता पूरी करेगा उस रोज हमारा बजट सच्चा बजट होगा। अगर भिखारियों की संख्या ज्यादा है और वैश्याओं की जिस मुल्क में संख्या ज्यादा है और जहां ऐसी हालत लोगों की हो तो मैं नहीं समझ सका कि हम 22 साल में सफलता प्राप्त कर सके हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बजट बनाते समय ऐसा खयाल रहे की रोटी तो सबको कम्पलसरिली मिले। पैसा है वह रोटी खाये और पैसा नहीं है तो भूखों मर जाये यह बात खराब है। यह तो बिल्कुल लाचारी की अवस्था है। अगर मुल्क की लाचारी की अवस्था है और पैसा है तो रोटी खाओ, पैसा है तो कपड़ा पहनो तो यह हमारा बजट अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। यदि पैसा है तो रोटी खाओ और पैसा है तो कपड़ा पहनो अगर यही बात है तो यही बात आप अपने कुटुम्ब में भी रख लो कि लाओ पैसा और रोटी खाओ, लाओ पैसा पहनो कपड़ा। आप अपने कुटम्ब में फिर यह बात क्यों नहीं करते ? इसलिये इस बजट को मैं अच्छा बजट नहीं मानता। क्योंकि हर आदमी को जो बजट प्राथमिक गारन्टी नहीं देता, कपड़े की गारन्टी नहीं देता, रोटी की गारन्टी नहीं देता, हर आदमी को भला आदमी बनाने की गारन्टी नहीं देता, हर आदमी को छप्पर रहने को नहीं देता तो वह बजट अच्छा बजट नहीं है। आप हर आदमी की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति की सीमा दे दें कि हम दस साल में कपड़ा और रोटी दे देंगे तो अच्छा बजट है। अगर आप इसकी सीमा नहीं दे सकते हैं तो बजट नाकाफी है और इससे हमारे देश का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है लूट खसोट जारी है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह !

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, अगले साल के खर्चे के लिए जो बजट प्रावधान हैं उस पर हम आखरी मोहर लगाने जा रहे हैं। माननीय सभापति जी, यह हमारा युग अर्थ-प्रधान है। मैं यह मानता हूं कि जिसके हाथों में अर्थ है वह अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है और उनको क्रियान्वित कर सकता है। इसीलिए हम बजट बनाते हैं। जब हम किसी राज्य अथवा किसी देश का बजट बनाते हैं तो उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं उसकी पूर्ति के लिए। मैं यह मानता हूं कि हमारा संघीय राज्य है इसलिए कोई भी प्रान्त अपनी अर्थ-नीति इस रूप से नहीं बनाता है कि पूर्ण रूप से अपने में निहीत होकर पूर्ण नीति निर्धारित कर सके और उनको कार्य रूप में ला सके। संघीय राज्य में सत्त

(श्री शिवनाथसिंह)

सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के हाथों में होती है, यह मैं मानता हूं, लेकिन हमारे प्रान्त जिनके हाथों में फाइनेन्स है, अर्थ है वे अपनी कुछ नीतियां जो कि अपने प्रान्त तक सीमित हों, उनको निर्धारित करके उनको कार्य रूप में ला सकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बजट में जो खर्चा है उसको मोटे रूप में हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वह जो हम सर्विसेज पर खर्च करते हैं और दूसरा भाग वह जो विकास के कार्यों में लगता है। ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जितना बजट बढ़ रहा है वह सरकारी नौकरियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। उसको देखें तो वह काफी बढ़ रहा है। पिछले दो-तीन सालों से हमने जो डेवलपमेंट के काम थे उनकी तरफ अपनी आंखें मींच ली हैं। हो सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो लेकिन फिर भी वह आर्थिक प्रगति जो हम करना चाहते थे वह स्टॉप हो गई है और जितना खर्चा किया है वह सर्विसेज पर किया है। आज स्थिति यह है, माननीय सभापतिजी, कि बजट को देखने से पता लगेगा कि कितना फर्क बजट और सरकारी नीतियों का है। कल्याणकारी राज्य की हमारी योजना है लेकिन जिस तरह की सर्विसेज आज हैं और जो हमारी सर्विसेज का ढंग है तो उन सर्विसेज के होते हुए, उनके मनमाने ढंग से काम करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक तरह से मैं असम्भव मानता हूं। वे आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं और कागज भी उसी प्रकार के ढर्रे से निकल रहे हैं और डेवलपमेंट का काम भी उसी ढंग से निकल रहा है जो कि पुराने जमाने से चला आ रहा है। वे उसी तरह से चल रहे हैं और सर्विसेज ने अपना दिमाग नहीं बदला है। कुछ ऑफिसर्स हैं लेकिन फिर भी एक मेजोरिटी ऐसी है कि जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना को नहीं देख सकती है और विकास जो हो रहा है उसको नहीं देख सकती है, पिछड़े हुए वर्ग को ऊपर उठते हुए देखना नहीं चाहती, इसलिए उन नीतियों के क्रियान्वयन में बाधाएं आती रहती हैं। हम कितना ही विकास करना चाहें बाधाएं डालते हैं। इसलिए सरकार को देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार के नौकरियां हैं उनके बारे में कैसी नीति निर्धारित करें। हमारी सरकार को अपनी नौकरियों के प्रति यह मानस बनाना पड़ेगा कि जो फिट होते हैं और जो फिट होना चाहते हैं उनको रखें, लेकिन जो रुकावटें डालते हैं, जो स्कीम के विरोध में हों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विरुद्ध हों उनको छुट्टी दे देना चाहिए। मैं मानता हूं कि संविधान में संरक्षण दिया हुआ है उसके बावजूद भी हम संविधान को चैन्ज कर सकते हैं, उसमें एमेडमेंट ला सकते हैं। आज देश में एक वातावरण बना हुआ है और मूल अधिकारों के बारे में संरक्षण दिया हुआ है लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि किस किस चैप्टर में मूल अधिकारों के प्रश्न हैं उनको हटाने की बात सोची जा रही है....

श्री मदनसिंह: हटाने का मापदण्ड क्या होगा ?

श्री शिवनाथसिंह : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री शिवनाथसिंह)
मापदण्ड देख लेंगे उसके लिए आप से सलाह लेंगे, मैं भी सलाह दूंगा और वह इस सदन की सलाह से होगा।

श्री मदनसिंह : निकाल दें ऑफिसर्स को तो कोई मापदण्ड तो होना चाहिए।

श्री शिवनाथसिंह : इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि सर्विसेज का एक बहुत बड़ा हाथ है जो नीति हम बनायें उसके क्रियान्वयन में।

माननीय सभापतिजी, मैं अब दूसरा पहलू रखना चाहता हूं खर्चे का विकास के कार्यों पर। मैं देखता हूं कि हमारी स्थिति को देखते हुए प्रान्त में जो खर्चा होता है वह समूचे प्रान्त में नहीं फैला हुआ है। डेवलपमेंट एक्सपेन्सेज जो हैं वे बैलेन्स्ड नहीं हैं, स्कीम है वह त्रुटिपूर्ण है, और ऐसी स्कीम बनाते हैं जो, मुझे संकुचित न माने यदि यह कहूं, कि क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कि विकास हो रहा है, जब कि दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके विकास की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी अवहेलना हो रही है। मैं नहीं कहता कि जानबूझकर अवहेलना हो रही है, लेकिन 20 साल का रिजल्ट यह रहा है कि उन क्षेत्रों की अवहेलना हुई है। विरोधी दल के माननीय सदस्य यह आरोप लगायें कि पोलिटिकल बेसिस पर किया जाता है उसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ऐसा लगातार विरोधी दल के माननीय सदस्य कहते हैं कि जहां से कांग्रेस का केन्डीडेट होता है वहां पर खर्चा अधिक होता है और जहां से कांग्रेस का केन्डीडेट नहीं होता है वहां खर्चा कम होता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : हम कहते हैं कि डंडे के जोर पर होता है। विरोधी दल में होते हुए जिसका डंडा मजबूत है वह काम करवा सकता है।

श्री शिवनाथसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग जितना है वह डिफेक्टिव है। एक ऐसा प्लान नहीं बनता है जिसे समूचे राजस्थान का विकास हो और जिसमें समूचे राजस्थान के विकास की गुन्जायश हो, लेकिन एक आदमी तो भूखों मरे और दूसरे को चुपड़ी हुई रोटी दें या हलवा दें इस बात को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है और आम जनता में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी इसकी चर्चा करता है। हमें भी लोग कहते हैं। जिन क्षेत्रों से हम चुनकर आते हैं तो वहां के लोग हमको इस बात का उलाहना देते हैं कि आप वहां बैठकर क्या करते हैं? हम इस बात को समझते हैं और हम रियेलाइज भी करते हैं। इस ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पूरे राजस्थान का हित और पूरे राजस्थान का विकास हो, लेकिन पूरे राजस्थान के विकास में किन्हीं क्षेत्रों की अवहेलना की जाय यह बात वाजिब नहीं है।

मैं माननीय सभापति जी, एक और निवेदन करना चाहूंगा यह जो क्षेत्रीय असन्तुलन है और दूसरी ओर समाज का असन्तुलन है, समाज में एक ऐसा तबका है जो कि गरीब है और कुछ अमीर हैं तो जो अमीर हैं उनका तो विकास हो रहा है, उनको साधन मिल रहे हैं, लेकिन जो तबका गरीब है, जो असहाय है, जो पूर्ण तरह से विकसित नहीं है उस तबके का जो कि

(श्री शिवनाथसिंह)

समाज में हैं उनका पूर्ण विकास नहीं हो रहा है।

आज देहात और शहरों में भी भेदभाव बढ़ रहा है। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बजट को देखें तो कुछ गिने हुए शहर हैं राजस्थान के 10-5 शहरों पर ज्यादा खर्चा होता है और दूसरी ओर जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, उसके एक्सपेन्सेज को देखें तो कम आता है। शहरों का विकास हो इस बात का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन शहरों के साथ-साथ गांवों का भी विकास हो। गांवों का विकास नहीं होगा और लिमिटेड शहरों का विकास होगा और ये जितने गांव हैं वे दब जायेंगे तो राजस्थान का विकास नहीं होगा इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए।

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीणों को देखें तो आज कम्पीटिशन का जमाना है, शिक्षा को देखें या और किसी क्षेत्र को देखें। सेंट जेवियर में पढ़ने वाले विद्यार्थी का मुकाबला कराना चाहते हैं उस देहात के विद्यार्थी से जिसको बैठकर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलता है, जिसके पास में घर नहीं हैं, जिसके माता-पिता के पास में लाइट नहीं है वह चिमनी और दिये में पढ़ता है। उस विद्यार्थी से आप शहर के सेंट जेवियर के विद्यार्थी के साथ कम्पीटिशन करना चाहते हैं? यह असम्भव है, नहीं हो सकता है। जब तक असमानता को नहीं मिटायेंगे, गरीब विद्यार्थी को पढ़ने के पूरे साधन नहीं देंगे तब तक विकास पूरा नहीं होगा। समाज का एक ऐसा वर्ग आज समाज पर हावी है वह सर्विसेज पर हावी है और वही तबका सर्विसेज में जायेगा तो वह समाज पर हावी होगा। एक वर्ग का एक परिवार सर्विस पर हावी होगा तो उसके कुटुम्ब कबीले के लोग और सगे सम्बन्धी सर्विस में आयेंगे और वही वर्ग सर्विस में आगे बढ़ता रहता है, और वह तबका पीछे रह जाता है। इसलिए हर विद्यार्थी को पढ़ने की सहूलियत मिले, पूरे साधन मिलें और पूरे विकास के अवसर मिलें।

एक बात और मैं, माननीय सभापति जी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कुछ बेसिक मांगें हैं, जैसे चिकित्सा, एज्यूकेशन की है और पानी की है। हमारे राजस्थान में तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं इनमें भेदभाव देखते हैं। आज शहरों में सरकार स्कूल खोलती है तो सरकार बिल्डिंग बनाती है और अच्छा स्टाफ रखती है। जो अच्छे फर्स्ट क्लास टीचर्स होते हैं उनका एपॉइन्टमेन्ट वहां होता है क्योंकि वे शहरों में रहना चाहते हैं, लेकिन देहातों के स्कूलों के लिए न तो पूरे मकान हैं और न अच्छा स्टाफ है। जो स्टाफ है वह वह है जिसको कहीं भी जगह नहीं होती है तो उस आदमी को वहां जाना पड़ता है। वहां पर न तो मकान है, न पढ़ने के लिए साधन हैं, न बच्चों के रहने के लिए मकान हैं, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं उन बच्चों से जो उन परिस्थितियों में पढ़ते हैं?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारी चिकित्सा में आज आप देखें तो शहरों में जितनी सुविधाएं हैं और जो देहातों में चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनको आप देखें। वहां पर परकैपिटा

(श्री शिवनाथसिंह)

एक्सपेन्डीचर क्या है और यहां देहातों में परकैपिटा खर्चा क्या है, इसका मुलाहिजा करें। ऐसे क्षेत्र हैं कि 10-10, 15-15 मील पर डिस्पेन्सरी तक नहीं बड़े हॉस्पिटल का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसमें फिर राज्य सरकार क्या भेदभाव करती है कि जो नये डॉक्टर निकलते हैं, जिनको कोई एक्सपीरियेन्स नहीं होता है उनको कहती है कि तुम रूरल एरिया में जाओ। अगर ऐसे डॉक्टर रूरल एरिया में जायेंगे तो वह क्या वहां पर लोगों की सेवा करेंगे? उल्टे उनके वहां जाने से लोगों को एडीशनल तकलीफ होंगी क्योंकि गांवों और देहातों के अन्दर आदमी हैं, वह अशिक्षित आदमी होते हैं, वह लोग बीमारी को समझते नहीं हैं, बीमारी का उपचार किस प्रकार होता है, इसको वह समझते नहीं हैं। उनको इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन उनका इलाज करने वाला डॉक्टर आपने भेजा कौनसा है जिसको कुछ एक्सपीरियेन्स नहीं होता है और जो मरीजों पर एक्सपेरीमेंट करता है, और इस प्रकार जो लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करता है। उनको कहीं रखा ही नहीं जाय, यह मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा निवेदन है कि जिनको एक्सपीरियेन्स नहीं हुआ है ऐसे डॉक्टरों को केवल बड़े अस्पतालों में रखा जाय क्योंकि वहां पर बड़े डॉक्टर सब बातों को देखने वाले हैं वह उनको प्रशिक्षण देने वाले हैं। अगर उनके द्वारा कोई त्रुटि भी हो जायगी तो बड़े डॉक्टर वहां सम्भालने वाले मौजूद हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टरों को ऐसे क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों के आस-पास बीस मील, तीस मील में कोई हॉस्पिटल नहीं है, भेज दिया जाता है, उनसे गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक्सपीरियेन्स नहीं है इसलिए गलती होगी। इससे लोगों को परेशानी होनी है क्योंकि मैं निवेदन करूं कि गांव के गरीब आदमी होते हैं, वह लोग अशिक्षित होते हैं, बीमारी को समझते नहीं है और अगर कोई बीमारी हो जाये तो वह अस्पताल में जाते नहीं हैं जब तक कि वह बीमारी असाध्य नहीं हो जाय। जब कि शहर के आदमी हैं उनको थोड़ी सी बीमारी हो जाती है तो वह फौरन अस्पताल चले जाते हैं। इसलिए गांवों में नये डॉक्टरों को भेजने से अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो बीमार आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना हो जाता है। इस प्रकार इस सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भेदभाव कर रखा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि गांवों के साथ में इस सरकार की नीति भेदभावपूर्ण है। यह हो सकता है कि शहरों का इस सरकार पर दबाव हो उस दबाव के कारण ऐसा करते हों, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस भेदभाव को आप दूर करिये। और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की अधिक आवश्यकता है उसकी आप पूर्ति करिये।

तीसरी समस्या पानी की है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, इसलिए इस समय मैं इस प्रश्न के अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा और संकेत रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पीने के पानी की अव्यवस्था है उसको आप देखिये। आपने शहरों को तो पीने के पानी के सम्बन्ध में कवर कर लिया है, लेकिन गांवों को आप केवल पांच पर्सेन्ट ही कवर कर पाये हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न में भी इस सरकार का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण

(श्री शिवनाथसिंह)

है। गांवों में पीने के पानी का सवाल उत्पन्न होता है तो उसमें आप गांव के लोगों से कन्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं लेकिन शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या की ओर आप ध्यान दीजिये और इस समस्या को आप नहीं मिटायेंगे तो यह मेरे वश की बात नहीं है और न दूसरे के वश का रोग है। आपकी इस भेदभावपूर्ण नीति से गांव के लोगों में असंतोष बढ़ेगा और फिर उस असंतोष का निराकरण इस सरकार से नहीं हो सकेगा। आप देखिये कि बंगाल में आज क्या स्थिति है? वहां की जनता के द्वारा विद्रोह हो रहा है। उसका कारण यही है कि जो लोग सदियों से दबाये हुए थे, जो सदियों से पिछड़े हुए थे उनके क्षेत्र में जाकर दूर-दूर से पूंजीपतियों ने जाकर अपने को एस्टेब्लिश किया और पूंजी के बल पर उन लोगों को और दबाया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज उन लोगों के खिलाफ वहां विद्रोह हो रहा है और उन पूंजीपतियों को वहां से निकालने के लिए आवाज उठ रही है, आन्दोलन हो रहे हैं और उस आन्दोलन को दबाना मुश्किल हो रहा है। मेरा निवेदन है कि यह स्थिति यहां राजस्थान में न आ जाय इस लिए इस समस्या की ओर राज्य सरकार देखे और देखने के बाद इसका निराकरण करने की कोशिश करे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, हमारी कुछ ऐसी आवश्यकता की चीजें हैं उनको इस सरकार द्वारा रिलेलाइज नहीं किया गया है। आज इन्डस्ट्री इन्डस्ट्री में भेदभाव है, रोजगार-रोजगार में भेदभाव है और काश्तकारों के साथ भी भेदभाव की नीति है। खेतों में अधिक पैदावार हो इस को यह सरकार हरी क्रांति की संज्ञा देने लग गई है। लेकिन जो स्थिति है उसको हम देखते हैं कि अच्छी वर्षा हो गई, उसके कारण अच्छी फसल खेतों में हो गई तो आपकी यह हरी क्रांति सफल हो गई। लेकिन अगर एक साल ओला वृष्टि हो गई, वर्षा फेल हो गई तो आपकी हरी क्रांति भी फेल हो जाती है। इसलिए गांवों में खुशहाली आई है तो वह सरकार द्वारा दिये गये साधनों से नहीं आई है। वह इसलिए आई है कि आज जो अनाज की प्राइसेज हैं देश के अन्दर जो प्राइसेज हैं वह बढ़ गई हैं। आज किसान जो पैदावार करता हैं अगर वह बीस मन पैदा करता है तो अच्छी वर्षा होने के कारण डबल पैदावार करता है उस कारण से उनकी खुशहाली आई है। लेकिन इसके साथ हो आप देखिये कि जो किसान को अनाज की कीमत मिलती है, उसकी तुलना में जो उसके कन्जम्प्शन की चीजें हैं वह किस भाव से उसको मिलती है।

उनकी कीमतों का अनाज की कीमत से मुकाबला कीजिये कि उनकी कीमत कितनी बढ़ी है। किसान जो अनाज पैदा करता है उसकी दर है वह सरकार तय करती है, इसलिए किसान को उससे अधिक मूल्य नहीं मिलता है। यह सरकार किसानों के लिये तो अनाज की कीमत तय कर देती है, काश्त के ऊपर सीलिंग करती है लेकिन दूसरी ओर क्या स्थिति होती है, जिस वक्त वह फसल तैयार करता है उस समय उसका जो भाव होता है और जब फसल बोने का समय आता है तो फसल काटने और बोने के सीजन में कीमतों में कितना फर्क आ जा है। मैं समझता हूं कि कीमतों में बीस पच्चीस और पचास रुपये क्विन्टल का फर्क

(श्री शिवनाथसिंह)

आ जाता है। सरकार की इस तरह की नीति के कारण हम इसको कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकते हैं। इसलिये इस सरकार के द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिये यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वह जो अनाज पैदा करता है और जिस भाव से बेचता है उसको जरूरत के समय में अनाज उसी भाव से मिले। इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अनाज के व्यापार को अपने हाथ में ले और इस तरह का वातावरण बनाये, इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जो इस प्रकार प्राइसेज फ्लक्चुएट होती हैं तो भावों के अन्दर उतार चढ़ाव आते हैं वह उस प्रकार न आयें और प्रोड्यूसर को जो अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता है और जरूरत के समय उचित मूल्य पर नहीं मिलता है उसको उचित मूल्य पर दिलाने की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रूई की दर बढ़ जाती है, तो जो इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं वह कपड़े की दर भी बढ़ा देता है। इसी प्रकार से लोहे के भाव पहले से काफी बढ़ गये हैं, खाद के भाव पहले से काफी बढ़ गये हैं और दूसरी चीजों के भाव भी पहले से बढ़ गये हैं। इन बढ़े हुए भावों पर आज काश्तकार इन चीजों को खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसलिये सरकार भावों के ऊपर इस प्रकार नियन्त्रण करे कि कन्ज्यूमर को उचित मूल्य पर सब चीजें मिल जायं, साथ ही प्रोड्यूसर को भी प्रोड्यूस का उचित मूल्य मिल जाय। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दो तीन दिन पहले गंगानगर के सम्बन्ध में इस सदन में स्टेटमैन्ट दिया था, उस पर विस्तृत रूप से तो जब इस प्रश्न पर चर्चा होगी तब निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन उस स्टेटमैंट से कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि सिंचाई की रेट इस तरह से होगी, दो ढाई रुपये प्रति बीघा के हिसाब से होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लगान को आपने खत्म किया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन उसी हिसाब से, उसी दृष्टिकोण से देखें कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में क्या लगान ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बीस रुपये, बाइस रुपये, पच्चीस रुपये एक एकड़ का लगान सिंचित का है और बारानी का पांच रुपये से आठ रुपये तक का है। तो यह जो लगान की दर आपने कायम की है, सिंचित क्षेत्र की और बारानी की, उसकी लाइट में पूरे राजस्थान की रेट को रेशनेलाइज करें और पूरे राजस्थान में जो रेट्स हैं उनमें कितना अन्तर है इस पर दुबारा गौर करके जहां पर कम करने की आवश्यकता हो वहां पर कम करें, क्योंकि अब राजस्थान के किसानों में एक नया वातावरण बन गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर के किसान आन्दोलन ने किसानों की अगुवाई की है। मैं इस आन्दोलन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ अंशों में इसमें बुराई हो सकती है तो किन्हीं अंशों में इसमें अच्छाई हो सकती है, लेकिन राजस्थान के किसानों में अब आन्दोलन की एक नई प्रवृत्ति आई है जो आजादी के बाद से, बीस बाइस साल से दबी हुई थी क्योंकि

(श्री शिवनाथसिंह)

उनको आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आजादी के बाद, जब कि उससे पूर्व किसानों ने आन्दोलनों में भाग लिया था, स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लिया था लेकिन स्वतंत्रता के बाद भाग नहीं लिया क्योंकि देश के अन्दर लोकप्रिय सरकार बनी और पब्लिक के प्रतिनिधि सरकार में आये और सरकार ने गांवों की जनता की, शहरों की जनता की, और गरीब आदमियों की भावना की कद्र की, उसके हित के लिए काम किया इसलिए यह आन्दोलन की प्रवृत्ति खत्म हो गई थी लेकिन गंगानगर के किसान आन्दोलन के बाद में राजस्थान के किसानों के दिमाग में यह बात आ गई है कि गंगानगर के किसानों ने आन्दोलन किया तो उनको कुछ राहत मिली है। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में किसान बहुत दबे हुए हैं और उनकी भी दिक्कतें हैं। इसलिए समय रहते हुए सरकार उनकी दिक्कतों की ओर ध्यान दे और इस तरह का समय नहीं आने दे जिससे किसानों को आन्दोलन करना पड़े। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मजबूर होकर उनको आन्दोलन करने पड़ेंगे।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो डेजर्ट का सवाल है, डेजर्ट का जो एरिया है उस पर खर्च होता है तो वह खर्च होना चाहिये क्योंकि वास्तव में यह स्थिति है कि उनको तीस मील, चालीस मील तक पानी नहीं मिलता है। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंचाई के साधन हैं और वहां अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिए सरकार बांध बनाती है और उस पर खर्च करती है। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र राजस्थान में हैं जिनको न तो डेजर्ट कह सकते हैं और न सिंचित क्षेत्र कह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको साधन नहीं देना चाहते हैं? मैं इस बात को मानता हूं कि राज्य सरकार के पास जो साधन हैं वे सीमित हो सकते हैं लेकिन जो वहां लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको तो आप पूरा कीजिये। वह क्षेत्र मैं निवेदन करना चाहूंगा, शेखावाटी जैसे जिले में आते हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उदाहरण के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां अन्डरग्राउन्ड इतना जल है कि जिसका आप पूरा उपयोग कर सकें तो वहां काफी अच्छी उपज हो सकती है। मैं मानता हूं कि गंगानगर की जमीन अच्छी है, लेकिन यहां की जमीन उससे भी बेहतर है। यहां की जमीन भी वहां से कम अच्छी नहीं है अगर पूरा पानी मिले। यहां पानी की समस्या के लिए बार बार कहते हैं कि यहां पर नहर से सिंचाई नहीं हो सकती लेकिन मेरा निवेदन है कि नहर से सिंचाई भी ऐसे क्षेत्र में इम्पासिबल नहीं है क्योंकि कहीं से भी लिफ्ट इरिगेशन से पानी आ सकता है। लेकिन जब तक ऐसा इन्तजाम नहीं कर सकें जब तक वहां जमीन के नीचे जो पानी है उसके लिए आप कुए खोदने के साधन कीजिए, उन कुओं को बिजली दे दीजिये और उन पर पम्पिंग सेट लगवाइये और इस प्रकार सिंचाई के साधन उपलब्ध कीजिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से राजस्थान के भाग हैं जहां पर सिंचाई के साधनों को डवलप किया गया है और सिंचाई के साधन दिये गये हैं उससे उनका उत्पादन बढ़ सका है, उसी दृष्टि से

(श्री शिवनाथसिंह)

राजस्थान सरकार को इस इलाके की ओर भी देखना चाहिए । हमारा यह इलाका अभी तक इस सम्बन्ध में उपेक्षित है । हमारे लिए यह एक समस्या है क्योंकि आज आम आदमी आसपास से तुलना करता है, आप देखिये कि इस जिले से हरियाणा लगा हुआ है, वहां भी जैसी जमीन यहां है वैसी की वैसी जमीन है, वैसी ही पानी की समस्या है, वैसी ही सिंचाई की सुविधा है । लेकिन हरियाणा का भाग डवलप हो रहा है, जब लोग उससे तुलना करते हैं तो हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है । हरियाणा ने इतनी बिजली फैलाई है, इतने पानी के साधन फैलाये हैं और उस कारण से हमारे यहां के लोगों के अन्दर टेम्पटेशन की भावना उत्पन्न होती है, जो कि वाजिब है । मैं इस बात को मानता हूं कि लोगों में सरकार से हर तरह की मदद मांगने की भावना बढ़ी है वह गलत है लेकिन क्योंकि उनकी सही दिशा में मांग उठ रही है इसलिए आप उनको कुए आदि के लिए तकावी वगैरह देने के लिए प्रावधान रखिये, बिजली वहां तक पहुंचे, इसके लिए आप बिजली बोर्ड को यह राय दीजिये कि जहां पर भी सिंचाई के साधन कुए वगैरह हैं वहां बिजली दी जाय ताकि वहां के लोग अधिक उत्पादन कर सकें और अपना जीवनयापन कर सकें, वरना ऐसा समय आयेगा कि जहां पर सिंचाई के साधन हैं वहां के किसान तो आगे बढ़ जायेंगे और जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वह पीछे रह जायेंगे और इस प्रकार दूसरे जिलों के किसानों से वह कम्पीट नहीं कर सकेंगे । ऐसा भी समय आ सकता है इस कारण कि वह लोग अपने घर बैठ जायं, इससे प्रोडक्शन भी कम होगा । इसलिए किसानों की बराबरी को मेन्टेन करने के लिये इस क्षेत्र में भी सिंचाई के साधन बढ़ाये जायें, इस प्रकार की सुविधा दिलाई जाये ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, आशा है गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य नाराज नहीं होंगे । मैं मेरा दृष्टिकोण शुरू से रखता हूं और आज भी रखता हूं । गंगानगर का क्षेत्र उपजाऊ है वहां सिंचाई आदि के अधिक साधन मिलने चाहिए और अभी जो राज्य सरकार द्वारा उनको सहूलियत मिली हैं—उनका मैं स्वागत करता । लेकिन मेरा एक दृष्टिकोण है जिसको मैं अपने लिए कहता हूं, आज राजस्थान में ऐसी आम भावना बन गई है कि पूरे राजस्थान का रुपया लगता है गंगानगर में, गंग कैनाल में, भाखरा कैनाल में, राजस्थान कैनाल में रुपया लगता है—वैसे हमें इस बात का गर्व है कि ऐसी योजना बन रही हैं, भाखरा को जो दुनियां में सबसे बड़ी योजना में से एक है, मैं इसका गर्व अनुभव करता हूं लेकिन जहां तक रिटर्न का सवाल है, हमें देखना चाहिए कि जिस सदभावना से, उदार दिल से पूरा राजस्थान उस खर्चे को वहन करता है...

श्री दौलतराम सारण : आप समझते तो हैं नहीं । वह क्षेत्र सेल्स टैक्स के रूप में, आबकारी कर के रूप में करोड़ों रुपये का टैक्स के रूप में रिटर्न देता है । लेकिन इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं । और जैसा मुख्य मंत्री जी समझा दें, वैसा बोल देते हैं आंख मूंद कर । आप

(श्री दौलतराम सारण)
मेहरबानी करके इसको समझने की चेष्टा करें।

श्री शीशराम ओला : आप कहने दीजिये। जिस वक्त आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। आप इनको कहने दीजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आपको कहने दीजिये पहले अपनी बात। आपका वक्त आये तो आप भी कह दीजिये।

श्री शिवनार्थसिंह : दौलतराम जी का भाषण होगा तो वह मैं सुनूंगा, आप सुनने की कोशिश करें....

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान के लोग खर्चा बहन नहीं करते हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर पंजाब से लगा हुआ इलाका है, वहां भाखरा का पानी आता है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !!

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके लिए नहर खोदी गई है तो वह नहर लोगों की खुशहाली के लिए खोदी गई है न कि बरबाद करने के लिए। लेकिन इस सरकार द्वारा उनको बरबाद किया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के कथन को एक्सपंज किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कहते हैं कि गंगानगर के लोगों का ख्याल किया गया है, और बाकी के लोगों का नहीं—यह कहना अनुचित है। यह सही नहीं है।

श्री शिवनार्थसिंह : सभापति महोदय, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि गंगानगर के किसान आन्दोलन ने किसानों की अगुवाई की है....

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे जिले की प्रगति नहीं हुई है इससे ही काश्तकार असंतुष्ट हुए और राजस्थान सरकार ने उन पर जो टैक्स लगाया, और जो भ्रष्टाचार वहां पनपाया उस कारण ही आन्दोलन चला....

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के कथन को एक्सपंज किया जाय।

श्री शिवनार्थसिंह : मैं तो पहले ही कहता हूं कि राजस्थान के किसानों की गंगानगर के किसान आन्दोलन ने अगुवाई की है। इससे माननीय सदस्य चिढ़ते क्यों हैं। मैंने कहा है कि वह अगुआ बने हैं, उनको दाद दी है.......

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान के किसानों में, मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, डिवीजन पैदा हो और डिवीजन पैदा करके एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन बातों को आप भूल जाइये। सभापति महोदय, यह जो बात कह रहे हैं यह लोगों में भेद डालने की बात करने के लिए कह रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपके नेता इस तरह की बात कहते हैं इससे राजस्थान का कल्याण नहीं हो सकता। राजस्थान एक है, राजस्थान की जनता एक है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह लड़ाने की बात कह रहे हैं, इस तरह आपस में द्वेष फैलाने की बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य·······

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको बोलना है तो इस्तीफा देकर इधर आ जाओ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इधर आ जाओ न।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार मंत्री को नहीं बोलना चाहिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप इस प्रकार का कथन मुख्य मंत्री जी को सम्मिलित करके कह रहे हैं, यह कथन उचित नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्री जी भ्रांति पैदा करते हैं, गलत बात कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना बात कहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप किस तरह की बात कहते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : मैं कहता हूं कि गंगानगर के विकास के लिए जो कुछ किया है उससे उसका विकास हो और वहां के किसानों को सुविधा मिले, जैसा दौलतराम जी ने कहा कि राजस्थान एक है, राजस्थान के काश्तकार एक हैं, राजस्थान के सब आदमी एक हैं—मैं इसको मानता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान जिस प्रकार उदार दिल से खर्च करता है, और उदार दिल होकर उसका खर्चा वहन करता है उसी तरह से गंगानगर के किसानों को, गंगानगर के रहने वाले व्यक्तियों को भी अपना दिल विशाल बनाना चाहिए। वहां पर जमीन उपलब्ध हो काश्त के लिए और उसके वितरण का सवाल आये तो यह न कहें कि यह गंगानगर वालों को ही मिलनी चाहिए बल्कि राजस्थान के अन्दर जो ऐसे भूमिहीन हैं जिनको जमीन की आवश्यकता है उनको भी मिलनी चाहिए ताकि वह भी मेहनत करके अपना काम चला सकें।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर के भूमिहीनों को नहीं मिली, लेकिन शेखावाटी के लोगों को दो दो मुरब्बे जमीन मिली है।

एक माननीय सदस्य : आपकी जमीन कितने मुरब्बे है।

श्री शिवनाथसिंह : आपका मौका आये तो आप कह सकते हैं·······

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! बीच बीच में माननीय सदस्य को टोकें नहीं। आपका मौका आये तो आप कह सकते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गंगानगर के भूमिहीन लोगों को जमीन मिले उसमें प्राथमिकता दी जाय। इसका स्वागत करते हुए भी मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि राजस्थान के हर आदमी का वहां जमीन लेने का हक है जो वहां जमीन लेना चाहे और मेहनत करके उत्पादन करना चाहें। राजस्थान के सब भूमिहीन लोगों का हक है और उनको जमीन वहां मिलनी चाहिए अकेले वहां के लोगों ने उसका ठेका नहीं ले रखा है। आप देखेंगे कि गंगानगर के अन्दर जो

(श्री शिवनाथसिंह)

किसान हैं वे राजस्थान कैनाल पर मजदूरी का काम नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के दूसरे हिस्सों के मजदूर हैं वह वहां काम कर रहे हैं। जब राजस्थान नहर को खोदने का सवाल था तो उसके लिए राजस्थान के दूसरे हिस्सों से मजदूर वहां गये और वह लोग आज भी वहां मेहनत करते हैं, दिन रात अपने खून का पसीना बहाते हैं। उनको पहले जमीन देने का सवाल होना चाहिए। इसलिए जो सरकार की नीति है हम उसका विरोध करते हैं, राज्य सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार को यह निर्णय करना चाहिए कि राजस्थान के हर हिस्से के आदमी को वहां जमीन मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने मजदूर राजस्थान कैनाल और दूसरी कैनाल पर काम करते हैं, वह पिछले पांच सात साल से वहां मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए वह वहां के बाशिन्दे हो गये हैं, वहां बस गये हैं और वह भूमिहीन हैं, वह वहां मजदूरी करने के लिए गये उन रेतीले टीलों में, उन्होंने कड़कती धूप को नहीं देखा, दूसरी परेशानियों को नहीं देखा, उनका वहां पर घर नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है इसलिये जमीन के एलॉटमेंट के सवाल में उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन्होंने राजस्थान कैनाल के निर्माण के अन्दर सिर पर छबड़े में मिट्टी भर भर कर ढोई है। मेरा निवेदन है कि ऐसे भूमिहीन लोगों को सस्ती जमीन मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने जो निर्णय के अन्दर कहा है उसके साथ ही पूर्ण राजस्थान के सब भूमिहीन लोगों को वहां जमीन मिल सके— इसका सरकार प्रबन्ध करे।

मैं दो मिनिट और निवेदन करना चाहूंगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कुछ ऐसी समस्यायें जिनके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले भारत और चीन के संघर्ष के समय के अन्दर जो सैनिक हताहत हुए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे उनके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि उनको जमीन मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम एलॉटमेंट के आदेश आ गये हैं लेकिन कम से कम पचास पर्सेन्ट आदमी ऐसे हैं जिनको जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है। और उनके पास ऐसे आदेश आये हैं कि निश्चित अवधि में कब्जा नहीं लिया गया तो उनका एलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जायगा। मेरा निवेदन है कि इस मामले में राज्य सरकार देखें और भले ही उनको दूसरी इमदाद न मिले लेकिन राज्य सरकार के आदेश से जिन लोगों को एलॉटमेंट हुआ है, मृत सैनिक की विधवा या आश्रितों को और उनको जमीन का कब्जा नहीं मिले, और कोई कब्जा नहीं ले उसकी वजह यह हो कि विधवा या जो उनके बच्चे हैं वे बोर्डर पर जाकर नहीं रह सकते हैं—इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और ऐसी व्यवस्था करे ताकि जिनको एलॉटमेंट हुआ है उनको जमीन पर कब्जा करने दिया जाय। साथ ही जो इस प्रकार के कैन्सलेशन के आदेश निकले हैं उनको भी वापिस लिया जाय।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय ...

श्री सभापति : समाप्त कर दिया ?

श्री शिवनाथसिंह : नहीं। मैं बजट के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना

(श्री शिवनाथसिंह)

चाहता हूं। हम जुडिसियरी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और देखना चाहिए लेकिन मेरा निवेदन है कि जुडिसियरी में भी लोग असंतुष्ट होने लगे हैं वह इसलिए कि उनके हर काम में इन्टरफियरेन्स होता है। हमारे यहां जुडिसियरी में डिस्ट्रिक्ट जज का कैडर है उसमें पांच सीनियर स्केल की पोस्ट हैं, लेकिन हाई कोर्ट की रिकमन्डेशन होने के बाद भी सीनियर पोस्ट नहीं मिलती है इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए राजस्थान सरकार इस विषय में देखे कि जिन लोगों का राइट ड्यू है उनको वह मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आयन्दा जब बजट बनायें तो गरीब आदमियों का तबका ऊंचा उठाया जा सके-और जरूरतमन्द लोगों को बढ़ावा मिल सके इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार विचार करे।

श्री सभापति : जैसा आपने अपने भाषण में कहा है।

श्री मदनसिंह दांता। (विराम)

श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा आज जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, विशेष तौर से प्रदेश की सुरक्षा के लिए जब इस सदन में बार बार चर्चा उठानी पड़ती है तो आश्वासन मिलता है कि सीमा सुरक्षा केन्द्र पर निर्भर है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं जब यह भारत पराधीन था उन दिनों में भी हर रजवाड़ा अपने अपने स्टेट की सुरक्षा अपने हाथ में रखता था जिससे काफी सुरक्षा की सामग्री पर अपना व्यय करने के कारण कोई भी अपने विरोधी को खत्म करने में, या कोई भी जनता की परेशानियों को दूर करने में, या जो जनता की प्रोपर्टी हो उसको नुकसान से बचाने में या आतताई से निबटने में अपनी पूरी शक्ति लगाने में समर्थ नहीं रहता था। आज जो बजट है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान कैनाल के लिए धनराशि रखी गई है वह सर्वथा अनुचित है....

श्री दौलतराम सारण : अनुचित नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : और सुरक्षा के साधन हैं। इस राजस्थान कैनाल से राजस्थान प्रदेश की उन्नति हो सकती है और उन्नति होने के साथ साथ सीमा की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन इस समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार के लिए एक दृष्टान्त याद आता है। एक दफा यमराज विष्णु की सभा में आये, जिस प्रकार हमारे मंत्री केन्द्र में जाते हैं वहां इन्द्र जी की सभा में सम्मिलित होने के लिए और वहां जब एक दरवाजे के ऊपर एक कबूतर को देखा तो यमराज जी हंसने लगे उस वक्त कबूतर ने कम्पायमान जी हो कर गरुड़जी से कहा कि आज यमराज ने मेरी तरफ दृष्टि क्यों फेंकी, यमराज जी ने मेरी तरफ दृष्टि रखी इससे निश्चित है कि आज निश्चितरूप से मेरी मौत है इसलिये कृपा करके मुझे आप ऐसी सीमा पर जो इस प्रदेश से बहुत दूर हो वहां छोड़ दीजिये ताकि मैं यमराज से बच सकूं। गरुड़ ने उस कबूतर को अपने पंखों पर बैठाया और उड़ कर क्षण भर में ही उसे सुमेरू पर्वत पर छोड़ दिया। पर वहां पर भी बिल्ली थी, वह बिल्ली उस कबूतर को खा गई।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

विधि विधान को मानने वाले व्यक्ति कभी राजनीति में उत्थान नहीं कर सकते। वे तो सदा यही चाहते हैं कि कैसे सम्पत्ति इकट्ठी करें, कैसे हम सुरक्षित रहें। जैसे वह कबूतर यमराज से बचने के लिये सुमेरु पर्वत की तरफ भागा ठीक उसी तरह से राज्य सभा के चुनाव आते हैं तो लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं। यह उस कबूतर के माफिक भागना ही है। चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्य मंत्री हों उन्हें देश की सुरक्षा की तरफ देखना चाहिये।

आज शिक्षा की तरफ इतना खर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि 90 प्रतिशत तो अध्यापकों को देने में खर्च हो जाता है। ठीक है अध्यापकों को दें पर इससे विद्या का प्रसार कितना हुआ। जो किताबों की प्रणाली है, जो आज कोर्स है, वह इतना है कि बच्चों में इतना दिमाग नहीं कि उनको पढ़ सकें। आज बच्चों के ऊपर टैक्स्ट बुक्स का कितना भार है। 1922-23 और 37 तक स्कूलों में दो तीन ही सब्जेक्ट थे पर आज देखिये बच्चों पर कोर्स की किताबों का कितना बोझा है। आज देश में अंग्रेजी को हटाने की बात की जाती है फिर भी अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं। मिशनरीज की जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें आप अपने बच्ची-बच्चों को भेजते हैं, आपके बच्चे मौजे पहनते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, बसों कारों में आपके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, आप कहते हैं कि वहां हमारे बच्चे अच्छी सभ्यता और संस्कृति सीखते हैं। अच्छा है आपके बच्चे अच्छी सभ्यता और संस्कृति सीखते हैं। पर उनको हिन्दी का ज्ञान नहीं होता है। आप इंगलिश मीडियम रखते हैं, यह उचित नहीं है। वैसे आप ज्ञान के लिये अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, जर्मनी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को फ्रेंच पढ़ा सकते हैं, पर उन्हें हिन्दी का भी ज्ञान होना चाहिये। राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखने से पता चलता है कि यह सब अरबों से ऊपर आंकड़े चले जाते हैं और यह कागजात में ही रह जाते हैं, जनता को कोई फायदा नहीं मिलता है। आपने ओल्ड एज पेन्शन को 20 रुपये से 30 रुपया कर दिया पर जो आपके इन्स्पेक्टर्स हैं वे जांच करने जाते हैं और उस समय वह बुड्ढा व्यक्ति या बुढ़िया महिला जिसने ओल्ड एज पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है कहीं बाहर गये हुए हों, चाहे अस्पताल में ही दवा लेने के लिये गये हुए हों तो आपके इन्स्पेक्टर कहते हैं कि जरूर यह वृद्ध व्यक्ति कहीं न कहीं कमाने के लिये काम पर गया हुआ है, यह बुढ़िया जरूर कहीं बर्तन मांजने, चौका बर्तन करने के लिये काम पर गई हुई है। जोशी जी यह आपके सुनने की बात है मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ओल्ड एज पेन्शन का प्रार्थना पत्र आने पर प्रार्थी के सम्बन्ध में जांच करने के लिये आपके इन्स्पेक्टर्स जाते हैं तो विशेष ध्यान नहीं देते हैं, अगर कोई 60-70 वर्ष का बुड्ढा व्यक्ति किसी काम से घर के बाहर गया हुआ हो तो ये आपके इन्स्पेक्टर कहते हैं कि यह बुड्ढा जरूर कमाने के लिये गया हुआ है। आप ही ख्याल करिये कि 60-70 वर्ष का बुड्ढा, कमजोर व्यक्ति आखिर क्या कमायेगा! इसलिये आप समाज कल्याण विभाग के इन्स्पेक्टर्स को इस प्रकार की हिदायत दीजिये कि अगर उन्हें प्रार्थी एक बार जाने से घर पर नहीं मिले तो, दूसरी दफा, तीसरी दफा जांच करने उसके घर पर जायें।

अब मैं थोड़ा सा निवेदन आवास के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। आज आवास

(श्री भगवानदास शास्त्री)

की बड़ी कठिन समस्या है। राज्य सरकार को चाहिये कि जहां पैसा लगाने की आवश्यकता है, वहां पैसा लगाये। अधिकारियों के लिये बराबर सदन में चर्चा होती रहती है। वे भी इस प्रदेश के निवासी हैं, इस प्रदेश के अंग हैं। उनके लिये भी आवासों की व्यवस्था होनी चाहिये और इस तरफ सरकार को ध्यान दे कर समुचित आवास की व्यवस्था करनी चाहिये।

तीसरी बात मैं रोजगार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो समाजवादी व्यवस्था की रट लगा रखी है कि हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। लेकिन वह समाजवादी व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि लोगों को बिना किसी पक्षपात के, बिना भेदभाव के सर्विसेज दी जाय रोजगार दिया जाय। आज जो लखपति घराने हैं, उनमें 5 आदमी हैं तो पांचों के पांचों ही कमाते हैं पर आज से 20 साल पहले अच्छे घराणों की औरतें सर्विस नहीं करती थीं। आज जो लोग खरबपति बन गये हैं, अरबपति बन गये हैं तो भी उनकी औरतें, लड़कियां सर्विसेज के लिये एप्लाई करती हैं और आज देश में यह हाल हो गया है कि जिनके बैंकिंग होता है, उनको सर्विसेज मिल जाती हैं और जिनके बैंकिंग नहीं होता है वे सर्विसेज से बंचित रह जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे ग्रेज्युएट्स ने सर्विस नहीं मिलने के कारण, रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्याएं की हैं। यहां के योग्य और काबिल पढ़े लिखे लोगों को जिनके पीछे कोई बैंकिग नहीं होती हैं, सर्विसेज नहीं मिलती हैं और मजबूर हो कर वे लोग विदेशों में चले जाते हैं। विदेशों में उन्हें अपनी उन्नति करने का, आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है, सर्विसेज मिल जाती हैं काम मिल जाता है और वे युवक विदेशों की युवतियों के साथ शादी करके वहीं विदेशों में आबाद हो जाते हैं। इस प्रकार के स्केन्डल्स भारत के लिये कलंक हैं। यहां के अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स विदेशों में जा कर विदेशी कन्याओं से शादी करके विदेशों में ही बस जाते हैं और विदेशों की सेवाएं करते हैं। उनकी शिक्षा पर सारा खर्चा देश का हुआ और शिक्षित हो कर वे विदेशों को सेवाएं देते हैं यह हमारे लिये विचारणीय विषय है। जो काबिल हैं उनको बिना किसी पक्षपात के योग्यता के अवसर पर सर्विसेज में स्थान दिया जाना चाहिये।

इन्जीनियर्स की बेरोजगारी का आज बड़ा बुरा हाल है। दो सौ ढ़ाई सौ रुपयों की सहायता इन्जीनियर्स को दी है, वह आपकी केवल घोषणा ही नहीं रह जाय। पंजाब की घोषणा के माफिक इन्जीनियर्स, ओवरसियर्स को रोजगार दिया जाय।

चौथी बात मैं अनाज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो अनाज यहां हमारे देश में पैदा होता है, उसका तो विदेशों को निर्यात होता है और विदेशी सड़ा गला गेहूं जिसमें कोई ताकत नहीं, विटेमिन्स नहीं वह हमें दिया जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयातित गेहूं को खत्म किया जाय। विदेशों से जो हमारे यहां अनाज मंगवाते हैं, उससे हमारे ऊपर बड़े दवाव आते हैं, जिससे हमारे देश को कमजोर बनना पड़ता है, विदेशों के सामने सिर झुका कर हमें भीख मांगनी पड़ती है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह : (दांता रामगढ़) सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से राजकीय वित्त के सम्बन्ध में बजट प्रस्तुत किया उस समय से राजस्थान की जनता एक टकटकी लगाये देख रही है कि किस-किस का भाग्य सुधरेगा, किस तरह से आगे जा कर वित्त का वितरण होगा। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। सभापति महोदय, बीस बाईस वर्ष के राज्य के बाद में अब तो सरकार को सम्भलना चाहिये कि क्या बात है कि कहीं सड़क पूरी नहीं हुई, कहीं तालाब पूरे नहीं हुए, कहीं जनता की और मांगें पूरी नहीं होतीं, स्कूलें पूरी नहीं होतीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर केबिनेट लेवल पर यह राजस्थान का सारा फंड कन्सोलिडेट हो कर यह देखा जाय कि एक इलाके में जहां सड़क के काम में अधूरा काम हो रहा है, वहां सम्पूर्ण शक्ति लगा कर बिलकुल ठीक सड़क एक जगह बना दी जाय।

जहां तालाबों की जरूरत है, जहां पानी नहीं है, जैसे आज जैसलमेर में पानी नहीं है, 10-12 वर्ष से वहां पानी की मांग है अगर सम्पूर्ण शक्ति लगा कर पूरा व्यय जैसलमेर में किया जाय तो वहां अन्न नहीं तो घास और हरी चीजें पैदा हो सकती हैं। और यह सारी चीजें हो सकती हैं यदि वह खर्चा इन पर हो जो कि स्कूलों में करने जा रहे हैं। आज जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है यहां पर शिक्षा की प्रगति बड़ी अच्छी हो रही है, एजूकेशन के लिए स्कूल काफी अच्छी संख्या में चल रहे हैं ऐसी हालत में केबिनेट लेवल पर डिसीजन होना चाहिए कि राजस्थान में कौन से इलाके ऐसे हैं जहां शिक्षा की तरक्की नहीं हुई है, कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्कूलों की कमी है, कौनसे इलाके में अनपढ़ लोग ज्यादा हैं—जो ऐसे इलाके हैं उनके अन्दर सम्पूर्ण शक्ति को साल दो साल के लिए लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि कम से कम दो जगह जो राजस्थान में ऐसी आदर्श होंगी जिनको हिन्दुस्तान के सब जगह के लोग देखने आयेंगे कि यह एरिया सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, वहां अब गांव-गांव में स्कूल हैं और घर-घर के हर एक व्यक्ति स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, आधे स्कूल सीकर में, दो हिस्से झुंझुनू में और एक हिस्सा उदयपुर में कर देते हैं और दूसरी जगहों के लिए कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले पांच चार साल से लगातार अकाल ने सरकार को पैसे से मजबूर कर दिया है, इस कारण जो डवलपमेंट होना चाहिए था वह डवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भी फंड सरकार के पास हैं उनका यूटिलाइजेशन इस प्रकार से हो जिससे जहां आवश्यकता है वहाँ काम हो। आज अजमेर के अन्दर, जयपुर के अन्दर स्कूलों की संख्या अच्छी है वहाँ पर तो दो दो लाख रुपये खर्च करके और स्कूलों का निर्माण होता है लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके हैं वह वैसे ही रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि पांच साल के लिए स्कूलों का प्रबन्ध, सड़कों का प्रबन्ध, बिजली का प्रबन्ध राजस्थान के पिछड़े इलाकों में किया

(श्री मदनसिंह)

जाय और वहां पर सबका प्रबन्ध हो तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे अजमेर, जोधपुर और जयपुर के लोगों को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। उनको यह शिकायत नहीं हो सकती है कि हमको बिजली नहीं मिलती है, उनको यह शिकायत नहीं हो सकती है कि हमको नल नहीं मिलते हैं, उनको यह शिकायत नहीं होगी कि उनके यहाँ एजूकेशन के लिए कुछ नहीं किया जाता है। इसलिए सम्पूर्ण जो धनराशि है उसका इस ढ़ंग से वितरण करें तो मैं कह सकता हूं कि एक दो साल के अन्दर राज्य सरकार इतनी कामयाब हो सकती है जितनी कि दस साल में भी नहीं हो सकती।

इसी तरह से मैं किसानों की एक समस्या के सम्बन्ध में, छोटी सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आप बड़े-बड़े बांध बनाते हैं, वह बुरी चीज नहीं है। लेकिन जो आलरेडी बने हुए हैं उनका हम देखते हैं क्या नतीजा हो रहा है। इसके सम्बन्ध में आपको सोचना है। जहां पर अच्छी जमीन है वहाँ पर कुए खोदे जायं या तालाब बना दिये जायं तो मैं समझता हूं कि वहाँ अच्छा रिजल्ट आयेगा। इस सदन में मैं कह रहा हूं कि दांता रामगढ़ का इलाका है उसके सम्बन्ध में बहुत कम लोग जानते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर का एरिया है वह जानते हैं। दांता रामगढ़ से अनाज खाचरियावास तक जाता है, वहाँ का बैस्ट सीड है। आप देखेंगे कि वहाँ खाचरियावास से अच्छी क्रॉप है। लेकिन हमारे वहाँ पर कुए इतने कम हैं, लेकिन फिर भी लैण्ड से प्रॉडक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है। वहाँ पर अकाल कम पड़ता है. वर्षा समय पर हो जाती है। इतना उपजाऊ एरिया है कि वह काफी इम्प्रूव हो सकता है अगर एक साल वहाँ पर कुए आदि के लिए तकावी दे दी जाय। मैं कहता हूं सरकार को कि आप वहाँ खेती को बढ़ाने के साधन दीजिये, आप स्कूल हमें मत दीजिये, सड़कें हमें मत दीजिये, लेकिन इस इलाके में खेती हो सकती है अच्छी इसलिए उसके साधन दे दीजिये। आप एम. एल. एज. से पूछ कर और सब चीज उनको दे दीजिये, सड़कें जिनको पसन्द हैं उनको सड़कें दे दीजिये, लेकिन हमें आप सड़कें मत दीजिये, हमें तो आप खेती के साधन दे दीजिये। स्कूलों की जिनको जरूरत हो उनको स्कूल दे दीजिये। मैं समझता हूं कि आप इस तरह से हर चीज का वितरण करें तो सारे राजस्थान को कवर कर सकते हैं। लेकिन आप अभी क्या करते हैं कि पाँच लाख तो जैसलमेर को और ढ़ाई लाख दांता रामगढ़ को, इस कारण वहाँ काम नहीं होता है, दोनों जगह ही पैसे की कमी रहती है और दोनों इलाके ऐसे ही रह जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर केबिनेट लेवल पर विचार किया जाय और एम. एल. एज. को भी बुलवा लिया जाय और उनके कामों के बारे में कन्सेन्ट ले ली जाय, तो मैं समझता हूं कि जल्दी सब जगह की तरक्की हो सकती है और आयन्दा आने वाले अकाल का मुकाबला भी किया जा सकता है।

आज हम बाढ़ पीड़ितों की बात करते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने में करोड़ों रुपया खर्च हुआ। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि दांता के अन्दर बाढ़ पीड़ित आज भी यों के यों बैठे हैं। मंत्री

(श्री मदनसिंह)

महोदय ऑर्डर दे चुके हैं, रिपोर्ट आये साल वहाँ से मांगते रहते हैं और मंत्रियों के बराबर भाषण होते रहते हैं। मुख्य मंत्रा जी ने मंत्री महोदय को भी डेप्यूट कर दिया कि वह एरिया देखें। लेकिन मेरे इलाके के जो हरिजन हैं, मेरे मकान के इर्द गिर्द आज भी ढाई सौ हरिजन बाढ़ पीड़ित बैठे हुए हैं। दूलनाथ, जोगणियाँ की ढाणी, चारणों की ढाणी-वहाँ पर काश्तकार बैठे हुए हैं जिनके घर बरबाद हुए हैं, जिनकी खेती बरबाद हुई है। लेकिन उनको कोई मदद नहीं दी है। मेरा निवेदन है कि जहाँ पर सही चीज पुराणी हैं वहाँ पर उसकी पूर्ति करें तो लोगों के सामने डिफीकल्टी नहीं आये और जगह-जगह अच्छा प्रबन्ध हो सकता है।

दूसरे मैं लगान के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक मैंने किशनगढ़ स्टेट के बारे में निवेदन किया था कि वह आज ए. श्रेणी में आता है, जहां बी. श्रेणी की नहर आती है वहां किशनगढ़ को किस लिए ए. श्रेणी में माना है। आप ताज्जुब करेंगे, अजमेर का इलाका है यहां पर अच्छी खेती होती है और अच्छी नहर है, और अच्छे गांव हैं लेकिन उसको थर्ड श्रेणी में माना है। लेकिन अजमेर के गांव किशनगढ़ में आ जायें तो उनको ए. श्रेणी में मानेंगे। मुख्य मन्त्रीजी ने इस मामले को राजस्व मन्त्री के पास भेजा कि कम से कम काश्तकारों के साथ इस प्रकार का भेद भाव क्यों किया जाता है। दूसरे जो एरिया हैं, गंगानगर का इलाका है, झुंझुनूं का इलाका है, सवाई माधोपुर का इलाका है, मालपुरा का इलाका है मालपुरा से अगर मन्त्री महोदय जीत जायें तो उनको वहां सुविधा हो जायगी लेकिन मालपुरा का एरिया किशनगढ़ के बिल्कुल एडजोइनिंग है, मालपुरा का गांव किशनगढ़ में आ जाय तो उसको आप ए. श्रेणी का मानेंगे और किशनगढ़ का कोई गांव मालपुरा में आ जाय तो क्योंकि वहां से मन्त्री महोदय जीते हैं इसलिए वह थर्ड श्रेणी में चला जायगा। इस प्रकार का भेद भाव रखना उचित नहीं है। ऐसी चीजें चलती हैं उसके कारण आन्दोलन होते हैं तब विचार होता हैं। मैं समझता हूं कि जो सीधी सादी चीजें हैं, जिनको आप समझ सकते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। इसके अलावा सीलिंग का क्राइटेरिया है, जमीन का सवाल है तो चाहे वह किशनगढ़ का हो, चाहे मालपुरा का हो, चाहे झुंझुनूं तो उन पर एक ढंग से विचार हो तो मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और किसान भी भरोसा रखेंगे सरकार में और यह सोचेंगे कि यह रेवेन्यू अधिकारी हैं इनके द्वारा हमारे साथ न्याय होता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मसलों पर विचार होना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से किसानों में एक प्रवृत्ति पैदा होती है कि गंगानगर में आन्दोलन हुआ तो सरकार ने उनकी बात मानी। इससे किशनगढ़ के लोगों में भी विचार उत्पन्न हो सकता है कि सरकार आन्दोलन से बात मानती है। मैं समझता हूं कि चाहे आप एग्री न करें लेकिन राजस्थान के किसान जो बीस साल से सरकार के अन्दर श्रद्धा रखते थे, पार्टी में रखते थे वह अब नहीं रही है क्योंकि अब पार्टी अलग-अलग हो गई हैं, कोई बी. के. डी. के रूप में हो गई है, कोई स्वतन्त्र पार्टी के रूप में हो गई है, कोई नई कांग्रेस के रूप में हो गई है और कोई कांग्रेस के रूप में, और सब किसानों

(श्री मदनसिंह)

को अपनी-अपनी ओर खींच रहे हैं। लोग अब यह समझने लग गये हैं कि पहले कांग्रेस हमारा इस्तेमाल करती थी वह इसलिए कि उनसे वोट प्राप्त करके जागीरदारों का सफाया कर दे, अब जागीरदारों का तो सफाया हो गया, लेकिन अब किसानों को अपनी ओर खींचना है तो उनके साथ आपकी हमदर्दी होनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए।

दूसरा मसला हरिजनों के बारे में है, इसके बारे में मैं ही नहीं कई लोग हरिजनों के लिए कह चुके हैं। हरिजनों को सुविधा पहुंचाने के लिए अभी तक कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। जैसा मन्त्री महोदय कहते हैं, वैसा आप हमें मत कहिये कि हम रात में जाकर उनके फार्म भरा कर लायें। आपके पास जीप है, आपके आदमी हैं उनको समाज कल्याण की मद से पैसा देते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आदमी हैं लेकिन वह 31 तारीख को कहते हैं कि हमारा पैसा लेप्स हो जायेगा। आप कहें तो विधान सभा का ठाकुर, मदनसिंह पांच हजार आदमियों के फार्म भरवा कर दे सकता है, लेकिन जीप दीजिये, साथ में ऑफिसर दीजिये जो फार्म भर कर मेरे साथ चले तो वहीं पर फार्म भरा कर दे दूंगा और फार्म भरने के बाद वहीं पर आप हरिजनों को सहायता दे दीजिये। दांता-रामगढ़ के लिए आप आज बता नहीं सकते हैं कि कितनी सहायता आपने मकानों के लिए दी है। जो हरिजन अकाल और बाढ़ से पीड़ित हैं वह सैंकड़ों की तादाद में जयपुर की सड़कों पर पड़े हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को इतना लाइट तरीके से न लें। आप मन्त्री हैं, आपको विश्वास के साथ में यह पोर्टफोलियो दिया है इसलिए आप को घूम घूम कर काम करके यह तसल्ली देनी चाहिए कि आपने हरिजनों के लिए कुछ तसल्ली देने लायक काम किया है।

हरिजनों को जमीन का अलॉटमेंट होता है। मैं खुद अलॉटमेन्ट कमेटी में जाता हूं, हरिजनों को आज जमीन मिलती है लेकिन उनका कब्जा नहीं होने देते हैं। मेरा सजेशन है कि आप हरिजनों के साथ में फौजियों को ले लिजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप हरिजनों के साथ फौजियों को रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति उनकी जमीन को हाथ नहीं लगा सकेगा। हरिजन अकेले होते हैं तो उनको गांव से निकाल देते हैं और जो सरकार की जमीन उनको अलॉट होती है उस पर किसी की दो गायें भी चरती हैं तो वह कहता है कि यह गऊ चराने की जगह है। और वह लोग तहसीलदार की भी बात नहीं मानते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में अर्ज किया था और मुख्य मन्त्री जी ने भी विश्वास दिलाया था, लेकिन असेम्बली लेवल पर तय हो जाता है तो भी हरिजनों को जमीन नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर 10 हरिजनों के साथ दो फौजियों को रखेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा साथ ही वह उनको गाइड करेंगे, खेती के काम में गाइड करेंगे और वह बोर्डर पर रहेंगे तो कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। फौजियों के दिल में दर्द होता है। वह लोग कोई जाति पांति नहीं मानते हैं। वह हरिजनों को हरिजन नहीं मानते हैं। वह सब को एक साथ मानते हैं। दांता रामगढ़ में जहां पर भी फौजियों के साथ हरिजन रह रहे हैं वहां पर उनके सामने

(श्री मदनसिंह)

कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आराम से खेती कर रहे हैं। जितनी जमीन हरिजनों को मिले, कम से कम आप उसके लिए मेरा यह सुझाव मान लें तो अच्छे परिणाम होंगे। इसके अलावा आपने फौजियों को जमीन देने का वायदा किया है, उसमें एक्स-सर्विसमैन आते हैं लेकिन अब रेगुलर आदमी हमारे पास आते हैं तो हमको दुःख पहुंचता है। हमें दुःख पहुंचता है अगर वह हमारे पास अनावश्यक रूप से आयें। लेकिन आज सोल्जर्स बोर्ड होते हुए भी कोई सुनवाई नहीं होती है। उनके मंत्री बैठे हुए हैं, सोल्जर्स बोर्ड का गठन भी हुआ है, लेकिन परिणाम क्या है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। यह अच्छी परम्परा नहीं है कि फौज में काम करने वाले व्यक्ति हैं वह हम लोगों के पास आने लगें। मैं आपको निवेदन करूं कि आज फौजी जब गांवों में जाते हैं तो वर्षों के बाद भी गांवों में वही उनकी झोंपड़ियां हैं। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि हरिजनों को जमीन का अलॉटमेंट करने के साथ फौजियों को भी सम्मिलित कर लिया जाय। वैसे हरिजनों के अन्दर भी आज फौजी होते हैं।

मेरा सुझाव एक और था अगर मंत्री महोदय मानें तो। हरिजनों को जमीनों के अलॉटमेन्ट के लिये अलॉटमेन्ट कमेटी का प्रावधान न रख कर केवल कलेक्टर, फौजियों का आदमी और हरिजनों के प्रतिनिधि उसमें लिये जायें क्योंकि अलॉटमेन्ट में बहुत गड़बड़ी होती है। और हरिजनों को जमीनें नहीं मिलती हैं। यदि आपको हरिजनों को फैसिलिटी देनी है तो आप यह मामला कलेक्टर के ऊपर ही छोड़ दीजिये। वह पक्षपात नहीं करेगा और सही ढंग से अलॉटमेन्ट करेगा। कभी एम. एल. ए. नहीं जाते हैं और कभी कुछ। उनके पास खड़े हैं, खाते हैं, जमीनों के नक्शे हैं, तहसीलदार, पटवारी और बी.डी.ओ. और कलेक्टर के लेवल पर उनको जमीनें मिले तो जल्दी मिल सकती हैं। पुलिस से [illegible] को सहायता मिले। थाने में हरिजन आते हैं तो उनको धकेल दिया जाता है। मैंने यह व्यवस्था बतलाई है। आप व्यवस्था कर लें, निश्चित रूप से हरिजनों को डिफीकल्टी नहीं होगी।

गंगानगर जिले के जमीन के वितरण की बात रखो। शेखावाटी के लोगों को ज्यादा मुरब्बा दे दिया। जो हक के मुरब्बे हैं उनके सम्बन्ध में तो किसी की दो राय नहीं होनी चाहिये। असंतोष बढ़ाने की किसी की मंशा नहीं है।

फिर से मंत्री महोदय को निवेदन करना पड़ेगा कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान अधिक रखें उनकी तरफ। हरिजनों को विश्वास हो जाये कि डिपार्टमेन्ट काम कर रहा है और डिपार्टमेन्ट के भी थोड़ा मंत्री महोदय कान खींच दें तो हरिजनों के साथ सहानुभूति बताने लग जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री नाथूराम बागीडोरा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): सभापति महोदय, राज्य की संचित निधि से 31 मार्च, 1970-71 तक के लिये 418,00,90,000) की राशि मांगी गई

(श्री नाथूराम)

है उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी कुछ सुझाव दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जैसे कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं आदिवासी और हरिजन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाना चाहिये, भू-राजस्व और सैटलमेंट के बारे में मैं पहले निवेदन करूंगा।

वैसे कई जिले ऐसे हैं जिनमें आजादी के पहले सैटलमेंट हुआ था। बांसवाड़ा जिले में आजादी के बाद सैटलमेंट नहीं हुआ है। और कई वर्षों से सैटलमेंट की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक सैटलमेन्ट नहीं होने से वहां पर भूमि का हेर फेर कई तरह से हुआ है। कई लोगों ने नाजायज कब्जे किये हैं और जमीन का अलॉटमेंट हुआ भी तो जमीन का कब्जा भी नहीं मिला। आदिवासी क्षेत्र में सैटलमेंट जल्दी हो जाना चाहिये लेकिन अब तक नहीं होने से काफी गड़बड़ी हुई है। रियासतों के जमाने से सैटलमेंट की दरें चली आ रही हैं। राजस्थान में अलग अलग दरें हैं। इसलिये बांसवाड़ा जिले का जल्दी से जल्दी सैटलमेंट हो जाना चाहिये। उदयपुर जिला और दूसरी जगह जहां पर भी सैटलमेंट नहीं हुआ हो वहां पर सैटलमेंट करवा कर जमीनों की बराबर दरें लानी चाहिए। जो नौतोड़ जमीनें थीं वह आबाद हुई हैं। काश्तकारों ने खून पसीना एक करके जमीनों को तोड़ा है। कई जगह आठ आना एक रुपया दर है। लेकिन बांसवाड़ा जिले में 8) रु० और 10) रु० असिंचित जमीन की भी रेट है। सिंचित जमीन की तो बहुत दरें बढ़ी हुई हैं इसलिये दरों के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार को एक जानकारी और देना चाहता हूं। सैटलमेन्ट में 25 लाख की बचत बतायी गयी है। अमीनों की कमी बतायी। गजेटेड और बाबुओं की कमी नहीं की गई है। प्रशासन में फिजूल खर्ची ही रहा है। अमीन लोग तो काम करने वाले हैं उनकी कमी नहीं करनी चाहिये। पटवारियों की जगह पर भी उनको काम पर लगाना चाहिये था। नयी भर्ती नहीं होती है और पुरानी की कमी कर दी गयी है। अमीन तो सैटलमेन्ट में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हटाने से काफी निराशा होती है। दूसरे काम पर लगायेंगे तो काफी आर्थिक लोस होता है। इसलिये अमीनों को न हटाया जाकर उनको पटवारियों की जगह पर ही लगाया जाय।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 54-55 से विचार करते-करते तो सन् 1960 में आपने सीलिंग का कानून बनाया और उसको पास किया लेकिन उसको अब तक आपने लागू नहीं किया है। भूमिहीन किसान दुष्काल में वर्षा की प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार भूमिहीन किसान सोचता है कि सीलिंग का कानून लागू होगा और भूमिहीनों को भूमि मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस कानून को लागू नहीं किया और जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने अपने परिवार के अलग अलग व्यक्तियों के नाम खाते करा लिये। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा

(श्री नाथूराम)

हैं वहां पर ऐसी जमीनें थी, जिनके पास अधिक जमीनें थी, पड़ौस में गुजरात है, उन्होंने वहां के पट्टीदारों को बेच दी। वे पट्टीदार लोग लाखों करोड़ों की पैदा करते हैं और भूमिहीन तरसते रहते हैं और बाल-बच्चों के निर्वाह के लिये उनके पास साधन नहीं हैं। भूमि नहीं मिलती। अलॉटमेन्ट के ऑर्डर किये गये। बड़े बड़े लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है, कपास की खेती करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया पैदा करके और धन्धा करते हैं। सीलिंग का कानून पास होने क पहले जमीन बेच दी, उन पर कानूनी कार्यवाही करके उस जमीन को भूमिहीनों को दिलानी चाहिये। सभापति महोदय, इसके साथ साथ भूमि का वितरण करना है वह किसानों को ही किया जाना चाहिये। घोषणा सरकार ने यह जरूर कर दी है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। जो जमीन जोते उसी को ही जमीन अलॉट करनी चाहिये। दूसरे धन्धे करने वाले राज्य कर्मचारी और दूसरे लोग होते हैं जिनके बाप-दादों का खेती करने का धन्धा नहीं है ऐसे व्यक्ति जमीन अलॉट करा लेते हैं, पटवारियों को पैसा खिला कर नाजायज कब्जा कर लेते हैं और फिर उस को जायज बता देते हैं। किसान को भूमि दिलाना है तो जो किसान है उसी को भूमि दिलाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिनके बाप-दादाओं ने कभी हल नहीं पकड़ा, बड़े-बड़े फार्म बना लिये और अंगूरों की खेती करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि दिलानी है तो बड़े-बड़े फार्म बनाये हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करके भूमि लेनी चाहिये और भूमिहीनों को भूमि दिलानी चाहिये।

सभापति महोदय, इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों का बजट पास कर रहे हैं। पिछले पांच चार साल से जहां पर दुष्काल है और थोड़ा पानी बरस भी गया तो उन पर कुर्कियां करके पुरानी वसूली की जाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी दे देना चाहता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर मोटर टैक्स, बिक्री कर आदि के करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही कर उसको वसूल करने की कार्यवाही क्यों नहीं करती है? आज बसों के जो मालिक हैं, मालिक पैसेन्जरों से यात्री कर वसूल कर लेते हैं और वह सरकारी खजाने में जमा नहीं कराते हैं। इस तरह की जो बकाया है उस को भी सरकार को वसूल करना चाहिये और करोड़ों रुपयों की भी जो बकाया है उस पर कानूनी कार्यवाही कर वसूल करना चाहिये। आज छोटे-छोटे किसानों पर कुर्की की जाती है और पूंजीपतियों पर जो टैक्स बकाया है उसको वसूल नहीं किया जाता है।

सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग पर भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। इस पर थोड़ा सा निवेदन मैं भी कर देना चाहता हूं। इसमें कई तरह की फिजूल खर्ची है। आज हमारे सेक्रेटेरियेट में सिवाय फाइलों की लौटाफेरी के कुछ भी काम नहीं होता है। हमारे जो टैक्नीकल ऑफिसर हैं, वे सुझाव भेजते हैं, उनको नॉन-टैक्नीकल सचिव, उप सचिव देखते हैं। वे टैक्नीकल मामलों में क्या कर सकते हैं? क्या राय दे सकते हैं? इस तरह को आज सेक्रेटेरियेट में फिजूल-खर्ची है जिसमें कई तरह से कमी की जा

(श्री नाथूराम)

सकती हैं। एक डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर, सेक्रेटरी, उप सचिव कई तरह की पोस्टें वहां होती हैं। इस तरह से इन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इसलिये सरकार से मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सचिवालय के खर्चे में कमी की जाये और जो टेक्नीकल काम है उसके लिये टेक्नीकल आदमियों को ही रखना चाहिये और बाकी पोस्ट्स को समाप्त कर देना चाहिये।

सभापति महोदय, इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटिज हैं। ये फैसिलिटीज कम से कम 500 रुपये तक वेतन पाने वाले व्यक्ति को ही मिलनी चाहिये। छोटे लोगों को मिलना चाहिये और जो उच्च अधिकारी हैं उनको नहीं मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, इसी तरह से सरकार ने भर्तियों पर पाबन्दी लगा रखी है। एक तरफ तो हमारे मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी है कि आदिवासी और हरिजनों के लिये 28 प्रतिशत स्थान रहेंगे लेकिन यह ऑर्डर आज तक नहीं निकला है और न उसकी पालना ही हुई है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि या तो आप घोषणा न करें और न पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्धेरे में रखें। जो घोषणा आप करें, उसकी पालना भी आपको करनी चाहिये। आज सर्विसेज में हमारे आदिवासी और हरिजनों को नहीं लिया जाता है। यहां जयपुर के सेक्रेटेरियेट का एक थोड़ा सा नमूना मैं यहां बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने गत वर्ष प्रशासन सम्बन्धी सूचना मांगी थी अपने एक अतारांकित प्रश्न के द्वारा और उसका जो जवाब मुझे मिला है उसमें लिखा है कि राजपत्रित अधिकारी हैं 722 और उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई नहीं है। अधीनस्थ सेवा में हैं 26 और उसमें भी कोई व्यक्ति इस जाति का नहीं है। मंत्रालयी सेवा में हैं 957 और इसमें केवल 13 अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति हैं। यानि इसका 1.30 प्रतिशत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं 515 और उसमें केवल 21 व्यक्ति लिये गये हैं। इस तरह कुल 1610 पोस्टों में से केवल 34 व्यक्ति ही अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। सभापति महोदय, इसके द्वारा मैं सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी में भी हमारे हजारों की संख्या में लोगों को नहीं लिया जाता है। हमारे समाज कल्याण मंत्री आंकड़े बता देते हैं। 28 पर्सेन्ट की घोषणा कर देते हैं। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि साढ़े बारह पर्सेन्ट का कोटा भी आप पूरा नहीं करते हैं। इस साढे बारह पर्सेन्ट में से केवल 2 पर्सेन्ट का ही पालन हुआ है। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग को स्थिति है, एम्पलायमेंट डिपार्टमेंट की स्थिति है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे केवल घोषणा ही न करें, इन पिछड़े वर्ग के लोगों को सर्विस में लें। जो घोषणा आप करते हैं, उसका पालन होना चाहिये।

सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे किसानों के लिये बैंकों से ऋण दिलाये जाने की घोषणा की गई है। परन्तु इससे क्या होता है। पिछड़े वर्ग के लोग, जो आदिवासी, हरिजन हैं कुए के लिये कोई ऋण लेते हैं तो उनको 25 पर्सेन्ट जमा

(श्री नाथूराम)

कराना पड़ता है। यानि उसे करीब कुए के लिये या मोटर के लिये ऋण लेने के लिये 1,000 रुपया पहले जमा कराना पड़ता है। वह यह 1,000 रुपया कहां से लायेगा ? उसके घर में खाने को तो है ही नहीं। इसलिये मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 25 पर्सेन्ट जो जमा कराने का नियम है वह आप हटा लें, तो उन लोगों को ऋण मिल सकेगा नहीं तो नहीं मिलने वाला है। फिर केवल यह कागजों में ही रह जाने वाला है। आज एक भूमिहीन किसान या और कोई किसान ऋण लेकर दूसरों की जमीन पर भी काम करना चाहता है, लेकिन उसको पूरी सहायता नहीं मिल रही है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में चाहे हरिजन हों, चाहे आदिवासी हों, उन गरीबों को अगर ऊंचा उठाना है तो उनको आप भूमि अलॉट कर दीजिये और उनको पूरा करजा दीजिये, उनको सिंचाई के साधन जुटाइये, तो वे लोग परिश्रम करके अनाज पैदा करेंगे और हमारी भुखमरी मिटेगी।

सभापति महोदय, कृषि विभाग के ए. ई. ओ. को बी. डी. ओ. बना देते हैं तो वह सारा समय प्रशासन कार्य को ही देखता रहता है और कृषि के काम को नहीं देख पाता। मेरे क्षेत्र में बांसवाड़ा, बागीडोरा और गढ़ी में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक नान-मैट्रीक्युलेट प्रसारण अधिकारी को बी. डी. ओ. बना दिया है। वह प्रशासन के काम में लगा रहता है, मास्टरों के तबादले इधर उधर करना, और दूसरे काम करना। कृषि का काम तो बन्द हो गया है। वे मास्टरों के तबादले में पैसा खाते हैं और अनुदान का जो पैसा मिलता है उसमें से भी पैसा खाते हैं और शोषण कर रखा है। वह बागीडोरा का बी. डी. ओ. गरीब किसानों और उत्पादकों से पैसा खाता है।

श्री श्रवणलाल : मिनिस्टर अंगूठे छाप बैठा है।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि योग्य व्यक्ति को ही बी. डी. ओ. बनावें और कृषि प्रसारण अधिकारी को कृषि का ही काम देना चाहिये, तब तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा बाकी अगर उसको बी. डी. ओ. बना दिया तो कृषि का काम नहीं होगा। ग्राम सेवक भी सही काम नहीं करेंगे।

बांसवाड़ा में जहां जहां नदी नाले हैं, वहां पर लोगों ने सिंचाई के साधन जुटा कर कल्याण सोना गेहूं बोया, लेकिन दुर्भाग्य से उसको जब बीमारी लग गई तो उन लोगों को उसके लिये दवाई भी सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी। किसान को आपके कृषि विभाग वाले आंकड़े जरूर बताते हैं लेकिन जब कल्याण सोना गेहूं को बीमारी लग गई तो दवाई तक नहीं दे पाये। इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल उत्पादन का नारा नहीं लगावें, ठीक काम करें और योग्य व्यक्ति द्वारा काम कराने की कोशिश करें।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज ऊंची शिक्षा की सरकार कोशिश कर रही है। गांवों में प्रचार जरूर किया जाता है लेकिन बजट

(श्री नाथूराम)
को देखने से मालूम पड़ेगा कि बजट में सेकन्डरी स्कूलों को हायर सेकन्डरी करने के लिये तो तीस का प्रावधान रखा है लेकिन मिडिल स्कूल को सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के लिये कुछ नहीं रखा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एक आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिये तो कोई बैन नहीं होना चाहिये। वहां पर मिडिल स्कूल को सेकन्डरी स्कूल और सेकन्डरी स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने के लिये प्रावधान रखना चाहिये। आदिवासी क्षेत्रों के लिये भारत सरकार ने जो संविधान में सुविधाएं दी हैं, उनका भी पालन नहीं हो रहा है। अन्य क्षेत्रों के लिये जो नियम हैं, वे ही आदिवासी क्षेत्रों के लिये लागू करते हैं।

आज उस इलाके में टेक्नीकल शिक्षा की जरूरत है जिसकी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है छात्रावासों की भी व्यवस्था नहीं है। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा आदिवासी इलाके में आप ज्यादा से ज्यादा छात्रावास खोलेंगे। और उनके लिये टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था कीजिये। आज जो बिल्डिगों में, कर्मचारियों में सारा पैसा खर्च कर देते हैं आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये सब पैसा टेक्नीकल शिक्षा में लगाइये तो वहां के लोग आगे बढ़ सकते हैं।

केवल समाजवाद का नारा लगाने से उत्थान नहीं होगा। समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा आदिवासी क्षेत्र के लिये विशेष नियम बनाकर टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके साथ साथ हरेक मिडिल स्कूल के साथ 50 लड़कों और सेकन्डरी और हायर सेकन्डरी स्कूल के साथ 100 लड़कों का छात्रावास बनाया जाना चाहिये।

इसी तरह से छात्रायें जो पढ़ती हैं कहीं भी 25 लड़कियों से अधिक के छात्रावास नहीं खोले जाते हैं। बांसवाड़ा कॉलेज का जो छात्रावास है वह 18 वर्ष से छात्रावास चल रहा है वहां पचास से इक्यावन छात्रों को नहीं बढ़ाया। आज से नहीं पिछले दस सालों से बराबर मैं कहता आ रहा हूं इस छात्रावास में इतनी व्यवस्था कीजिये जिससे इसमें 150 छात्र रह सकें। इसके बिना आदिवासी पढ़ नहीं सकेंगे।

उच्च शिक्षा में कमी करनी चाहिये और मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूलों की संख्या को बढाया जाना चाहिये। बजट में आपने धन नहीं रखा है शिक्षा मंत्री जी को चाहिये कि वे वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से मिल कर इसका प्रावधान करें।

अब मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं इस बारे में आपको बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण दूं। हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है वह अशिक्षित है वहां के बैंक में ऐसे कर्मचारी हैं जो भोले भाले किसानों को बुरी तरह से लूटते हैं। किसी को 80 रुपया देना है तो उसमें से चालीस रुपया तो खुद खा जायेंगे। इस तरह से लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये जहां पैसा दिया जाय वहां ईमानदार स्टाफ को रखा जाय।

(श्री नाथूराम)

सभापति महोदय, अब मैं पंचायत और पंचायत समितियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आप पंचायतों को ज्यादा अधिकार दें। मेरे ख्याल से पंचायत समितियों को खत्म कर देना चाहिये या इनको विशेष अधिकार देने चाहिये। पंचायत समितियों में गन्दी पोलिटिक्स घुस गई है इससे उत्पादन कार्यों पर बड़ा असर पड़ रहा है। अगर आपको पंचायत समितियां रखनी ही हैं तो इनको दलबन्दी से दूर रखा जाय। इसमें जो दलों के आधार पर चुनाव होते हैं वे न होकर शुद्ध नीति से चुनाव कराने चाहिये।

किसी भी पार्टी का प्रधान, सरपंच पंचायत समिति में आता है तो जहां जरूरत है वहां तो पैसा खर्च नहीं करते। वहां पैसे खर्च करने में भी पोलिटिक्स आ जाती है ऐसी पंचायत समितियों को खत्म कर दिया जाय या इसकी नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं बजट पर भी नहीं बोला हूं अतः मुझे अधिक समय देने की कृपा करें।

अब मैं सिचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे इलाके में पिछली साल दुष्काल में लाखों रुपया खर्च हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं बांसबाड़ा में सिचाई विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री रावत है, उन्होंने हजारों रुपयों का सामान बेचा है और लाखों रुपया कमाया है। मैं सरकार से निवेदन करता वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री रावत ने जिसने लाखों रुपये की सीमेन्ट बेची है उससे नाजायज फायदा उठाया है, सरकार उसकी जांच करे। लाखों रुपयों का झूठा खर्चा बता दिया गया है लेकिन सामान आज भी मौजूद है। 35 हजार सीमेन्ट की बोरियां रतलाम में बेची गई। बांसबाड़ा में जगह जगह ठेकेदारों को व्यापारियों को सीमेन्ट बेचा जाता है और कई तरह का सामान है जिसकी नाजायज तौर पर बिक्री कर उससे पैसा कमाया गया है। इस इन्जीनियर की जांच की जाय और कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। शासन में कुछ सुधार हो तो यह काम हो सकता है। आज दुष्काल तो पी. डब्लू. डी. और इरिगेशन के कर्मचारियों के लिये वरदान साबित हो रहा है ओवरसियर से लेकर इन्जीनियर तक पैसा खाते हैं। रिलीफ तो उनका होता है गरीब मजदूर को तो चार आना छः आना भी समय पर नहीं मिलता।

आज भी उस इलाके में भयंकर दुष्काल है। आपको चाहिये कि आप प्रशासन में सुधार करें। सभापति महोदय, इसी तरह से भ्रष्टाचार भी दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है काम नहीं हो रहा है। किसानों के काम बिना पैसे दिये होते नहीं हैं। नीचे से लेकर ऊपर इन्जीनियर तक पैसा खाते हैं। किसी मजदूर को यदि काम पर लगाया जाता है तो उससे भी पहले एक दो रुपया लेते हैं तभी उसको काम पर लगाते हैं। आज हालत यह है कि हर मेट से सुपरवाइजर 50 प्रतिशत ले लेता है वह ओवरसियर के पास जाता है उसके बाद इन्जीनियर ले लेता है इस तरह की रिलीफ कार्य में व्यवस्था चल रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भोले भाले

(श्री नाथूराम)

मजदूरों का जो इस प्रकार से शोषण हो रहा है उससे उनको बचाया जाय। वे बेचारे मुफ्त में किसी से पैसा लेना नहीं चाहते उनसे आप काम लीजिये। चाहे तालाब का काम हो, चाहे बांध का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, वे काम करने के बाद पैसा चाहते हैं। लेकिन आज हालत यह है कि बेचारों को मजदूरी भी बराबर नहीं मिलती हैं। इन्जीनियर के खिलाफ जांच करिये मैं भी उसमें साथ देने के लिये तैयार हूं।

इसी तरह से माही की योजना पर सरकार द्वारा दो करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन मेन डैम के नाम से एक इन्च भी काम नहीं हुआ। सवा तीन करोड़ में पूरा बान्ध बन जाता। इस साल उसके लिये बजट में 25 लाख रुपया रखा गया है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। बारह तेरह लाख तो ट्रैक्टर्स पर खर्च हो गया बाकी बचा वह टी. ए., डी. ए. और पेट्रोल पर खर्च हो जायगा। इस तरह से 25 लाख रुपये से मेन डैम का कुछ भी काम होने वाला नहीं है। आज भी वहां पर भयंकर दुष्काल है। माही डेम का काम आरम्भ किया जाय। उससे हजारों बीघा पड़त भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

इसके साथ साथ मैं कडाणा डैम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दो साल से इस पर चर्चा हुई है। सभी सदस्यों ने इस बारे में सुझाव दिये हैं। सरकार ने उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब सरकार सर्वे करा रही है। इधर हमारी सरकार सर्वे में समय निकालेगी इतने समय में गुजरात में वह डैम बन कर तैयार हो जायगा। इस बीच पुनर्वास का झगड़ा यों का यों बना रहेगा। माही डैम से 32 हजार एकड़ और कडाणा से 40 हजार एकड़ डूब में आयगी। सरकार कह रही है कि हम वन विभाग से भूमि निकाल कर देंगे। बांसवाड़ा ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहां जमीन है नहीं, गुजरात में भी सरकार जमीन रिजर्व करने को तैयार नहीं तो मैं निवेदन करूं आज धरियावद का एरिया है वहां जाखम नदी के कमांड एरिया में हजारों एकड़ जमीन है। उसे वन विभाग से आप निकलवा कर माही कडाणा के विस्थापितों को दे सकते हैं।

विश्व बैंक से कर्जा लेने की आप भारत सरकार की मार्फत कोशिश क्यों नहीं करते हैं अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो। राजस्थान कैनाल में करोड़ों की आवश्यकता हैं। राजस्थान से अकाल को मिटाने के लिए राजस्थान कैनाल जल्दी से जल्दी तैयार होनी चाहिए।

माही बजाजसागर डैम के लिए भी करोड़ों की लागत चाहिये इसके लिये भी विश्व बैंक से कर्जा लिया जा सकता है। यह निवेदन कर देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसी तरह से और भी कई विषयों पर मुझे निवेदन करना था, पर समयाभाव से अधिक न कह कर इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने भूमि सुधार के कानून बनाये, शराबबन्दी के कानून बनाये, सीलिंग के कानून बनाये पर उनको केवल कागजों में मत रखो। या तो आप कानून बनाओ ही मत, और अगर बनाते हो तो उनका पालन कड़ाई से और शीघ्रता से हो इस ओर ध्यान दें। नहीं तो सरकार की साख गिरेगी।

(श्री नाथूराम)

आज आदिवासी क्षेत्र चाहता है उसे बिजली मिले। वहां भयंकर दुष्काल है पहाड़ नदी नाले सब सूख गये हैं। फिर भी यह प्रकृति की देन है वहां कि इतने सालों से निरन्तर अकाल की स्थिति रहने के बावजूद भी कहीं कहीं नदी नाले आज भी बह रहे हैं। पानी की इतनी कमी आज भी नहीं है, और वहाँ की धरती इतनी उपजाऊ भी है जितनी गंगानगर की नहीं होगी, पर बिजली के अभाव में उत्पादन पर असर पड़ता है। अगर बिजली मिल जाय और छोटे मोटे कुओं पर लग जाय, नालों पर लग जाय तो अकाल का सामना वहां आसानी से किया जा सकता है।

रतलाम से चम्बल की बिजली उस समय जल्दी मिल सकती थी, पर सरकार ने इस और उस समय ध्यान नहीं दिया। काफी समय यों ही निकाल दिया। पर आज डूंगरपुर से सागवाड़ा लाइन में लाखों खर्च कर दिया। एक इन्जिन भी खरीदा, खराब ले आये, 50/60 लाख रुपया उसमें बिगाड़ दिया। सरकार जो काम करती है, पहले सोचती नहीं है। यह पचास-साठ लाख रुपया और दूसरा व्यर्थ का पैसा जो खर्च किया गया, अगर इतना पैसा सरकार पहले दे देती और रतलाम से बिजली ले आती तो इतना खर्चा भी नहीं होता और इस इलाके को बहुत पहले बिजली मिल जाती। इसलिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज बांसवाड़ा जिले में जहां पानी है वहां लिफ्ट इर्रिगेशन और अन्य पानी के साधनों को जुटाया जा सकता है और इससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है यही सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारे दल का भी काफी समय था।

श्री सभापति : काफी टाइम लिया है आपके दल ने। फिर रह गया होगा तो देखेंगे इनके बाद में।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, यह जो विनियोग विधेयक, 70 पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करते हुए अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।

यह जो विधेयक पेश किया जा रहा है इसमें जो समाजवाद की बात कही गई है उस समाजवाद को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे राजस्थान की गरीब जनता को सहूलियत मिल सके।

कृषि को जहां बढ़ावा देना चाहिये था और इसके लिये अधिक से अधिक रकम रखी जानी चाहिए थी, वहां केवल 6 करोड़ रुपये ही रखा गया है। जो बहुत कम है।

राजस्थान में इतनी जमीन बेकार पड़ी है कि जिसमें पानी दिया जावे और लोगों को साधन दिये जावें तो राजस्थान में आये दिन अकाल जो पड़ते रहते हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। पर राजस्थान की सरकार इस बात को कतई महसूस नही करती है और ये जानबूझ कर इस प्रकार का बजट बना कर और समाजवाद का नारा लगाकर लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं।

मैं इनके समाजवाद का नमूना सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। वित्त मंत्री अकेले का टेलीफोन का खर्चा आज ही अख-

(श्री रामचन्द्र आर्य)
बार में पड़ा 68,352 रु. है। इस तरह सारे मन्त्री मण्डल के टेलीफोन का अकेले का खर्चा 68,952 रु. आया है। मैं नहीं समझता इतने टेलीफोन वे कहां करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। महज अपनी कुर्सी और सत्ता की लड़ाई में अपनी पोजीशन को बनाये रखने की खातिर।

व्यास जी ने कहा कि वे राजस्थान में सीलिंग लागू कर रहे हैं और 32,209 एकड़ हर सीलिंग लागू भी कर दिया है।

यह सीलिंग उन्होंने कौन से कोने में किया है हमें तो मालूम नहीं। इस कानून को पास किये 11 वर्ष होने आये कहीं लागू किया हो हमें नहीं लगता। कोई बंजड जमीन पड़ी होगी और उस पर लगा दिया हो तो बात अलग है। पर जो उपजाऊ जमीन हैं, अच्छी है जिसके लिए भूमिहीन लोग तरस रहे हैं वहां इनकी हिम्मत लागू करने की नहीं हो रही है और जिनके पास जमीन इस तरह की हैं वे धड़ाधड़ आज भी बेच रहे हैं अपने सगे सम्बन्धियों के नाम ट्रान्सफर कर रहे हैं। तो गरीबों को और भूमिहीनों को तो जमीन इस सीलिंग कानून के लागू किये जाने के बाद भी नहीं मिलने वाली है जब तक यह सरकार रहेगी तब तक तो नहीं मिलेगी। फिर ये करते क्या हैं। एक पास बुक किसानों को जारी करने को कहा था आज तीन साल से बराबर घोषणाएं भी करते आ रहे हैं पर ये कब देंगे यह या तो ये जाने या इनका भगवान जानता होगा। मुझे तो डर है कहीं ये 72 की फरवरी के बाद देते देते चले न जावें। काश्तकारों को सही पास बुकें इस भ्रष्टाचारी सरकार के हाथों तो मिलने वाली नहीं है क्योंकि इस राजस्थान में ज्यादातर रियासतें थीं पहले, और उनमें अलग अलग मालगुजारी ली जाती थी, आज 21 वर्षों के बाद भी अधिकतर जगहों पर वही पुरानी लगान की दरें हैं। कहीं 21 रुपया लगता है तो कहीं दो आना लिया जाता है। तो इतने अरसे तक यह सरकार इस भेदभाव को भी समाप्त नहीं कर सकी है।

कल माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई कि लगान की दरें बराबर होनी चाहिये। लेकिन यह सरकार अपने आपको प्रगतिशीलता का ढोल पीट पीट कर कहती है पर गरीबों का वास्तव में लाभ नहीं करना चाहती। अगर इस सरकार के दिल में यह इच्छा होती तो सारे राजस्थान में मालगुजारी का एकीकरण कर चुकती और वाजिब लगान लागू कर के पास बुकें दे देती और बाकी जो घाटा रहता वह और टैक्सों में एडजस्ट करती। आज तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार की आवाज आ रही है।

अब तो भ्रष्टाचार नहीं रहा, भयंकर लूट भी हो रही है। यह कितने दिन चलेगी यह तो आने वाला समय ही बतावेगा पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस प्रकार के रेकार्ड पहले भी मेरे द्वारा, सरकार के नोटिस में भी लाये गये पर नतीजा कुछ नहीं आया। न आने वाला है क्योंकि इस सरकार में बैठे हुए ऊपर के लोगों में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार के कारण ही इस सरकार की नीति ढिलमिल रही है। इसका जीता जागता सुबूत मैं देना चाहता हूं। नोहर तहसील में 1959 में एक काश्तकार ने

(श्री रामचन्द्र आर्य)
दर्खास्त दी कि मैं मेरी जमीन छोडना चाहता हूं क्योंकि मैं किश्त इतनी नहीं दाखिल कर सकता और उसका स्तीफा मन्जूर भी हो गया।

श्री हंसराज आर्य : कोरम पूरा नहीं है हाउस में।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह दरख्वास्त मेरे पास है, मूल दरख्वास्त तो मैं उसी वक्त दूंगा। नकल ही सदन की मेज पर रखूंगा। मूल दरख्वास्त में लिखा है मैं जमीन छोड़ता हूं वह उसकी नामंजूर हो गई। उस मूल दरख्वास्त को फाड़ कर फेंक दी। फाड़े हुये टुकड़े चुन कर लाया हूं वह मेरे पास है। 23 बीघा जमीन तहसीलदार ने अपने रिश्तेदारों में किस प्रकार बांटी है? उसको कुछ पैसा देकर हलफनामा उससे ले लिया इसके बारे में मैंने कलक्टर को कागजात दिखाये, वह कलक्टर भी उनसे मिल गया। वह अखबार में भी आया हुआ है उसकी भी कापी मैं रख दूंगा। पीरूमल की दरख्वास्त नामंजूर की उसकी भी कापी मैं रखूंगा।। मैं एक जीता जागता उदाहरण रखना चाहूंगा। भ्रष्टाचार नहीं, यह तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है और इनके भ्रष्ट अधिकारी एक पटवारी दूसरे पटवारी को लिखता है—श्री मदनसिंह से भागीरथ का नमस्ते वंचना हम खुश हैं आपकी चाहते हैं। आपको मैंने पट्टे के लिये कहा था जो अभी तक नहीं भेजा है आपने कहा था कि मैं जाते ही भेज दूंगा मगर नहीं भेजा और आपको हजारी का कार्य अलाटमेंट के कागजात पिछले साल दिये थे जिसके लिये आपने वायदा किया और काफी मर्तबा समाचार भादरा देता रहा। सन्तुलाल जी से करवाना था आपके पास आदमी भी हजारी कई मरतबा आया। आपने कहा कि करवा लिया है। कागजात भेज दूंगा मगर आपने कोई कागजात नहीं भेजे फिर आपका नोहर तबादला हो गया, मेरा भादरा हो गया मैंने तो यह सोचा था कि हो गया होगा मगर आपने करवाया है या नहीं यह तो आप जाने और आज हजारी मेरे पास आया है मदन ने कार्य हमारा नहीं करवाया है। रुपया हमारा वापिस देने की कृपा करें इस केस के लिये आपको 240 रुपये रात के वक्त घर दिया गया था। आपने वायदा किया कि कार्य अलाटमेंट हो जावेगा और कई नकलें अलाटमेंट की ली गई आपकी कही गई मगर यह आपको नहीं चाहिये था कि इस तरह से करना तो आप लोगों को उचित नहीं है। एक मामूली सी दरख्वास्त पर आदेश ही तो करवाना था जो आपने नहीं करवाया। मैं आपको क्या कहूं भाई साहब हजारी आपके पास आ रहा है इनका दोनों में से एक काम जरूर करना है जैसा आप मुनासिब समझें कर लेना नहीं फिर यह मेरे पास आयेंगे। मैं आपके पास आऊंगा विचार लेवें और मेरा पट्टा जरूर भेजना भूलें न करें। बच्चों को प्यार। इतना कार्य अवश्य करना है नहीं तो अपनी बदनामी है। ध्यान कर लेवें। भागीरथ।

इस प्रकार पटवारी दूसरी तहसील में चले जाते हैं और फिर नाजायज तरीके से जमीन अलाट करवाते हैं और रुपये लिये जाते हैं और चिट्ठियां लिखते हैं. इसकी नकल है। यह सदन की मेज पर रखता हूं। असली मैं रखूंगा। एन्क्वायरी होगी तब पेश करूंगा. । इस प्रकार पटवारी से लेकर मंत्री तक लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं। यह भाई-भतीजावाद, कुनबापरस्ती इन्होंने 20 साल में राजस्थान में पनपाई है। यह

(श्री रामचन्द्र आर्य)
तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रान्त में नहीं होगा लेकिन दुर्भाग्य की बात है राजस्थान की दो करोड़ जनता पर ये सहस्त्र मन की शिला लिये बैठे हैं। यह बात कांग्रेस की बेंच पर बैठने वाले भी कहते हैं बड़ा पक्षपात है, बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मेरा तो यह निवेदन है कि इससे काम नहीं चलने वाला है इनको उखाड़ फेंक देंगे तभी राजस्थान की काया पलट होगी नहीं तो हम भाषण देकर चले जायें उससे कुछ होने वाला नहीं है।

एक दिन ऐसा आयेगा लोग बगावत करेंगे और बगावत का जो नतीजा होता है वह आप सब जानते हैं। एक शान्तिपूर्ण तरीके से चलने वाले आन्दोलन से ही ये तिलमिला उठे। जो चोरी और बेईमानी करने वाले होते हैं उनके पैर नहीं होते हैं। वे रात को ही भागते हैं। किस प्रकार शिवनाथसिंह जी कहते हैं कि गंगानगर में बहुत रुपया खर्च हुआ है, गंगानगर में कोई रुपया खर्च नहीं किया गया है। जो आमदनी की है, वह मैं बताता हूं। 24 करोड़ रुपया खर्च किया है और 16 करोड़ की इन्होंने जमीन बेची है, यह इन्होंने ही प्रश्न के उत्तर में बताया है। उनकी जमीन बेची है जिनके पास 50 बीघा से ज्यादा थी। भूमि को नीलाम किया है और भूमिहीनों को भूमि अलाट की है। इसके अलावा अधिकारियों ने जो जमीन हड़प ली वह अलग है। पिछले सत्र में मैंने अधिकारियों के हड़पने के कागज पेश किये थे और भी कागज मेरे पास हैं पेश करता लेकिन कोई फायदा नहीं। कागज पेश करने का कोई महत्व नहीं है, वह तो कागजों में ही पड़ी रह जाती है। जमीन हजारों बीघा अधिकारियों ने हड़प ली फिर भी आपको जमीन से 16 करोड़ रुपये मिले हैं। मण्डी की जमीन बेची है, उसमें आपने काफी रुपये कमाये हैं। 24 करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई है। इसके बाद खुशहाली टैक्स लगाया, अनेक प्रकार के और टैक्स लगाये फिर भी कहते हैं भाखरा पर कई गुना रुपया खर्च हुआ है। यह बिलकुल वाहियात बात है। गंगानगर को जिस प्रकार लूटा है उस प्रकार किसी को लूट नहीं सकते हैं। नहर आई है तो कोई फायदा नहीं। डूबना चाहें तो समुद्र में जाकर डूब सकते हैं वहां पर पानी बहुत है। सिंचाई विभाग की हालत देखो तो यह कि रोजाना मोघे उखाड़े जाते हैं। हजार हजार रुपया बन्धा हुआ है आये दिन परेशान होते हैं।

आज राजस्थान केनाल में पानी नहीं मिलने से सारी फसल खराब हो गई। परसों मैंने मंत्री जी से कहा तो कहा पानी छोड़ दिया है। अब क्या हमारे सिर पर छोड़ दिया है, पानी चाहिये था जनवरी में। जनवरी में तो पानी बन्द रखा और अब मार्च के अन्त में जाकर पानी छोड़ा है तो वह किस काम का। फसल तो सारी सूख गई है इस प्रकार की व्यवस्था भ्रष्टाचार पनपाने वाली व्यवस्था है इसीलिये गंगानगर का आन्दोलन खड़ा हुआ है और कोई कारण नहीं है। 16-17 हजार आदमी जेल चले जांय, कई लोग जेल चले गये क्या कारण है। यही भ्रष्टाचारी का आपका कारण है।

माननीय शिवनाथसिंह जी ने कहा हमको जमीन मिलनी चाहिये। आपके

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इलाके में कई लोगों को जमीनें मिली हैं। अब किनको मिली है, यह तो सरकार को मालूम है। चोरी करने वालों को दी हैं, बेईमानी करने वालों को दी है या ठगी करने वालों को दी है लेकिन आज जयपुर में, पुष्कर में, झूंझुनूं में अनेक जिलों में सैंकड़ों बीघा पर सरकारी अधिकारी कब्जा किये हुये हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज भी मैं कहता हूं राजस्थान के भूमिहीन किसान को उससे कोई फायदा नहीं हुआ है चोरी और तस्करी करने वाले लोगों को ही जमीनों का लाभ मिला है। शराब के ठेकेदारों को और बड़े बड़े ठेकेदारों की आज एन्क्वायरी की जाय तो इनको साफ पता लग जायगा। गरीबों के पास कोई जमीन नहीं मिलेगी। नोहर तहसील में हरिजनों की जमीन को किस प्रकार जावन्दसिंह, जो एक्स-एम. एल. ए. था, उसके रिश्तेदारों में बांट दी। यह बिलकुल सही बात है पिछली बार भी मैं कह चुका हूं, मैंने चिट्ठी भी इस बारे में लिखी है लेकिन उस जमीन के मालिक का पता नहीं है। एक सिन्धी के नाम से अलॉट हुई और उस नाम का कोई सिन्धी उस इलाके में ही नहीं है। बालचन्द नाम का एक सिन्धी जो कि रोज पाकिस्तान जाता है और आता है उस आदमी ने चेष्टा की जमीन छुड़ाने की और उसमें दो हरिजन बीच में आ गये और एक का कतल हो गया। उस जमीन को जावन्द-सिंह के रिश्तेदार को दे दी और आज भी खड़ी फसल के अन्दर पुलिस की चौकी बैठी हुई है। इस प्रकार के घिनौने कार्य, नादिर-शाही और अन्याय होते हैं और इसको कह रहे हैं कि समाजवाद है। इस प्रकार के अनेक काण्ड गंगानगर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में आये दिन होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है।

(कोरम की घंटी)

मैं मेरी पार्टी का पूरा टाइम लूंगा।

श्री सभापति यह कोरम की घन्टी है टाइम की नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैं पुलिस के अत्याचारों पर कह रहा हूं। एक जसाना गांव में चोखाराम नायक ने अपने सांड के साथ में ऊंट का सौदा किया। जब उसको मालूम हुआ कि सांड चोरी की है तो 15 आदमियों को साथ ले गया और सांड वह बांध आया। हरिसिंह नाम का जाट है उसके घर जाकर सांड बांध आया और ऊंट ले आया। उसके खिलाफ पुलिस से मिल कर मुकदमा बनाया गया और हरि-जन को हवालात में दे दिया गया और आज भी ऊंट हरिसिंह जाट के पास है और वह बेचारा नायक रोता फिरता है। इस प्रकार से सरकार हरिजनों की यह मदद करती है। राजस्थान में अनेक काण्ड हो रहे हैं और वे इनसे छिपे हुए नहीं हैं। जानबूझ कर सरकार के गुरगों के द्वारा ही जो समर्थ हैं उनके द्वारा ही यह सारे काण्ड होते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती रहती हैं?

इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० के सम्बन्ध में मैं कहूंगा। हमारे इलाके में 1½-2 साल से मजदूर लगे हुए थे उन सब को हटा दिया गया क्योंकि उनसे पैसा मांगा गया और जब पैसा नहीं दिया तो उनको हटा दिया और उनकी एवज में दूसरे मज-दूर लगा लिये। जब दूसरे मजदूर लगाने

(श्री रामचन्द्र आर्य)

ही थे तो उनको हटाने का क्या कारण था? लेकिन जानबूझ कर इस प्रकार की हरकतें करते हैं और जब सरकार के सामने बातें रखी जाती हैं तो यह अनसुनी कर देते हैं। मैं तो चेलेन्ज करता हूं कि राजस्थान में सरकार ही नहीं है। यदि सरकार है तो इस प्रकार से इनके नाक के नीचे कारनामे नहीं हो सकते। न मालूम यह गाड़ी कैसे गुड़क रही है। न अधिकारी इनका हुक्म मानते हैं। इनके हुक्म को रिक्शे वालों का हुक्म कहा जाता है। पिछली साल राज्य मंत्री का हुक्म लेकर नोहर गये तो वहाँ के तहसीलदार ने कहा कि मैं रिक्शे वालों का हुक्म नहीं मानता। इस प्रकार के इनके कारनामे हैं और इसलिए अधिकारी लोग समझ गये हैं कि इस प्रकार के लोगों का हुक्म मानने से लाभ नहीं है।

इसी तरह से जीप का मामला आया। राजस्थान के अन्दर जितने भी अधिकारियों को जीपें मिली हुई हैं कोई दो-चार पर्सेन्ट को छोड़ कर बाकी तमाम जीपों का दुरुपयोग होता है। बारातों में जाती हैं, उनमें शिकार खेली जाती है और जीपों को भाड़े पर चलाया जाता है। इसके अलावा झूठे टी०ए० और डी०ए० बनाये जाते हैं। कई उदाहरण इसके लिए दिये जा सकते हैं। आज वित्त मन्त्री जी टेलीफोन पर पौन लाख रुपया खर्च कर देते हैं तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये सब काम नहीं होते होंगे। आपको यही बरदाश्त नहीं हुई आपने रोटी पर ही टैक्स लगा दिया। अब आप ही बताओ कि आदमी कहाँ तो बहियां रखेगा और कहां टैक्स देगा? आप तो यह सोचते हैं कि लोग मौज मनाते हैं। वित्त मन्त्री जी आपको नहीं मालूम कि गरीबों के सामने क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि आप 20 साल के शासन में जिस तरह से पले हो मेरे ख्याल से दूसरा आदमी नहीं पला होगा। आज भी इन्क्वायरी कराई जाये तो आप उस कटघरे में खड़े हो सकते हैं। फिर आप दुहाई देते हो कि हम समाजवाद को ला रहे हैं। समाजवाद को नहीं ला रहे हैं आप राजस्थान की सरकार की मौत को बुला रहे हैं, क्योंकि आपने लारियों पर टैक्स लगा दिया। आपने भूखी जनता के एक मात्र साधन लारियों पर टैक्स लगा दिया। वह तो नहीं बढ़ाना चाहिये था। अगर बढ़ाना ही है तो दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में यहाँ पर कम होना चाहिए था क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा गरीब हैं। यहाँ रोजाना अकाल पड़ता है, लेकिन आपको पैसा चाहिए और वह चाहे किसी तरीके से भी लें। सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए लेकिन इस प्रकार की सरकार यह दुहाई नहीं दे सकती कि हम गरीबों के पक्ष में समाजवाद को ला रहे हैं। आपने बम्बई में प्रस्ताव पास किया और बम्बई में प्रस्ताव पास करते ही भादरा और संगरिया में गोलियां बांटी, लोगों की जाने लीं और लोगों को रातों रात ले जाकर जलाया। यही आपके समाजवाद का नमूना है?

इसके अलावा आपके तमाम मंत्री-मण्डल के सदस्य हैं इनकी इन्क्वायरी कराई जाये। एक दो की कह नहीं सकता तमाम के तमाम इसमें फंस सकते हैं। यह इन्क्वायरी कौन करे? कानून आप पास करते नहीं। आप क्यों नहीं इन्क्वायरी कराते? क्या कारण है? आप इसलिए नहीं कराते कि इन्क्वायरी कराने से आप खुद फंसते हैं।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इसलिए आपको भय है। इस प्रकार का भय आप कितने दिन दावे रखेंगे। आपके बेई-मान और भ्रष्टाचारी तरीके सब लोगों को मालूम हो गये हैं। राजस्थान के अन्दर ही नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर इस राजस्थान का मुख्य मंत्री बदनाम है। सोना काण्ड की जांच भी चल रही है। दिल्ली की लोक सभा में रोजाना सवाल उठते हैं। इस प्रकार के आरोप मंत्री-मण्डल के खिलाफ हैं लेकिन आप जानबूझ कर कानून नहीं बनाते। आप कानून बनाओ। यदि आप ईमानदारी दिखाते हैं तो कानून लाओ हम सर्व सम्मति से उसको पास करेंगे। किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो आप वोटिंग कराके उसको कैंसिल करते हैं. और इस तरह से नमूना पेश करते हैं कि हमारा बहुमत है और इसलिए जो भी वे करते हैं सही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में वोटिंग नहीं हुआ करते हैं। उसमें तो न्याय होना चाहिए और इसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए, लेकिन वह आप नहीं बना सकते जब तक कि मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए राजी नहीं हो जायें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह कौनसा कानून?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो वकील हैं मैं कानून क्या जानूं। मैं तो साधारण आदमी हूं लेकिन आम आदमी जानता है कि विधान सभा में कानून पास करना जरूरी है और बराबर यहां पर प्रश्न उठे हैं। क्या कारण है कि जिस वजह से आप इस सरकार का समर्थन करते हैं। मैं तो चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की सरकार का समर्थन करने वाले सदस्यों का दिमाग भी साफ नहीं है। यदि आप सही माने में इस सरकार की बुराई करते हैं, सही माने में आप असन्तुष्ट हैं तो इस विनियोग विधेयक को गिरा देना चाहिए। इसको धता बता दीजिए फिर देखेंगे कि किस तरह से कोई काम नहीं होता है। जैसे नाच करने वाली करती और अपने हाव-भाव करती है उसी तरह से आप करते हैं।

श्री सभापति : परन्तु आप साथ के साथ क्यों नाच रहे हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य : ये तो फिल्म कम्पनी में होने चाहिये थे इनको यहां जरूरत नहीं है। इनको तो सरकस कम्पनी में या फिल्म कम्पनी में होना चाहिए ताकि अच्छी तरह नाच कर सकते हैं और अच्छे हाव-भाव दिखा सकें।

श्री बिरदाराम : (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको भी मौका मिलेगा। मैं तो हरिजनों का भगत हूं इस लिये हरिजनों की वकालत करता हूं। इसके अलावा मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो भयंकर अकाल पड़ रहे हैं और कई सालों से पड़ रहे है क्या कारण है कि इतने अकाल ज्यादा लगातार पड़ते जा रहे हैं? पापियों के राज्य में अकाल पड़ा करते हैं ये सारे पापी हैं इनके दिल में पाप है। इसलिए ईश्वर राजस्थान की दो करोड़ जनता से नाराज है, क्योंकि रोजाना अकाल पड़ते हैं और अकाल के अन्दर घोटाले होते हैं, और अकाल के अन्दर पैसा खाया जाता है, जनता की आंखों के सामने पैसा खाया जाता है। मैं उदाहरण बताऊं कि बीकानेर का एक मेट जमीन खरीदने के लिए आ गया। पिछली दफा फेमीन में वह मेट था। उस मेट ने जमीन

(श्री रामचन्द्र आर्य)

खरीदी अनूपगढ़ के अन्दर। इस प्रकार के जीते जागते सबूत भ्रष्टाचार के ऐसे अकाल के समय के आप देखेंगे। पिछले साल इतना रुपया खर्च हुआ तो आधा रुपये खा गये और इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं। इन्क्वायरी के लिए कहते हैं तो अधिकारियों के पास दरख्वास्त भेज देते हैं। इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। आपके राज्य में जिसकी शिकायत करते हैं उसी के पास आप जांच के लिए दरख्वास्त भेज देते हैं। मैंने एक तहसीलदार के बारे में रेवेन्यू बोर्ड को लिखा तो रेवेन्यू बोर्ड ने कलेक्टर के पास भेज दी और कलेक्टर ने एस. डी. ओ. को लिखा। तहसीलदार की एस डी. ओ. क्या जांच करेगा? उनका तो एक ही हिसाब रहता है। मेरे को बुलाया कि आपके बयान दे दो तो मैंने बयान दे दिये कि मेरे से भूल हुई कि इनकी शिकायत की। लेकिन आज जो गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है तो उसी थानेदार या इन्सपेक्टर को कहते हैं कि जांच करके रिपोर्ट करे। जो चोरी करता है उसी को कह दें कि तुम चोर को पकड़ो तो कैसे पकड़ेगा? आपके यहां से ऐसी कमेटी बननी चाहिए मेम्बर्स की कि जो सही मायने में जाकर जांच करे, मौके पर जाकर या और कोई ऐसा अधिकारी आपको तलाश करना चाहिए जो कि ईमानदार हो। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में ईमानदार लोग नहीं हैं, लेकिन आपने ईमानदारों की दुर्दशा कर रखी है। राजस्थान के अन्दर रोजाना उनके तबादले किये जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है और वे निकाले जाते हैं। ईमानदार आदमी निकाले जाते हैं और बेईमान हैं और रिश्वतखोर हैं उन लोगों को तरक्कियां मिलती हैं। गोलियों से लोगों को मारते हैं उनको तरक्की मिलती है। जो ईमानदारी और वफादारी से काम करते हैं उनको सजायें मिलती हैं। इस प्रकार के राज्य में न्याय की इस सरकार के सामने भीख मांगे इस बात की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। क्योंकि राजस्थान की दो करोड़ जनता रोजाना महसूस करती है कि हम किस के सामने शिकायत को रखें? लेकिन हमने मार्ग खोल दिया है। राजस्थान की जनता इस बात के लिए समझ गई है कि इस सरकार के अन्दर कितना दम है और किस तरह से जनता उसका मुकाबला कर सकती है। 11 लाख जनता का वह मुकाबला नहीं कर सकी तो 2 करोड़ लोग एलान कर दें कि सारे लोग जयपुर पहुंच जायें तो रात को ही माथुर साहब दिल्ली या और कहीं भाग जायेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता की शक्ति बड़ी है। इसलिए लोग झुकायेंगे। लोगों को मार्ग मिल गया है कि लड़ाई करने से सरकार झुक सकती है। एम. एल. एज. झुक सकते हैं और मन्त्री झुक सकते हैं। हमारे दो मन्त्री हैं वे तो जिले में ही नहीं जाते हैं और जाते हैं तो यह देखते हैं कि यहां कोई आदमी तो नहीं है। रात को ही जाते हैं। हम भी वहां से चुन कर नहीं आये हैं? लेकिन उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया। उन्होंने जनता की अवाज को नहीं पहिचाना। गंगानगर से 7 आदमी जीते और राजस्थान की सरकार उनसे बनी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

पांच मिनिट और।

इसीलिए सुखाड़िया जो मौज से कुर्सी पर बैठे हैं। कह देते हैं कि इन समस्याओं को

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सुलझाइये नहीं तो त्यागपत्र दे देते हैं। इनकी ताकत नहीं कि वे त्यागपत्र मन्जूर कर लेते, क्योंकि इनको राज्य करना है और आपकी तमाम बातें मान ली जाती और गंगानगर के जिले में आपकी वाहवाही हो जाती, लेकिन हंसराज जी ने यहां पर एक दोहा कहा था, जाट कहे ए जाटणी जिणी गांव में रहणों, ऊंट बिलाई ले गई हां जी, हां जी कहणो। इस प्रकार से एक भाषण में हंसराज जी ने यहां कहा था। उनकी अन्तर आत्मा बहुत देर से जगी, लेकिन वे मजबूर हैं और उनकी मजबूरी जो है वह यह है कि उनके कलेजे में भय है। वह भय इनके मन से निकल जाय तो यह सरकार इनके सामने कठपुतली के समान नाचे। 7 आदमी कम नहीं होते हैं। ये सात और सात को ले जायं तो यह सरकार गिर जाय। यह मामूली सी बात है कि सात आदमी सात आदमियों को तोड़ लें, लेकिन कूए के मेंढक के समान ये कहते हैं कि राजस्थान के नेता सुखाड़िया जी हैं और इनके सिवाय राजस्थान के राज्य को कोई नहीं सम्हाल सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि किसी हरिजन को सम्हला दें तो इनसे अच्छा काम करेगा। अगर बिरदाराम जी को मुख्य मन्त्री बना दो तो मोहनलाल सुखाड़िया से अच्छा राज्य करके बता देंगे, क्योंकि इनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। ये जानते हैं कि गरीबों को क्या तकलीफ है, लेकिन मन में बहम पैदा हो गया है कि नेताजी तो सुखाड़िया जी ही पैदा हुए हैं। सुखाड़िया जी नहीं रहे तो राजस्थान कांग्रेस और राजस्थान की दो करोड़ जनता का क्या होगा ? कुछ नहीं होगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी चले जायेंगे तो वे लोग राजस्थान की बागडोर सम्हाल लेंगे। जब भैंस मर जाती है तो चींचड़े तोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। भैंस मर जाती है तो चींचड़े भी मर जाते हैं। इसी तरह से इनके साथ ही भ्रष्टाचार, इनके साथ ही कुनबापरस्ती, इनके साथ ही धींगामस्ती, इनके साथ ही भय रातों-रात निकल जाता है और सुबह हवा ही दूसरी मिलेगी। एक महीने सुखाड़िया जी कुर्सी से अलग रहे थे और कभी भी देखने को मिलते थे तो उनका मुंह लटका हुआ, चेहरे पर झुरियां पड़ी हुई ही मिलती थीं। अपने जवांई के घर रहते थे। इस प्रकार से कुर्सी से हटने के बाद में राजस्थान में कोई सहानुभूति करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ इतना साख नहीं किया। इसलिए मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता और यह कहता हूं कि यह विधेयक पास नहीं होना चाहिए।

इस विधेयक में जितनी राशि रखी है तो चिकित्सा के लिए कोई भी रकम पिछले साल से ज्यादा नहीं रखी है। शिक्षा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की है जब कि राजस्थान के अन्दर ज्यादा शिक्षा की बहुत जरूरत है। प्राथमिक शालाएं गांवों में नहीं हैं, हाई स्कूल गांवों में नहीं हैं, मिडिल स्कूल गांवों में नहीं हैं। शिक्षा के अन्दर बढोतरी नहीं की है। 72 में इलैक्शन आयेगा तो 71 में एलान करेंगे कि किस किस गांव में स्कूल खोलने हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : 1 मिनिट में।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इसी तरह से जो रखे हैं इन्होंने बजट में और जन-स्वास्थ्य विभाग का इन्होंने रखा है करीब 11,11,81,000 रुपये। राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की पानी की तकलीफ है और लोग प्यास से मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बजट इस पानी का होना चाहिए था। मेरे इलाके में नोहर कस्बे में पांच साल से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वहां का सारा पानी खारा हो गया है लेकिन कस्बे के लोगों को वही कड़वा पानी पीना पड़ता है। यह हालत, यही हालत और गांवों की है। पानी तक की समस्या कस्बों की सरकार हल नहीं कर सकी, गांव तो दूर रहे। इसलिए इस विधेयक की निन्दा करता हूं, और इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि इसको फैल कर दें ताकि हमें कुछ राहत मिले। यदि आप फैल नहीं करेंगे तो ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें। लेकिन यह सरकार यदि एक साल और रह गई तो न आपका पता चलेगा और न मंत्री मन्डल का पता चलेगा और ये लोग बात करेंगे कि राजस्थान के अन्दर इस तरह के लोग थे और राज्य करते थे जिस तरह की आज राजाओं की बातें करते हैं कि ये गढ़ थे, ये हाथी थे, ये घोड़े थे लेकिन न तो आज हाथी हैं, न घोड़े हैं और न राज्य करने वालों का पता है कहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंत्री मन्डल में बैठ कर खूब मौज-मजा और ऐश लूटते हैं, शराब पीते हैं और ऐसे टैक्स लगाते हैं गरीबों पर। इस प्रकार से इसलिए इस बिल का आपको समर्थन नहीं करना चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों से अपने भाषण को समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री जो से भी कह देना चाहता हूं कि आपको जितने गरीबों पर टैक्स लगाये हैं उनको वापस ले लेना चाहिये ताकि आने वाले समय में शायद लोगों को आप यह तो कह दें कि मेरे बस में इतना ही सा था और बाकी तो सुखाड़ियाजी थे करने धरने वाले और कोई गलती है तो सुखाड़ियाजी की है। इसलिए आप यह भलाई ले जायं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): सभापति महोदय आज राजस्थान की सरकार और विशेष रूप से राजस्थान के वित्त मत्री संभवतः इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि इस सदन के प्रांगण से राज्य सरकार द्वारा जितनी मांगे रखी गई थीं, उन सब मांगों को हमने पास करा लिया। यह विनियोग विधयक भी आज राजस्थान की सरकार पास कराने की आशा में बड़ी प्रसन्न सी नजर आती है और खास तौर से वित मंत्रीजी। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को और राजस्थान की सरकार को, सदन के सारे माननीय सदस्यों का इस ओर आह्वान करता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस सदन में वास्तव में सही रूप से मांगों के सम्बन्ध में चर्चाएं करते समय चर्चा आई हैं, पर उस आलोचना के पीछे माननीय सदस्यों का लक्ष्य इस प्रकार का था कि राजस्थान को सरकार चलाने वाले मंत्री लोग विचार करें कि आज यह विरोधी पक्ष ही केवल आपकी बुराइयों के बारे में, आपके भ्रष्टाचार के बारे में इस सदन के प्रांगण में चर्चा नहीं करता बल्कि

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जिनके मत पर, जिनका विश्वास ले कर यहां आप सरकार चलाने आये हैं, उनके हृदयों में भी आपकी इन बुराइयों और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोर असंतोष है, असंतोष की अग्नि भड़क रही है और आज जो भ्रष्टाचार, पनप रहा है. बुराइयां फैल रही हैं आपकी गलत नीतियों के कारण जो प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, उसकी आम लोग आलोचना करते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सदन का आपको आभार मानना चाहिये कि विरोध होने पर भी सदन ने आपकी मांगे पास कर दीं। दूसरी ओर मैं यह बताना चाहता हूं कि आगामी वर्ष का बजट सदन द्वारा पास कर दिया जाता है तो राजस्थान की दो करोड़ जनता के प्रतिनिधि और राजस्थान की दो करोड़ जनता आप पर विश्वास करती है कि आगामी वर्ष में एक सच्चे ट्रस्टी की भांति आप इस रकम का सदुपयोग करेंगे। पर अपने अनुभव के आधार पर मैं सरकार के कान इस ओर खोलना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की नीतियों में मूलभूत गड़बड़ियां हैं, जिनके कारण राजस्थान की जनता पर करों का असहय भार पड़ा है, 49 से आप अपने सारे आंकड़ों को उठा कर देखिये, क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस अनुपात में राजस्थान की जनता पर यह सरकार कर लगाती चली आ रही है, क्या उसी अनुपात से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक की आमदनी का जरिया बढ़ा है? क्या उसी अनुपात से राजस्थान की जनता को सुख और सुविधाएं राज्य सरकार देने में सफल हो सकी हैं? नहीं हो सकी, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि आज इस विनियोग विधेयक के पास हो जाने पर जो ट्रस्टी के रूप में राजस्थान की खरी कमाई का पैसा आपके हाथों में दिया जा कर इसे खर्च करने का आपको अधिकार दिया जाता है, उसके उत्तरदायित्व को आप समझने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टि से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

आज प्रत्येक मनुष्य की यह भावना होती है कि उसको किसी राज्य में जहां वह रहे हर प्रकार की सुविधाएं मिलें, शिक्षा की सुविधाएं मिले, प्रशासन की सुविधाएं मिले, न्याय मिले। यह चार मूलभूत बातें हैं। मैं पूछता हूं आपसे, कहां गई वे आपकी सर्वतोमुखी विकास की योजनाएं? जनता में सर्वोदय के सिद्धान्त को ले कर बड़े बड़े फोटो अखबारों में छपवाते हैं लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, पर उनको क्रियान्वित करने के लिये आपने आज तक कोई प्रयास नहीं किया है। इस मूल कारण पर सरकार विचार कर लेती है तो जो कर का भार यह सरकार प्रति वर्ष जनता पर लगाती है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करके चलना होगा, यह मान कर चलेंगे तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जनता पर कर नहीं लगेंगे और लोगों की कठिनाइयां दूर होंगी।

शिक्षा का सबसे पहला मुद्दा है। 47 में आजाद हो जाने के बाद शिक्षा पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान के छात्रों की चारित्रिक उन्नति हुई है, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक विकास हुआ है? क्या आपने छात्रों को ऐसी शिक्षा दी है जिससे वे सच्चे नागरिक के रूप में उपस्थित हो सकें? आपने शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत से

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

एक्सपेरिमेंट्स किये, आपका कहना है कि हमें बहुत सी स्कूलें खोलनी हैं। आपको क्वान्टिटी की ओर नहीं क्वालिटी की ओर देखना होगा। आप स्कूलें इस प्रकार खोलते हैं। किसी गांव में स्कूल खोल दिया, वहां मास्टर नहीं है। जिस प्रकार बाड़े में जानवरों को, भेड़ बकरियों को भर दिया जाता है, उस तरह लड़कों को बैठा देते हैं। कहीं मकानों में लड़कों को बैठना पड़ता है और मास्टर के न होने के कारण दिन भर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। देश की भावी संतान, जिसके ऊपर सारे राष्ट्र का भविष्य आधारित है, कल के उस नागरिक के साथ राजस्थान की सरकार किस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है?

मैं सुझाव दूंगा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यदि आपको आमूलचूल परिवर्तन करना पड़े, ड्रास्टिक ऐक्शन लेना पड़े तो भी आप हिचकिचायें नहीं। आज आप किसी भी प्राइमरी या अपर स्कूल में चले जाइये, वहां के अध्यापक का स्तर यह है कि वह शुद्ध हिन्दी नहीं लिख सकता। जो अध्यापक स्वयं शुद्ध हिन्दी नहीं लिख सकता, वह क्या भावी नागरिकों को सुधारने का काम करेगा? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कितने परसेंट इन्टेलेक्च्युअल आपको इन स्कूलों से निकलते हैं? आप कहने के लिये कुछ भी कह दें पर आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर देखिये कि आपके मन्त्री हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सेक्रेटरीज हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं इनके बच्चों की सुविधा के लिये आपने बहुत अच्छे इंगलिश इंस्टीट्यूशन्स खोल रखे हैं। एक, एक बच्चे पर आप पचास रुपया ट्यूशन फीस, पचास, साठ रुपया उनकी सुविधा के लिये खर्च कर सकते हैं। राजस्थान की दो करोड़ जनता की स्थिति देखें, उनकी इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि पचास, साठ रुपया अपने लड़के पर खर्च कर सकें। जो आपके कर्मचारी हैं उनको क्या तनख्वाह मिलती है? इस महंगाई के युग में उस तनख्वाह से उनके कुटुम्ब का भरण पोषण भी नहीं हो सकता तो वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर इस तरह 50-60 रुपया महीना खर्च नहीं कर सकते। आज राजस्थान सरकार कहती है कि हमने नौकरों की तनख्वाह में वृद्धि की है। पहले जिनको 60 मिलते थे उनको 120 मिलते हैं। जिस जमाने में उनको 60 मिलते थे उस जमाने में क्या भाव थे और आज आप 120 रुपये देते हैं तो आज महंगाई का क्या हाल है? आज दैनिक आवश्यकता की चीजों के भाव कितने बढ़ गये हैं। एक तरफ इनकी महंगाई बढ़ा कर इनमें वृद्धि। करके दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के भाव बढ़ा कर कितना भार इन पर आप बढ़ा देते हैं। आज राजस्थान के जितने कर्मचारी हैं, उनमें व्यापक असंतोष है। एक तरफ आप ठंडे छींटे डालने की कोशिश करते हैं, पर दूसरी ओर जो इन्हें देते हैं उससे कई गुना ज्यादा भार आप उन्हीं पर बिठा देते हैं।

आज देश की जनता चाहती है कि उसकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का आप इन्तजाम करें, पहनने का इन्तजाम करें, शिक्षा के लिये पहले इन्तजाम करें। यह आप नहीं कर सकते, इसलिये नहीं कर सकते कि आपकी नीति ही गलत है। योजनाओं में एक बार रुपया जोड़ देते हैं, पर जब

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

राजस्थान सरकार के सामने, मन्त्रिमंडल के सामने जनता की ओर से मांग आती है कि अमुक स्थान पर एक स्कूल खोलना चाहिये, सात-सात, आठ-आठ माइल से बच्चों को बरसात में नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है। इसलिये जहां प्राइमरी स्कूल हैं उनको अपर कर दिया जाय। जहां अपर स्कूल है वहां मिडिल स्कूल बना दिया जाय। स्कूल खोलते हैं। दूसरी जगह ऑलरेडी जहां दो मील के एरिया में स्कूल है, इसके पीछे कारण क्या है ? किसी प्रधान का टेलीफोन आ जाता है किसी प्रधान का दबाव आ जाता है या मंत्री महोदय को या मंत्रिमंडल को आयन्दा वहां से चुनावों में जीत कर आना है। इसलिये क्षेत्र की जनता को प्रसन्न करने के लिए स्कूल खोल देते हैं। आंकड़ों के आधार पर यदि सदन के अन्दर, दुनियां को गुमराह करने के लिये, अशिक्षित जनता को कहने लिये कह देते हैं कि इतने स्कूल खोले। "सुपात्रे दीयते दानम्" सुपात्र को दिया हुआ सफल होगा और अपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होगा। कहां हमको काम करना है और कहां नहीं करना है। किन लोगों ने किस प्रकार की मांग रखी है उस मांग की ओर देखा नहीं जाता है। यह प्रशासन भ्रष्ट हो यह मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं। प्रशासन को भ्रष्ट बनाया गया है। प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की उसका उत्तरदायित्व सब मंत्रिमंडल का है। ईमानदार आदमियों को मन्त्रिमंडल के लोग इस बात के लिये बाध्य करते हैं कि नियमों के विरुद्ध काम करें नियमों के विरुद्ध काम करने के लिये उनको मजबूर किया जाता है ! एक आदमी अपनी आत्मा के विरुद्ध, दो बार गलत काम नहीं करता है, चार बार गलत काम नहीं करता है, उसकी आत्मा रिवोल्ट करती है. उसकी आत्मा प्रतिशोध करती है कोई भी गलत काम करने के लिये। लेकिन आपके द्वारा मजबूर किये जाने पर वह भ्रष्ट हो जाता है और भ्रष्टाचारी बन जाता है। वही पुराने मशीन के पुर्जे हैं। कौनसा भलाई का काम आपने किया है। इन कुर्सियों पर बैठने वाले मन्त्रिमन्डल के लोग यह दावा करते हैं कि हम त्यागी हैं, हमने तपस्या की है, हमने ही आजदी के लिए संघर्ष किया है और ये कुर्सियां प्राप्त की हैं और शासन करने का हमको अधिकार है। यह बात उस तरफ बैठने वाले कहते हैं। आजादी के पहले का इतिहास तो उठा कर देखो देश के सारे लोगों ने देश की आजादी के लिए कन्धे से कन्धा मिला कर संघर्ष किया है। कांग्रेस की कोई बपौती नहीं थी। आज कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि आजादी हमने हॉसिल की थी और हम को ही इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार है। थोड़ी देर के लिये और आपकी प्रसन्नता के लिये इस तर्क को मान भी लिया जाय तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान के मंत्रिमंण्डल में जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं मुश्किल से दो तीन आदमी ऐसे होंगे जो सन् 1952 मे हैं। सन् 1952 से लेकर सन् 1957 तक देश में सुधार करने के लिये प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन्स जिनको कहना चाहिये देश की पालियापेन्ट और राज्य विधान सभाओं ने पास किये। बाद में हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट या यह राज्यों की सरकारें और यह राजस्थान की सरकार यह गिना नहीं सकती इसने कोई ऐसा प्रोग्रेसिव कानून बनाया हो । आपमें सोचने की ताकत नहीं है । बुजुर्गों के बनाये हुए

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कानूनों के बारे में ही आप दावा करते हैं कि हमने प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाये हैं। 15 साल में आपने क्या किया मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। आपको जब फायदा हुआ अपने लाभ के लिये काम करना चाहा तो थोड़ासा उन लाज में परिवर्तन करने की चेष्टा की। मूलभूत कानून एक भी नहीं गिना सकेंगे मंत्री महोदय जिसमें दावा कर सकेंगे कि हिन्दुस्तान की पार्लिमामेन्ट और आपकी सरकार ने कोई प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाया हो। सारे कानून पहले पांच साल में बने हुए थे। जो भी प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन हुए हैं उनको इम्पलीमेंट करने का सवाल था। उसको किस प्रकार करना चाहिए था कि उसका प्रभाव, उसका इम्पेक्ट राजस्थान की जनता पर क्या हो, हिन्दुस्तान की जनता पर क्या पड़ना चाहिए, यहां तक सोचने की शक्ति बाद के इस मंत्रिमण्डल में, केन्द्र में हो चाहे राज्य में हो, उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की। मूलभूत बात आती है वह यह आती है जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है आप स्वयम् उन पर चलने की चेष्टा करते हैं? कानून बनाते हैं जनता के लिए, फायदे के लिए। उनको फायदा कानून के द्वारा दे सकें हैं या नहीं? किन्तु आपने उन कानूनों का मतलब लगाया वह उस दृष्टि से लगया कि खुद को फायदा हो या अपने रिश्तेदारों को फायदा हो। यदि आप यह मूलभूत नीति नहीं बदलेंगे तो हर साल आपको टैक्स जनता पर लगाने होंगे, असंतोष बढ़ता रहेगा, मंहगाई दूर नहीं कर सकेंगे। और इस असंतोष की आग बंगाल में जिस प्रकार से फैली है, बंगाल में फैलती फैलती हिन्दुस्तान के कोने कोने में फैल जायगी। यह जो आग असंतोष की फैल रही है वह जुल्म करने वाले जुल्मियों को तो भस्म कर देगी ही लेकिन जिस प्रकार से गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उसी प्रकार से आपके पाप और आपके इस मंत्रिमंडल के पाप, कांग्रेस रिजीम के पास यह असंतोष आग जो फैल रही है उसके साथ आप जल जावेंगे और आपके साथ निर्दोष जनता को भी जलना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

5 मिनिट। ईश्वर के नाम पर मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्व को समझने की चेष्टा करें। आप तो थोड़ा आराम से रह भी जावेंगे लेकिन इस देश के अन्दर जो आपकी संतानें रहने वाली हैं उनका तो थोड़ा खयाल कीजिये। आपको तो अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा मंत्री महोदय की संतानें, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को और हम लोग यहां बैठते हैं उनको भी इनके पापों का फल न भोगना पड़े। देखिए, देश के भविष्य के लिये चिन्ता कीजिये।

दूसरा, आप कहते हैं ठेकेदारियां नहीं रहेंगी, खत्म करते चल रहे हैं, मोनोपोलियां नहीं देना चाहते। समाजवाद लाना चाहते हैं क्या यही समाजवाद है? नेशनेलाइजेशन हर प्रोपर्टी का, हर व्यापार का करते हैं। करिये उसमें एतराज की बा नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा खोले गये बड़े बड़े कारखाने हैं। क्या

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मंत्री महोदय आप बता सकते हैं, हम मानेंगे कि वास्तव में आपको अधिक ज्ञान है किसी कारखाने के बारे में आप यह बता दीजिये राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा जो नेशनेलाइज्ड इन्डस्ट्रीज हैं उनमें हर साल कायदा करके दिया है उनमें बराबर नुकसान होता है। क्यों होता है ? एक तरफ आप कहते हैं कि हम रूढ़ि को दूर हटाना चाहते हैं । रूढ़ि में फंसा हुआ है । हमारे आकाओं, केन्द्रीय सरकार और मंत्रिमंडल ने यह नीति निर्णय कर दिया कि नेशनेलाइजेशन करना है, फायदा नुकसान नहीं देखते । आपके और आपके आकाओं को नेशनेलाइजेशन करना है । नेशनेलाइजेशन करेंगे । रोडवेज को ही देखिए । कौनसा फायदा है ? प्रशासनिक कठिनाइयां कितनी उठानी पड़ती हैं। व्यापारी व्यापार को चला सकता है। प्रशासनिक तौर से चलाये जाने वाले जितने भी कारखाने हैं उनमें खराबियां रहेंगी, उनकी अव्यवस्था को दूर करना है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम्पीटिशन में आइये । आप राष्ट्रीयकरण करके व्यापार और कारखानों को चलाना चाहते हैं तो आप जनता को भी आपके मुकाबले में अधिकार दीजिये । रोडवेज और प्राइवेट बस दोनों को कम्पीटीशन में रखिये, कौनसी बस जनता को आराम देती है। लेकिन आपने जिन रूट्स को नेशनेलाइज कर दिया आप दूसरी बसेज को नहीं चलने देंगे उस पर । आप तुलना करके देखिये और मुकाबला करके देखिये । जनता के सामने खुला हुआ बाजार हो, जहां अच्छी चीज होगी वहीं पर कारोबार करेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, बाढ़दार साहब कोट को ऐसे (हाथ से बताते हुए) करके बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : आपको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : बाहर बोल रहे हो वैसे बोल रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : डागा जी आप परम्पराओं को निभाने की चेष्टा कीजिये ।

श्री सभापति : मैं यहां बैठा हुआ हूं आप चिन्ता न कीजिये । अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो मूलभूत नीतियां हैं उनको अपनाइये । राजस्थान की सरकार यह कहती है कि प्रगति हो रही है और जब कभी मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं या मंत्री महोदय भाषण देते हैं। सभापति महोदय, हमने प्रगति की है । हमने इतना काम कर दिया है । सभापति महोदय, आज मजबूरी में ही मंत्री महोदय के साथ मुझको कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ी प्रगति की है । अब आपने क्या प्रगति की है—चार लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं । समय का अभाव है इसलिये चार लाइन ही कहना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रगति हो रही है दिन प्रतिदिन आप प्रगति कर रहे हैं ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रगति हो रही है दिन प्रतिदिन

क्योंकि बढ़ने का नाम ही प्रगति है इस-
लिये उसको प्रगति बता रहा हूं।

प्रगति हो रही है दिन प्रतिदिन

बाजारों में भाव बढ़ रहा
टैक्स बढ़ रहा
और नव फैशन का चाव चढ़ रहा

बेकारी बढ़ रही

सुनिये पंडित जी।

बेकारी बढ़ रही
बढ़ रहा अल्हड़पन
सब में मनमानी
और
आजादी का सही अर्थ
युवक-युवतियों ने पहचाना
जीवन में नया दृष्टिकोण, नव संस्कृति का निर्माण हो रहा
और लोक समाज कल्याण हो रहा।

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी यह आपका समाज कल्याण है। क्या दृष्टिकोण बदला है। सारे देश में इसकी हवा बह रही है। इसलिये लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय भावनाओं को, जिले की भावनाओं को जब हम इस सदन में बैठ कर विचार करते हैं तो हमको छोड़ देनी चाहिये। हम यह देखना चाहिये कि हम राजस्थान के नागरिक हैं, सारे राजस्थान के भाग्य का निर्धारण इस सदन के प्रांगण में हम करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिये कहता हूं आज आपके अधिकार में एक ही शक्ति है और वह शक्ति यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को मकान के लिये लोन देना और राहत का काम करना। मेरे पास शिकायतें आई हैं और आपके लिये यह शिकायत है और वह शिकायत यह है कि जितना परसेन्ट लोन का आपने दिया है, आप इसकी चाहें तो जांच कर लें, मैं कोई कटु आलोचना नहीं करना चाहता किसी की व्यक्तिगत रूप से और न मैं इसका आदी हूं, लेकिन जो शिकायत है उसको स्पष्ट रूप में यहां कहना चाहता हूं कि आपने जितना लोन दिया वह अधिकांशतः बांदीकुई क्षेत्र में दिया। क्या राजस्थान के और लोगों को उतना दिया है ?

श्री बी. एन. जोशी : यह नितान्त गलत है। इस साल अनुसूचित जाति के अलावा मेहतरों को मेरे ख्याल से एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

(शोरगुल)

जयपुर के हरिजनों को दस लाख दिया गया है।

श्री सभापति : आप जवाब में कह देना।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : गोकुलप्रसाद जी दिल से कहें क्या बात है ? ऊपरी दिल से नहीं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि आप इस भेदभाव

(श्री दुर्गालाल बगढ़दार)

को हटावें और आंकड़े ही न बतावें। जिसकी जेनुआइन बात है उसको पूरा करने का पहले कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, जिस प्रकार कि कई दिनों से बजट पर यहां बहस हो रही है मुझे उस पर कुछ कहना है, कुछ निवेदन करना है। टैक्स बढ़े हैं, बजट पास हुआ है, कुछ मुख-बन्दी करके हुआ है। टैक्स कहां बढ़े हैं। जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है हमारे वित्त मंत्री जी यह बात हमेशा से कहते रहे हैं यह जो सेल्स टैक्स, बिक्री कर है, वह मेरे लिये कामधेनु है और वे उसे कामधेनु ही मानते हैं और हमेशा ही सेल्स टैक्स में वृद्धि होती जा रही है। सेल्स टैक्स हमेशा उन लोगों से लिया जाता है जो खरीद कर लाते हैं और ज्यादा टैक्स हर साल उन पर ही बढ़ता जा रहा है। जहां तक राजस्थान के बजट का सवाल है इन पिछले कई वर्षों में सेल्स टैक्स कई गुना बढ़ गया है और जब सेल्स टैक्स लागू था तो उससे 20 गुना आज यह ज्यादा है, उससे 20 गुना आमदनी है। यह सेल्स टैक्स की आमदनी का भार, इस टैक्स का भार गरीब और खरीददारों पर पड़ता हैं। आप सरमायेदारों पर टैक्स नहीं लगाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स भारत सरकार उन पर लगाती है। जो सेल्स टैक्स लगाते हैं उसका वजन मध्यवर्ति के लोगों पर पड़ता है। आपके पास जब आजादी आपको मिली और आपके पास राज्य आया उस समय 8 करोड़ की राजस्व की आमदनी थी और उसकी राजस्व की वसूली करने में 70 लाख का खर्चा होता था और आज राजस्व की आय वही 8 करोड़ रुपये है। यह और न तो बढ़ी है और न घटी है। और आज इस राजस्व की वसूली के अन्दर सिर्फ पटवारियों पर ही 4 करोड़ रुपया आप खर्च कर देते हैं और तहसीलदारों पर पौने दो करोड़ रुपये और आपके रेवेन्यू बोर्ड, कलेक्टर आदि को मिलाकर जो राजस्व की पूरी वसूली है वह इस पर खर्च कर देते हैं। इस कोर्ट में आपके पास कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उल्टा स्टाफ का खर्चा बढ़ा है।

इसी प्रकार से आप सिंचाई का खर्चा करते हैं और इस खर्चे में बड़ी योजनाओं के लिए केवल 7 करोड़ का व्याज हर साल हम खर्च कर डालते हैं इस राजस्व में से। और सिंचाई से आपको डेढ़ करोड़ की आय होती है और 12 करोड़ का खर्च होता है स्टाफ पर याने साढ़े दस करोड़ रुपया सिंचाई के तालाबों, बांधों पर घाटा होता है। इसमें जितना आप सिंचाई पर खर्च करते हैं उसका व्याज ही वसूल कर लें जितना आप सिंचाई पर खर्च करते हैं-नहीं करते हैं। याने जितना खर्च कर देते हैं उसका व्याज भी आप वसूल नहीं कर पाते हैं। स्टाफ का खर्चा तो वसूल करना दूर रहा क्योंकि आपको यह डर है कि सिंचाई की दरें वगैरह बढ़ाई गई तो जैसा गंगानगर में आन्दोलन चला, गांव के लोग भी आन्दोलन छेड़ेंगे ? शहर के लोग दिन भर अपनी रोटी के लिये ही काम करते रहते हैं और वह भी कमा नहीं पाते इसलिए वे आन्दोलन को नहीं छेड़ सकते। आन्दोलन में उसको दस दिन की भी जेल हो जाये तो उसके बाल बच्चे क्या खायेंगे, यह उसको डर रहता है। इसलिये वे आन्दोलन नहीं चला सकते। यह समझ कर वे आन्दोलन नहीं चला सकते। इस कमजोरी को आप

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
समझ गये हैं। आपको सिंचाई की दरों से डेढ़ करोड़ की आमद है और खर्चा 12 करोड़ का है। जब आजादी मिली थी तब राज्य सरकार को सिंचाई से एक करोड़ की आमदनी थी और खर्च को हटाकर सरकार को बचत होती थी अब बजाय आमदनी के सरकार को घाटा हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि आप इन लोगों से डरते हैं, जिनकी जमीनें बड़ी सिंचाई योजनाओं में हैं, उनसे आप घबराते हैं और खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं इन बांधों पर जो राजस्थान कैनाल भाखरा या गंग कैनाल है उस पर खर्च की आलोचना नहीं करता हूं। इन पर खर्च करने से आपकी कैपिटल आउट ले बढ़ रही है लेकिन इसमें जितना स्टाफ का खर्चा है उसको लीजिए। इसलिये गेप पड़ता है आप उनसे डरते हैं और उसको वसूल करते हैं गरीब खरीददारों से उनको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। आप यह सिंचाई वालों से नहीं ले सकते क्योंकि वे आप के खिलाफ हो जाते हैं और चूंकि तुम गरीब हो, तुमसे कान खींचकर हम ले लेंगे।

आप सामुदायिक विकास पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। विकास अधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर, एनीमल हस्बेंडरी ऑफिसर कई ऑफिसर आपने लगा रखे हैं। इन सब का वेतन आप देते हैं। आपने यहां कहा था अरबन के लोगों के लिये विकास योजनाएं आप चालू करेंगे। आज इस बात को कहे हुए 15 साल हो गये। 15 साल का अरसा बीत गया परन्तु नगरों के लिये कोई विकास की योजनाएं शुरू नहीं हुई। आज नगरों की क्या हालत है। आप एक बात भी नहीं कर सके हैं। 90 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को भारत सरकार देती है तब जाकर आप अपने नौकरों की तनख्वाहें चुका पाते हैं। क्या आपने इसी तरह से तनख्वाहें बढ़ाने का नगरपालिकाओं की मदद की है। नगरपालिकाओं की आमदनी आपके मुकाबले नहीं है और इस कारण वे अपने स्टाफ को आपके मुकाबले वेतन नहीं दे पाती। परन्तु पंचायत समिति को आप पूरा वेतन देते हैं, पूरा रुपया देते हैं लेकिन नगरपालिकाओं को छोड़ देते हैं, उनको कहते हैं अपना खर्चा बरदाश्त करो। परन्तु शहरों में जो मनोरंजन कर आप लगाते हैं वह भी आप वसूल कर लेते हैं और देते क्या हैं ? कहते हैं पर हैड, पर कैपिटा आठ आना देते हैं। जयपुर की आबादी साढ़े सात लाख है तो साढ़े तीन लाख रुपये आप उसको देते हैं और उनका पिछला कोई रुपया बकाया होगा तो उसका ब्याज आप उसमें से काट लेते हैं। आपने पंचायत समितियों को जो पैसा दिया है उसका कोई ब्याज काटा है ? आप विकास के नाम पर करोड़ों रुपया गांवों में खर्च करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट 8/9 करोड़ रुपया खर्च करता है, एनीमल हसबेंड्री डिपार्टमेन्ट भी 7/8 करोड़ के करीब खर्च करता है। इस तरह दोनों विभाग मिल कर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। यह गांवों के नाम पर आप खर्च कर रहे हैं। जहां गांवों के विकास के लिये आप खर्चा करते हैं वहां आपने शहरों के विकास के लिये क्या खर्चा किया ? क्या शहरों में उद्योग धन्धे खोले हैं ? आप यह मानते हैं क्या कि शहरों में सब पैसे वाले ही रहते हैं ? आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखायी देती हैं वे चन्द लोगों की हैं बाकी तो सब किराये से ही रहते हैं। आज जो किराये से रहते हैं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

उनके पास किराये का पैसा देने को नहीं है। आज शहर वालों पर टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है, यह इसलिये कि इनके पास वोट कम हैं। इनकी कौन परवाह करे इस तरह से शहर वालों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। टैक्स भी गांव वालों से कम लेते हैं, खर्चा उन पर ज्यादा करते हैं। इस लिये मेरा आपसे निवेदन है कि शहरों की विकास योजनायें बना कर उनको उचित धन राशि प्रदान करें और इनके विकास के लिये उद्योग धन्धे खोलें।

सभापति महोदय, आज जयपुर में रोजाना करोड़ डेढ़ करोड़ गैलन पानी खर्च होता है। इसी तरह से जोधपुर, बीकानेर, कोटा आदि शहरों में पानी का खर्चा होता है। वह पानी मय खाद के यों ही बहता रहता है। उसके लिये कुछ योजनायें बना ली जायें तो काफी लाभ हो सकता है। बड़े बड़े तालाब बना कर आप जितना पानी नहीं दे सकते उतना पानी इनसे मिल सकता है और साथ खाद भी। इससे अनाज की और चीजों की पैदावार बढ़ सकती है और गरीब लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आप शहरों के लिये विकास योजनायें नहीं बनायेंगे क्योंकि आप देखते हैं कि उनके पास वोट नहीं है या कम हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप यदि बहुमत से इस बारे में निर्णय ले सकते हैं कस्बों और शहरों के रहने वालों तुम हमारे राज्य में नहीं रहते हो। आप जो इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो यह बहुत ही अनुचित है। आप इनको धोखे में मत रखो नहीं करना हो तो साफ कह दो हम तुम्हारे लिये विकास का कोई काम नहीं करेंगे।

आप यह कह सकते हैं कि शिक्षा पर शहरों में ज्यादा खर्च हो रहा है क्योंकि वहां पर कॉलेज हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां ज्यादा लोग बसेंगे वहां आपको उसके हिसाब से शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा। आज शहर में कॉलेज हैं तो उसका खर्चा गांव के कॉलेज की अपेक्षा बहुत कम होता है। हायर सैकण्डरी स्कूल भी गांवों में खोला जाता है तो उस पर ढाई लाख का खर्चा आ जाता है और पढ़ने वाले लड़कों की संख्या आपको वहां तीस भी नहीं मिलेगी।

श्री मदनसिंह : क्या गांव वाले कन्ज्यूमर नहीं हैं?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो लोग जिन्दगी में साबुन नहीं लगाते, जूते नहीं पहनते, उनकी बात आप क्या करते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : आपके लिये खाद भी भिजवा दें?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं नहीं चाहता कि आपका खाद बने। ईश्वर न करे आपका खाद बने और वह हमारे काम आये। मेरा निवेदन करना यह है कि आप अरबन विकास योजना के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम बनाइये। आज सेल्स टैक्स की आमदनी जो 1 करोड़ थी आज वह बढ़ कर 18 करोड़ हो गई। आपने होटल और रेस्टोरेन्ट पर कर दो पर सेण्ट से बढ़ा कर 5 पर सेण्ट कर दिया। हलवाई की दुकान से आखिर मिठाई कौन खरीदेगा वह खरीदेगा जिसके घर पर नहीं बनती। वह बेचारा अपने बच्चों के लिये दो चार आने की मिठाई ले जाता है और अपने बच्चों को खुश करता है। बड़े बड़े लोग जिनके यहां नौकर रहते हैं वे तो खुद घर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पर ही बना कर खा सकते हैं। दूसरा होटलों में रोटी कौन जाकर खायगा वह जाकर खायगा जो बेचारा गांव से आता है किसी की पेशी पड़ जाती है वह जाकर होटलों में खाना खाता है तो उसको पूछा जायगा तुमने दो रुपये का खाना खाया लाओ बीस पैसा टैक्स। इस तरह से आप एक गरीब को रोटी भी खाने देना नहीं चाहते आराम से।

आज आपने 35 पैसा प्रति रुपया पैसेन्जर टैक्स बढ़ा दिया। यहां से हम आदमी पांच अजमेर जाते हैं बस में तो हमारे से आने जाने के साढ़े सात रुपये टैक्स के वसूल कर लिये लेकिन एक प्राइवेट कार वाला अगर कार में पांच आदमियों को बिठा कर ले जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। क्योंकि वह रोड टैक्स देता है तो क्या बस वाला रोड टैक्स नहीं देता है क्या? वह भी देता है लेकिन चूंकि बस में बैठ कर तुम गये इसलिये तुम पर टैक्स लगेगा। आपकी जो यह टैक्स की नीति है उसको साफ करिये। आपके सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ते बढ़ते 28 करोड़ हो गई। आप नौकरों की तनखा बढ़ाते रहिये उधर टैक्स बढ़ाते रहिये। आप तो यही देखकर चलते हैं आपके सरकारी नौकरों के अलावा और तो कोई नौकर नहीं है। आप ज्योंही अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं बाजार में भाव बढ़ जाते हैं। इसका दूसरे लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता हैं। आपकी तरह से दुकानदारों के यहां जो नौकर काम करते हैं उनका बेचारों का वेतन कौन बढ़ाता है। उनके नौकरों को वही पैसा मिलता है जो आज से दस साल पहले मिलता था। उनको ढाई रुपया जो मिलता है उससे अधिक नहीं मिलता है। आपने जो मिनिमम वेज पहले बना रखो है वही अभी तक चल रही है। सन् 57-58 में जो वेजेज कायम की थी वही अभी तक चली आ रही है। एक फर्राशखाने का चपरासी आपके अधिकारी को दिन में चार गिलास पानी पिलाता है उसको तो आप 130 रुपया प्रति मास देंगे लेकिन दूसरी तरफ ऊन के कारखाने में काम करने वाले मजदूर को जो बेचारा पूरी महनत से काम करता है, ऊन की खंक से जिसको टी. बी., अस्थमा आदि बीमारी होने का डर रहता है, आपका ऊन का कारखाना बीकानेर में है उनको ढाई रुपया दिया जाता है यह सरकार के कारखाने की बात है। यह तो हालत सरकारी कारखाने की है जब उनको कहते है तो कहा जाता है कि स्टेट अण्डरटेकिंग नहीं है यह तो गवर्नमेन्ट का कारखाना है। जहां मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दी जाती।

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(3.38 म. प.)

जब सरकार अपने कारखाने के मजदूरों को भी पूरा वेतन नहीं देती है। एक तरफ आप अधिकारी वर्ग को ढाई हजार रुपया दे सकते हैं लेकिन एक मजदूर को ढाई रुपया भी नहीं दे सकते। इस अन्तर को आपको कम करना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, बीकानेर शहर के आसपास होकर एक नाला बह रहा है। उस नाले पर अठारह बीस लाख रुपया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

व्यय किया जा रहा है। इस नाले के अभाव में 40 लाख गैलन पानी खराब जाता था। इसके लिये मैने बहुत कोशिश की आखिर इस नाले को बान्धा गया इसमें ऐसी कारीगरी दिखाई, इसके इतने कर्व लगाये गये मानो किसी जयपुर के नक्कासी वाले ने किसी बर्तन पर नक्कासी की हो। इसको पचास कर्वो में इस तरह से घुमाया है जिससे यह जाकर एक सेठ की जमीन में पहुंचाया जा सके। वे सेठजी मुझसे मिले मुझे उन्होंने कहा कि आप इस सवाल को उठाना मत मैं ऊपर से ही काम करवा लाऊंगा ये काम ऐसे ही होते रहते हैं। मैने कहा आप इस गलतफहमी में मत रहना यह नाला आपकी जमीन तक नहीं जा सकता। लेकिन सेठजी की बात सही निकली मैने काफी कोशिश की इस नाले को सेठजी की जमीन तक न जाने देने की। इस तरह से इस नाले को सेठ जी की जमीन तक ले जाने में 2 लाख रुपया अधिक व्यय हुआ है। यह पानी वहां न जाकर दूसरी तरफ से लिया जाता तो इससे एक हजार आदमियों का पेट भर सकता था उधर दो हजार बीघा जमीन खाली पड़ी सेठ जी की जिसमें पर एकड़ 130 मन अनाज पैदा हुआ है यह जमीन करोड़पति सेठ रतनलालजी रामपुरिया की है। जहां तक यह नाला ले जाया गया है। और वहां पर कोई नाला पक्का बनवाया जा रहा है ताकि हमेशा बराबर पानी उनको मिलता रहे। बीच में जब मैं मांगों पर बोला इस बारे में तो मुझे यह कह दिया कि आज तार देते हैं बन्द करने का। वह तार गायब परसों तक तो उनका काम चल रहा था। कल का पता नहीं। रोज तार देते हैं। तीन बार तो मन्त्रीजी ने कहा कि दे रहे हैं सर्वे करा रहे हैं। उधर के भी लोग आये हैं। सेठ कहता है मैं तो कलकत्ता से यहाँ आया हूं। वहां उत्पादन बढ़ाने आया हूं बंगाल छोड़ कर। यह उत्पादन क्या करने आया है यह तो यह जाने या मन्त्री जी जाने पर एक बात साफ नजर आ रही है कि यह हजारों गरीब लोगों की रोजी रोटी और गुजारे का आधार जरूर छीनने के लिये यहां आया है। उन गरीबों को रोजी रोटी छीनने में न जाने किन सरकारी अधिकारियों ने और सरकारी मन्त्री ने बेईमानी की है और साजिश की है इस सेठ से मिलकर। किसने इस सेठ को यह फायदा पहुंचाने का षड़यन्त्र रचा है। इस की जांच क्यों नहीं करती सरकार। इधर एक हजार से ऊपर परिवारों को रोजी रोटी मिलती है और इसके बजाय एक सेठ को क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर आप इसे ठीक तरह से नाले को निकलवाएं तो इसके किनारे किनारे बसने वाले हजारों गरीबों को रोजी रोटी का साधन मिल सकता है।

समाज कल्याण मन्त्री जी नहर की सफाई करवा सकते हैं। इस नाले के किनारे किनारे गरीब लोग रहते हैं। बसते हैं, शिड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, इसे साफ कराया जावे और पक्का बनवाकर सही रास्ते ले जाया जावे तो इस गन्दे पानी का उपयोग वे गरीब लोग कर सकते हैं और उनको इससे रोजी रोटी आसानी से मिल सकती है और उत्पादन तो ये लोग बढ़ाएंगे वो सेठ क्या बढ़ा देगा। वह तो अपना पहले से ही बढ़ा हुआ पेट और बढ़ावेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

थोड़ासा निवेदन और करना चाहता हूं। शहरों में जहां देखिये वहां पर बिजली चम चम करती है जैसे त्रिपुरी हो। और यह चम चम भी वहीं करती है शहरों में भी जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। बाकी तो शहरों में भी जहां गरीब लोगों के आवास है जहां पक्के ईंट चूने के मकान नहीं हैं, केवल कच्चे मिट्टी के पुते मकान हैं झोंपड़ियां हैं वहां चम चम नहीं करती यह बिजली। वहां तो आज भी घोर अन्धकार है। रोड लाइटें भी नहीं हैं। न पानी के नल ही हैं। पावर हाउस वालों से पूछते हैं तो वे कहते हैं हमारे पास बजट में इसके लिये प्रोवीजन नहीं है, सरकार दे तो कर दें। मन्त्री जो इधर बार बार घोषणा करते रहते हैं कि हाँ दे रहे हैं। तो यह हालत है।

मैं कहता हूं आप डरना बन्द करिये इन तथा कथित बड़े आदमियों से। आप सही व्यवस्था चलाइये। दस करोड़ जहां आप खर्च करें वहां से डट कर रिटर्न लीजिये। रिटर्न जहां से मिलने की आशा न हो, मत करिये वहां इन्वेस्टमेन्ट फिर इसके लिये कोई बड़ा आदमी कितना ही आप पर दबाव डाले। इसी कारण आप हर साल घाटे में जाते हैं और इस घाटे को पूरा करने के लिये आप क्या करते हैं कि गरीबों पर कहर बरपा करते हैं। सेल्स टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और यहां तक कि आपने हलवाई की रोटी साग पर भी टैक्स लगा दिया। आप गरीबों के लिये तो यहां तक उतर आये हैं। फिर समाजवाद की दुहाई देते हैं। पापड़ मुंगोंड़ी पर कर लगा दिया। रोटी बनाने वाले पर कर लगा दिया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पापड़, यहां तो रईस खाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप तो बिन बोले ही अच्छे लगते हो। इसे गरीब भी खाते हैं ठाकुर साहब, यह मूंग ब्रेड ही तो है।

सभापतिजी, आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। टैक्सों में जो गलत चीजों पर आपने लगा दिया है वहां नहीं लगाया जावे और जहां आपका इन्वेस्टमेन्ट है वहां से रिटर्न लेने की हिम्मत बताई जावे।

सीलिंग लागू करने से आप क्यों घबराते हैं? हमेशा घोषणा करते हैं पर लागू नहीं करते। पांच-पांच हजार बीघा जिन लोगों के पास है वे आज भी निधड़क होकर आपके इस कानून को मजाक उड़ा रहे हैं। उनको बेचते जा रहे हैं आज भी और सैंकड़ों ऐसी रजिस्ट्रियां आज भी धड़ल्ले से हो रही हैं।

आपको एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाने में क्या मुश्किल है। हिम्मत क्यों नहीं करते। क्यों चोरों का साथ आप देते हैं क्यों उन ब्लैक मार्केटियरों, रिश्वतखोरों के हाथ में खेल रहे हैं जो अपना ब्लैक की कमाई का पैसा, रिश्वतखोरी से आया हुआ पैसा, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेन्ट और रिटर्न के नाम पर ब्लैक का व्हाइट करने के लिये बड़े बड़े फार्म लेकर बैठे हैं। कहते हैं खेतों में इतनी कमाई उनको हुई है। आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाइये और अगर नहीं लगाते हैं तो स्पष्ट है कि यह सरकार इन चोरों को, रिश्वतखोरों को और टैक्स चोरों को इन ब्लैक मार्केटियरों को प्रोत्साहन देना चाह रही है। या इनसे दबी हुई है। इनके हाथों में खेल रही है। इनके हाथों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बिक गई है। यह जनता की मान्यता बनेगी। आप इन ब्लैक मार्केटियरों, रिश्वत खोरों, तस्करियों के अनैतिक पैसे को व्हाइट कराना चाहते हैं, उसे नैतिक कमाई के पैसे का रूप दिलाना चाहते हैं। यह आपकी साजिश मानी जावेगी। किसान जो गरीब है, आप उनका लगान छोड़ दीजिये, कौन मना करता है आपको। करोड़ दो करोड़ से आपको क्या फर्क पड़ जावेगा। गरीबों का लगान छोड़िये और जिनके पास ज्यादा आमदनी है उनसे ज्यादा लीजिये। इन्कम-टैक्स के रूप में, एग्रीकल्चरइन्कम टैक्स के रूप में, अन्य टैक्सों के रूप में उनसे अधिक से अधिक लीजिये। आप गरीब किसान से, मध्यमवर्ग के लोगों से और हमसे तो इन्कम टैक्स धड़ाके से ले लेंगे पर उनसे नहीं लेंगे जो अनाप शनाप मुनाफा कमा रहे हैं जिनकी चीजें सात रुपये की सौ में बिकती हैं। इसलिये मैं कहता हूं गरीबों पर पड़ने वाले सेल्स टैक्स के भार की तरफ देखो, उधर निगाह कम करो। गरीबों को कम सताओ, मजदूर से टैक्स कम लो। उत्पादन पर टैक्स बढ़ाओ। जो अधिक कमाते हैं उन पर अधिक टैक्स रखो।

श्री सभापति : श्री शीशराम।

श्री शीशराम ओला : माननीय सभापति जी, यहां किसको कहा जाय, कोई सुनने वाला तो न मन्त्रिमण्डल का सदस्य यहां उपस्थित है, न अधिकारीगण यहां हैं. दोनों की बेंचें खाली पड़ी हैं।

श्री सभापति : राज्य मन्त्रीजी हैं।

श्री शीशराम ओला : राजस्थान में कुछ दिनों पहले 68-69 के बजट में पांच एकड़ तक की भूमि पर लगान माफ किया गया था। और यह सरकार की घोषणा अखबारों के पहले पृष्ठों पर बड़े बड़े अक्षरों में छपी थी। सभी छोटे काश्तकार इसे सुन कर पढ़ कर खुश भी हुए थे। पर थोड़े दिनों के बाद यह घोषणा वापिस ले ली गई और कहा गया कि इससे जो इन्कम होगी उससे बिजली दी जावेगी।

इस पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रस्ताव आये। सरकार ने उनसे प्रोजेल मांगे थे तो वापिस फिर प्रस्ताव भेजे कि उनके क्षेत्र में इस छोटी जोत की लगान की रकम दे। कहां कहां बिजली दी जावे। पर इसके वास्ते केवल कागज ही खराब हुए और पंचायत समितियों और जिला परिषदों की जो मीटिंगें इसके वास्ते बुलाई गई थीं उनमें आने जाने में टी. ए. डी. ए. ही खर्च होकर रह गया। इन प्रस्तावों पर कोई एक्शन राज्य सरकार ने नहीं लिया। वे कागज ही सड़ गल कर समाप्त हो गये होंगे। उनका कोई जवाब सरकार से नहीं मिला।

अलॉटमेन्ट के लिये जो गरीब भूमिहीन हैं, पिछड़े वर्ग के हैं जोर शोर से उनके लिये ऐलान किया गया। पर मैं, सभापति जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज अधिकतर जमीनें उनको ही मिल रही हैं जिनके पास पहिले से ही काफी जमीन है। गरीबों को, भूमिहीनों को आज भी नहीं मिल रही है। इसका जीता जागता सबूत मैं आपको दे रहा हूं। इस राजस्व प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, अकुशलता और पक्षपात की तो सीमा ही नहीं है। हरियाणा का एक आदमी खेतड़ी तहसील के ग्राम गणेशपुरा

(श्री शीशराम ओला)

में आया। उसको वहां पचास-साठ हजार की भूमि अलॉट कर दी गई।

राजस्थान के वीर जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, देश की रक्षा के लिये शहीद हो गये उनकी वीर पत्नियां भटक रही हैं, परेशान हैं पर उनको अलॉटमेंट नहीं होता है जमीनों का, घोषणाएं कर दी जाती हैं पर उनका कुछ नहीं होता। वे उन वीरों की विधवाएं, जिनका कमाई का साधन तो उनके वीर पतियों के साथ चला गया पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त देश की रक्षा करते करते पर देश के हम निवासी इतने कृतघ्न निकले हैं कि घोषणाएं करके भी उनका पालन नहीं करते। यह सरकार और सरकार का राजस्व विभाग है। उनको न मिले और दूसरों को दूसरे प्रान्त के निवासी को अच्छी कीमत की जमीनें दे दी जावें—यह राजस्व प्रशासन का नमूना है। राजस्व प्रशासन उन वीरों के प्रति, उनकी देश के प्रति की गई कुर्बानी के प्रति कितना वफादार है इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अगर राजस्व मन्त्री और विभाग तैयार हो तो मैं पूरे सबूतों के साथ इसको साबित करने को तैयार हूं। सबूत देने को तैयार हूं। राजस्व विभाग नीचे से ऊपर तक सोया हुआ है।

इसी तरह से गोचर भूमि का हाल है। गोचर भूमि सारी अलॉट कर दी जावेगी। यह श्री मूलचन्द जी ने कहा। दुर्भाग्य से कल बोलने का समय मुझे नहीं मिला। वर्ना तो मैं इसका उत्तर कल ही देता। गोचर भूमि फोरेस्ट विभाग को दे रखी है। दरख्त होते हैं उनमें। सारे गांव के लोग उन दरख्तों की रक्षा करते हैं और पशु पालन का जो काम करते हैं उनको उस गोचर भूमि से संरक्षण मिलता है। वहां सभी गरीब अमीर जो गांव में रहते हैं उनकी गायें बैल जानवर वहां जाते हैं, चरते हैं और पानी भी पीने को उनको वहां मुफ्त में मिलता है। बरसात का पानी उनमें तालाबों में भर जाता है।

तो इनको तोड़ देने से दो नुकसान होंगे। पशु धन का नुकसान होगा। और उधर फोरेस्ट के दृष्टिकोण से जंगल का और दरख्तों का नुकसान होगा। ये गोचर रहेंगे तो दरख्त पनपेंगे, लोग उनकी रक्षा स्वतः उत्साहपूर्वक करेंगे, उनको बढ़ावेंगे और इससे डेजर्ट नहीं बढ़ने देंगे और इससे वर्षा भी अधिक होगी। इसलिये गोचर भूमि छोड़ने की बात बन्द कर देनी चाहिये। इसका अलॉटमेन्ट नहीं होना चाहिये। और इसकी रक्षा करने में जो ढिलाई है उसे और मजबूत किया जावे।

झुंझुनूं में एक काटली नदी है। कल श्री मूलचन्द जी बोल रहे थे और कह गये थे कि इसके दोनों तरफ हजारों बीघा जमीन पड़त है वह बरसात में बहती है, तो इसको अलॉट कर दिया जाय। इस नदी में बरसात में पानी आता है और इस कारण उसके किनारे के हजारों कुआ में पानी की सतह ऊंची आती रहती है और इस पानी से हजारों मन अनाज पैदा होता है। कितने काश्तकारों को उससे लाभ मिलता है। यदि इस नदी को अलॉट कर दी गई तो सारे कुओं का पानी सूख जायगा, लाखों रुपयों की सम्पति के कुएं सूख जायेंगे। इसलिये इस काटली नदी को तोड़ने का जो जिक्र है उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है।

(श्री शीशराम ओला)

गान्धी शताब्दी के अवसर पर शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन अलॉट करने का प्रावधान रखा है। इस विषय में, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस का और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन अलॉट करने का प्रावधान रखा है वहां मिलट्री पर्सनल्स का भी प्रावधान रखा जाय। वे किसी भी दृष्टि से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को और औरतों को छोड़ कर फौज में चले जाते हैं। अगर कोई अन्य लोग फोरेन सर्विस मे भी गये हैं तो तीन साल बाद आ जाते है और उनको वहां बड़ी सहूलियत मिलती है। कई प्रकार के अलाउन्सेज मिलते हैं, हवाई जहाज का आने जाने का किराया मिलता है, बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है क्योंकि वे बड़े बड़े आदमी होते है लेकिन हमारे फौजी भाई जिनको तनख्वाह भी कम मिलती है, सुविधायें भी बहुत कम मिलती हैं, 4-4, 5-5 वर्ष छुट्टी नहीं मिलती है, अपने गांव और मुल्क से दूर रहते हैं, उनको कोई आर्थिक दृष्टि से भी लाभ नहीं होता है। अगर वे अपनी जमीन किसी को बोने के लिये दे जाते हैं तो वापिस आने पर उनको अपनी जमीन नहीं मिल पाती हैं। जमीन बोने वाले बोते बोते वे खुद काश्तकार बन बैठते है और जमीन नहीं लौटाते हैं। इसलिये मैं विशेष तौर से पुरजोर शब्दों में आपके द्वारा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, फौजी भाइयों के लिये जिस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जमीन का प्रावधान रखा है उसी प्रकार फौजी भाइयों को भी निश्चित रूप से उनके साथ जोड़ दिया जाय। यह मेरा निवेदन है।

झुंझुनूं जिला लगान की दृष्टि से राजस्थान में तो क्या मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में उन जिलों में से है जिनमें सबसे ज्यादा लगान लिया जाता है। झुंझुनूं जिले के साथ चूरू, हिसार, महेन्द्रगढ़ आदि जिले लगते है। उन जिलों में जो भूमि का लगान लेते हैं उनसे इस जिले को कम्पेयर कर लें और मैं समझता हूं आपका रेकार्ड स्वयं बता देगा। रेकार्ड से आपको पता लग जायगा कि झुंझुनूं जिले के किसानों को कितना लगान ज्यादा देना पड़ता है। इस लगान में किसानों को कितना परेशान होना पड़ता है, कितना हेवी टैक्स किसानों को लगान के रूप में देना पड़ता है इसलिये मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा, झुंझुनूं जिले का सर्वे किया जाय और जो दूसरे जिलों का लगान है उसके अनुरूप कर देना चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक मेरा दूसरा निवेदन यह है कि 100-100, 200-200 वर्षों तक के खाते एक ही मुखिया के नाम से चले आते हैं। उसके बाद 200 वर्ष गुजर गये, 150 वर्ष गुजर गये, मुखिया की कई पीढ़ियां गुजर गई लेकिन खाता उसी के नाम से है इसमें भोले भाले किसान काफी परेशान रहते हैं और इन भोले भाले किसानों की तहसील में कोई सुनवाई नहीं, पटवारी उनकी सुने नहीं, आपका कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। सबसे ज्यादा दु:ख की बात यह है कि कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार भी इस अत्याचार का ध्यान नहीं देती है।

(श्री शीशराम ओला)

एक ही खाता 200-250, वर्ष तक चले यह सरासर अन्याय है। आज एक आदमी के कुनबे के 35 घर बन गये हैं और खातेदारी एक ही है मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि सीलिंग लगानी चाहिये। हम भी कहते हैं लगनी चाहिये लेकिन सीलिंग लागू करते समय इन खातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। खाता नहीं बदलने के कारण 35 घरों को आपने बेकार कर दिया। जो खातेदारी एक बड़े कुनबे के एक बड़े मुखिया के नाम से चली आ रही है उनको खतम कर दें। क्लियर इन्स्ट्रक्शन कलेक्टर को दे दीजिये कि उस खातेदारी को अलग से बांट दें ताकि जो काश्तकार उन पर खेती करते हैं, उनको मिल जाय। काश्तकार पर सीलिंग लगाते हैं, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाने की बात करते हैं हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन अरबन जमीन जिन पर लगना चाहिये उन पर लें। पहले उन पर सीलिंग लगाया जाय फिर इनके ऊपर लगायें लेकिन 50 एकड़ से कम किसी भी काश्तकार के पास जमीन हो उस पर सीलिंग नहीं लगना चाहिये यह मेरा मंत्री जी को निवेदन है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तब सीलिंग कानन का कोई अर्थ नहीं होगा।

श्री शीशराम ओला : मैं कोई फाइनल ऑथोरिटी तो हूं नहीं। मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। आप भी अपने विचार रख दीजिये। दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्व प्रशासन की दृष्टि से झुंझुनूं जिले में तहसीलों का क्षेत्र बढ़ाया जाय। झुंझुनूं जिले में चार तहसीलें हैं। आज के इस युग में काश्तकार का काम तहसीलों से बहुत ज्यादा पड़ता है। कभी उसको तकाबी के लिये लोन लेना पड़ता है, कभी अच्छा बीज लेना पड़ता है कभी ट्रैक्टर के लोन के लिये जाना पड़ता है। ये सारी जानकारी तहसील के जरिये होती है। इतनी बड़ी तहसीलें होने से काश्तकार अपनी पूरी खाना पूर्ति नहीं करवा पाता है और बैंक यानि भूमि बन्धक बैंक जो हैं वे उनको टाइम पर लोन नहीं देती हैं इसका सारा दोष तहसील पर है। तहसील पर ज्यादा हैवी वर्क है। पहले की तहसीलों में थोड़ा काम था, अब काम बढ़ गया है। उन कार्यों की खाना पूर्ति नहीं होने से जो किसान को सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। प्रशासन की ढिलाई के कारण किसानों को परेशान होना पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा सभापति जी, आपके माध्यम से कि झुंझुनूं में खेतड़ी तहसील इतनी बड़ी है उसमें एक मुहाना तहसील और बना दी जाय। इसी प्रकार चिड़ावा तहसील है उसमें सूरजगढ़ तहसील एक और कायम की जाय। झुंझुनूं में अलसीसर पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है वहां एक तहसील और कर दी जाय। उदयपुर वाटी और नवलगढ़ तहसीलों में एक तहसील और कायम की जाय, इस प्रकार झुंझुनूं जिले में 8 तहसील हो जाय और 8 ही पंचायत समितियां हों तो प्रशासन की दृष्टि से किसानों को लाभ होगा, तहसीलों को भी लाभ होगा और तहसीलों का कन्ट्रोल भी ठीक हो जायगा।

इसी प्रकार झुंझुनूं जिले में ए.डी एम. की पोस्ट नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री शीशराम ओला : कोरम नहीं है तो मैं तो बोलूंगा।

(कोरम की घंटी)

ए. डी. एम. की पोस्ट नहीं है और एडीशनल कलेक्टर नहीं होने से प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रोजमर्रा के कार्य हैं काश्तकारों के और जनता के उन कार्यों में बड़ी कठिनाई और ढिलाई होती है और वहां के लोगों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिये। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट एशिया में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसी प्रकार से पिलानी में शिक्षा संस्थान है, नवलगढ़ में ऊन का कारखाना है और कभी कभी कलेक्टर को कहीं गवर्नर साहब आ गये तो जाना पड़ता है, खेतड़ी में प्लानिंग मिनिस्टर आ गये तो वहां जाना पड़ता है, कभी पिलानी में कोई आ गया तो वहां जाना पड़ता है, कभी खेतड़ी में हड़ताल हो गई तो वहां जाना पड़ता है और उनके चले जाने के बाद जिले पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहां की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं में एडीशनल कलेक्टर की पोस्ट हो तो वहां का प्रशासन ठीक ढंग से चल सकेगा और वक्त पर सब को लाभ मिल सकेगा।

झुंझुनूं में डिफेन्स में मिलट्री पर्सनल्स को प्लॉट्स दिये गये थे और वह प्लॉट्स आज से दो वर्ष पहले दिये गये और उनके पैसे जमा हो गए और उसके बाद में वहां के किसी एक सदर कानूनगो ने उन पैसों को इस तरह से कर दिया कि मैं क्या अर्ज करूं और फौजियों ने पैसे दे दिये, रसीदें उनके पास हैं और दूसरे लोगों को कब्जा करा दिया जिनको पैसों के ऊपर कुछ ब्याज भी देना पड़ रहा होगा। जो भूमि फौजियों के लिये दी गयी थी उस पर नाजायज तौर पर डंडा आदि बनवा कर लोगों के मकान बनवा दिये और फौजियों के लिए मकान नहीं बने और दूसरों के बन गये। यह इस प्रशासन का एक जीता जागता उदाहरण है।

इसी प्रकार से फौजियों के बच्चों के लिये मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज में पहले सुरक्षित स्थान थे लेकिन पिछली साल से वह व्यवस्था राज्य सरकार ने खत्म कर दी, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर रहने वाले अधिकारी और लोग अपने बच्चों को एजूकेशन दिला सकते हैं, ठीक तरह से शिक्षा की वह व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन फौजी बेचारे तो आपके सहारे अपने बच्चों को छोड़ कर देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। उनके बच्चों के लिए जो दो पांच पर्सेन्ट के रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी उसको हटा देना न तो उनके साथ न्याय है और न प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह रिजर्वेशन की व्यवस्था फौजियों के बच्चों के लिए थी वह तत्काल वापिस लागू कर दी जाये इसी सैशन से ताकि उसका लाभ फौजियों के बच्चों को मिल सके।

अब मैं राजस्थान स्टेट सर्विसेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुझसे पूर्व वक्ता ने गांवों में स्कूल नहीं, गांवों में यह व्यवस्था नहीं, गांवों में वह व्यवस्था नहीं, आदि बातें कहीं। मैं एक छोटी सी बात, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के

(श्री शीशराम ओला)

समक्ष रखना चाहूंगा वह बात कर दो और बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप तो राजस्थान की हर प्रकार की सर्विसेस में रूरल एरिया के नाम से 50 प्रतिशत रिजर्वेशन जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है उसी प्रकार की व्यवस्था कर दो फिर हम अपने स्कूल भी सम्भाल लेंगे और दूसरी बातें भी संभाल लेंगे। क्योंकि गांव के लोग जब सर्विसेस में आ जायेंगे और वह अधिकारी बन गये तो निश्चित रूप से वह जहां से आये हैं उस इलाके का भला सोचेंगे और उसके लिए सोचेंगे और फिर अपने आप हास्पीटल और स्कूल वगैरह खुल जायेंगे। इसलिए कहने से काम नहीं चलता। वास्तव में यह राजस्थान की सरकार अगर गांवों का कुछ ध्यान रखना चाहती है, गांवों की उन्नति चाहती है तो उसे यह रिजर्वेशन रखना चाहिये राजस्थान सर्विसेज में। हमने हरिजनों का रिजर्वेशन इसलिए किया कि वह समाज के सामने पिछड़े हुए कहलाते थे। इसलिए आज देहाती क्षेत्र जब शहरों के सामने पिछड़े हुए समझे जाते हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की जाये कि वह भी समाज में ऊंचे आ सकें फिर उनके बच्चे अच्छे इन्स्टीट्यूशन्स में पढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से उनमें सुधार आयेगा और जब यह सब कुछ हो जाये तो फिर यह रिजर्वेशन की व्यवस्था बन्द कर दें। लेकिन जब तक उनका पिछड़ापन कायम है तब तक 50 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन रूरल एरिया के नाम से कर दीजिए। आज कोई भी गांव का किसान किसी भी कम्युनिटी का हो गांव में बसने वाला आदमी आज अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, अगर वह वहां पढ़ाये तो खर्चा कहां से लाये। जब उनका बच्चा वहां नहीं पढ़ सकता और वह किसी भी सर्विस के लिए जाता है वह अपने आपको बहुत हीन पाता है और कमजोर महसूस करता है। और वह उसके मुकाबले में नहीं आता। इसलिए उसको बराबर लाने के लिए यह जरूरी है कि गांव के लोगों के नाम से, रूरल एरिया के नाम से, 50 प्रतिशत सर्विसेस में रिजर्वेशन निश्चित रूप से कर दिया जाये ताकि वे लोग भी अपने आप को संभाल सकें।

पंचायती राज के बारे में हर माननीय सदस्य ने इसकी बुराई की है। पंचायती राज के बारे में नहीं हर ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में स्कूल खोले और स्कूल के पास न भवन हैं। भवन हैं जरूर लेकिन जो टीचर्स हैं उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। वह वहां कैसे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। आज शहरों में शिक्षण संस्थायें हैं उनके पास मकान है, बिजली है, लड़के हैं और सारे प्रबन्ध हैं। लेकिन गांव का कोई भी टीचर जाता है तो पांच-पांच मील दूरी से स्कूल जाता है और इस तरह से वह कब पढ़ायेगा क्योंकि उसका तो आने जाने में ही सारा समय बीत जाता है। इसलिए जहां स्कूल हैं वहां उन मास्टरों के लिए आवास की व्यवस्था हो तो मैं समझता हूं कि शिक्षा में जो दुर्गुण हैं वह निश्चित रूप से दूर होंगे। आज शहरों में कभी भी कोई डाकखाना खोला जाता है या पी. डब्ल्यू. डी. का ऑफिस खोला जाता है या पुलिस का खोला जाता है, कहने का मतलब है कोई भी दफतर हो वहां पहले आवास की व्यवस्था की जाती है। इसलिए मेरा निवेदन

(श्री शीशराम ओला)

है कि टीचर्स के आवास की व्यवस्था हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं निर्माण मंत्री जी का ध्यान एक लम्बे अर्से से अधूरी पड़ी सड़क की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। चिड़ावा से मंडेला की सड़क है और यह अच्छा एरिया है। वह मंडेला अच्छा कस्बा है, मैं निवेदन करूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. उस सड़क को शीघ्र ही अपने हाथ में लेकर पूरा कराये ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज हम बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से बेरोजगारी है। मैं जिला परिषद् का प्रमुख होने के नाते जानता हूं कि कितने बेचारे लड़के मैट्रिक पास और उसके ऊपर की शिक्षा के आते हैं और बात करते हैं कि हमें सर्विस नहीं मिलती है। वाजिब है। मैं इसके लिए एक छोटा सा सुझाव आपके द्वारा निर्माण मन्त्री को देना चाहूंगा। पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन, सिचाई और निर्माण विभाग में जो भी ठेके से काम होता है वह ठेके से नहीं करा कर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सरकार अपने हाथ में लेकर डिपार्टमेंट के जरिये कराना शुरू करे तो जो बेरोजगारी है वह कुछ हद तक दूर हो सकती है। उसमें जितने लोग खपेंगे और इसमें लगेंगे तो जो समस्या है वह किसी हद तक हल हो पायेगी, और जो बेरोजगारी का आम जनता आरोप लगाती है और माननीय सदस्य भी आरोप लगाते हैं वह दूर होगा। हम समाजवादी व्यवस्था की तो बात करते हैं और जो करने के काम हैं उन पर विचार नहीं करते हैं और दूसरी दूसरी बातें करते हैं। इसलिए जरूरी है कि पी. डब्ल्यू. डी. और सिचाई विभाग जितने भी कार्य ठेके से कराये और दूसरे विभाग भी ठेके से करायें तो सरकार को चाहिए कि वह विभाग के जरिये से पूरा कराये, ताकि ठेके में जो दोष है वह दूर हो और अनएम्लायमेंट की जो समस्या है वह भी हल हो।

मैं वाटर वर्क्स के बारे में, सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा। कि वाटर वर्क्स के लिए मैं सिघानिया, मन्ड्रेला, सुलताना और कावड़ियावास के बारे में बात करूंगा। सिघानिया एक टाउन है और वह भी इन्टरनेशनल। वहां पर फ्रेंच, इटेलियन, जर्मन, रसियन सब जगह के एक्सपर्ट्स रहते हैं इसलिये कि यहां पर एक खेती का प्रोजेक्ट है और उसका मुख्यालय सिघानिया में है। वहां पर वाटर वर्क्स न होने के कारण न केवल दिक्कत है बल्कि उससे हिन्दुस्तान का नाम भी बदनाम होता है। इतना बड़ा वहां पर प्रोजेक्ट है और वहां वाटर वर्क्स नहीं है इससे हम सबकी बदनामी है। इसलिए वहां तत्काल वाटर वर्क्स का कार्य शुरू किया जाय। सन् 65 में वहां के लोगों ने 5 पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूट्री स्कीम के अन्तर्गत उसका पैसा जमा कराया था। इसी प्रकार के सुलताना एक कस्बा है और उसके अधिकतर लोग फौज में रहते हैं लेकिन उनके बच्चे वहां रहते हैं उनको पानी की समस्या बनी रहती है। मन्ड्रेला और कावड़ियावास भी ऐसे स्थान हैं जहां के सारे के सारे लोग फौज में हैं। मैं समझता हूं कि यह डिजर्विंग और वाजिब मांग है।

बिजली और नहर की बात है। बिजली बिजली करते हैं मगर बिजली उतनी सिंचाई

(श्री शीशराम ओला)

के लिए नहीं मिलती है जितनी कि मिलनी चाहिए। नहर के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि नहर नहीं आयेगी। मैं यह निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके द्वारा कि झुन्झुनू जिले का यमुना से 200-250 फीट लेवल ऊंचा है। इजरायल ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में 1500 फीट की ऊंचाई पर सिंचाई होती है। वहां पर 1500 फीट ऊंचा पहाड़ है, 1500 फीट उस पर पानी को लिफ्ट करके सिंचाई करता है तो क्या आप 200-250 फीट के लिए लिफ्ट इरिगेशन की योजना लागू नहीं कर सकते जिससे नागौर और झुन्झुनू जिले के लोगों को पानी मिल सके? सरकार को निश्चित रूप से यह काम करना चाहिए और इमर्जेन्सी बेसिस पर काम करना चाहिए ताकि अकाल की जो आये दिन समस्या रहती है उससे मुक्ति मिल सके और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यमुना नदी से ?

श्री शीशराम ओला : यमुना से।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अच्छा है, बहुत बढ़िया सुझाव है।

श्री शीशराम ओला : सभापतिजी, आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि हमारे यहां से कोई जोधपुर हाई कोर्ट में किसी मुकद्दमे के लिए जाय और अपने साथ बाजरी की रोटी या दूसरी चीज खाने के लिए घर से ले जाय तो वहां पहुंचने तक ही वह सूख जाती है, तो आज हाई कोर्ट की वजह से, उसके स्थान की वजह से, दो करोड़ की आमदनी सरकार को है और एक करोड़ के करीब खर्चा होता है तो जयपुर में भी उसकी एक बेंच हो जाय तो उस बेंच से यहां के लोगों को लाभ है तो उसकी जिद्द नहीं की जाय। यह वाजिब मांग है और उसको स्वीकार किया जाय, और मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच राजस्थान की राजधानी जयपुर में होनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांड़लगढ़) : सभापति जी, आज बजट पर आखरी मोहर लगने वाली है, लेकिन चिन्तन यह करना है....

श्री सभापति : आज नहीं परसों लगेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : परसों हुआ तो वही बात है। आज से शुरुआत हो गई है।

हमें चिन्तन यह करना है कि क्या गरीब और अमीर का भेद आजादी के बाद कम हुआ है ? क्या भूमिहीन को भूमि मिली है ? क्या न्याय सुलभ हुआ है ? क्या राष्ट्रीय भावना बढ़ी है ? क्या अनुशासन बढ़ा है ? क्या शराब की आज जो प्रतिष्ठा बढ़ी है आजादी के बाद वह कम हुई है ? क्या बाहर से नाज आना बन्द हुआ है ? और सभापति महोदय, क्या भाषा हिन्दी हुई है ? क्या गांव गांव में औषधालय खुल गये हैं और लोगों को बिना दवा के नहीं रहना पड़ता है ? क्या बेकारी दूर की जा चुकी है ? क्या श्रम और बुद्धि का भेद कम हुआ है ? क्या शिक्षा में परिवर्तन हुआ है ? क्या पंचायतों में किसी भी प्रकार के ग्राम-स्वराज्य के दर्शन कर पाये हैं और भावना जगी है ? क्या सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
क्या जुर्म कम हुए हैं ? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है ? क्या हम हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं ? आखिर इस देश में क्या हो रहा है ?

एक माननीय सदस्य : मंत्रिमण्डल बढ़ रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दोष दोनों तरफ है। आप मन्त्रिमण्डल की बात कहते हैं तो मैं अपने चरित्र की बात कह सकता हूं। हम राज चलाने वालों को कहते हैं इस बारे में लेकिन उसका असर नहीं होता है तो उसके एक कवि ने कहा है—

कथन है यद्यपि तेरा नेक
किन्तु तू यह तो पहले देख
ध्यान से अपने चारों ओर
खड़ा है अभी कौन से ठौर
सुनेंगे कैसे तेरा नाद
समय क्यों करता है बरबाद ?

कौन सुनेगा हमारी बात ? जब शराब का नशा ही ऐसा होता है तो राज्य सत्ता का नशा तो बहुत ज्यादा होता है—।

सत्ता मांहि है नशो तोल बोल कत रीक,
मदिरा की सो बोतलां गटकावे जत रोक।

सो बोतलें गटकावे उतना राज्य-मद है, तो कौन सुनेगा ? मैं तीन वर्ष से यह निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग यहां रात-दिन सरकार की आलोचना करते हैं, और अपने अपने अन्दर नहीं देखते हैं। थर्ड क्लास में आते हैं और फर्स्ट क्लास का किराया चार्ज करते हैं तो किस मुंह से कहेंगे ? जब हम लोग गलत काम करें और हम गलत काम करें तो कैसे कहेंगे कि तुम गलत काम करते हो। मैं समझता हूं कि कृपा करके आप इतनी बात मान लें कि जो फर्स्ट क्लास में आते हैं·······

श्री हंसराज आर्य : आप थर्ड में चलते हैं या फर्स्ट क्लास में चलते हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप सुन लें मैं निवेदन कर रहा हूं। सभापति जी, प्रश्न पूछा है तो मैं समझता हूं कि मैं आया था उससे पहले भी ····

श्री हंसराज आर्य : सभापति जी, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब मैं विधान सभा में आया था तो मैंने अपना संकल्प जाहिर किया था कि जब मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था तब तीसरे दर्जे में आता था तो अब भी मैं तीसरे दर्जे में जाऊंगा····

श्री हंसराज आर्य : किराया कौनसा वसूल करेंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

तो मैं पहले भी तीसरे दर्जे में आता था और विधान सभा में आने के बाद भी तीसरे दर्जे में आता हूं, और फर्स्ट क्लास का चार्ज नहीं करता हूं। आप फर्स्ट क्लास में आयें तो फर्स्ट क्लास का चार्ज करें। आप मेरे बिल देख सकते हैं कि वे 5-7 रुपये का भीलवाड़े से यहां का बनता है। वह आप देख लें।

दूसरी बात और है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक संकल्प और

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हैं कि जब तक सदस्यों के ऊपर बिजली और पानी का सीलिंग नहीं लागू होगा तब तक मैं बिजली और पानी का पूरा पेमेन्ट करूंगा और साल-डेढ़ साल से पूरा पेमेन्ट कर रहा हूं। जब तक सीलिंग लागू नहीं हो तब तक मैं उस रियायत का उपभोग नहीं करूंगा।

श्री हंसराज आर्य : मेहता साहब फर्स्ट में जायं और सैकण्ड का ही किराया वसूल करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो जाते हैं वे जरूर लें। उसमें मुझे रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है लेकिन फर्स्ट का किराया लें और थर्ड में आयें तो उससे अच्छी छाप नहीं पड़ती है। इसलिए मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा।

श्री हंसराज आर्य : आप थर्ड में आयें तो थर्ड का किराया लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वे लेते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं थर्ड में आता हूं और थर्ड का किराया लेता हूं। मैं फर्स्ट क्लास में जाता ही नहीं और किराया भी चार्ज नहीं करता हूं। आप मेरे बिल देख लें कि 5-7 रुपये का बनता है। आप कृपा करके देख लें। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आप सब को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मेरी यह प्रार्थना है।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोगों को गांवों की तरफ देखना चाहिए। आज सब के सब गांव के धन्धे नष्ट हो गये हैं। यदि ग्रामोद्योग नहीं चलायेंगे तो बेकारी किसी भी तरह से नहीं मिट सकेगी। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके जो हमारे एक अरब हाथ हैं अगर उनको काम नहीं दे सकेंगे और श्रम की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ायेंगे तो देश का कल्याण नहीं होने वाला है।

मैं आरम्भ में ही निवेदन कर चुका हूं इसलिए अधिक समय नहीं लूंगा और लगान-वृद्धि के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा। हमारे क्षेत्र में जब सेटलमेंट चालू हुआ तो 20-25 रुपये बीघे के हिसाब से नोटिस सेटलमेंट के अधिकारियों ने दिये। जो जमीन कुए से सिंचित होती है उसका लगान नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कुआ किसने बनाया? कुआ लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं। राज्य से उधार लेते हैं तो ब्याज देते हैं और रुपया वापिस चुकाते हैं। बारानी जमीन पर जितना लगान लेते हैं उतना ही इनसे लिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा।

अब मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं। आखिर हम परिवर्तन कब लायेंगे? एक तरफ आपके आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, दूसरी तरफ भील हैं। जहां भील लूखी सूखी रोटी खाते हैं वहां आपके ये अधिकारी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, मोटरों में इधर उधर आते जाते हैं, इतने बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, रहने के लिये सरकारी मकान लेते हैं और मकान बना कर किराये पर दे सकते हैं, यह आखिर हालत क्या है? आई. ए. एस., आई. पी. एस. में और किसान में जो कि सही माने में मालिक

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कहा जाता है, उसमें इतना अन्तर क्यों है ? इसके लिये हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से किफायतसारी कर सकते हैं ? मैं तो वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप हाउस की एक कमेटी बैठाइये और सोचिये कि हम किस तरह से किफायतसारी कर सकते हैं, किन किन खर्चों को कम कर के कम खर्चे में काम चला सकते हैं। आज आप नमक के तो चांक लगा रहे हैं और शक्कर सूनी जा रही है। इसलिये सोचिये कि खर्च में किस तरह कितनी कमी की जा सकती है। और राष्ट्र की सम्पत्ति को सच्चे माने में अपनी संपत्ति मानें तो करोड़ों की बचत हो सकती है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

मैं अधिक न कह कर इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : लेडीज फर्स्ट।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभापति महोदय, जिस प्रकार सेल्स टैक्स लगाया गया है और प्रति वर्ष लगाया जाता रहा हैं, उसके बारे में मैं वित्त मंत्री जी का एक बार और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जिस प्रकार हमारे यहां सेल्स टैक्स लगाया जाता है, उसमें अदूरदर्शिता के कारण हमारे कारीगरों को, दस्तकारों को बड़ी ठेस लगी है और लग रही है। खास तौर से मैं एक विशेष उद्योग की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं जिस उद्योग का आपकी सेल्स टैक्स प्रणाली के कारण बड़ा ह्रास हुआ है और हो रहा है। मिर्जा इस्माइल के जमाने में यहां हस्तकला और कलाकौशल की वृद्धि के लिये दस्तकारों और कलाकारों को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता था। मैं गलीचे के उद्योग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी। उस समय 33 उद्योग गलीचे के चलते थे पर आपकी इस नीति के कारण उन 33 गलीचा उद्योगों में से केवल 3 ही उद्योग रह गये हैं। हमारे यहां के गलीचे विदेशों में भेजे जाते थे। आज गलीचा उद्योग में पहला स्थान यू. पी. का है, दूसरा स्थान पंजाब का और तीसरा स्थान है मद्रास का, इनके कम्पीटीशन में आज हम ठहर नहीं पाते हैं। इसका कारण है आपकी सेल्स टैक्स की नीति। आपकी इस नीति के कारण हमारे यहां गलीचा उद्योग का बड़ा भारी ह्रास हुआ है। गलीचा उद्योग पर पंजाब में 5 प्रतिशत टैक्स है, यू. पी. में जिससे कि हमारा इस उद्योग में बड़ा भारी कम्पीटीशन है, वहां पर 7 परसेन्ट है और मद्रास में तो गलीचा उद्योग पर सेल्स टैक्स बिलकुल ही मुआफ कर दिया गया है। इसलिये हमारा गलीचा उद्योग नष्ट हो रहा है। हमारे यहां गलीचा उद्योग पर आपका डायरेक्ट सेल्स टैक्स 12 प्रतिशत है पर ऊन पर और रंग पर भीसेल्स टैक्स लेते हैं, इस कारण 23 परसेंट सेल्स टैक्स गलीचे के उद्योग पर हमारे यहां पड़ जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप खादी को सब्सिडी देते हैं तो यह ऊन, कोरस ऊन से गलीचे बनते हैं, यह खादी में नहीं आती है, जब कि ऊन में तो पावर लूम भी नहीं लगाया जाता है, केवल हाथ से किया जाता है। आप खादी पर तो सब्सिडी देते

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हैं और गलीचा उद्योग पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला कर 23 परसेंट सेल्स टैक्स आप ले लेते हैं। इससे हमारे मजदूरों की रोजी मारी जाती है, हस्तकला मारी जाती है। किसी समय बीकानेर जिले के बने हुए गलीचे संसार में मशहूर थे पर आज आपके राजस्थान के किसी जिले में गलीचा उद्योग आपकी इस नीति के कारण नहीं पनप रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस तरह की नीति अपनाइये जिससे हमारे यहां हस्तकला और कलाकौशल की उन्नति हो।

अब मैं एक ऐसी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जिसकी ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। सारे हिन्दुस्तान में हरिण को अवध्य माना गया है। जो भी हरिण को मारे उसके लिये 10 साल की सजा का प्रावधान है। आज हरिण जाति के पशु देश में नष्ट हो रहे हैं। वह प्रायः राजस्थान में विशेष कर बीकानेर में और जैसलमेर के आसपास पाया जाता है। आपका कानून कहता है कि जो हरिण को मारेगा, उसको दस वर्ष की सजा मिलेगी, पर आज प्रत्यक्ष में हरिण का मांस बीकानेर में घर-घर पर मोल बेचा जाता है। औरतें और आदमी हरिण मार कर बेचने बीकानेर में जाते हैं और घर घर में हरिण का मांस बिकता है। आज से दो साल पहले मैंने इस सदन में एक प्रश्न इस सम्बन्ध में उठाया था कि दो हजार हरिणों की पूंछें बाहर एक्स्पोर्ट की गई, दिल्ली के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा और वे राजस्थान के स्पेसिमैन की पूंछें पाई गई। इस सम्बन्ध में यहां प्रश्न उठाया गया तो आपने कहा था कि जांच हो रही है लेकिन आज तक उन लोगों को न तो पकड़ा ही गया है और न इस अपराध के लिये किसी को सजा ही दी गई है। आज हालत यह हो गई है कि बावरी, बागरी और दूसरे जंगलों में रहने वाले हरिणों को काफी बड़ी तादाद में मारते हैं और बीकानेर में बेचने आते हैं। माना कि फोरेस्ट के पास गार्ड नहीं हैं पर पुलिस का, कलेक्टर का कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के जानवरों को निर्दयतापूर्वक मारने से रोका जाय।

श्री हंसराज आर्य : सदन में कोरम नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अगर यही स्थिति जारी रही तो दुनियां से हरिण का स्पेसिमैन ही गायब हो जायगा।

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : यह तो आप अपने मुख्य सचेतक से कहें कि कोरम पूरा रखें, वे क्या करते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब रक्षक ही भक्षक हो गये हों तो फिर क्या हो ? बावरी लोग तो पैसों के लिये हरिण मार कर हरिण का मांस बेचते हैं पर हमारे फौजी और पुलिस के अधिकारी सरकारी जीपों में जाते हैं और हरिणों को मार कर ले आते हैं। तो इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगी और निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर ध्यान दे कर हरिण जाति के पशु को नष्ट होने से बचाये।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मैं एक और बड़ी समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वैसे ही राजस्थान हमारा एक रेगिस्तानी प्रान्त है। यहां के जंगल कटते जा रहे हैं। अब एक भयंकर समस्या आने वाली है। बीकानेर की तरफ हालांकि वैसे घने जंगल नहीं हैं, फिर भी वहां के जंगलों में फोग और कैर होते हैं, उनसे हरियाली दिखती है पर आजकल, चार पांच साल से वहां यह हो रहा है कि इन फोग और कैर के पेड़ों की जड़ें बहुत बड़ी तादाद में निकाली जा रही हैं और इंधन के लिये बेची जा रही हैं। आज हजारों आदमियों का यह धंधा हो गया है। जो हमारी सड़कें बनी हैं, उनके ऊपर से आप निकलेंगे तो देखेंगे कि जगह जगह इन जड़ों के टाल लगे हुए हैं। आज यह थोड़ी बहुत वनस्पति हमारे राजस्थान में थी, उसको जड़ से नष्ट किया जा रहा है। हजारों वर्ष में जा कर राजस्थान में वनस्पति पनपती है, उसकी जड़ें तक निकाल कर रेगिस्तानी राजस्थान को और भी बंजर बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार को इसका न पता है और न जानकारी है लेकिन 10-15 साल बाद इसके लिये हमें पछताना पड़ेगा। पहले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जंगलों का सफाया किया गया। अब गवर्नमेंट को सूझी है कि जंगल नहीं होने से हमारे राजस्थान में वर्षा नहीं हो रही है, इसलिये जंगलों की रक्षा की जानी चाहिये। मुख्य मंत्री जी जहां कहीं जाते हैं तो वन लगाने की बात कहते हैं। पर राजस्थान में इन वृक्षों की जड़ें निकाल कर बेची जाती है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता हैं। इस तरफ यदि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमें इसके लिये पछताना पड़ेगा। आज हजारों आदमी इन वृक्षों की जड़ों को खोद रहे हैं। तो आप इस ओर ध्यान दें। चाहे वन विभाग के अन्तर्गत आये, चाहे रेवेन्यू के अन्तर्गत आये। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। आज तो इस धन्धे से कुछ लोगों को रोजी मिल जाती हो लेकिन यह रोजी लम्बे समय में जाकर मानव के लिये और देश के लिये बहुत अहितकारी होगी।

सभापति महोदय, कुछ सिंचाई विभाग को लेकर एक दो बातें रखना चाहूंगी। हमारे राज्य में सिंचाई की जो दरें वसूल की जाती हैं उनमें बहुत बड़ी असमानता है। बहुत जबरदस्त असमानता है जिसे हम कह सकते हैं। जिस जमीन की सिंचाई राजस्थान नहर और भाखरा केनाल से होती है उनकी दर में और तालाब से होने वाली जमीनों की दर में जमीन आसमान का अन्तर है। भाखरा की जरखेज जमीन और मैजो की जरखेज जमीन। उनकी दरों में बहुत अन्तर है। हनुमानगढ़ की जमीन जिसका बारह आना और एक रुपया बीघा वसूल किया जा रहा है लेकिन जो उनसे कम जरखेज जमीन है इनसे 20) रु०, 25) रु० और 25) रु० से ज्यादा भी लिया जाता हैं। जहां कम दरें ली जाती हैं वहां पर जमीन में मेहनत कम करनी पड़ती है तो दूसरी ओर जहां आप 25 रु० बीघा लेते हैं वहां मेहनत कितनी करनी पड़ती है इसको भी तो देखिये। किसान को अपना कुआ खोदना पड़ता है, अपने बैल रखने पड़ते हैं। पांच-पांच आदमी मिल कर एक-एक चड़स पानी का निकाल कर जमीन को सिंचित करते हैं। इतनी बड़ी असमानता और इतना बड़ा भेद कहीं नहीं हो सकता। इसलिये सिंचाई विभाग द्वारा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

जो सिंचाई की दरें वसूल की जाती हैं उनको रेशनेलाइज किया जाय। बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तालाबों में पानी कम है तो पहले पांच-पांच दस-दस बीघा वालों को पानी दिया जाना चाहिये। लेकिन होता क्या है गरीबों को और कम पानी दिया जाता है और सौ बीघा वाले को पानी अधिक मिल जायेगा। लेकिन ढ़ाई बीघा वाले को तो कम ही मिलेगा। इसलिये सिंचाई की दरों और लगान की दरों में एक रूपता लानी चाहिए।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने फिर निवेदन करूंगी कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर, हमारी जो हस्त-कला है, हमारे जो हैन्डीक्राफ्ट्स हैं वह मर रहा है। उद्योग मर रहे हैं और रोजाना मजदूरी करके औरतें काम करती हैं. उनके लिये नुक्सानप्रद हो रहे हैं। आप हमारी इस कला पर मेहरबानी करें। प्राचीन संस्कृति की जो धरोहर है उसको सम्हाल कर रखें। कुछ रुपयों की आमदनी के लिए जो हमारे बाप दादों ने पुश्त दर पुश्त मिल कर इस कला को पनपाया है, इस संस्कृति को पनपाया है उसको मेहर-बानी करके आप प्रिजर्व करें। जयपुर शहर और गांवों में अनेक प्रकार की कलाएं हैं। यह थोड़े लोगों को ही पता है। हेंडी-क्रेफ्ट का जहां सवाल आता है तो राज-स्थान संसार में ऊंचा खड़ा रहता है। रंगों की गहराई संसार में प्रसिद्ध हो चुकी है। किसी दिन देखना हो तो दिल्ली में चले जाइए। जनपथ पर हर एक राज्य के एम्पोरियम बने हुए हैं। वहां जाने से पता लगेगा कि हमारे यहां के हैन्डीक्राफ्ट की विविधता क्वालिटी क्या है। दूसरे राज्यों के वहां पर एम्पोरियम हैं उनको भी देखिए। भीड़ कहां ज्यादा लगी रहती है? किस वस्तु को ज्यादा पसन्द करते हैं? यह हमारी कला का नमूना है। हमारे छोटे छोटे कारीगर बैठे हैं। यदि हमारे यहां के कारीगर जैसे दूसरे देशों में कारीगर होते तो लोग अखबार भर देते। लेकिन हमारे कलाकारों की कद्र हमारा

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

राज्य नहीं कर रहा है। कला को बढ़ावा देना तो दूर रहा वरन उसका ह्रास किया जा रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसकी हमारी राज्य सरकार पर है। सेल्स टैक्स की आमदनी मारी जा रही है उसके लिये वित्त मंत्री जी जिम्मेदार हैं। घंटी बज चुकी है। अनुशासन का पालन करते हुए मैं पुर जोर शब्दों में यही कहूंगी कि आप अपनी वर्तमान नीति को देखिये। हस्त-कलाओं के कारीगरों की क्या दिक्कत है, कौन कम्पीटीशन में आता है और क्या करने से उन हस्तकलाओं की रक्षा हो सकेगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस ओर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री अमीलाल यादव (अनुपस्थित) श्री कल्याणमल (अनुपस्थित)

श्री विट्ठलप्रसाद : मुझे भी समय दीजिये।

श्री सभापति : आपका सूची में नाम नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया।

आप पांच सात मिनिट में समाप्त करेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : सभापति महोदय, हमारे सामने आज 418 करोड़ 90 हजार का विधेयक है जिस पर परसों मोहर लगने वाली है। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा मेरे विचार सदन में रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और देश में आजादी के साथ हमारे भारत का जो संविधान बना था उसके अनुसार जिन लोगों को सरकार के अधिकार मिलने चाहिये और हमारे देश में जिस बात की आवश्यकता थी और जिसको लेकर भारत का संविधान बनाया उसकी आज हमारे देश में और हमारे प्रान्त में क्या प्रतिक्रियायें हो रही हैं और विशेषकर हमारे राजस्थान में क्या प्रतिक्रियायें हो रही हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 22 वर्ष का जो यह पीरियड निकला है इसमें कई करोड़ों रुपये राजस्थान की गरीबी को मिटाने के लिये, राजस्थान के रहन सहन को ऊंचा उठाने के लिये, सब प्रकार की राजस्थान में होशियारी पैदा करने के लिये खर्च किया गया। जो भी लोग राजस्थान के अन्दर व्यवसाय कर रहे हैं उन पर हमने जो खुल कर टैक्स लगाये और सारे टैक्स लगा कर यह घोषणा की कि ये सारे टैक्स लेकर हम विकास करेंगे राजस्थान का। जितना विकास करेंगे उसका इतना प्रतिशत भारत सरकार देगी और राजस्थान को खुशहाल बनायेंगे। इन सब बातों को लेकर हमारे राजस्थान के व्यापारियों पर या अन्य किसी प्रकार के धन्धा करने वालों पर टैक्स लगाये। उन सब टैक्सों का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग किया है। वह दुरुपयोग हमारे सामने स्पष्ट है। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से संविधान की अवहेलना हुई है और साथ साथ जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग हुआ है वह खुला दुरुपयोग है। मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में योजनायें सरकार बनाती है। बीस वर्ष के दरमियान में सरकार ने किस योजना में सफलता प्राप्त की है? बड़े बड़े टैक्स जनता पर लगा कर उद्योगपतियों को रियायतें देकर और बिजली पानी के मिनिमम चार्जेज लेकर उनको यहां पर पनपाया। लेकिन वे भी राजस्थान में तरक्की नहीं कर सके। समाज कल्याण विभाग को ही ले लीजिये, करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे संविधान के अनुसार भारत सरकार और राजस्थान सरकार योजनायें बनाती हैं, हर वर्ष बनाती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण विभाग की हालत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। करोड़ों रुपया इस विभाग द्वारा हरिजनों के उत्थान के लिये खर्च किया जाता है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिल कर करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। जो खर्चा करते हैं उसकी तरफ सभापति महोदय, आप नजर डालें कि कितना इस रकम का सदुपयोग हुआ है। नमूने के तौर पर किसी भी आसपास के एरिया को देख लीजिये, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिये उस क्षेत्र में इसका क्या उपयोग किया गया है। विशेषकर मैं जयपुर की मिसाल बताना चाहता हूं। वह यह है। समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के उत्थान के लिये एक जबर्दस्त

(श्री लादूराम सुलानिया)

ढोंग रचा गया। हम यह कहते रहे हैं कि हम राजस्थान के हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन सभापति महोदय मैं आपके मार्फत यह बताना चाहता हूं कि इस कल्याण के बजाय हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है। यह बात आप नजर खोल कर देख लीजिये और उस पर विचार करेंगे। जो हरिजन, परिगणित जाति के ट्राइब्स के लोग थे वे अपना व्यवसाय करते थे और अपनी जीविका उपार्जन करते थे, वे जहां बसे हुये थे वहां से उनको उखाड़ कर झूंठा लोभ लालच देकर कि उनकी हरिजन बस्ती, आदर्श बस्ती बसाई जायेगी. हटाया और करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया गया। उनको झूठा प्रलोभन देकर यह कहा गया कि उनकी आदर्श बस्ती बसाई जायेगी, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जयपुर जिले के अन्दर सैकड़ों बस्तियों की योजना बनाई गई। उसके लिये मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं और राज्य सरकार यह बतावे कि उनमें से कौनसी बस्ती का निर्माण करवाया है। एक भी बस्ती का निर्माण करवाया हो, उनको मकान बना कर दिया हो, नल बिजली लगाई गई हो, उनके लिये स्कूल खोला गया हो, पंचायत घर, रेस्ट हाउस बनाया गया हो तो वह बतावें ? किसी भी प्रकार की सुविधा उनको नहीं दी गई है और अगर कोई दी हो तो उनके नाम बतादें। यह विभाग करोड़ों रुपया इनके नाम पर खर्च करता है और पिछड़े हुए लोगों के नाम पर खा जाता है। इस प्रकार की योजना बनाकर भी हजम कर जाता हैं। इसकी तरफ भी मैं, आपकी मार्फत सभापति महोदय, ध्यान दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, जयपुर शहर में रंगरों की बस्ती बसाने की योजना बनाई गई। उसके प्रमाण में एक मिसाल आपको यहां देना चाहता हूं। किसी को पता नही है कि यह बस्ती कहां बसाई गई, कोई मकान नहीं बना और सारी रकम को खा गये जिसका आज तक कोई पता नहीं है। इसके लिये कोई पूछने वाला नहीं है और न कोई कहने वाला है। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो खिलवाड़, यह जो अन्याय किया जा रहा है उसको रोकने के लिये आपके पास, हमारे पास क्या विकल्प है। हम इसके लिए कौन से कदम उठावें। इसको विचार करने के लिये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के कई माननीय सदस्य अपने विचार यहां रखते हैं और विशेषकर हर सदस्य ने उसमें यह कहा है और वे यह कहे बिना नहीं रहते हैं कि हरिजनों के उत्थान की ओर सरकार ध्यान दे, उनका उत्थान किया जाये और उनको जमीन मिलनी चाहिए। मैं पूछता हूं बहुत समय से हम यह बात कहते आ रहे हैं। सभी यह बात कहते हैं किन्तु जब उसके पक्ष में कोई निर्णय की बात आती है, उस वक्त आपका वचन क्या होता है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे बहुत लम्बे चौड़े भाषण देते हैं—सिर्फ इसलिये देते हैं कि उनका नाम प्रोसिडिंग्स और अखबार में आ जाये और वे यह साबित कर दें कि हम हरिजनों के लिये वफादार हैं। सिवाय अपनी

(श्री लादूराम सुलानिया)

बात को विधान सभा में कहने के उसका पालन करने के लिए कोई भी सदस्य कर्तव्य-बद्ध नहीं है। इसलिये राजस्थान में, राजस्थान के पौन करोड़ हरिजनों और आदिवासियों की इस दुर्दशा के लिये कौन जिम्मेदार है ? उनकी इस दुर्दशा के लिए विधान सभा के वे सभी माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं, जो उनकी वकालात तो यहां करते हैं, किन्तु बाहर कुछ नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में हरएक हरिजन को अधिकार मिले हुए हैं, समान अधिकार मिले हुए है। परन्तु इन 20 सालों में हमने क्या किया है ? जो अधिकार इन 22 सालों में नहीं मिल सके तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं वे अब क्या करेंगे ? अगर किया है तो क्या किया है बतावें।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले से ज्यादा छुआछूत हरिजनों के साथ अब किया जा रहा है। हरिजनों के साथ छुआछूत करने का पहले से ज्यादा षडयंत्र रचा गया है। हरिजनों को झूठा लोभ देकर गांवों से बाहर बसाया जा रहा है, उनके लिये कुओं का निर्माण अलग से किया जा रहा है, उनके लिये छात्रावास का निर्माण अलग से किया जा रहा है। इन तीन-चार कामों में जो आपने किये हैं उनमें आप बिलकुल नाकामयाब रहे हैं, राज्य सरकार निकम्मी साबित हुई है। इसका नमूना है आपकी ये आदर्श बस्तियां। मैं चाहता हूं कि आप एक 2 बस्ती का निरीक्षण करें, आपको मालूम हो जायगा आपने क्या किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में हरिजन जाति के जो लोग हैं, जो हरिजन जाति सफाई का काम करती है, उनके लिये बस्ती की कई दफा योजना बनाई गई, वे जो मैला सिर पर ढोते हैं उसके लिये भी सरकार ने योजना बनाई कि इनका सिर पर मैला ढोना बन्द किया जायेगा, और इसके लिए ऐसा इन्तजाम किया जायेगा, ठेला गाड़ी उनको दी जायेगी आदि अनेक प्रकार की योजना बताई गई और इसके लिये हजारों रुपयों की एड जयपुर की नगरपालिका को भी दी गई, लेकिन आज तक यह काम बन्द नहीं हुआ। हरिजन आज भी मैला सिर पर ही ढोते हैं। यह पता नहीं चला कि जो एड दी गई थी उसका क्या हुआ ? कोई सुविधा हरिजनों को नहीं मिली। ऐसी हालत है। ये हरिजन भाई जहां रहते हैं वहां काफी गन्दगी रहती है। जहां ये रहते हैं वहां कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता। ऐसी दुर्दशा शहर में रहने वाले इन हरिजन भाइयों की है और जिनके लिये हम कहते हैं, हम हरिजनों का उद्धार करते है। इनके लिये कह दिया कि हम समाज कल्याण विभाग से अलग से पैसा खर्च करते हैं। मुझे यह बात सुनकर ताज्जुब होता है। सारे काम हरिजनों के लिए आप अलग से करते हैं। अभी समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड पर भी यह कहा गया इसको अलग से लेंगे। अब बजट भी आप हरिजनों के लिए अलग से बनाने लगे हैं। क्या यह अच्छा तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा और वह जमाना भी नहीं रहा जो 20 साल, दस साल या पांच साल पहले था। उनके अधिकारों को आप खाते जा रहे हैं। अब वे नहीं खा सकोगे। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस हरिजन उद्धार के नाम पर जो धन आपने दबोच रखा है, जो जमीनें आपने दबा रखी हैं, उसका खातमा होगा, इसका

(श्री लादूराम सुलानिया)
परिणाम आप भोगने के लिए तैयार रहें। अब उनकी आत्मा जाग्रत हो रही है। अब वह दबेगी नहीं और उसका भयंकर परिणाम होगा। जो लोग उनके अधिकार खा कर और धन खाकर बैठे हैं उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। हरिजन कह कर जमीन एलाट करा ली, उनके नाम से रिजर्वेशन करा लिया और खा गये। संविधान में सब मनुष्यों को समान अधिकार हैं और सब को मिलने चाहिये। उनके उत्थान के नाम पर योजना बना कर करोंड़ों रुपया खा गये है। इसको बर्दाश्त अब वे करने वाले नहीं हैं।

सभापति महोदय, अब मैं राजस्थान की पुलिस के बारे में दो-चार बात कहना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, लोग तो आधा घंटे तक बोले हैं। मैं दो-चार मिनिट और कहना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर कोई भी जाकर देख ले, छुआछूत का कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया जाता हैं। वहां कोई केस छुआछूत का दर्ज नहीं होता है। किसी भी तरह का केस नहीं लिखा जाता है चाहे वह मंदिर में प्रवेश का हो, कुवे से पानी भरने का हो। पुलिस वाले यह कहते हैं कि इस केस को दर्ज मत कराइये। हम वैसे ही इनका निपटारा करवा देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सम्बन्ध में एक केस इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। वह यह है कि यहां से 8 मील की दूरी पर एक गांव है वहां के हरिजन ने एक मकान बनाना चाहा जिसको नहीं बनवाने दिया गया। उसको पक्का बनाने पर रोक लगा दी जिसका मुकदमा थाना बस्सी में दर्ज किया गया और आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि उस मुकदमें का कुछ पता नहीं है। उसकी फाइल का भी पता नहीं है। इसी तरह से दुर्गापुरा के एक हरिजन का मकान दस वर्षों में जाकर बना। इस तरह से हरिजनों के साथ छुआछूत की जाती है और उनको अनेक तरह के कष्ट दिये जाते हैं और ऊपर से यह कहा जाता है कि उनकी आदर्श बस्ती बसाई जायेगी ? कौनसी आदर्श बस्ती बसायी जायेगी, यह भगवान ही जानता है।

श्री सभापति : पुलिस की मांग पर बोलते बोलते आप आदर्श बस्ती पर आगये हैं। अब समाप्त करें।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि इस तरह से छुआछूत के केस को पुलिस में दर्ज नहीं किया जाता है। आप कहते हैं कि हम छुआछूत को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि छुआछूत को मिटाने के लिये यह अधिकार जो पुलिस को आज है उससे हरिजनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है इसलिये ये अधिकार बजाय पुलिस के और किसी दूसरे महकमे को दिया जाये, कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाये और बड़े बड़े शहरों में जो छुआछूत के केस हैं उनकी अलग से पैरवी व सुनवाई की व्यवस्था की जाये तो सभापति महोदय इससे छुआछूत कम हो सकती है।

श्री सभापति : अब भाषण समाप्त करे। 15 मिनट हो गये।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह बताना चाहता हूं....

श्री सभापति : आपको दस मिनिट का समय दिया गया था वह तो कभी का समाप्त हो चुका था उसके बाद आपने फिर पांच मिनट ले लिये। आपको यह भी ध्यान में होना चाहिये अन्य माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। आप काफी बोल गये हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं जल्दी ही समाप्त करने वाला हूं। दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: आपके दो मिनिट बड़े लम्बे हो जाते हैं। आपने पांच मिनिट मांगे थे उसके पन्द्रह मिनिट हो गये। यह आसन के लिये बड़ी दिक्कत हो जाती है आसन समय दे देता है फिर आप उस समय में समाप्त नहीं करते हैं। नहीं देते हैं तो वैसे नाराजी। आप बात भी नहीं मानें तो बड़ी दिक्कत होती है आपभी हमको कार्य सुचारू रूपसे चलाने में मदद दीजिये। पृथ्वीराजजी बोलना चाहते हैं बहुत ही कम वे बोलते हैं। वे भी शिडयूल्ड ट्राइब्स से आते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं वह यह कि विधान सभा से लेकर पंचायत स्तर तक चले जाइये सभी यह कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की मदद करना चाहते हैं। वे यह कह कर हमारे पर एहसान नहीं करते हैं। हमें यह संविधान में अधिकार मिला है उसकी पूर्ति होनी चाहिये। यह धोखा दिया जाता है कि हमने बहुत कुछ आपके लिये किया है। यह कर हमारे साथ अन्याय करते हैं यह आपका जुल्म और अत्याचार है। अगर संविधान में दी हुई सुविधाओं को आपने नहीं दिया तो आपको वे दिन देखने पड़ेंगे। हरिजन लोग कभी इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। आपने बीस साल हो गये उनको संविधानिक अधिकार तक नहीं दिये हैं। इनके प्रतिनिधियों को गुलाम बना कर रखा जाय यह कभी बरदाश्त नहीं करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आप हमें बहलाइये मत अब हम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। हम अपने संविधानिक अधिकार प्राप्त करके रहेंगे। नहीं तो आपको एक दिन देखना पड़ेगा कि आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जायेगा।

श्री सभापति : आपने पांच मिनट की मांग की थी और 18 मिनट ले लिये अब आयन्दा यह ध्यान में रहेगा कि आपके पांच मिनट का मतलब अठारह मिनट होता है।

श्री लादूराम सुलानिया : आसन ने नहीं राज्य सरकार ने अन्याय किया है।

श्री सभापति : श्री पृथ्वीराज।

श्री पृथ्वीराज पटेल (बामनवास) : सभापति महोदय, मैं बामनवास क्षेत्र से चुन कर आया हूं। मैं बामनवास तहसील की कुछ बातें कह रहा हूं। बामनवास एक ऐसा स्थान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां पर कोई सड़क नहीं है। वहां एक छः मील का टुकड़ा है वह बनना बाकी है। वहां से करौली तक सड़क जाती है इसके बीच में पांच छः मील का एक एरिया

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

है उस पर सड़क नहीं है। इसलिए बामनवास को आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। बामनवास के पास दो पहाड़ी हैं जिसके ऊपर पच्चीस हजार की जनसंख्या है। जो उस पहाड़ी पर बसती है। जो सौ मील चौड़ी है। उसके ऊपर ढाई हजार आदमी काश्त करते हैं। बरसात के दिनों में उनको आने जाने की बड़ी तकलीफ रहती है वे पहाड़ी से बोझा लेकर नीचे जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। सिर पर रखा हुआ भार गिर जाता है। इसलिये उनके लिये कोई सड़क बनायी जानी चाहिये।

दूसरा मेरा यह कहना है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये यह कहा गया इस गांधी शताब्दी वर्ष में केवल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को ही जमीन दी जायेगी। लेकिन इसमें पटवारी बहुत चालाकी करते हैं। ये लोग अनपढ़ हैं झूठे नम्बर दे दिये जाते हैं किसी पहाड़ी का नम्बर या किसी नाले का नम्बर दे दिया जाता है। जहां कोई जमीन नहीं होती है और जब अलॉटमेण्ट का नम्बर आता है तो चरागाह आदि की जमीनें दे दी जाती हैं। बामनवास ऐसी तहसील है जो सरकार को 15 लाख रुपया हासिल कर देती है। लेकिन उनके लिये कोई पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। दस पन्द्रह गांव तो ऐसे जिनको चार पांच कोस से गाड़ी में घड़ों में पानी डाल कर लाना पड़ता है। आज सरकार बीकानेर में 38 ट्यूब वैल खोद सकती है तो क्या हमारे बामनवास तहसील में एक भी ट्यूब वैल नहीं लगा सकती ?

बन्ध मोरेल बनाया है वह ऐसा बनाया है कि पहाड़ी के नीचे के गांव सूखे पड़े रहते हैं। उनके लिये पानी की व्यवस्था पाइप लाइन डाल कर की जानी चाहिये। वहां से पानी लेकर नीचे जितने गांव आये हैं उनकी भूमि की सिचाई की जाय।

समाज कल्याण विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आदमियों को नहीं लगाया जाता। आज इस विभाग से गरीबों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है जो लखपतियों के बच्चे हैं उन्हीं को पैसा दिया जाता है। इसका प्रबन्ध अच्छी तरह से किया जाय ताकि गरीब बच्चों को सहायता मिल सके।

तीसरा मेरा यह कहना है कि मोरा सागर से दस गांवों की पिलाई हो सकती है। इसके अलावा मेरे इलाके में जो कहतसाली पड़ गई है चार पांच पंचायत के गांव इसमें आ गये हैं। उससे पांच दस हजार बीघा में नुकसान हुआ है उनको मदद देना चाहिये। लगान माफ करना चाहिये। उधर नहरें बनी हुई हैं उसके लिये पम्पिंग सेट लगा कर पानी दिया जाना चाहिये। आज जो लोग कुओं से काश्त करते हैं उनसे कमाई तो कुछ होती नहीं लेकिन उस पर सोलह गुना लगान देना पड़ता है। इसलिये मेरा यह कहना है कि किसानों पर सोलह गुना लगान न लगाया जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूं हमारे जिले में ऐसे काम हैं—जोरड़ा बान्ध इस पर साठ सत्तर हजार रुपया खर्च आकर दस गांवों की जमीन की पिलाई हो सकती है। यह काम सरकार को हाथ में लेना चाहिये। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 30 मार्च के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे दिनांक 30 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 344 की सूची)

STATEMENT SHOWING PAYMENTS MADE AT VARIOUS CAMPS ON MAIN CANAL

FAMINE CAMP AT R. D. 528

Date	Amount Rs.
8-2-70	6489.38
10-2-70	666.90
16-2-70	5221.45
18-2-70	1800.15
21-2-70	7637.91
25-2-70	520.05
28-2-70	9694.15

FAMINE CAMP AT R.D. 532

	Rs.
11-2-70	4429.10
13-2-70	4791.05
14-2-70	9068.90

FAMINE CAMP AT R.D. 538

	Rs.
4-2-70	13660.00
9-2-70	264.00
18-2-70	3954.60
19-2-70	7338.80
20-2-70	11690.70
21-2-70	5553.10

FAMINE CAMP AT R.D. 545

	Rs.
16-2-70	15737.70

FAMINE CAMP AT R.D. 550

	Rs.
4-2-70	10273.70
16-2-70	446.50
17-2-70	17989.80

FAMINE CAMP AT R.D. 555

Date	Amount
	Rs.
10-2-70	465.75
16-2-70	1495.00

FAMINE CAMP AT R.D. 585

	Rs.
5-2-70	996.11
8-2-70	1922.29
9-2-70	1886.78
12-2-70	772.10
23-2-70	3735.98
25-2-70	2829.15
26-2-70	2687.30

FAMINE CAMP AT R.D. 590

	Rs.
14-2-70	17809.66

FAMINE CAMP AT R.D. 607

	Rs.
6-2-70	19102.48
19-2-70	21371.99

FAMINE CAMP AT R.D. 639

	Rs.
8-2-70	14173.22
11-2-70	343.55
14-2-70	1413.55
16-2-70	10147.01
17-2-70	5869.02
20-2-70	2574.64
23-2-70	3283.99

FAMINE CAMP AT R.D. 672, 682, 750

	Rs.
1-2-70	200.00
7-2-70	2594.36
9-2-70	6690.88
13-2-70	8296.38
14-2-70	6215.93

Date	Amount Rs.
15-2-70	7503.34
18-2-70	200.00
19-2-70	1011.88
20-2-70	1530.46
23-2-70	18312.17
24-2-70	409.61
25-2-70	7902.95

FAMINE CAMP AT R.D. 912 and 9 ı3

	Rs.
1-2-70	34995.46
2-2-70	6737.99
13-2-70	910.94
14-2-70	13851.66
15-2-70	1898.27
16-2-70	15420.54
18-2-70	2772.36

FAMINE CAMP AT SINDHEWALI

	Rs.
10-2-70	706.53
13-2-70	926.60

FAMINE CAMP JIAWALI

	Rs.
5-2-70	168.48
17-2-70	435.80

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची)

पंचायत समिति, छीपाबड़ोद के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में रसायमिक खाद की बकाया की सूची ।

क्रमांक	ग्राम पंचायत	बकाया राशि
1.	असनावर	453.23
2.	बिलेन्डी	3579.23
3.	टाचां	245.65
4.	भावपुरा	1030.49
5.	देवरी जोष	2371.27
6.	गगराना	622.68
7.	राई	4488.24
8.	सेतकोलू	2087.43
9.	बंजारी	3345.34
10.	झंझेरनी	2553.78
11.	कचनारिया	3509.60
12.	कलमोदिया	1019.73
13.	दीगोद जागीर	2836.13
14.	हरनावदा शाहजो	231.67
15.	मोखमपुरा	3767.86
16.	सारथल	2836.24
17.	दीगोद खालसा	256.70
18.	फूलबड़ोदा	3605.65
19.	बमोरी घाटा	4346.90

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RAJASTHAN GROUND WATER BOARD, JODHPUR

List of Tubewells with Rajasthan Ground Water Board in Jalore District

S. No.	Location
1.	Bakora
2.	Saran
3.	Golia
4.	Magalwa
5.	Tilora
6.	Surana
7.	Bagora
8.	Kura
9.	Sonpura
10.	Elana
11.	Keethari
12.	Degaon
13.	Dadhal
14.	Keshwana
15.	Leta
16.	Un
17.	Noon
18.	Navakheda
19.	Bhagli
20.	Sankad
21.	Sarnow

Sd/

Chief Ground Water Engineer & Secy.

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

माही बांध योजना

358. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माही बाध (बांसवाड़ा जिला) की बुनायादी स्कीम का अनुमानित खर्च 3 करोड़ 23 लाख था ? यदि नहीं, तो कितना ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले 14 वर्षों में इस पर 5 करोड़ रुपयों का व्यय हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि इसकी नींव का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो कितना कार्य बाकी है ?

(4) क्या यह सही है कि इस पर 14 लाख से बना हुआ पुल जिसे हाई लेवल ब्रिज कहते हैं क्या उस पर 6 फीट पानी निकल गया है ? यदि नहीं, तो कितना ?

(5) क्या यह सही है कि इस पुल के उपयोग के लिये जो बांसवाड़ा. रतलाम सड़क जोड़नी थी वह अभी तक नहीं जोड़ी गई है ? यदि नहीं, तो किस तरफ से जोड़ी गई है ?

उत्तर

(1) सन् 1956 में बनी माही बांध (बांसवाड़ा जिला) की बुनयादी सिंचाई योजना की अमुमानित लागत 308.76 लाख रुपये थी।

(2) माही (बजाज सागर) परियोजना पर फरवरी, 1970 के अन्त तक लगभग 192 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

(3) माही (बजाज सागर) परियोजना की स्वीकृति "योजना आयोग" से न आने के कारण अभी मुख्य बांध का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है।

(4) हाई लेवल ब्रिज पर सड़क का लेवल 790.75 फीट है। दिनांक 31-7-68 को नदी में अत्यधिक बाढ़ के कारण पुल के अप स्ट्रीम में पानी का लेवल 789.75 फीट हो गया था। लहरों के कारण पुल के कुछ हिस्से में पानी स्लेब के 2 फीट ऊपर तक बहा था।

(5) यह पुल बांध के निर्माण कार्य के लिये नदी के दोनों किनारो को जोड़ने हेतु बनाया गया है। बांसवाड़ा, रतलाम रोड़ को इस पुल पर से निकालने का कभी कोई प्रस्ताव नहीं था।

इस सड़क को रतलाम से निबरोब, सिधगढ़, बेरवा. कुन्दनपुर, आण्डू होते हुए बांसवाड़ा तक नये सिरे से बनाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान ट्रेक्टस से सामान की खरीद

359. **श्री भैरोंसिह शेखावत** : (किशन पोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि **बोरडर** रोड्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्थान ट्रेक्टर्स के मालिक श्री श्योकीलाल से ट्रेक्टर, केनापी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और अन्य सामान के क्रय का ठेका हुआ है ? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ? कृपया शर्तनामे की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इस ठेके के अनुसार कौनसा कितने कितने मूल्य का माल किस किस तारीख को ठेकेदार द्वारा विभाग को दिया गया और इसके मूल्य स्वरूप कितना कितना रुपया कब कब ठेकेदार को दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने ठेके की शर्तों का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? इस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) जी हां, मैसर्स राजस्थान ट्रेक्टर्स को मुख्य अभियन्ता परियोजना, जोधपुर ने अपने आर्डर संख्या सी० ई० पी०/परचेज/24/4849, दिनांक 27-10-66 को 50 ट्रेक्टर का आर्डर दिया । आर्डर व शर्तों की प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं ।

(ख) इसकी सूची संलग्न है ।

(ग) जी हां । कुछ माल ठेके की शर्तों के अनुसार नहीं था जो रिजेक्ट कर दिया गया और उसका भुगतान नहीं किया गया । ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई) ।

ट्रेक्टरों का आवंटन

360. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एग्रोइन्डस्ट्रीज द्वारा कुछ "जेटर" ट्रेक्टर्स का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने का और किन किन को ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इसमें मंत्री महोदय द्वारा भी कोई आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो किन किन को ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई ।)

डूंगरपुर जिले में नियोजन कार्यालय

361. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले के लिये नियोजन कार्यालय चालू करने की सरकार ने किस तारीख से स्वीकृति दी है ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर में नियोजन कार्यालय अब तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उदयपुर के दो अफसरों में से एक अफसर को डूंगरपुर पोस्टिंग करने में सरकार को क्या है ?

(श्री महेन्द्रकुमार)

(3) क्या यह सत्य है कि अभी भी डूंगरपुर वालों को पहले की तरह एम्लायमेन्ट के लिये उदयपुर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार डूंगरपुर में नियोजन कार्यालय कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) दिनांक 1-9-69 से। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) डूंगरपुर नियोजन कार्यालय फिलहाल उदयपुर मुख्यावास पर चालू कर दिया गया है तथा शीघ्र ही डूंगरपुर में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

(3) जी हां। शीघ्र ही।

No. F. 2 (4) Emp./69 (L & E) III

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

From:

Shri K. K. Saxena,
Dy. Secretary to the Government.

To:

The Director of Employment,
Rajasthan, Jaipur.

Jaipur-1, the 23 June, 69.

Sub:—Plan Schemes of Manpower & Employment—opening of new District Employment Exchanges at Jhalawar and Dungarpur.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F. 1 (2) AC/69/5533, dated 23-4-69 on the subject noted above and to convey sanction of the Governor for opening of two new District Employment Exchanges during 1969-70 at Jhalawar and Dungarpur and to the creation of the following posts with effect from 1-9-69 to 28-2-70 for the above Employment Exchanges:—

1. District Employment Officers 2 Scale No. 16

2. Lower Division Clerks 4 Scale No. 7

3. Class IV servants (2 peons & two chowkidars 4 Scale No. 1

The expenditure involved is debitable to head "38-Labour and Employment—C-Employment and Training(1) Employment Exchanges New Expenditure (Plan)".

This issues with the concurrence of F. D. (Exp-III) vide their I. D. No. 1406/69, dated 5-6-69.

Your's faithfully,
Sd/- K K. Saxena
Dy. Secertary to the Government.

No. F. 2. (4) Emp./69 (L&E) III Jaipur the 23 June, 69.

Copy forwarded to:—

1. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. The Finance Department (Exp-III with 2 spare copies.)
3. Planning Department, Jaipur.
4. Establishment section.
5. Collector, Jhalawar and Dungarpur.
6. Appointments Department A-V.
7. Guard File/General file.
8. G. A. D. (C).
9. Return file with one spare copy.

Sd/- K. K. Saxena
Dy. Secretary to the Government

कांवली-जोजावर सड़क

362. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कांवली-जोजावर रोड़ प्लान में ली हुई सड़क है और कई वर्ष मे प्लान में होने पर भी वह पूरी नहीं हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बार सड़क पर अकाल राहत का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कितने मील लम्बा टुकड़ा है और इस पर कितनी लेवर लगी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि काम को देखते हुए लेवर बहुत कम लगी है ?

(4) क्या यह सही है कि यह सड़क जोधपुर और भीलवाड़े को जोड़ेगी तथा महत्वपूर्ण सड़क है ?

(5) क्या इसी वर्ष अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत यह सड़क पूरी की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल एक मील के भाग को छोड़ कर शेष भाग बन गया है।

(2) जी हां। 1 मील का टुकड़ा है जिस पर फरवरी के अंत तक 1301 मजदूरों की संख्या थी।

(3) जितनी लेबर काम पर आई उसे लगा लिया गया है।

(4) जी हां।

(5) आशा है यह कार्य चालू अकाल राहत कार्यों में पूरा हो सकेगा।

ग्राम केऊ में डकैती का मामला

363. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम केऊ में कुछ अर्से पहले एक डकैती का मामला हुआ था जिसका थाना पुलिस चौकी वापेऊ व श्री डूंगरगढ़ थाना में केस दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो यह डाका कितने रुपये का व किस महिला को लूटने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी ?

(2) क्या डाकुओं को व लुटेरों को पुलिस पकड़ने में असफल रही ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को पुस्तकें

364. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि सरकार की ओर से प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को पुस्तकें फ्री दी जाती हैं ?

(2) यदि हां, तो कब से और किस किस क्लास से किस किस क्लास तक के विद्यार्थियों को दी जा रही हैं ?

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त पुस्तकें सभी जिलों में दी जाती हैं ? यदि हां, तो कितनी कितनी और कितनी कितनी कीमत की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रवणलाल)

(4) उपरोक्त पुस्तकें नहीं दीं ? ऐसे कितने जिले हैं और उन्हें क्यों नहीं दी गई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सत्र 1965-66 से निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र एवं छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई हैं। शहरी क्षेत्रों में छात्रों को कक्षा 1 से 5 तक तथा छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक ग्रामीण क्षेत्र में छात्र व छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक वितरित की गईं।

(3) जी हां, सन् 1965-66 से सभी जिलों में निम्न लिखित धनराशि की पुस्तकें वितरित की गईं:—

1965-66 में	7,02,805
1966-67 में	6,96,763
1967-68 में	7,03,415
1968-69 में	6,66,061
1969-70 में	7,05,882
	34,74,926

कितनी कितनी किताबें वितरित की गईं यह सूचना सभी विद्यालय निरीक्षकों से मंगाने पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) सभी जिलों में वितरित की गई हैं।

गुलपाड़ा-जुरहड़ा सड़क निर्माण कार्य

365. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गुलपाड़ा जुरहड़ा रोड़ के निर्माण के लिए डीग सब डिवीजन की जनता तथा नगर एवं कामां पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों ने बार-बार मांग की है ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण के लिये सदन में भी 1962 से लगातार प्रश्न उठाये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो आज तक उक्त सड़क का सर्वे क्यों नहीं कराया गया है ?

(2) क्या उक्त सड़क का निर्माण उचित है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बना दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायतों द्वारा मांग की गई इसकी जानकारी नहीं है। पिछले कुछ सालों से सदन में प्रश्न उठाया गया है। अभी सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 1970-71 में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायगा।

बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिए नियुक्त समिति

366. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या यातायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बस यातायत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने हेतु झाला समिति या अन्य किसी कमेटी की नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो किस वर्ष किस कमेटी की नियुक्ति की गई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) बस यातायात मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने की सरकारी नीति क्या है और अब तक किस किस जिले में कौन कौन से मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया और अब कौन कौन से मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक करने का विचार है ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर भीलवाड़ा, झुन्झुनूं सीकर आदि जिलों में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना से पूर्व राजस्थान में यातायात सुविधायें विभागीय रूप से चलाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति जुलाई, 1959 में यातायात मन्त्री की अध्यक्षता में नियुक्त की थी जिसके सचिव तत्कालीन गृह सचिव, श्री झाला थे, यह समिति पथ परिवहन व्यवस्था को सुपरवाइज करने और विभाग को इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन देने के लिए नियुक्त की गई थी अत: किसी प्रकार की रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । सन् 1964 में निगम के बनने पर यह समिति समाप्त हो गई ।

(2) बस यातायात के बारे में राज्य सरकार की नीति यथा साधन अधिक से अधिक मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की है । अब तक जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनके जिले, माइलेज आदि की सूचना के बारे में सूची सं० 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है । निकट भविष्य में जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की तजवीज है तथा जिनकी विज्ञप्तियां भी राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है, उनके बारे में सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में कुछ मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनायें प्रकाशित कर दी गई हैं । पेंडिंग स्कीमों के डिस्पोजल के बाद सीकर, झुन्झुनूं आदि जिलों में भी राष्ट्रीयकरण की योजना पर विचार किया जायगा ।

(सूची विस्तत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई ।)

पाठ्य पुस्तकों में गल्तियां

367. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कक्षा 6 व 8 की पाठ्य पुस्तकें जो गलत प्रकाशित हुई थीं वे पुस्तक मण्डल द्वारा किस तारीख को स्वीकृत की गई थी ?

(2) पुस्तकों में गलत नक्शा जो छपा है, उसका हस्तरेखा चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया था ? उसका नाम क्या है और वह कहां का रहने वाला है ?

(3) यह सरकारी मुलाजिम है या पुस्तक के लेखक के द्वारा बनवाया गया है ?

उत्तर

(1) हिन्दी पाठमाला कक्षा 6 सर्व प्रथम सन् 1958-59 में प्रकाशित की गई थी । सन् 1967 में मुद्रित पाठ्यपुस्तक में भारतवर्ष का नक्शा गलत छपा था । इस नक्शे के स्थान पर नया नक्शा पुस्तक की प्रतियों में छपवा कर लगवा दिया है ।

(शिक्षा मंत्री)

सामाजिक ज्ञान कक्षा 8 सर्व प्रथम सन् 1960-61 में प्रकाशित की गई थी इस पुस्तक में मुद्रित श्री जिन्ना के चित्र पर आपत्ति की गई थी। श्री जिन्ना का चित्र अब 1968 वाली प्रकाशन से हटा दिया गया है।

(2 व 3) हिन्दी कक्षा 6 (1967 संस्करण) में जो भारत वर्ष का नक्शा गलत छपा है, उसका हस्त रेखाचित्र पुस्तक के मुद्रक मेसर्स आधुनिक प्रिन्टर्स, जालन्धर शहर द्वारा बनवाया गया था। चित्रकार का नाम श्री बृजभूषण है और वह जालन्धर का निवासी है। वह सरकारी मुलाजिम नहीं है।

डिस्पेन्सरियों एवं एड पोस्ट का बजट

368. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा, जैसलमेर, सीकर, टोंक जिले की डिस्पेन्सरियों व एड पोस्ट का 1968-69 का वार्षिक बजट क्या था ? इस बजट में से दवाइयों पर कितना खर्च हुआ ?

(2) क्या स्प्रीट, डिटोल, साबुन आदि पर हुआ खर्च दवाइयों के बजट में ही शामिल है ?

(3) जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1968 तक इन डिस्पेन्सरियों में कितने आउट डोर मरीज (नये व पुराने) आये ?

(4) आउट डोर के प्रति मरीज पर प्रति दिन दवाइयों के लिये कितना खर्च हुआ

(5) क्या इस खर्च में टाइफाइड, नमोनियां, आंत्रशोध व हृदयरोग जैसे रोगों के लिये दवाइयां उपलब्ध की जा सकती हैं ?

(6) उपरोक्त बीमारियां (टाइफाइड, नमोनियां व आंत्रशोध) के कितने मरीज डिस्पेन्सरियों में आये, तथा कितनों को दवा वहीं से उपलब्ध हुई ?

उत्तर

(1) सन् 1968-69 का वार्षिक बजट एवं दवाइयों पर किया गया खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

नाम जिले का	स्वीकृत वार्षिक बजट	दवाइयों के मद में खर्चा
भीलवाड़ा	9,44,000	1,51,400
जैसलमेर	46,900	21,900
सीकर	13,36,300	2,70,400
टोंक	6,25,400	1,01,560

(2) जी हां। स्प्रीट एवं डिटोल पर होने वाला व्यय दवाइयों के बजट में ही शामिल है पर साबुन आदि का व्यय अन्य मद (अदर आईटम्स) से किया जाता है।

(3) जनवरी सन् 1968 से दिसम्बर, 1968 तक उक्त डिस्पेन्सरियों में आउटडोर रोगियों (नये व पुराने) का ब्योरा:—

जिले का नाम	आउट डोर रोगी
भीलवाड़ा	5,61,458
जैसलमेर	54,426
सीकर	5,14,031
टोंक	3,36,393

(चिकित्सा मन्त्री)

(4) आउट डोर के प्रति मरीज पर प्रदि दिन दवाइयों का खर्चा निम्न प्रकार है:—

जिले का नाम	प्रति मरीज पर प्रति दिन का दवाइयों का खर्चा
भीलवाड़ा	0.14 पैसे
जैसलमेर	0.20 ,,
सीकर	0.27 ,,
टौंक	0.15 ,,

(5) जी हां।

(6) टाइफाइड, निमोनिया व आंत्रशोध बीमारियों के आये हुए मरीजों का जिलेवार ब्यौरा:—

जिले का नाम	रोगियों की संख्या		
	टाइफाइड	निमोनिया	आंत्रशोध
भीलवाड़ा	610	4,404	1,965
जैसलमेर	267	455	304
सीकर	1,545	9,040	2,730
टौंक	1,591	2,859	2,604

चूरू-रतनगढ़ सड़क

369. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू से रतनगढ़ सड़क किस वर्ष में बनाई गई थी और अब उसकी क्या स्थिति है ?

(2) क्या पूरी सड़क पर कारपेटिंग हो चुका है। अगर नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा कराने का विचार है ?

(3) चूरू से राजगढ़ सड़क बनाने के लिये सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 65-66 में बनी है। सड़क का डामर भाग ठीक है शेष सड़क कहीं कहीं खराब है।

(2) जी नहीं : कार्य प्रगति पर है। ज्यों ज्यों धन राशि प्राप्त होगी कार्य कराया जावेगा। अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) कार्य चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में शुरू कर दिया जायगा।

पंचायत समितियों के कर्मचारियों का राज्य सेवा में स्थानान्तरण

370. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण समान पद पर राज्य सेवा में नहीं किया जाता हैं ?

(2) पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों की वेतन शृंखला व पद जब राज्य सेवा के समान हैं तो उनके स्थानान्तरण राज्य सेवा में किये जाने में क्या आपत्ति है ?

(3) दिनांक 2-10-59 से अब तक पंचायत समिति सेवा के कितने कर्मचारियों

Page No 151

(श्री जयनारायण सालोदिया)
के स्थानान्तरण सेवा नियम 38 के अन्तर्गत राज्य सेवा में किये गये ?

(4) क्या सरकार को विदित है कि सेवा नियम 38 में वर्णित मौजूदा तरीका बहुत जटिल है ? यदि हां, तो क्या ऐसे समान पद पर स्थानान्तरण या पदोन्नति हेतु आवेदन-पत्र सीधे सम्बन्धित विभाग को भेजने का अधिकार विकास अधिकारी को देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं हैं।

(3) कुल 126 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

(4) नियम स्पष्ट है। राज्य सेवा में पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र पंचायत समिति / स्थाई समिति की अनुमति से विकास अधिकारी द्वारा सीधा सम्बन्धित विभाग को भेजा जा सकता है।

सहकारी बैंक और इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट

371. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सहकारी बैंकों को इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट 1947 के प्रभाव से मुक्त कर दिया जावे ?

(2) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और इस निर्णय लेने के आधार क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन ने राज्य सरकार के इस कदम का तीव्र विरोध किया है और दिनांक 6-1-70 को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री को दिया है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन के ज्ञापन पर विचार करके कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि सरकारी बैंकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाय।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। राजस्थान बैंक एम्पलाईज से इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(4) चूंकि राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि सहकारी बैंकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाय। अतः श्रम आयुक्त कार्यालय से इसकी सूचना राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन को दे दी गई है।

आई. टी. आई. के भवन में निर्माण कार्य

372. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की

(श्री रामसिंह कुड़ी)
कृपा करेंगे—

(1) क्या नागौर स्थित आई. टी. आई. के भवन में बाउन्डरी की दीवार व अन्दर के दरवाजे आदि के निर्माण कार्य का ठेका श्री हनुमानसिंह ठेकेदार को 39 प्रतिशित अबाउ रेट पर दिया गया है ?

(2) क्या नियमानुसार 20 प्रतिशित अबाउ रेट पर आने पर उसका टेन्डर दुबारा लिया जाना उचित है ? यदि हां, तो क्या नागौर आई. टी. आई. के बाउन्डरी वाल व दरवाजे के निर्माण कार्य के इस ठेके में ऐसी कार्यवाही की गई थी ? यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जांच कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या नागौर के जिला स्तरीय लेबर श्रमिक ठेका संघ को इस कार्य की टेन्डर सूची नहीं भेजी गई थी ?

(4) इस कार्य में निर्धारित ऐस्टीमेट से कितना अधिक कार्य करवाया जा रहा है और उसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह बाउन्डरी वाल जहां बन रही है वहां मगरा है एवं जमीन की गहराई तक कंकरीली व पथरीली एवं पक्की है ?

(6) क्या यह भी सही है कि इस पक्की व पत्थरीली जमीन में भी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की गर्ज से किसी अधिकारी ने ठेकेदार से मिल कर एस्टीमेट से भी अधिक गहरी व चौड़ी नींव नागौर आई. टी. आई. के भवन की बाउन्डरी वाल को बनाई है एवं ऐसे गलत कार्य का पेमेन्ट विशेष दिलचस्पी लेकर शीघ्र किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) अधिक कार्य नहीं करवाया गया।

(5) जमीन की ऊपरी सतह पर सख्त मिट्टी है व नीचे कंकरीली है।

(6) जी नहीं।

पंचायत समितियों के अस्थाई कर्मचारी

373. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों की सेवा अवधि सचिव, सेवा चयन आयोग द्वारा नियमानुसार बढ़ाई जाती है ?

(2) क्या अस्थाई कर्मचारियों को सेवा चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार करते वक्त प्राथमिकता दी जाती है ?

(3) वर्ष 1964 से पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में कितने अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(4) जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि संबंधित जिला परिषदों द्वारा बढ़ाई जाकर सेवा अवधि बढ़ाने के मामले सेवा चयन आयोग को भेज दिये गये हैं, क्या उनकी

(श्री भगवानदास शास्त्री)
सेवा अवधि बढ़ा कर सम्बन्धित जिला परिषदों को नियमानुसार भेजी जाती है अथवा नहीं ?-अगर नहीं भेजी जाती है तो क्यों ?

(5) किन किन पंचायत समितियों में स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और सम्बन्धित जिला परिषदों व सम्बन्धित विभाग द्वारा इस ओर क्या कदम उठाये गये सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) साक्षात्कार के समय अस्थाई कर्मचारियों के अनुभव आदि का ध्यान रखा जाता है।

(3) 431 कर्मचारी।

(4) नियमानुसार की गई नियुक्ति की सेवा अवधि तत्काल बढ़ा दी जाती है। जिनकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं होती है उन मामलों में सेवा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। की गई कार्यवाही का उल्लेख भी सदन की मेज पर रखी गई सूचना में किया हुआ है।

विभिन्न पंचायत समितियों में स्वीकृत पद से अधिक कार्य कर रहे कर्मचारियों का विवरण।

क्रमांक	पंचायत समिति	पद	संख्या	की गई कार्यवाही का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़मेर	कनिष्ठ लिपिक	1	मामला जिला कर्मचारी वर्ग समिति की बैठक में रखा जायेगा।	
2.	सागवाड़ा	अध्यापक	2	—	
3.	रतनगढ़	चौकीदार 1 वैलवडर 1 ड्राइवर 1	3	—	
4.	राजगढ़	ड्राईवर 1 मिस्त्री 1	2	—	दैनिक मजदूरी पर नियुक्त है।
5.	फतेहपुर	मिस्त्री	1	जिला परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	
6.	नीमकाथाना	अध्यापक	4		
7.	थोंद	अध्यापक	2		
8.	खन्डेला	ड्राईवर	2		

(पंचायत मंत्री)

1	2	3	4	5	6
9.	गंगानगर	अध्यापक	3	—	प्रशिक्षण में गये अध्यापकों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं।
10.	रायसिंहनगर	ग्राम सेवक	3		"
11.	सूरतगढ़	अध्यापक	17		निजी आय से नियुक्त हैं।
12.	अराई	अध्यापक	6	अन्य पचायत समितियों में स्थानान्तरण हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।	
13.	पिसांगन	कनिष्ठ लिपिक	1		निजी आय से नियुक्त हैं।
14.	झालरापाटन	ड्राईवर 1, सर्वेयर 1, मिस्त्री 1, पम्पचालक 4, गंगमैन 3	10		निजी आय से नियुक्त हैं।

नोट—सूचना 19 जिलों से ही प्राप्त हुई है।

केकड़ी में छात्रावास का अभाव

371. श्री देवीलाल पुरासिया (केकड़ी): क्या शिक्षा मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर के आसपास के गांवों के बहुत से विद्यार्थी केकड़ी में छात्रावास के अभाव के कारण दर दर फिर रहे हैं तथा उक्त गांवों के बहुत से गरीब विद्यार्थी इस कारण विद्या अध्ययन से वंचित रह रहे हैं ?

(2) केकड़ी नगर का हाई स्कूल का पब्लिक छात्रावास कब व किन कारणों से तथा किसके आदेश से बन्द किया गया तथा इस छात्रावास के स्टाक का क्या क्या सामान किस किस के पास पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस छात्रावास भवन बनाने हेतु किस दानदाता द्वारा कब कब कितनी कितनी लागत का क्या क्या कार्य किया तथा उसमें कुल कितना खर्च हुआ ? इस दानदाता ने किन शर्तों पर कमरे बनवाये ? अब यह छात्रावास किस कार्य में आ रहा है ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(4) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर शिक्षा विभाग अजमेर ने केकड़ी हाई स्कूल में हैड मास्टर को अन्य दूसरी बिल्डिंग को किराये पर लेने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो पत्र कब लिखा और हैड मास्टर ने इस पर कब कब क्या क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह भी सही है कि बीस-पच्चीस हजार की आबादी वाले केकड़ी नगर में गरीबों के लिये एक भी छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(6) क्या यह सरकार को विदित है कि इस छात्रावास को बन्द कर देने से केकड़ी तथा उसके आसपास की जनता में असन्तोष फैला हुआ है तथा जनता इस विषय पर आन्दोलन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) छात्रावास के अभाव में छात्र विद्याध्ययन से वंचित रह रहे हैं यह सही नहीं है । शालाओं के लिये छात्रावास चलाने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है ।

(2) शिक्षा संचालक अजमेर राज्य के आदेश क्रमांक सामान्य 19020/55, दिनांक 4-4-55 द्वारा बन्द किया गया था । छात्रावास के स्टाक में जो सामान था वह अभी भी राजकीय उच्च माध्यमिक शाला केकड़ी में है । सामान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) उक्त छात्रावास में दानदाताओं तथा जन सहयोग से 8 कमरे, 3 रसोईघर केलू के, एक क्वार्टर छात्रावास अधीक्षक के लिये बनवाये । ये भवन 15 वर्ष पूर्व बनवाये गये थे अतः दानदाता का नाम तथा खर्चे की रकम का ब्योरा विभाग में उपलब्ध नहीं है । इसमें से 6 कमरे एक क्वार्टर व 3 रसोईघर तहसील, केकड़ी के कब्जे में हैं तथा दो कमरों में प्राईमरी शाला चलती है ।

(4) जी हां । 4-4-55, को लिखा था । हैड मास्टर ने इस निमित्त उस समय कोई कार्यवाही नहीं की मालूम होती है ।

(5) व (6) इसका उत्तर प्रश्न भाग (1) के उत्तर में दिया जा चुका है ।

पब्लिक बोर्डिंग हाउस के स्टॉक रजिस्टर में निम्न सामान अभी तक उपलब्ध है ।

क्रमांक	नाम वस्तु	तादाद
1	2	3
1.	अलमारियां लकड़ी की बड़ी	5
2.	अलमारियां लकड़ी की छोटी	10
3.	मेज	21

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3
4.	कुर्सियां	10
5.	बैन्चें	2
6.	टेबल टैनिस मेज	1
7.	लोहे की खाट	35
8.	थाल पीतल के	33
9.	गिलास पीतल के	25
10.	परात पीतल को	1
11.	काठी	2
12.	कढ़ाई	1
13.	पथरणा	2
14.	तकिये	3
15.	मसन्द	2
16.	हमाम दस्ता	1 सेट
17.	चम्मच	3
18.	लोटे	4
19.	भगोने पीतल	1
20.	चिमटा	1
21.	छलनी पीतल	1
22.	कटोरी पीतल की	6
23.	घन लोहे का	1
24.	तख्ते लकड़ी के	4
25.	घड़ा पीतल का	1
26.	दीवार घड़ी	1
27.	सन्दूक	7
28.	बाट पुराने	3
29.	घामा पीतल का	1
30.	तवा	1

तिजारा में गैंग हट का निर्माण

375. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।:—

(1) क्या यह सही है कि तिजारा में एक गैंग हट का निर्माण इसी वर्ष किया गया है ? यदि हां, तो इसकी लागत कितनी है ?

(2) क्या यह गैंग हट सड़क पर काम करने वाली गैंग के मजदूरों के ठहरने के लिए बनाई गई है ?

(3) क्या इस प्रकार की गैंग हट अलवर जिले में अन्य भी बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां कहां पर और कितनी कितनी लागत से ?

उत्तर

(1) जी हां। 28,000 रुपया व्यय हुआ है।

(2) गैंग हट का प्रयोग श्रमिक एवम् यात्री दोनों कर सकते हैं।

(3) जी हां, राजगढ़ में बनाने की योजना है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 349 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर

सूची अन्तर-जिला स्थानान्तरण नागौर जिले से अध्यापकों के किये गये हैं की

क्र. सं.	नाम अध्यापक व पद स्थान	स्थानान्तरित स्थान	आदेश दिनांक	स्थानान्तरण कारण
1	2	3	4	5
1.	श्री मोहनलाल स० अ० मा० वि० मकराना (नागौर)	रा० उ० प्रा० वि० ठीमोली	22-12-69	प्रार्थना
2.	श्री बृजभानसिंह स० अ० रा० प्रा० वि० तरनाउ	रा० उ० प्रा० वि० कटराथल	20-11-69	,,
3.	श्री लक्ष्मीनारायण स० अ० उ० प्रा० वि० छोटो छापरी	रा० मा० वि० डाबला	22-12-69	,,
4.	श्री प्रभुदयाल स० अ० उ० प्रा० वि० जाखेड़ा	रा० उ० प्रा० वि० गणेश्वर	26-11-69	,,
5.	श्री श्री महेशचन्द स० अ० रा० उ० प्रा० वि० सिघचना	रा० उ० प्रा० वि० पचार	26-12-69	,,
6.	श्री रामचन्द्र सिंह स० अ० उ० प्रा० वि० तोसीना	रा० उ० प्रा० वि० गाड़ोदा	22-12-69	,,
7.	श्री बृजमोहन स० अ० प्रा० शा० नं० 5 नागौर	रा० उ० प्रा० वि० मून्डवाड़ा	5-7-69	,,
8.	श्री महावीरप्रसाद स० अ० उ० प्रा० वि० बेसरोली	रा० उ० प्रा० वि० मढ़ामदनी	5-7-69	,,
9.	श्री बजरंगलाल स० अ० प्रा० शा० नं० 5 नागौर	रा० उ० प्रा० वि० गावड़ी	8-10-69	,,
10.	श्री चन्दगीराम स० अ० प्रा० शा० नं० 4 नागौर	रा० प्रा० शा० नं० 5 नीम-का-थाना	8-10-69	,,
11.	श्री खुमाणाराम स० अ० रा० उ० प्रा० वि० बांगड डीडवाना	रा० उ० प्रा० वि० मंगलुणा	20-11-69	,,
12.	श्री दुलीचन्द स० अ० रा० उ० प्रा० वि० बांगड़ डीडवाना	रा० उ० प्रा० वि० सिंहासन	26-11-69	,,

1	2	3	4	5
13.	श्री रामकुमार स० अ० रा० उ० प्रा० वि० घनकौली	रा० उ० प्रा० वि० कटराथल	22-12-69	प्रार्थना
14.	श्री कानाराम स० अ० रा० उ० प्रा० वि० क्यामसर	रा० उ० प्रा० वि० गारिन्डा	22-12-69	,,
15.	श्री भजनसिंह स० अ० रा० उ० प्रा० वि० क्यामसर	रा० उ० प्रा० वि० रोसावा	22-12-69	,,
16.	श्री प्रभातकुमार स० अ० उ० प्रा० वि० घांवला	रा० उ० प्रा० वि० गोवटी	22-12-69	,,
17.	श्री पन्नाराम स० अ० उ० प्रा० वि० बेरी	उ० प्रा० वि० सिहोट छोटी	22-12-69	,,
18.	श्री नाथूराम स० अ० रा० उ० प्रा० वि० क्यामसर	उ० प्रा० वि० सिहोट बड़ी	26-12-69	,,
19.	श्री ग्यारसीलाल स० अ० उ० प्रा० वि० रानीगांव	उ० प्रा० वि० मंगलुणा	22-12-69	,,
20.	श्री गिरधारीलाल स० अ० उ० प्रा० वि० डीडवाना	उ० प्रा० वि० गाड़ोदा	15-12-69	,,
21.	श्री मदनलाल स० अ० उ० प्रा० वि० क्यामसर	उ० प्रा० वि० रुगनाथगढ़	17-12-69	,,
22.	श्री सरदारसिंह स० अ० उ० प्रा० वि० डीडवाना	उ० प्रा० वि० भैरूपुरा	10-12-69	,,
23.	श्री टीकूराम स० अ० उ० प्रा० वि० बेरी जतनपुर	रा० उ० प्रा० वि० कोलीडा	22-12-69	,,
24.	श्री लक्ष्मणसिंह स० अ० उ० प्रा० वि० अकोदा	उ० प्रा० वि० गोडिया बड़ा	26-12-69	,,
25.	श्री जगनसिंह स० अ० उ० प्रा० वि० अकोदा	उ० प्रा० वि० ठीमोली	26-12-69	,,
26.	श्री दौलतसिंह स० अ० उ० प्रा० वि० सिघाना	उ० प्रा० वि० सिहोट बड़ी	31-12-69	,,
27.	श्री सुन्दरलाल स० अ० उ० प्रा० वि० क्यामसर	मा० वि० खण्डेला	31-12-69	,,
28.	श्री चन्द्रभान स० अ० उ० प्रा० वि० क्यामसर	उ० प्रा० वि० नयाबास	12-1-70	,,
29.	श्री गणपतलाल स० अ० प्रा० वि० नं० 5 नागौर	उ० प्रा० वि० दिसनाउ	24-3-70	,,

विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, सीकर।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न सं० 355 की सूची)

SUB:—RISK ALLOWANCE

Detailed note/comments on the recommendation of Pay Commission was submitted to the Health Minister vide this Office letter No. FG/510, dated 27-7-1968.

Now Special allowance to the following staff working in T.B Hospitals and T.B. Clinics are allowed by the Government:—

1.	Medical Officer	@ Rs. 75/- p.m.
2.	Matron	@ Rs. 25/- p m.
3	Compounders	@ Rs. 25/- p.m.
4.	Sisters	@ Rs. 25/- p.m.
5.	Technicians	@ Rs. 25/- p.m.
6.	A.N.M.	@ Rs. 10/- p.m.
7.	Nurse Dais	@ Rs. 10/- p.m.
8.	Class IV	@ Rs. 10-/ p.m.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की सूची)

जिलेवार आवंटित धनराशि की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	बाढ़ सहायता कार्य	बाढ़ पीड़ितों को सहायता	पेय जल के प्रतिष्ठानों के लिए सहायता	राशन वितरण	योग	बाढ़ तकाबी
1.	कोटा	2.50	1.20	—	—	3.70	—
2.	भरतपुर	4.50	5.05	—	—	9.55	1.25
3.	झालावाड़	2.50	5.00	—	—	7.50	—
4.	सवाई माधोपुर	2.00	2.75	—	—	4.75	—
5.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—
6.	अलवर	10.00	16.00	—	1.30	27.30	1.25
7.	चित्तौड़गढ़	2.00	0.25	—	—	2.25	—
8.	सी. ई. पी. डब्ल्यू. डी.	86.50	—	—	—	86.50	—
9.	सी. ई. ईरिगेशन	130.00	—	—	—	130.00	—
10.	सी. ई. पी. एच. डी.	—	—	2.19	—	2.19	—
	योग:—	240.00	30.25	2.19	1.30	273.74	2.50

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं. 411 की सूची)

पंचायत समितियों में काम कर रहे ऐसे प्रसार अधिकारियों की सूची जिनका सन् 1969 का फिक्सेशन होगया है किन्तु राशि का भुगतान बकाया है।

क्र.सं.	पंचायत समिति	प्रसार अधिकारी का नाम	रकम	विशेष विवरण
1.	बनेड़ा	श्री सोहनलाल शर्मा, कृषि प्रसार अधिकारी	—	अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अभाव में।
2.	शाहपुरा	,, सीताराम शर्मा, कृषि प्रसार अधिकारी	798.00	—
3.	देवगढ़	,, प्रतापसिंह बघेरा, कृषि प्रसार अधिकारी	600.00	—
4.	बिलाड़ा	,, बुधाराम	131.11	—
	,,	,, गोविन्दसिंह प. पा.प्र अधिकारी	—	—
5.	राजगढ़ (चूरू)	,, पुरुषोत्तमलाल सहकार प्रसार अधिकारी	192.00	—
	,,	,, टेकचंद, शिक्षा प्रसार अधिकारी	140.00	—
6.	छीपाबड़ौद	,, श्यामसिंह बढ़ई, कृषि प्रसार अधिकारी	376 42	अन्तिम वेतन भुगतान पत्र के अभाव में।
7.	बैराठ	,, बांके बिहारी, सहकार प्रसार अधिकारी	170.00	अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-प्रत्र के अभाव में।
8.	लाडपुरा	,, टेकचंद सांवत, कृषि प्रसार अधिकारी	261.97	—
9.	राम	,, मानसिंह, कृषि प्रसार अधिकारी	693.56	
10.	झाडोल	,, कुन्दनलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी	55.00	
		गेंदीलालसहायक प्रसार अधिकारी	457.70	
11.	सिरोही	,, रामसिंह फार्म मैनेजर	290.70	
12.	गावद	,, मानकचन्द गोयल	235.00	
13.	राशमो	,, कृषि प्रसार अधिकारी		संशोधन अन्तिम भुगतान पत्र अभी प्राप्त हुआ है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

नोट:—यह सूचना 190 पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के आधार पर है।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 418 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 568/अ. ता.

अनुसंधान हेतु वितरित किया गया लालबहादुर शास्त्री गेंहू का ब्योरा:—	किलो
1. व्हीट ब्रीडर पंजाब एग्रीक्लचर यूनिवर्सिटी; लुधियाना-अखिल भारतीय ट्रायल के लिए (उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र)	21.500
2. व्हीट ब्रीडिंग स्टेशन, इन्दौर मध्य प्रदेश क्षेत्र प्रयोगों के लिए	28.000
3. व्हीट स्पेशिलिस्ट, नीफाड़ महाराष्ट्र, पेनिनसूलर क्षेत्र प्रयोगों के लिए	20.000
4. बोटेनिकल सब-स्टेशन, पूसा बिहार (पूर्वी क्षेत्र के प्रयोगों के लिए)	18.000
5. डवार्फ वेरायटी ट्रायल	1.000
6. राकफीलर फाउन्डेशन एग्रोनोमी ट्रायल के लिए	60.000
7. डवार्फ वेरायटी ट्रायल नं. 2	0.300
8. प्रोजेक्ट कोआरडीनेटर व्हीट भारतीय अनुसंधान संस्थान, देहली	2.000
9. जिला कृषि अधिकारी, भीलवाड़ा	1 000
10. जिला कृषि अधिकारी, अलवर	0.500
11. वेलिंगटन दक्षिण भारत (गुणन हेतु)	40.000
12. दुर्गापुर बीज उत्पादन के लिए लगाया	
एक्सपेरीमेन्ट फार्म खेत नं. 6	7.000
,, 5	19.000
,, 3	16.000
,, 4	19.000
बीज उत्पादन फार्म खेत नं. 6	19.000
,, 3	2.000
, 3	1.500
बस्सी फार्म पर बोने के लिए	4.000
कुल खर्च	272.800
बेलेन्स रहा	3.470
कुल	276.280

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं० 423 की सूची)

FREE SUPPLY LIST OF GAZETTES

1. Shri Aditya Kumar Chaturvedi, Nav Bharat, Times of India, Near Ruby Bhawan, Chitranjan Marg, 'C' Scheme, Jaipur.
2. T.N. Kaul, Times of India, Sewa Sadan, Krishna Marg, 'C' Scheme, Jaipur.
3. N.N. Rana Esq. "Statesman" Representative, 105-B. University Marg, Bapu Nagar, Jaipur.
4. Shri Raj Mal Singhvi, Hindustan Standard Ghee-walon-ka-Rasta, Jaipur.
5. Shri Kaisar Lal Jain, Ajmera Press, Ghee-walan-ka-Rasta, Jaipur
6. Shri Narain Chaturvadi C/o Amarjoti Press, Weekly, Kishore Niwas, Tripolia Bazar, Jaipur.
7. Shri Gulab Chand Kala, Jai Bhumi Press, Purani Basti, Srukhudi, Jaipur.
8. The Editor, Lokwani Press, Chaura Rasta, Jaipur.
9. The Local Daily Rajasthan Patrika, Chaura Rasta, Jaipur.
10. Shri Bansidhar Purohit, Jwala Press, M.I. Road, Jaipur.
11. The Daily Navjyoti, Post Box No. 72, Ajmer.
12. The Hindustan Samachar, Gopal-Ji-Ka-Rasta, Jaipur.
13. The Bharat Sewak Samaj, Ajmer.

14. The National Library, Balwedra, Calcutta-27.
15. Connemra Library, Madras.
16. Shri R. K. Mishra, F 32, Azad Marg, C-Scheme, Jaipur.
17. Shri D.R. Ahuja, Hindustan Times, Spl. Corpdt., Bhagat Singh Road, C-Scheme, Jaipur.
18. Shri K.C. Sondhi, Staff Corpdt., The Indian Express Plot No. A-3 Near Diggi House, Jaipur.
19. Shri A.S.Narayan, P.T.I. Santosh Niket, C-Scheme Ashok Marg, Jaipur.
20. The United News of India, Ashok Marg, Jaipur.
21. The Editor, Daily Navjoti Press, Jaipur.
22. Shri Bhanwar Sharma, Amar Rajasthan, S.M.S. Highway, Jaipur.
23. The Central Library, Town Hall, Bombay.
24. The Editor, Rashtradoot Press, Jaipur.

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं० 424 की सूची)

DISCHARGE STATEMENT

Period	Discharge in Rt. Canal Cusec days	Discharge at Parwati Cusec days
OCTOBER, 1969 :		
1st to 10th	25,935	13,712
11th to 20th	31,431	13,234
21st to 31st	33,032	17,119
NOVEMBER, 1969 :		
1st to 10th	32,467	18,516
11th to 20th	28,141	13,143
21st to 30th	28,348	13,089
DECEMBER, 1969 :		
1st to 10th	13,564	150
11th to 20th	31,707	11,000
21st to 31st	33,314	18,751
JANUARY, 1970 :		
31st to 10th	33,000	17,215
11th to 20th	33,635	20,063
21st to 31st	36,743	28,375
FEBRUARY, 1970 :		
1st to 10th	38,000	19,321
11th to 20th	32,312	18,116
21st to 30th	24,556	13,992
MARCH, 1970:		
1st to 10th	50,502	16,361
11th to 19th	27,371	13,771

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची)

S. No.	Name of Owner of Vehicle	Vehicle No.	Working Period	Rate on which hired	Total amount paid	Total Kms.	Petrol Taken	M. Oil taken
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	M/s Hajari Mal Narainji	RJL-4242	23-6-69 to 30-6-69 5-7-69 to 7-7-69	Rs. 60/- per day	Rs. 660/-	1207 Km.	339 Ltr.	9 Ltr.
2.	M/s Abu Khan	RJK-6317	8-7-69 to 16-7-69 18-7-69 to 19-7-69	Rs. 60/- per day	Rs. 660/-	1286 Km.	436 Ltr.	60 Ltr.
3.	Sesh Mal s/o Sopup	RJQ-37	9-7-69 to 23-7-69	Rs. 55/- per day	Rs. 825/-	1255 Km.	570 Ltr.	23 Ltr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Subhash Chand	RJS-596	7, 8, 10, 11 & 14th July, 1969	Rs 60/- per day	Rs. 300/-	300 Km.	90 Ltr.	10 Ltr.
5.	Teja Ram Mali	DLV-5321	14 days	Rs. 55/- per day	Rs. 840/-	amount still to be paid as he has not submitted his Log Book etc.		

Total petrol taken 1435 Ltr. Total Cost Rs. 1,722.00.

Total M. Oil taken 102 Ltr. Total Cost Rs. 277.44.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	3	दंठे	वंठे
3	18	पूछंगा	पूछूंगा
6 अन्तिम से	1	वस्था	अवस्था
9	2	प्रश्सकर्त्ता	प्रश्नकर्त्ता
9	9	वीकार	स्वीकार
13	14	क	कि
18 अन्तिम से	1	वहांपर्च रस	सरपंच
19	2	एस	एक्स
20	18	से	ले
21	1	जा	जो
28 अन्तिम से	4	तरफ	तरफ कहा कि
30	9	ज्यादा अध्यापकों	ज्यादा है अध्यापकों की
34 अन्तिम से	2	शिक्ष	शिक्षा
52	17	नित्रृत्ति	निवृत्त
52 अन्तिम से	6	निवृत्ति	निवृत्त
57 ,,	1	सालादिया	सालोदिया
60 ,,	12	श्री मोहन मोदी	श्री मोहनलाल मोदी
62	13	स्टफ	स्टाफ
64	4	कप्ट	कष्ट
78	1		(1)
78	3	—	(2)
81	1	कि	की
84 अन्तिम से	3	—	(1)
85	3	—	(2)
85	8	—	(3)
85 अन्तिम से	15	—	(4)
85 ,,	13	—	(5)
85 ,,	10	—	(6)
85 ,,	8	—	(7)
85 ,,	3	सह यक	सहायक
86	8	छात्राकान्ह	छात्रावास
86	10	मदि	यदि
91 अन्तिम से	13	द्वार	द्वारा

2

1		2	3	4
92		13	—	(3)
93		18	अनावयश्क	अनावश्यक
93	अन्तिम से	6	उपाध्यक्ष	उप-निदेशक
94		15	फनर्चीर	फर्नीचर
97		3	मिट्ठी	मिट्टी
107	अन्तिम से	5	अनुमति	अनुमति
114		5	खर्चा	खर्चा
122		18	मकराना)	(मकराना)
128	अन्तिम से	9	अनसार	अनुसार
130		9	एडमिनिस्ट्रेटिव	एडमिनिस्ट्रेटिव
131		13	पाटी	पार्टी
131		14	एसो	ऐसी
131		21	मालूल	मालूम
132		3	जाहता	चाहता
136		13	बाधए	बाधाएं
136		16	निर्वरित	निर्धारित
140		15	वीजें	चीजें
141	अन्तिम से	11	एक्सपीरियेस	एक्सपीरियेन्स
146		8	बताय	बताया
147	अन्तिम से	8	खच	खर्च
193	,,	16	किस	जिस
213	,,	13	अती	आती
214	,,	4	बा	बात
217	,,	12	पहच ाना	पहचाना
221		15	स्टफ	स्टाफ
229		8	मिट्टी	मिट्टी
234	अन्तिम से	7	ाभ	लाभ
237	अन्तिम से	9	कानन	कानून
284	,,	13	सुपरवइज	सुपरवाइज
284		11	विस्तत	विस्तृत
284	अन्तिम से	6	कक्ष ा 6	कक्षा 6
285		5	वाली	वाले
286		2	प्रदि	प्रति